वर्ष : 32, अंक : 128, जनवरी–मार्च, 2010

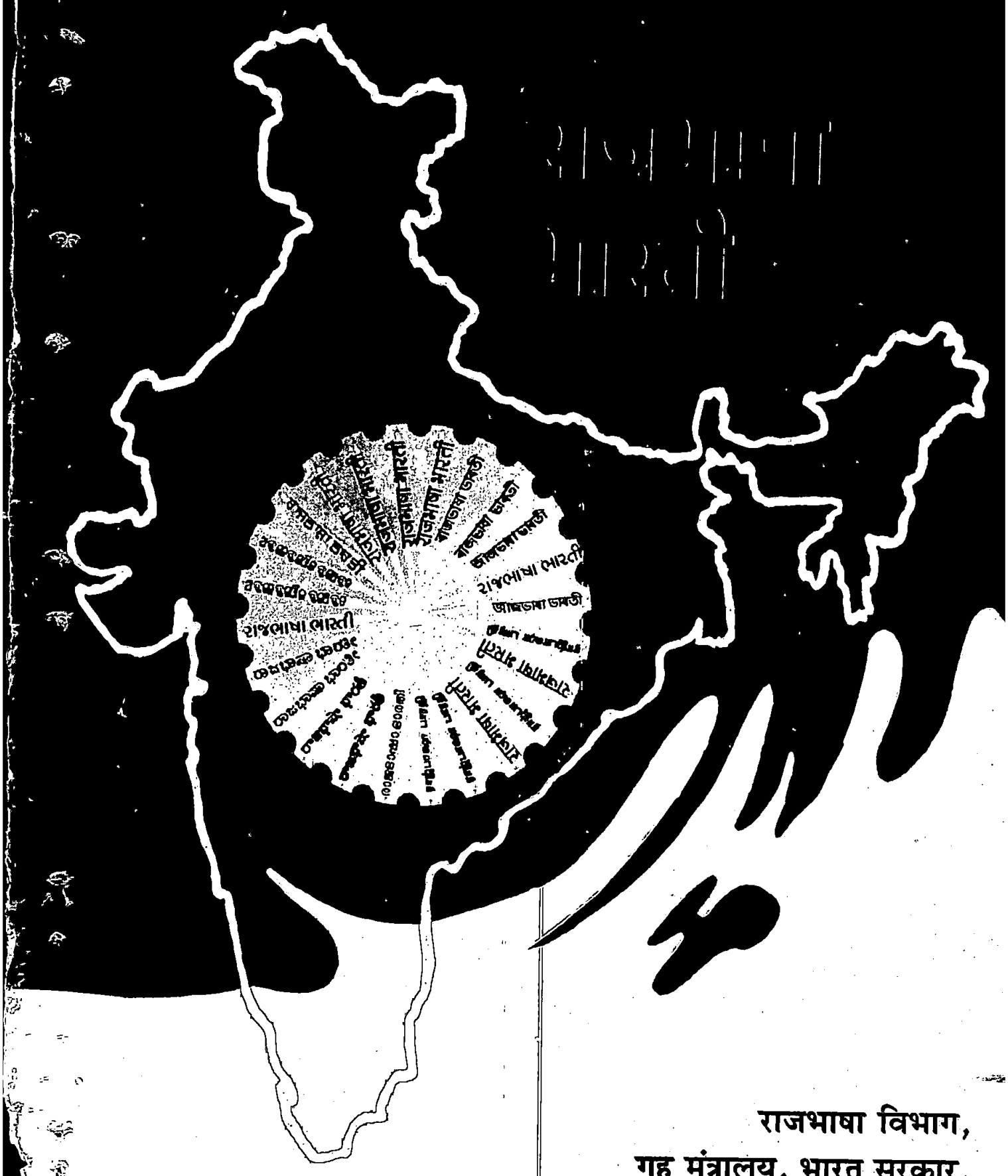

राजभाषा विभाग,
गृह मंत्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित पूर्व तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार समारोह शिलांग में माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय माकन पुरस्कार प्रदान करते हुए ।

पूर्व तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार समारोह शिलांग में भाग लेते हुए माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय माकन जी, श्री बी. एस. परशीरा, सचिव, भारत सरकार (दाएं) तथा श्री जी. भानुमूर्ति, कार्यपालक निदेशक, गुवाहाटी रिफाइनरी एवं अध्यक्ष नराकास, गुवाहाटी (बाएं) ।

भारति जय विजय करे, कनक-शस्य-कमल धरे
—निराला

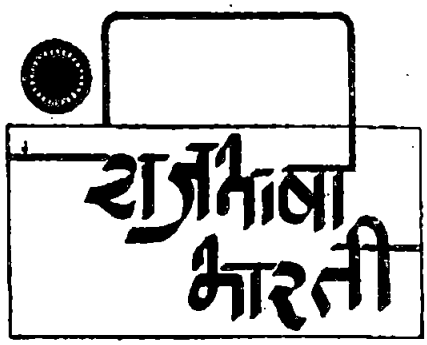

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष : 32

अंक : 128

जनवरी–मार्च, 2010

❑ संपादक
रमेशबाबू अणियेरी
निदेशक (अनुसंधान)
दूरभाष : 24643622

❑ सहायक संपादक
शांति कुमार स्याल
दूरभाष : 24698054

❑ निःशुल्क वितरण के लिए

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

❑ पत्र-व्यवहार का पता :
संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (द्वितीय तल),
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

ईमेल–ru-ol@mha.nic.in
patrika—ol@mha.nic.in
पोर्टल–www.rajbhasha.gov..in.

विषय-सूची

			पृष्ठ
❑	संपादकीय		(iii)
❑	चिंतन		
1.	हिंदी और राजभाषा हिंदी	–डॉ. राम चंद्र राय	1
2.	देव नागरी लिपि, सुधार-संभावनाएं	–डॉ. श्रीकान्त शुल्क	3
3.	हिंदी–एक पूर्वावलोकन	–डॉ. संतोष अग्रवाल	6
4.	हिंदी : राष्ट्रीयता की संजीवनी	–श्री दिनेश सिंह	8
5.	हिंदी कार्यान्वयन–समस्याएं एवं समाधान	–श्री बी. एल. आंजना	10
6.	भारत की भाषाएं और हिंदी	–सुश्री सुधा	11
❑	साहित्यिकी		
7.	रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में सामाजिक संदर्भ	–डॉ. गुड्डी विष्ट	13
8.	छायाकारी काव्य में शिवम् की अभिव्यक्ति	–डॉ साधना तोमर	18
❑	पुरानी यादें–नए परिप्रेक्ष्य		
9.	युग–प्रवर्तक रचनाकार : प्रेम चंद	–डॉ. इंदरराज बैद	21
❑	विचार-विमर्श		
10.	हिंदी में दलित–साहित्य की अवधारणा एवं दलित–साहित्य	–प्रो. शंकर बुंदेले	24
❑	पत्रकारिता		
11.	पूर्वोत्तर भारत में हिंदी के प्रचार-प्रसार और प्रयोग में मीडिया का योगदान	–डॉ. अकेला भाई	30
❑	विविध		
12.	सेवा निवृति	–श्री यश वर्धन	33
राजभाषा संबंधी गतिविधियां :			
(क)	विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें		37

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चेन्नई; पूर्व रेलवे, कोलकाता; एन. एच. पी. सी. लि., कोलकाता; पूर्वोत्तर सीमा रेल, गुवाहाटी; भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, गुवाहाटी; आकाशवाणी, कड़पा; मुख्य आयकर आयुक्त अमृतसर; आकाशवाणी, जालंधर;

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें 42

शिलचर; कटक; इम्फाल; नाजिरा; कोलकाता (बैंक); चण्डीगढ़; मुंबई (उपक्रम); अहमदाबाद; दिल्ली (बैंक); शिमला; पटना (बैंक)।

(ग) कार्यशालाएं 49

एन. एच. पी. सी. कोलकाता; भारी पानी संयंत्र तूतीकोरिन; आकाशवाणी कटक; केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बहरमपुर; एम. एस. एम. ई.–विकास संस्थान, कोलकाता; पश्चिम रेलवे, दाहोद; केनरा बैंक, कोलकाता; कर्मचारी राज्य बीमा निगम, दिल्ली; आकाशवाणी, अहमदाबाद; भारी पानी संयंत्र, बड़ौदा; एन. एच. पी. सी., फरीदाबाद; भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, जयपुर; पोस्टमास्टर जनरल, इन्दौर; क्षेत्रीय रेशम उत्पादन संस्थान केन्द्र, देहरादून; सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, बरेली; केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, फरीदाबाद; दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कं. लि., नई दिल्ली; राजभाषा विभाग, शिलांग।

(घ) हिंदी दिवस 58

वरिष्ठ उप-महालेखाकार, पुरी; मुख्य पोस्टमास्टर, बेंगलूर; केंद्रीय विद्यालय, मेघालय; केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन, भुवनेश्वर; महालेखाकार, गुवाहाटी; दूरदर्शन, नागपुर; केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, मुख्यालय, नागपुर; उच्च शक्ति प्रेषित्र आकाशवाणी, आलप्पुषा; दूरदर्शन केंद्र, हैदराबाद; आकाशवाणी, संबलपुर; मुख्य अभियंता (पूर्वी क्षेत्र), आकाशवाणी और दूरदर्शन, कोलकाता; आकाशवाणी, डिब्रूगढ़ केंद्र; एस. ई. आर. सी. एवं सी. एस. आई. आर. मद्रास कंप्लेक्स, चेन्नई; ज्वार अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद; भारत संचार निगम लि., मैसूर; भारत संचार निगम लि., पुदुच्चेरी; दूरसंचार, अलप्पुषा; दूरसंचार, दावणगेरे; ग्रेफ केंद्र, पुणे; केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे; एन. एच. पी. सी., चण्डीगढ़ ; दूरदर्शन, राजकोट; भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नाशिक रोड; आकाशवाणी, सांगली; दूरदर्शन केंद्र, ईटा नगर; आकाशवाणी, विजयवाड़ा; आकाशवाणी, कटक; दूरदर्शन, कोलकाता; कर्मचारी राज्य बीमा निगम, गुवाहाटी; ओरिएण्टल इंश्योरेंस कं. लि., कोच्चिन; केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बहरमपुर; बोंगाइगांव रिफाइनरी; पावर ग्रिड कार्पो. आफ इंडिया, जम्मू; एन. एच. पी. सी., कोलकाता; भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, मेघालय; खादी और ग्रामोद्योग आयोग, बेंगलूर; गोला बारूद फैक्टरी खड़की, पुणे; कर्मचारी राज्य बीमा निगम, चण्डीगढ़।

➨सम्मेलन/संगोष्ठी 77

मध्य एवं पश्चिम क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह; पूर्व तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार, शिलांग; केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रांची; पावरग्रिड कार्पो. आफ इंडिया लि., पटना; रबड़ बोर्ड, कोट्टयम; मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली; राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा।

➨पुरस्कार/प्रतियोगिताएं 83

पश्चिम रेलवे, राजकोट; केंद्रीय भण्डारण निगम, नई दिल्ली; एन. एच. पी. सी. लि., फरीदाबाद; भारतीय कपास लि., नवीं मुंबई।

➨प्रशिक्षण 85

➨पाठकों के पत्र 95

संपादकीय

भारतीय अर्थ व्यवस्था की प्रगति, मुक्त बाजार की आर्थिक नीतियों और वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में आज विश्व में नए भाषाई समीकरण उभर रहे हैं । भाषाई समीकरण के इस नये परिवेश में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी की अहम् भूमिका है। सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में तेजी लाने में "राजभाषा भारती" प्रयासरत है। इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि विभाग की इस मुख पत्रिका का प्रत्येक अंक अपने आप में विशिष्ट हो। इसी उद्देश्य से "राजभाषा भारती" के हर अंक में साहित्यिक विचारों से परिपूर्ण ज्ञानवर्धक सामग्री का चयन भी हम करते हैं।

हमने इस अंक में विभिन्न स्तंभों के अंतर्गत गम्भीर और विचारोत्तेजक सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। "हिंदी और राजभषा हिंदी" शीर्षक डॉ. रामचन्द्र राय का आलेख कार्यालयीन कार्य के संपादन के लिए प्रयुक्त राजभाषा हिंदी के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाल रहा है। डॉ. श्रीकांत शुक्ल अपने विचारोद्दीपक लेख "देवनागरी लिपि, सुधार संभावनाएं" में संभवत: विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि देवनागरी को लोकप्रिय बनाने के लिए इसकी सुग्राह्यता एवं सरलीकरण के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

"हिंदी एक पूर्वावलोकन" लेख में डॉ. संतोष अग्रवाल हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिलने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में वर्णन कर रहे हैं। श्री दिनेश सिंह का आलेख "हिंदी: राष्ट्रीयता की संजीवनी" यह साबित करने का प्रयास कर रहा है कि देश के विकास में बाधक तत्वों यथा— अलगाववाद, क्षेत्रीयता, भाषावाद, जातिवाद, धार्मिक उन्माद व विद्वेष, हिंसा, शोषण, भेद-भाव आदि का उन्मूलन करने में हिंदी की महती भूमिका है। श्री बी. एल. आँजना ने "हिंदी कार्यान्वयन—समस्याएं एवं समाधान" शीर्षक लेख में हिंदी के विकास हेतु सहज एवं बोधगम्य पारिभाषिक शब्दावली पर जोर दिया है। "भारत की भाषाएं और हिंदी" लेख में सुश्री सुधा अपनी ओजस्वीपूर्ण रचना शैली में हिंदी की नमनीयता, उसका स्वाभिमान और उसमें अंतर्विष्ट सरल प्रभाव को चिह्नित करते हुए यह साबित कर रही हैं कि हिंदी एक उत्कृष्ट भाषा है । "रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में सामाजिक संदर्भ" शीर्षक सुंदर एवं शोधपरक आलेख में डॉ. गुड्डी बिष्ट ने दिनकर के काव्य में सामाजिक संदर्भ के बारे में आकर्षक रूप से वर्णन किया है। "छायावादी काव्य में शिवत्व की अभिव्यक्ति" में डॉ. साधना तोमर ने उन जीवन मूल्यों का उल्लेख किया है, जो अनजाने में ही पाठक का उन्नयन कर उसको वैचारिक

एवं भावात्मक रूप से समृद्ध करते हैं। डॉ. इंदरराज बैद का "युग प्रवर्तक रचनाकार : प्रेमचन्द" शीर्षक आलेख विश्व वाङ्मय की विभूति बन चुके हिंदी साहित्याकाश को आभामंडित करने वाले युग प्रवर्तक साहित्यकार प्रेमचन्द के रचनाकर्म पर प्रकाश डाल रहा है। "हिंदी में दलित-साहित्य की अवधारणा एवं दलित साहित्य" आलेख में प्रो. शंकर बुंदेले मानवीय मूल्यों के विकास और न्याय की प्राप्ति के लिए सड़ी गली मानसिकता से बाहर निकल कर समाज में समता, बंधुता और सदाशयता की सामन्वित भावना को पल्लवित करने का आह्वान कर रहे हैं। "पत्रकारिता" स्तभ में डॉ. अकेलाभाई अपने आलेख के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत में हिंदी के प्रचार-प्रसार और प्रयोग में मीडिया के योगदान के बारे में जानकारी दे रहे हैं। श्री यशवर्धन "सेवानिवृत्ति" शीर्षक अपने लेख में सेवानिवृत्ति को सकारात्मक मनोवृत्ति से देखने और जीवन को क्रिकेट के खेल का मैदान समझते हुए सेवानिवृत्ति के पश्चात् फिर से खेल की नई पारी की शुरुआत करने की सलाह दे रहे हैं।

राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए राजभाषा संबंधी गतिविधियां तथा अन्य नियमित स्तंभ भी सदैव की भांति इस अंक में भी दिए जा रहे हैं। इस अंक के बारे में आपकी प्रतिक्रिया की हम प्रतीक्षा करेंगे।

—संपादक

चिंतन

हिंदी और राजभाषा हिंदी

–डॉ. रामचन्द्र राय*

भारतीय संविधान की धारा 343 में प्रावधान है कि संघ सरकार की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी एवं संघ के काम-काज में भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूपों का प्रयोग होगा । इस प्रकार भारतीय संविधान ने जिस हिंदी को मान्यता दी है वह हिंदी नहीं बल्कि राजभाषा हिंदी है । हिंदी को राजभाषा बनाने का ध्येय यह रहा है कि हिंदी जिस प्रकार लिखी जाती है उसी प्रकार बोली भी जाती है । इसलिए इसका दूसरा नाम खड़ी बोली भी है। देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी जो लिखी जाती है वह पढ़ी भी जाती है जिसका दूसरा इस प्रकार किसी भाषा की लिपि एक हो जाने पर वह उस भाषा का द्योतक नहीं होता है ।

पश्चिमी देशों की अधिकांश भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती हैं किंतु वह अंगरेजी भाषा नहीं कहलाती है। क्योंकि लिपि एक होने पर भी उसका उच्चारण, अर्थ आदि अलग-अलग होते हैं। ठीक उसी प्रकार भारतीय भाषाओं में हिंदी एवं राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाने पर दोनों के अलग-अलग ध्येय होते हैं।

हिंदी से उसमें विभिन्न विधाओं पर लिखे हुए साहित्य के होने का बोध होता है। किंतु राजभाषा हिंदी से हमें कार्यालयीन कार्य के संपादन का बोध होता है। इसकी वाक्य-रचना हिंदी को वाक्य रचना से अलग होती है। उदाहरणस्वरूप इस वाक्य को देखा जा सकता है। जब हम किसी व्यक्ति चाहे वह हमसे छोटी आयु का होने पर तब हम इस प्रकार संबोधन करते हैं—**यह काम करो** । किंतु हम राजभाषा हिंदी में इस प्रकार से संबोधित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि राजभाषा हिंदी की अपनी वाक्य-रचना होती है जो प्रयोजनीय कार्य के संपादन के लिए होती है । उदाहरणस्वरूप उपरोक्त उल्लेखित वाक्यों को हम राजभाषा हिंदी में इस प्रकार लिखते हैं—**यह काम किया जाए** अथवा इस प्रकार से भी कहा जा सकता है—**यह काम कर लिया जाए** ।

समय-समय पर विद्वानगण राजभाषा हिंदी के उद्देश्य को न समझकर अपनी टिप्पणी करने से नहीं चूकते हैं कि आजकल हिंदी नहीं हिंग्लिश लिखी जा रही है। इसका कारण यह है कि हमारे अधिकांश, राजभाषा हिंदी के कार्य से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी अपने को राजभाषा अधिकारी, राजभाषा सहायक न कहकर हिंदी अधिकारी/हिंदी सहायक के रूप में अपने को अधिक गौरवांवित अनुभव करते हैं।

यही नहीं सितंबर माह में हिंदी दिवस मनाया जाता है। किंतु यह कौन-सा हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका सम्यक ज्ञान न रहने के कारण राजभाषा हिंदी दिवस के बदले हिंदी दिवस समारोह लिखने से नहीं चूकते हैं। भारत सरकार ने उस हिंदी की मान्यता 14 सितंबर, 1949 को दी है जिससे कार्यालयीन कार्य का संपादन सहज-सरल रूप से हो एवं जिसकी लिपि देवनागरी होते हुए भी इसका अंक भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप होंगे।

कभी-कभी यह भी पढ़ने एवं सुनने को मिलता है कि राजभाषा हिंदी में इस प्रकार के शब्द गूंथ दिए जाते हैं कि पाठक की समझ के बाहर का होता है। इस संबंध में भारतीय इतिहास की ओर दृष्टि दौड़ाते हैं तब यह देखने को मिलता है कि भारत में मुगल शासक के आगमन से पूर्व भारत में जमीन की खरीद-बिक्री एवं माप-तौल की कोई व्यवस्था नहीं थी न ही जमीन की कोई सीमा ही निर्धारित थी। मुगल सम्राट के आगमन के बाद ही जमीन की खरीद-बिक्री माप-तोल की व्यवस्था हुई । इसका प्रमाण

* रूपांतर, रतन पल्ली नार्थ, शांतिनिकेतन–731235 (पश्चिमी बंगाल)

1545 HA/10—2A

हमें अभी भी अदालत में देखने को मिलता है । अभी भी जमीन-बिक्री के समय लिपि देवनागरी होते हुए भी इसकी भाषा अरबी-फारसी मिश्रित रहती है। अदालत की इस अरबी-फारसी मिश्रित भाषा को कितने लोग समझ पाते हैं। यही नहीं अदालत में अभी भी **हाकिम, मुंशी, मुहर्रिल्ल, वकील, मुख्तार, पेशकार, दस्तावेज, दाखिल खारिज, खतियान, कचहरी, अमीन, जुर्माना** आदि शब्द प्रचलित हैं। इस संबंध में हिंदी के विद्वानों से निवेदन है कि हमें **अमीन** शब्द का सठीक पर्याय हिंदी में देने का कष्ट करें । जब हम अमीन शब्द का प्रयोग करते हैं तब हमारे मस्तिष्क में अपने आप अवधारणा जागृत होने लगती है कि यह शब्द जमीन के माप-तौल का द्योतक कराता है। वैसे अमीन का पर्यायवाची शब्द **जमीनमापक** है किंतु अमीन शब्द से जो ध्वनित होता है **वह जमीनमापक** में नहीं होता है । इसलिए अदालत की भाषा दफतरी अथवा कार्यालयीन होने के कारण इसे स्वीकार कर लिया गया है। राजभाषा हिंदी का ध्येय भी दफतरी अथवा कार्यालयीन होता है । कार्यालय में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी कार्यालयीन कार्य के संपादन के लिए प्रयोग किया जाता है । इस हिंदी का ध्येय कार्यालयीन कार्य का संपादन होता है । उदाहरण स्वरूप कार्यालय में लेखा से संबंधित इन शब्दों को देखा जा सकता है ।

अंगरेजी	राजभाषा हिंदी	हिंदी
Balance Sheet	तुलन पत्र	शेष पत्र
Withdrawal	अदायगी	लौटा लेना
Suspense	उचंत	असमंजस
Miscellaneous	विविध	प्रकीर्ण

इस प्रकार हिंदी एवं राजभाषा हिंदी में यह अंतर होता है कि हिंदी से तात्पर्य यह होता है कि जिसके माध्यम से उस भाषा के साहित्य को पढ़ा एवं समझा जाए एवं राजभाषा हिंदी से तात्पर्य कार्यालयीन कार्य के संपादन का बोध कराता है इस संबंध में यह भी कहना उचित होगा कि अगर संविधान सभा की मंशा रहती कि भारत सरकार के काम काज की भाषा बंग लिपि में हिंदी होगी तब क्या हम उसे हिंदी कहते अथवा राजभाषा हिंदी। कुछ विद्वानों का कहना है कि हिंदी एवं राजभाषा हिंदी के व्याकरण में कुछ अंतर नहीं है। इस संबंध में ज्ञातव्य हो कि हिंदी एवं उर्दू दोनों अलग-अलग भाषाएं हैं किंतु दोनों का व्याकरण एक ही है। क्या हम हिंदी एवं उर्दू भाषाओं को एक कह सकते हैं।

हम लोगों के यहां कार्यालयीन कार्य की भाषा का मूल स्रोत अंगरेजी भाषा का रहा है। अंगरेजी भाषा में कार्यालयीन कार्य में कर्मवाच्य/व्यक्ति निरपेक्ष कथन/व्यक्ति विहीन रचनाओं की प्रधानता मिलती है। इसका कारण यह है कि कार्यालयीन भाषा में व्यक्ति की अपेक्षा पदनाम प्रमुख होता है। इसमें व्यक्ति अपने उपर दायित्व नहीं लेना चाहता है। सभी कार्य आदेश स्वीकृति एवं अनुदेश के आधार पर किए जाते हैं। हिंदी में भी कार्यालयीन भाषा में इसी संरचना को ध्यान में रखकर कार्यालयीन कार्य किया जाता है। इससे पूर्व उल्लेख किया जा चुका है कि कार्यालयीन भाषा में व्यक्ति निरपेक्षता के साथ-साथ कर्मवाच्य की प्रधानता रहती है। इसलिए कार्यालयीन हिंदी में आदेशात्मक, सुझावात्मक, कथनात्मक वाक्यों का प्रयोग किया जाता है।

अस्तु, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी एवं राजभाषा हिंदी के अपने अलग-अलग ध्येय होते हैं किसी भाषा की लिपि एक हो जाने पर वह उस भाषा का द्योतक नहीं होता है। इसके उदाहरण मराठी, मैथिली, बोरो, आदि भाषाएँ हैं । ■

राष्ट्र के रूप में हिंदी हमारे देश की एकता में सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगी ।

—पं. जवाहर लाल नेहरू

1545 HA/10—2B

देव नागरी लिपि, सुधार–संभावनाएं

–डॉ. श्रीकांत शुक्ल*

देव नागरी लिपि संभवत विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। लेखन एवं उच्चारण की एकरूपता, मात्राओं का प्रयोग तथा उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण विभाजन आदि कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो नागरी को अन्य लिपियों से विशिष्ट एवं श्रेष्ठ सिद्ध करती हैं। लेखन एवं उच्चारण की एकरूपता तथा मात्राओं के प्रयोग के कारण अर्थ–संप्रेषण में उस प्रकार की भ्रांति की संभावनाएं अतिन्यून हैं जो अन्य लिपियों में प्रायः हुआ करती हैं। रोमन लिपि में कमल की वर्तनी Kamala होगी जिसे पढ़ने वाला कमल, कमला, कमाल कुछ भी पढ़ सकता है। फारसी लिपि में खुदा से जुदा हुए एक नुक्ते के लिए की उक्ति तो लोक प्रसिद्ध है ।

किंतु इस सबका यह अर्थ नहीं है कि देव नागरी सर्वथा दोष मुक्त है अथवा उसमें सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदी भाषा को यदि अन्तर्राष्ट्रीय रूप धारण करना है (जिस ओर वह अग्रसर है) तो इसकी लिपि में वांछित सुधार करने होंगे । एक जीवंत लिपि के रूप में देव नागरी लिपि सदैव गतिशील रही है तथा सुधारों एवं संशोधनों की एक लम्बी यात्रा तय करके वर्तमान रूप तक पहुंची है और यह यात्रा अभी जारी है। देव नागरी को लोकप्रिय बनाने के लिए इसे सुग्राह्य बनाना होगा जिसके लिए इसके सरलीकरण एवं इसमें व्याप्त विसंगतियों के निवारण की आवश्यकता है ।

सरलीकरण :–

देव नागरी को अन्य भाषा–भाषी लोगों के लिए सहज सुग्राह्य बनाने के लिए उसे यथा सम्भव सरल बनाना होगा। सरलीकरण के लिए वर्णमाला में संशोधन अपेक्षित है ।

वर्णमाला में संशोधन :–

वैसे तो नागरी वर्णमाला में समय–समय पर संशोधन होते रहे हैं, किंतु अभी भी व्यापक संशोधन की आवश्यकता बनी हुई है। यह संशोधन निम्नांकित रूपों में किया जा सकता है। 'अ' वर्णों की संख्या कम करना 'ब' संयुक्ताक्षरों की समाप्ति 'स' वर्णों के एकाधिक रूपों की समाप्ति ।

वर्ण संख्या में कमी :–

चीनी वर्णमाला को अपवाद मान लें तो देवनागरी की वर्णमाला सर्वाधिक बड़ी है। सम्प्रेषणीयता की दृष्टि से उपयोगी होने पर भी नागरी की लंबी वर्णसंख्या नागरी लिपि एवं हिंदी भाषा के प्रसार में अवरोध सिद्ध हो रही है। एक व्यक्ति को अंग्रेजी, जो विश्व भाषा है को सीखने के लिए रोमन लिपि के मात्र छब्बीस वर्ण सीखने पड़ते हैं। इसके विपरीत हिंदी सीखने वाले को लगभग दो गुने वर्ण सीखने पड़ते हैं। अर्थात् रोमन लिपि की तुलना में नागरी लिपि को सीखने में दोहरा श्रम एवं समय लगता है। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला का आकार कम करना समय की आवश्यकता है जिसे निम्नांकित संशोधन करके किया जा सकता है ।

स्वरों की संख्या घटाना :–

हिंदी में वैदिक वर्णमाला ही संस्कृत से ग्रहण की गई है। मूल वैदिक वर्णमाला में सोलह स्वर हुआ करते थे। संस्कृत में दीर्घ 'ॡ' तथा दीर्घ 'ॠ' को छोड़ देने पर स्वर संख्या चौदह रह गई। हिंदी में ह्रस्व 'ऌ' को भी त्याग दिया गया तो स्वरों की संख्या तेरह रह गई ।

हिंदी स्वरों की संख्या कम करने की आवश्यकता निन्तर अनुभव की जाती रही तथा समय–समय पर इस दिशा में सुझाव दिए गए एवं प्रयोग किए गए ।

विनोबा जी ने तो एक मात्र स्वर 'अ' ही रहने का सुझाव दिया और उसी में अन्य स्वरों की मात्राएं लगाकर विभिन्न स्वर बनाने की संस्तुति की थी। कुछ समय तक इस पर प्रयोग भी हुए किंतु सफल न हो सके। एक सुझाव यह भी दिया गया कि केवल तीन मूल स्वर 'अ', 'इ' एवं 'उ' ही रखे जाएं। यह सुझाव भी व्यवहारिक सिद्ध नहीं हो

*लीला स्थली पलिया कलां–खीरी–262902 (उ. प्र.)

सका। वर्तमान में हिंदी वर्णमाला में तेरह स्वर हैं जबकि रोमन में पांच तथा फारसी में तीन स्वर हैं ।

हिंदी वर्णमाला से यदि 'ऋ' को अलग कर दें तो लगभग प्रत्येक स्वर के ह्रस्व एवं दीर्घ दो-दो रूप हैं जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, (अ, आ अपवाद है।) थोड़ा और ध्यान से देखें तो अ, आ, ओ, औ, तथा अं, अः में छः स्वर एक ही स्वर अ के रूप हैं, अतः वर्णमाला में इन छः स्वरों के स्थान पर मात्र एक स्वर 'अ' ही पर्याप्त है। इ, उ, ए, के दीर्घ रूप ई, ऊ, ऐ, को वर्णमाला में रखने न रखने से कोई अन्तर नहीं पड़ता इनके ह्रस्व रूप ही पर्याप्त हैं। उपर्युक्त संशोधन के आधार पर अ से अः तक के बारह स्वरों के स्थान पर मात्र चार स्वरों अ, इ, उ, एवं ए से ही काम चल जाएगा। ऋ का लेखन एवं उच्चारण रि के रूप में ही करते हैं। अतः ऋ को वर्णमाला से निकाल देना ही उचित है। उसके स्थान पर 'र' में इ की पाई लगाकर काम चल सकता है। लेखन एवं उच्चारण की दृष्टि से ऐसा करना सुविधाजनक है । जब हृषिकेश, ऋषिकेश हो सकता है तो ऋषिकेश रिषिकेश क्यों नहीं हो सकता। इस प्रकार स्वरों की संख्या तेरह से मात्र चार अ, इ, उ, ए में ही सिमट सकती है ।

व्यंजनों में कमी :–

व्यजंन वर्णों से 'क्ष', 'त्र' तथा 'ज्ञ' संयुक्ताक्षरों को हटा देना चाहिए। 'क्ष' की ध्वनि के लिए या तो छः, का ही प्रयोग किया जाए या फिर उसमें निहित ध्वनि चिन्हों क, छ को एक साथ लिखा जा सकता है । जैसे कुछ इस प्रकार क्छ, त्र को 'तर' तथा 'ज्ञ' को ग्य के रूप में लिख सकते हैं। क वर्ग च वर्ग तथा ट वर्ग के अंतिम वर्णों क्रमशः 'ङ', 'ञ' तथा 'ण' को भी वर्णमाला से पृथक् कर देना चाहिए। 'ङ' का प्रयोग व्यवहार में प्रायः समाप्त ही है। 'ञ' का भी प्रयोग अति न्यून होता है। इनके स्थान पर क्रमशः अनुस्वार एवं अर्द्ध 'न' का प्रयोग चलन में है। अवधी एवं ब्रज दोनों में ही 'ण' के लिये 'न' का प्रयोग होता है । एक ही 'स' ध्वनि के लिए दंत्य 'स' मूर्धन्य 'ष' तथा तालव्य 'श' के रूप में वर्णमाला में तीन वर्ण प्रचलित हैं। उनके स्थान पर एक ही वर्ण 'स' से काम चल सकता है । मूर्धन्य 'ष' का उच्चारण 'स' एवं 'ख' दोनों ही रूपों से प्रचलित एवं मान्य है। षट कोण का उच्चारण सट कोण एवं खट कोण दोनों ही सही हैं । इसी प्रकार षष्ठ को सस्ठ एवं खस्ठ दोनों ही रूपों में उच्चारण करना मान्य है । अतः 'ष' के लिए 'ख' का ही प्रयोग क्यों नहीं किया जा सकता । तालव्य 'श' के दो विकल्प हो सकते हैं । प्रथम यह कि अवधी की भांति दंत्य 'स' का ही प्रयोग किया जाए । इस प्रकार शीश को सीस के रूप में लिखा जाए । दूसरा यह कि तालव्य 'श' की ध्वनि के लिए 'स' में ही कोई संकेत निर्धारित कर लिया जाए जो रेखांकित भी हो सकता हैं । यथा श=स प्रथम ढंग अधिक उपयुक्त एवं सरल होगा ।

उपर्युक्त संशोधन के बाद हिंदी वर्णमाला में चार स्वर एवं अट्ठाइस व्यंजन एवं कुल बत्तीस वर्ण रह जाएंगे अर्थात रोमन वर्णमाला से कुल छः अधिक ।

संयुक्त-वर्ण लेखन की समाप्ति :–

संयुक्त वर्णों का प्रयोग भाषा विशेषतः उसके लिखित रूप को क्लिष्ट बनाता है। इसीलिए प्रत्येक भाषा में विकास के साथ-साथ इनका प्रयोग कम होता जाता है । रोमन लिपि में भी दो वर्णों को मिलाकर लिखने का चलन था। उदाहरण स्वरूप CAESAR एवं AESTHETIC शब्दों की प्राचीन वर्तनी क्रमशः CAESAR एवं AESTHETIC के रूप में थी। ऐसे अन्य अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। किंतु अब रोमन लिपि में संयुक्त अक्षर बिलकुल नहीं लिखे जाते हैं। हिंदी भाषा में भी हमें यह प्रवृत्ति अपनानी चाहिए तथा संयुक्त वर्ण लेखन त्याग देना चाहिए। उनके स्थान पर संयुक्त वर्ण में ह्रस्व ध्वनि के लिए संबंधित वर्ण को हलान्त कर देना चाहिए अर्थात् बुद्ध सिद्ध एवं द्वारा आदि को बुद्ध्, सिद्ध तथा द्वारा के रूप में लिखना चाहिए। उच्चारण एवं लेखन की एकरूपता की दृष्टि से भी यही अधिक उपर्युक्त है ।

विसंगति-निवारण :–

हिंदी वर्णमाला में जो विसंगतियां व्याप्त हैं उनमें प्रमुख हैं, कुछ मात्राओं का प्रयोग, कुछ वर्णों के एकाधिक रूप, कुछ वर्णों के भ्रामक रूप, एक ही ध्वनि के लिए एकाधिक वर्ण तथा अनुस्वार का प्रयोग आदि। मात्राओं में छोटी 'इ' की मात्रा को लेकर सर्वाधिक विवाद रहा है । जिसका अद्यावधि कोई उपयुक्त समाधान नहीं निकल सका है । वर्तमान में छोटी 'इ' की मात्रा संबंधित वर्ण पर बाईं ओर लगाई जाती है ।

ध्वनि विश्लेषण के आधार पर इस प्रकार मात्रा का स्थान उस वर्ण के पूर्व हो जाता है। जबकि उच्चारण में उसका उच्चारण वर्ण के बाद होता है। इसलिए अन्य मात्राओं की भांति उसे भी वर्ण के आगे लगाना चाहिए। कि का ध्वनि विश्लेषण होगा क् + ई किंतु लिखने के आधार पर होगा इ + क्। कहीं-कहीं तो इ की मात्रा नियत स्थान से दो तीन स्थान पूर्व चली जाती है। जैसे क्लिष्ट शब्द में जो मात्रा 'ल' के बाद आनी चाहिए वह 'क' के पूर्व जाती है। अर्थात् नियत से तीन स्थान पूर्व। इस विसंगति को समाप्त करने के लिए समय-समय पर प्रयोग होते रहे हैं। एक प्रयोग के अनुसार छोटी 'इ' की मात्रा का विभेद करने के लिए छोटी 'इ' की मात्रा के लिए 'अ' की मात्रा को आधे वर्ण तक ही रखने का सुझाव दिया गया। इस प्रकार कि, को, की के रूप में लिखा जाना था। किंतु यह प्रयोग व्यावहारिक स्तर पर सफल न हो सका। हो भी नहीं सकता क्योंकि लेखन में इस प्रकार का नियंत्रण असम्भव है। छोटी 'इ' की मात्रा संबंधी विसंगति को समाप्त करने के लिए यह तो आवश्यक है कि मात्रा दाहिनी ओर ही लगाई जाए किंतु विधि कुछ ऐसी हो कि छोटी और बड़ी मात्राओं का अंतर भी स्पष्ट रहे और व्यवहार में कोई असुविधा न हो। व्यावहारिक संशोधन यह हो सकता है कि वर्तमान बड़ी ई की मात्रा 'ी' को छोटी 'इ' की मात्रा मान लिया जाए और बड़ी 'ई' की मात्रा का कोई नवीन रूप गढ़ लिया जाए जिसका सबसे सरल और व्यावहारिक रूप होगा कि वर्तमान बड़ी 'ई' की मात्रा के ऊपरी भाग को दोहरा कर नवीन बड़ी 'ई' की मात्रा बना लेना। जिसका रूप इस प्रकार होगा 'की' उपर्युक्त संशोधन के आधार पर गति, मति, यदि, आदि को गती, मती एवं यदी के रूप में तथा मीन, तीन तथा दीन आदि को मीन, तीन एवं दीन के रूप में लिखा जाए।

एक अन्य विसंगति 'र' में 'उ' की मात्रा लगाने की है। अन्य सभी वर्णों में 'उ' की मात्रा वर्ण के नीचे लगती है। छोटे 'उ' की नीचे से ऊपर की ओर बाईं दिशा में 'ु' तथा बड़े 'ऊ' की ऊपर से नीचे की ओर दाहिनी दिशा में 'ू' के रूप में किंतु 'र' में यह मात्रा वर्ण के माध्य में लगाई जाती है 'रु' तथा 'रू' के रूप में। विसंगति के साथ-साथ शीघ्रता में लिखने पर छोटे 'उ' तथा बड़े 'ऊ' की मात्रा का अंतर समझ पाना कठिन हो जाता है। टंकण-मुद्रण में तो इस मात्रा का ह्रस्व रूप ही है। पाठक संदर्भानुसार उसे छोटा या बड़ा पढ़ता है। अन्य वर्णों की भांति उ की मात्रा 'र' में भी मूल में लगाने से 'र' वर्ण का आकार कुछ विचित्र सा बन जाता हैं जैसे रु तथा रू आदि। शायद इसी कारण यह मात्रा 'र' के मध्य में लगाने की व्यवस्था की गई है। विसंगति दूर करने के लिए आवश्यक है कि 'र' में भी 'उ' की मात्रा अन्य वर्णों की भांति मूल में ही लगे। वर्ण की विकृति रोकने के लिए 'र' वर्ण में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लिया जाए। 'र' का रूप कुछ 'रु' के रूप में कर लिया जाए। छोटे उ की मात्रा लगाने में घुंडी को बाहर निकाल कर थोड़ा बाईं ओर खींच दिया जाए तथा बड़े 'ऊ' की मात्रा लगाने में घुंडी को बाहर निकाल कर दाहिनी ओर नीचे की ओर खींच दिया जाए। संशोधित 'र' में छोटे उ की मात्रा लगाने पर 'रु' तथा बड़े 'ऊ' की मात्रा लगाने पर 'रू' का रूप बनेगा।

कुछ वर्णों के दोहरे रूप प्रचलित हैं जैसे अ, आ, झ, भ तथा ल, क्ष आदि। वर्णों के दोहरे रूप समाप्त कर उनका कोई एक ही रूप निश्चित कर लिया जाए। इस निर्धारण का आधार टंकण वर्णों को बनाया जा सकता है। टंकण में प्रयुक्त वर्णों को परिनिष्ठित रूप माना जाना चाहिए।

'श्र' को लेखन से त्याग देना चाहिए। क्योंकि यह वर्ण वर्णमाला में नहीं है।

कुछ और विसंगतियां भ, ध और ख वर्णों के संबंध में हैं। शीघ्रता से लिखने में 'भ' के 'म' और 'ध' के 'घ' बन जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इससे बचने के लिए भ को भ तथा ध को ध के रूप में लिखना चाहिए। ख को ख रूप में लिखने का प्रयोग चल रहा है जो सर्वथा उपयुक्त है। अत: ख का रूप ख मानक रूप होना चाहिए।

अनुस्वार के प्रयोग में कई प्रकार की विसंगतियां व्याप्त हैं। इसके प्रयोग में एक रूपता भी नहीं है। अर्द्ध न की ध्वनि के लिए कहीं चँद्र बिन्दु, कहीं अं की हिंदी तो कहीं अर्द्ध 'म' का प्रयोग किया जाता है। चँद्र बिंदु का प्रयोग लगभग चलन से बाहर हो चुका है शेष प्रयोगों में केवल अनुस्वार को ही ग्रहण करना उपयुक्त होगा।

उपर्युक्त रूप से संशोधित हिंदी वर्णमाला का रूप इस प्रकार होगा। अ, इ, उ, ए, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, (गं, ल, व, स, ह, (ल का सही रूप सरल है अत: टंकण-मुद्रण में भी यही स्वीकार लिया जाना चाहिए।) ■

1545 HA/10—3A

हिंदी—एक पूर्वावलोकन

—डॉ. संतोष अग्रवाल*

हम सब जानते है कि हमने एक लंबे अर्से और वीरतापूर्व संघर्ष के पश्चात् स्वतंत्रता प्राप्त की है । हमारी पीढ़ी के श्रेष्ठतम लोगों ने बिना किसी झिझक के गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए स्वंय का बलिदान दिया था । हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सर्वोच्च बलिदानों की मजबूत आधारशिला पर ही आज के भारत का निर्माण हुआ है । भाषायी एकता भी देश के निर्माण में अहम् भूमिका निभाती है । इसमें राष्ट्रहित के साथ-साथ राष्ट्र स्वाभिमान भी निहित है । हमारी अस्मिता, एकता का कभी मोल-भाव, लेन-देन नहीं किया जा सकता । कवि ने ठीक ही कहा है —

"क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पाल गरल है ।"

प्रगति का चाहे कोई क्षेत्र हो, हिंदी भाषा कभी बाध्य नहीं बनी । यह बात अलग है कि कुछ राजनैतिक कारणों से उसे अलग-थलग कर दिया गया। अपितु हम सब को तो चाहे शासक हो, विधायक हो, शासन अधिकारी, कर्मचारी, प्रोफेसर, अध्यापक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योगपति अथवा व्यापारी हो सबको राष्ट्रभाषा के व्यावहारिक पक्ष को सबल बनाने में एक सिरे से जुट जाना चाहिए। तभी वे स्वतंत्र राष्ट्र के स्वाभिमानी नागरिक होने का सबूत दे सकेंगे। उन्हें एक दूसरे की प्रतीक्षा न करके स्वंय पहल करनी चाहिए ।

हमारे सामने प्रश्न यह भी उठता है कि हिंदी को ही राजभाषा क्यों बनाया गया है जबकि भारत में और भी भाषाएं हैं । इसके लिए हमें अपने इतिहास का पूर्वावलोकन करना होगा । हमें आज़ादी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत प्राप्त हुई है । कैबिनेट, मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन करना भी शामिल था। उस समय ब्रिटिश प्रांत थे, चीफ कमिशनरी थी और देशी रियासतें थी। इनकी संख्या क्रमश: 292, 4, 93 थी। इन सबके प्रतिनिधियों को संविधान सभा का सदस्य रखने का निश्चय किया गया । ब्रिटिश प्रांतों व चीफ कमिशनरियों के चुनाव ब्रिटिश सरकार द्वारा कराए जाने थे । उस समय दो ही बड़ी पार्टियां थी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस । चुनाव में मुस्लिम लीग को केवल 72 सीटें मिली। कांग्रेस का बहुमत था। इसी आधार पर ब्रिटिश शासकों ने मुस्लिम लीग को अलग राज्य की मांग के लिए प्रेरित किया । इसके फलस्वरूप भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बनाया गया और उसके तहत सत्ता का हस्तांतरण भारत एवं पाकिस्तान को किया गया। इस प्रकार चुनाव के बाद कुल 372 सदस्यों की संविधान सभा बनी । संविधान के लिए विभिन्न विषयों के लिए विभिन्न उपसमितियां बनाई गई । भाषा का मसला भी अहम मसला था । भाषा के लिए बाबू डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में एक उपसमिति गठित की गई। इस समिति में भारत के प्राय: सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल थे ।

यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि राजभाषा के मानक क्या है? मानक भाषा का अर्थ है व्याकरण सम्मत ढंग से लिखी या बोली जाने वाली भाषा। राजभाषा के विषय में गांधी जी ने भड़ौच के शिक्षा सम्मेलन में कहा था :-

1. उसे सरकारी अधिकारी आसानी से सीख सके।
2. वह समस्त भारत में धार्मिक, आथिक और राजनीतिक संम्पर्क के माध्यम के रूप में प्रयोग के लिए सक्षम हो ।
3. वह अधिकांश भारतवासियों द्वारा बोली जाती है।
4. सारे देश को उसे सीखने में आसानी हो ।

इन मानकों के आधार पर केवल हिंदी ही ऐसी भाषा थी जिसे राजभाषा का दर्जा दिया जाना उचित था। अत: हिंदी को राजभाषा का दर्जा देना सर्वसम्मति से मान लिया गया। परन्तु इसके नाम को लेकर का मत वैभिन्य था । गांधी जी

* ए-77, स्मृति, मधुबन कालोनी, जमुनापार, दिल्ली-110092

1545 HA/10—3B

इसका नाम हिंदुस्तानी रखने के पक्षधर थे। अतः उपर्युक्त कथित समिति के समक्ष निम्न मामले निर्णय के लिए रखे गए :—

1. इसका नाम हिंदी रखा जाए या हिंदुस्तानी ।

2. लिपि देवनागरी हो या रोमन ।

3. अंकों का स्वरूप क्या हो ।

4. इसे तुरंत लागू किया जाए या कुछ वर्षों के बाद ।

इन विषयों पर 12, 13, 14 सितंबर को विस्तार से चर्चा के बाद और बकायदा मतदान के द्वारा देवनागरी में लिखित हिंदी को राजभाषा पद की अधिकारिणी तथा अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप एवं अंग्रेजी 15 वर्षों तक सह भाषा के रूप में जारी रखने का निर्णय हुआ । प्रसंगवश यह उल्लेखनीय है कि भाषा के विषय 12, 13, 14 सितंबर को हुई चर्चा के विषय में फिल्म प्रभाग द्वारा बच्चों के माध्यम से एक कैसेट (ऑडियो/विडियो) बनाई गई है जो कि काफी रुचिकर है तथा ज्ञानवर्धक भी है चूंकि निर्णय 14 सितंबर, 1949 को लिया गया था। अतः 14 सितंबर, को हम प्रति वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं ।

वास्तविकता यह भी है कि हिंदी का इतिहास पुराना है । 1500 वर्ष पहले भी हिंदी संपर्क भाषा थी। शेरशाह सूरी हिंदी के ज्ञाता भी थे और हिंदी के पक्षधर भी। हमारी आजादी की लड़ाई हिंदी में ही लड़ी गई। भक्ति अंदोलन के कर्त्ता दक्षिण भारतीय भी थे। हिंदी में कबीर, रहीम, रसखान, गुरु नानक, नामदेव, रैदास जैसे अनेक लेखक हुए जो न तो हिंदु थे और न ही हिंदी प्रवेश के थे। महात्मा गांधी गुजराती होते हुए हिंदी के समर्थक थे। महर्षि दयानंद ने भी अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए हिंदी का ही सहारा लिया। आज भी हम टी.वी. पर देखते हैं कि विदेशी चैनलों को भी भारत में सफलता प्राप्त करने के लिए अधिक कार्यक्रम हिंदी के ही रखने पड़े । अंग्रेजी मिशनरियों ने अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए हिंदी का ही सहारा लिया था। गुप्त, निराला और दिनकर जैसे रचनाकारों ने हिंदी का शब्द भण्डार तथा अधिव्यक्ति क्षमता के विस्तार देने में अपना अप्रतिम योगदान दिया। जस्टिस शारदाचरण मिश्र ने तो देवनागर नाम का एक पत्र भी निकाला ।

हिंदी की लिपि का तो और भी कमाल है। वह पूर्णतया वैज्ञानिक है। तभी तो आज के कम्प्यूटर युग में भी वह प्रयोग हो रही है। बहुत से सॉफ्वेयर हिंदी के बन गए और दिन-प्रतिदिन नए-नए बन रहे हैं। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद की समस्या को दूर करने के लिए भी सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं। हिंदी एक ऐसे धागे के समान है जो सभी भाषाओं के फूलों की माला गूंथने का काम करती है। इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने की एक कड़ी है ।

परंतु विडंबना यह है कि सब कुछ होते हुए हिंदी अपना वह गौरवमय पद प्राप्त नहीं कर पाई जिसकी वह अधिकारिणी थी । आज की आवश्यकता प्रो. पाटिल का अनुकरण करने की है हिंदुस्तान टाइम्स के 27 जून, 1997 के समाचार पत्र में रिपोर्ट छपी कि कर्नाटक में भाषायी छापे मारे गए जिनकी संख्या लगभग 100 थी। इस प्रकार के अनोखे कार्य के जनक थे प्रो. चन्द्रशेखर पाटिल जी, जो स्वयं अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। वह कन्नड़ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी थे । वे प्रसिद्ध साहित्यकार भी थे । उनका अकेले का यह प्रयास था कि कन्नड़ को सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यालयों में प्रयोग किया जाए। छापे के दौरान कन्नड़ भाषा का राजकीय प्रयोग में कार्यान्वयन का जायजा लिया जाता था। श्री पाटिल अपने सहयोगियों के साथ अचानक किसी भी सरकारी कार्यालय में पहुंच जाते थे और वहां पर अंग्रेजी के टाइपराइटर, पत्रशीर्ष रबड़ स्टेम्प आदि जब्त कर ली जाती थी। स्टाफ को भी सचेत किया जाता था। अपने अधिकार क्षेत्रों में श्री पाटिल को नियम उल्लघंन में यथोचित कार्रवाई करने का अधिकार था ।

इन छापों के फलस्वरूप कन्नड़ के प्रयोग में प्रगति हुई और कन्नड़ भाषा प्रयोग करने की संकोच की प्रवृति समाप्त हुई । श्री पाटिल का पद कैबिनेट मंत्री के स्तर का था । उन्होंने कन्नड़ जागृति समितियों का गठन किया। इनका काम कन्नड़ भाषा के प्रयोग को मॉनिटर करना तथा इसकी रिपोर्ट श्री पाटिल को देना था । इस प्रकार कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई ।

श्री पाटिल एक सामजिक कार्यकर्ता और राम मनोहर लोहिया के अनुयायी थे। वे अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में मानने के विरुद्ध नहीं थे परंतु कार्यालयों में प्रयोग की जा रही अंग्रेजी को देखकर अत्यंत दुःखी थे। उन्होंने कन्नड़ विकास प्राधिकरण को अध्यक्ष के नाते अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी के कार्यान्वयन के लिए भी यह आवश्यक है कि इसी प्रकार की भूमिका उच्च स्तर पर निभाई जाए ताकि हिंदी अपने सही पद व गौरव को प्राप्त कर सके ।

हिंदी : राष्ट्रीयता की संजीवनी

–दिनेश सिंह*

भारत की माटी मेरा स्वर्ग है ।
भारत का कल्याण ही मेरा कल्याण है ।।

भारत में अगाध श्रद्धा रखने वाले राजभाषा "हिंदी" के सामाजिक, साहित्यिक क्षेत्र में उन्नयन एवं उसके कार्यालयीन प्रयोग को विस्तारित करने में संलग्न, राष्ट्र को उज्ज्वल भविष्य प्रदान करने के लिए कृत संकल्प, विकसित भारत के स्वप्न को मूर्तरूप देने में कार्यरत, भारत को विश्व का सिरमौर बनाने में सलंग्न, भारतीय जनमानस को मैं नत मस्तक प्रणाम करता हूँ ।

और मैं, आशा करता हूँ कि हम सब भारतीय अपनी कार्यशीलता, कर्मठता, इमानदारी, बंधुत्व, राष्ट्र प्रेम जैसे मानवीय मूल्यों में विस्तार करते हुए विकसित भारत, समृद्ध भारत और सृजनशील भारत के सूर्योदय के दर्शन शीघ्र करेंगे ।

सिद्धिर्भवाति कर्मजा: की धारणा में आस्था रखने वाले हम भारतीय ऊर्जावान बने रहें और राष्ट्र के सम्मुख चुनौतियों का सही व समय पर निदान करते रहें तो हमारे सामने विश्व में कोई देश नहीं टिक सकेगा और हमारा भारत होगा, सबसे आगे ।

मैं अकेला नहीं, पूरा भारत उस गौरव पूर्ण दिन की प्रतिक्षा में बहुत कर्मठता एवं तल्लीनता के साथ विकास की नई परम्पराएं कायम करने में संलग्न है, जिस दिन भारत पुन: ज्ञान की नदी (नदियों का केंद्र) नहीं समुद्र बनेगा । हम विश्व में सबसे अग्रणी होंगे और उस शिखर से हमारा प्यार का बंधुत्व का विकास का, मानवता का संदेश इस भूमण्डल को आलोक से भर देगा ।

अपने ख्वाबों के भारत को हमें मूर्त रूप देना है। इस नेक, पुण्य व महान कार्य में कर्मठता, ईमानदारी, बंधुत्व देश प्रेम जैसे उच्च मानवीय मूल्य हमारे साथी और मार्गदर्शक होंगे । मानवीय मूल्य किसी भी संस्कृति की धरोहर होते हैं, इन्हें जीवित रखने व निरंतरता प्रदान करने का कार्य करती हैं भाषाएं ।

भाषा अपने वार्षिक स्वरूप के साथ-साथ लिखित व सांकेतिक स्वरूप के रूप में सभी संस्कृतियों में विद्यमान रहती हैं । इस प्रकार हमारे संपूर्ण ज्ञान-विज्ञान कला-संस्कृति, दैनिक क्रियाकलाप सभी को आगे बढ़ाने का माध्यम भाषा है। भाषा जब व्यापक रूप ग्रहण करती है तब वह जन-जन की भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है और राष्ट्र भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होती है ।

भाषाओं पर देशकाल और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अत: भाषाओं में विविधता दिखाई पड़ती है। भाषाओं के मामले में भारत एक बहुत ही समृद्ध राष्ट्र हैं । हमें अपनी सभी क्षेत्रीय भाषाओं एवं बोलियों पर गर्व है और उनके उन्नयन के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना है ।

हिंदी लगभग पूरे भारत में बोली व समझी जाती है एवं यह हमारी राजभाषा है । हिंदी भाषा के प्रति समर्पण का भाव हम सब भारतियों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। हम जिस सपनों के भारत की प्रतीक्षा कर रहे हैं उसकी नींव भारतीय भाषाओं पर ही टिकी होगी और सब से ज्यादा उत्तरदायित्व होगा हिंदी पर। राष्ट्रीयता के लिए सबसे बड़ी संजीवनी है, अत: हमें इस अमृतमय स्त्रोत को अक्षुण रखना है। हिंदी रूपी प्रकाश का द्वीप प्रज्जवलित हो चुका है इस स्वप्न के साथ–

दिव्य दृष्टि दे ये दीपक,
रोज मने, दीपावली ।
झूमें खुशियों में मां भारती,
होकर के मतवाली ।।

आज के संदर्भ में हम भारत के विकास की चर्चा दो तथ्यों के मध्यनजर करेंगे ।

1. विकास में हिंदी की भूमिका

विकास अर्थात् बेहतर सामाजिक जीवन, अभावों का निराकरण, वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का विकास, इन सभी क्षेत्रों में आम भारतीय को सुशिक्षित करने का कार्य हिंदी में बड़ी सुगमता से होगा ।

*'हिंदी प्रध्यापक' हिंदी प्रशिक्षण केन्द्र, राजभाषा विभाग, निदेशक डाक सेवाएं, गान्तोक

आम भारतियों की अधिकांश ऊर्जा विदेशी भाषाओं के सीखने में खर्च हो जाने के बाद हम विकास की बात कैसे सोच सकते हैं। पड़ोसी देश चीन ने अपना विकास अपनी भाषाओं के बलबूते किया है। अतः हिंदी भाषा से ज्ञान-विज्ञान में वृद्धि का सीधा प्रभाव भारत के जनसामान्य पर पड़ेगा, जनसंख्या के अधिसंख्यक भाग पर पड़ेगा ।

2. विकास की बाधाओं को दूर करने में हिंदी की भूमिका —

देश के विकास में बाधक तत्वों यथा-अलगाववाद, क्षेत्रीयता, भाषावाद, जातीवाद, धार्मिक उन्माद व विद्वेष, हिंसा, शोषण, भेदभाव आदि का उन्मूलन करने में हिंदी एक समृद्ध ब्रह्मास्त्र है। हिंदी के क्षेत्र और बोलने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ हिंदी के प्रति समर्पण का भाव ज्यो-ज्यों बढ़ेगा राष्ट्र त्यो-त्यों सुदृढ़ व सशक्त होगा ।

हिंदी का विस्तार राष्ट्रीयता का विस्तार है, भाइचारे की भावना का विस्तार है, शिक्षा एवं समृद्धि का विस्तार है, हमारी संस्कृति का विस्तार है। राष्ट्रीयता, भाइचारे की भावना, शिक्षा समृद्धि, सांस्कृतिक, मूल्यों का उन्नयन राष्ट्र के सम्मुख बाधक तत्वों व चुनौतियों से निपटने के लिए हिंदी मूल मंत्र है ।

अतः हिंदी हमारे लिए एक भाषा ही नहीं अपितु एक संपूर्ण जीवन शैली है, हमारी पहचान है, हमारा गौरव है, यह हमारी संस्कृति है जो हमारे आदर्शों संस्कारों, को गत्यात्मक बनाते हुए हम भारतियों को अपने धरातल से जोड़े रखकर शिखर पर प्रतिष्ठित करने में हमारी सहचरी है जो राष्ट्रीय अस्मिता को उच्च बनाती है ।

हम सब भारतियों को अपनी राजभाषा के विकास व विस्तार हेतु निरन्तर समर्पण का भाव रखना है ताकि आने वाली पीढ़ियों को, भविष्य के भारत को एक सर्व प्रिय, सर्व सुलभ सम्मानित व गौरवान्वित राजभाषा दे सकें ।

राजभाषा हिंदी पूरे भारत की भाषा है एवं देश के प्रत्येक नागरिक को इस पर गौरव है। आज हिंदी गुणात्मक उन्नयन कर रही है, जिसमें (मीडिया) संचार माध्यमों की महती भूमिका है ।

हिंदी को जनप्रिय, सरल, सुबोध, सुलभ और सर्वत्र पहुंच वाली भाषा बनाने में इलेक्ट्रोनिक संचार माध्यमों की महती भूमिका रही है। आकाशवाणी व दूरदर्शन के व्यापक प्रसार से हिंदी की लोकप्रियता का प्रसार हुआ है विशेष रूप से हिंदीत्तर क्षेत्रों में ।

चलचित्र के विविध रूपों एवं संगीत की विधाओं ने लोगों को हिंदी के नजदीक ही नहीं पहुंचाया अपितु उसकी खुशबू से सराबोर कर दिया। व्यापारिक और वित्तीय आवश्यकताओं, रोजगार के नए क्षेत्रों के प्रसार, सूचना क्रांति के आगमन में हिंदी को विश्व भाषा के रूप में आगे बढ़ाया है । इसी कड़ी में हम पर्यटन उद्योग की भूमिका भी देख सकते हैं। अब हम भारतीय एक जुट होकर हिंदी के उन्नयन हेतु समर्पित भाव से सार्थक प्रयास करें जिससे कि हिंदी को विश्व समुदाय में अपना उच्च सिंहासन मिल सके ।

संस्कृत में एक कहावत है, 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' अर्थात् मां और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक सुख देने वाली है। देश भक्ति मन की एक उच्च भावना है, और देशभक्ति में शामिल है उस पूरे देश में बसने वाले लोगों के प्रति, उनके द्वारा बोली जाने वाली बोलियों के प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम ।

हमारा विकास देश के विकास से जुड़ा है, देश का विकास निर्भर करता उसकी सरकार पर, सरकार बनती है हम सब कर्मचारी-अधिकारी लोगों से, सरकार का कामकाज जितना तीव्र, पारदर्शक होगा विकास उतना ही अधिक होगा और यह काम-काज जुड़ा है राजभाषा से, अतः राजभाषा का विकास और विस्तार देश का विकास है। राजभाषा हिंदी अपनी सहोदर भाषाओं के साथ आगे बढ़े यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है ।

इतिहास उस को याद रखता है जिसमें त्याग होता, प्रेम होता है। यदि हमने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा सुखद माहौल नहीं दिया, उन्हें समस्याओं से घिरा देश सौंपा तो वे हमें कभी माफ नहीं करेंगे ।

समस्याएं सभी के सामने होती हैं चाहे वह इन्सान हो या राष्ट्र परंतु जो अपनी समस्या का समाधान नहीं कर सकता वह अपने आप में एक समस्या है ।

कोई भाषा स्वयं में जीवित या मृत नहीं होती, प्रश्न होता है कि उस भाषा को चाहाने वाले जीवित हैं, मृत हैं या पत्थर समान हैं ।

समय आ गया है कि देश का जन-जन राष्ट्रभाषा की ओर उन्मुख हो और हम भारतीय भी अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी का सभी क्षेत्रों में प्रयोग कर गौरव अनुभव करें ।

शक्ति के विद्युतकण,
जो बिखरे हो निरूपाय ।

समन्वयन उनका करें,
समस्त विजयिनी मानवता हो जाए । ■

1545 HA/10—4A

हिंदी कार्यान्वयन–समस्याएं एवं समाधान

—बी. एल. आंजना*

हिंदी भाषा अपने उद्‌भवकाल से ही सार्वदेशिक भाषा रही है। देश के सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में इसे स्वीकार किया है, अपनाया है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि स्वतंत्रता से पूर्व हिंदीतर प्रदेशों में हिंदी को देश की मानस भाषा एवं सर्वमान्य भाषा के रूप में पुरजोर समर्थन भी दिया गया। हिंदी ऐसी समर्थशाली भाषा है जिसमें एक ओर जहां लाखों शब्दों का भंडार है वहीं दूसरी ओर विश्वबंधुत्व की सारी अपेक्षाएं इसमें मौजूद हैं। इसके बोलने वालों की संख्या 70 करोड़ से अधिक है और यह विश्व के लगभग 50 देशों में फैली हुई है। विश्व के लगभग 140 विश्वविद्‌यालयों में हिंदी की पढ़ाई हो रही है। विश्व का शक्तिशाली देश कहलाने वाले अमेरिका ने भी हिंदी के महत्व को समझते हुए इसके अध्ययन पर वहां विशेष बल दिया जा रहा है। इन सबसे अलग हिंदी का सबसे बड़ा महत्व यह है कि वह भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। उसे संस्कृत की विरासत मिली है तथा ब्रज, अवधी, मैथिली, राजस्थानी, बुंदेलखंडी, भोजपुरी, मगही जैसी अनेक उपभाषाओं एवं बोलियों का सहयोग प्राप्त है । कई देश हिंदी भाषा के माध्यम से भारत से जुड़े हुए हैं जैसे मारिशस, फिजी, त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, नेपाल आदि। इसके अतिरिक्त हिंदी भाषा की एक अन्य विशेषता यह भी है कि वह देश के एकीकरण की भाषा है। इस देश को जिन आदर्शों की आज आवश्यकता है उनकी बहुत बड़ी धरोहर हिंदी के पास है । हिंदी जनतंत्र की आधारशिला है, वह राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने का साधन है । हिंदी का पक्ष अपने आप में इतना प्रकाशमान है कि अब उसके पक्ष में तर्क और प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रह गई है। आवश्यकता इस बात की है कि हम वास्तविकता को समझें एवं देश की उन्नति के मार्ग में अवरोध पैदा करने वाले तत्वों के दमन में दृढ़ संकल्पित हों ।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए वचनबद्‌ध हैं, लेकिन इस बात में भी सच्चाई है कि हिंदी के प्रचार-प्रसार में जो गति होनी चाहिए थी वह नहीं हो पाई है ।

हिंदी के प्रचार-प्रसार में सबसे बड़ी समस्या है–मनोवैज्ञानिक। किसी भी काम को करने से पहले संकल्प की आवश्यकता का एहसास होता है । अंग्रेजी भाषा के रहते हुए हमें किसी दूसरी भाषा के प्रयोग की आवश्यकता का एहसास नहीं हो पा रहा है। जैसे किसी एक छाया में रहते हुए दूसरी छाया का एहसास नहीं होता है और देखा जाए तो अंग्रेजी की छाया रही भी बड़ी समर्थ एवं लंबे अरसे तक। इसलिए लंबे समय तक अंग्रेजी में अभ्यस्त संस्कार में रहने के बाद यदि हिंदी उसका स्थान नहीं ले पा रही है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है ।

राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में एक बाधा यह भी है कि मनुष्य स्वभाव से परिवर्तन विरोधी होता है । प्राचीन वस्तुओं से मोह रखना या उससे चिपके रहना उसका सहज स्वभाव है। क्योंकि परिवर्तन में कुछ न कुछ असुविधा अवश्य होती है और उस असुविधा को दूर करने के लिए कुछ श्रम भी करना पड़ता है। श्रम व जिम्मेदारी से बचना मनुष्य की एक स्वाभाविक कमजोरी है। वह न्यूनतम श्रम एवं कम से कम जिम्मेदारी में अधिक से अधिक हासिल करना चाहता है इसलिए परिवर्तन के लिए अपेक्षित श्रम व जिम्मेदारी को वह तब तक टालता रहता है जब तक वह उसके लिए अनिवार्य न हो जाए ।

अपनी भाषाओं के प्रति सम्मान एवं ममत्व की कमी भी हिंदी के कार्यान्वयन के मार्ग में बाधा है । हिंदी कार्यान्वयन

(शेष पृष्ठ 17 पर)

*भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुरगांव जोनल बेस, सुक्ष्मतरंग केंद्र के सामने, मुरगांव, गोवा-403803

1545 HA/10—4B

भारत की भाषाएं और हिंदी

—सुधा*

बहुभाषा-भाषी होना भारत के लिए अत्यंत गौरव की बात है। यहां की भाषाओं का समृद्ध साहित्य राष्ट्र की बहुत बड़ी थाती है। भारतीय संविधान द्वारा देश की सर्वगुणसम्पन्न बाईस (22) भाषाओं को 'आधुनिक भारतीय भाषा' के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। आधुनिक शब्द से आप इस भ्रम में न पड़ें कि ये भाषाएं आज की हैं, ये भाषाएं अति प्राचीन हैं, अति प्राचीन स्रोतों से उपजी हैं। इनमें कई तो उस प्रात:स्मरणीया विश्वभाषा संस्कृत जितनी प्राचीन हैं जिसे अपनी अद्वितीयता के कारण संविधान में शास्त्रीय भाषा का सम्मान मिला है। ये भाषाएं आधुनिक इस अर्थ में हैं कि इन्होंने संबंध के साथ चलकर अपने बोलने-लिखने वालों की जरूरतें पूरी की हैं, ये जीवन्त और विकासशील हैं। इनकी आधुनिकता इस बात से भी सिद्ध होती है कि आधुनिक विचारों को वहन करने में ये कभी पीछे नहीं रही हैं। इनका साहित्य समय की कसौटी पर खरा उतरा है। ये समय-सिद्ध माता स्वरूपी परम्परागत भाषाएं आधुनिक भारत की प्राणवायु हैं।

भाषाओं का पहला काम होता है सम्पर्क स्थापित करना; दो व्यक्तियों या व्यक्ति-समूहों के बीच सेतु का काम करना। सृष्टि में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसे अभिव्यक्ति और सम्पर्क का इतना सशक्त यंत्र उपलब्ध है इसका लाभ मनुष्य ने खूब उठाया है। ज्ञान के भंडार आखिर किस उपकरण ने भरे हैं? सत्य तो यह है कि हम भाषा के न होने की कल्पना भी नहीं कर सकते। यह हमारे व्यक्तित्व का एक अनिवार्य अंग है। और, हमारी श्रेष्ठता इसी में है कि हम अपने इस अंग, इस यंत्र का सर्वोत्तम उपयोग करें। भूलकर भी भाषा को समाज-भंजक न बनने दें।

देश जब दुर्भाग्य से कुछ काल के लिए परतंत्र हो गया था और ब्रिटिश राज ने इस पर अपना शासन थोप दिया था, उस समय देश की भाषाओं पर भी भयंकर आघात हुआ। दरअस्ल, भारत के जन-जन में व्याप्त यहाँ की उन्नत भाषाओं और शास्त्रीय भाषा संस्कृत ने विदेशी शासकों को हतवाक कर दिया था। इन भाषाओं से स्वाभिमान की जो शक्ति निःसृत होती है उसके ताप से उन्हें पसीना आ गया था; इस देश को दुर्बल बनाकर पराधीन बनाए रखने की उनकी नीति में एक बिन्दु बन गया था यहां की भाषाओं की अवमानना का षड्यंत्र करना। लेकिन भारतीय भाषाओं ने उस अवमानना को केवल नजरअंदाज ही नहीं किया, बल्कि पूरी तरह अस्वीकार दिया; इस समझदारी का मुख्य श्रेय जाता है इन भाषाओं के लेखकों को। भारत की सभी भाषाओं के लेखकों ने पराधीनता की हताशा के बीच भी लिखना नहीं छोड़ा। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि उन्हें शासन का कोपभाजन बनना पड़ेगा, इस बात को भी उन्होंने अधिक महत्व नहीं दिया कि कितने लोग उनको पढ़ते हैं। वह लिखते गए, बल्कि स्वतंत्रता की प्यास ने उनकी लेखनी को और भी धारदार बना दिया था। इसलिए वे सभी भाषाएं विदेशी शासकों की अवहेलना और उनके द्वारा किए गए अपमानजनक व्यवहार को सहकर भी अपने लेखकों द्वारा परिपालित-पोषित होती रहीं और, अब हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि विश्व की किसी भी भाषा की तुलना में हमारी संविधान सम्मत कोई भी भाषा न्यून नहीं है।

यहां यह बात भी स्पष्ट हो जानी चाहिए कि किसी भी विदेशी भाषा से हमारा वैमनस्य नहीं है। बल्कि भारत तो विदेशी भाषाओं को आत्मसात कर लेने में माहिर है। अंग्रेजी को ही लें, अंग्रेजों ने जब भारत पर अंग्रेजी थोपने की योजना बनाई होगी तो उन्होंने कभी यह कल्पना की होगी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब अंग्रेजी को भारत के लोग 'इंडियनाइज' कर लेंगे या नई भाषा 'हिंगलिश' बना लेंगे? यह तनिक प्रसंग से बाहर की बात हो रही है, पर मैं आपको बताना चाहती हूं कि दुनिया में जो विभिन्न प्रकार की अंग्रेजी प्रचलित है उनमें एक है 'इंडियन इंगलिश'। इस अंग्रेजी में न केवल भारतीय भाषाओं के शब्द भरे हैं, इसकी वाक्य रचना, इसके पदखंडों पर भी बोलचाल की हिंदी हावी है और इसमें अनेक मूल अंग्रेजी शब्दों के अर्थ तथा स्वरूप का भारतीयकरण हो गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा विषयक भारतीय ऊर्जा न केवल अपनी भाषाओं की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि इसमें अन्य भाषाओं को पचा लेने की भी तगड़ी पाचन शक्ति है।

*20, अम्बलताडु अय्यर स्ट्रीट, पांडिचेरी-605001

इन्हीं समृद्ध और सशक्त भाषाओं में एक है हमारी लोकप्रिय भाषा हिंदी । हिंदी स्वभाव से ही 'सहमिल्लू' (=सामंजस्यप्रिय। बिहार की हिंदी का शब्द) है। इसका किसी अन्य भाषा से कोई विरोध नहीं है। इसमें एक विनम्रता है; और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति भी है। कवि स्वर्गीय वीरेंद्र मिश्र का हिंदी के प्रति प्रकट किया गया यह उद्‌गार कितना सटीक है ।

''इसका स्वाद प्रसाद बहुत है, जनभाषा रसवंती,
ऋतुओं में वासंती है यह, रागों में मधुवंती ।
भाषायें हों चाहे जितनी, यह सबकी हमजोली,
स्वागत करती हिंदी सबका, बिखरा कुमकुम रोली।''

खुले दिल से सबका स्वागत करने वाली हिंदी 'जयहिंद' की भाषा है, 'सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा' की भाषा है। 'जय जगदीश हरे' की यह भाषा वाणिज्य-व्यापार में भी निष्णात है, देश की रक्षा में तैनात वीर सैनिकों को एक सूत्र में बांधने वाली भाषा भी यही है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह संदेश कि 'स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है' —जन-जन तक पहुंचाने वाली भाषा यही थी। यह मनोरंजन की भी भाषा है। यह आनंद और प्रेम की भाषा है ।

हिंदी की विशेषताओं में सबसे बड़ी विशेषता है इसकी नमनीयता। इस भाषा में स्वाभिमान है, पर अहंकार नहीं। इसमें एक सरल प्रवाह है। यह अपने को किसी भी परिस्थिति में उपयोगी बनाना जानती है। इसमें देवभाषा बनने के सारे गुण विद्‌यमान हैं और लोकभाषा के रूप में भी विस्तार पाने के सारे लक्षण हैं। किसी भी भाषा की धमनियों में रक्त प्रदान करती हैं उसकी बोलियां, इसमें हिंदी का सौभाग्य चरम सीमा पर है; अत्यन्त ही स्वस्थ, सुंदर बोलियां हिंदी की श्रीवृद्‌धि करती हैं । इन बोलियों के विशिष्ट अर्थ वाले मुहावरे, गीत, उनकी कथायें और कहावतें, यहां तक कि मीठी गालियां भी अपनी पहचान बनाती चलती हैं । इन बोलियों में वैविध्य है, ताजगी है और है पारम्परिक निधियां भी । इनमें देश की ऐतिहासिक और भौगोलिक कथायें छिपी होती हैं। बिहार में एक गांव है 'तरेगना' (पटना से 25 किलोमीटर); ज्ञात हुआ कि यह प्राचीन नक्षत्र-विज्ञानी आर्यभट्ट की जन्मभूमि है और इस स्थान का यह नाम अपने उसी विलक्षण पुत्र के कारण पड़ा जो दिन-रात 'तारों' के विषय में ही अध्ययन करता रहता था। तरेगना से कुछ ही दूर 'खगोल' है जहां आर्यभट्ट की बेधशाला थी। ये नाम मात्र शब्द नहीं है; इनमें है भारत का सांस्कृतिक सौष्ठव। हिंदी अपनी सुहानी बोलियों के इस सौष्ठव से देश की प्रतिष्ठा बढ़ाती है ।

हिंदी की एक स्वाभाविक शक्ति है उसकी लिपि देवनागरी । बिल गेट्स कहते हैं–**"बोलकर लिखने की प्रविधि जब संसार में चलेगी, तो केवल (देव) नागरी ही ऐसी लिपि होगी, जिसमें सही भाषा लिखी जा सकेगी।"** स्वयंसिद्‌ध लिपि देवनागरी को इस प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि यह बात सब जानते हैं कि संसार में इसके समान वैज्ञानिक लिपि दूसरी नहीं है। ऐसे में इस प्रवृति पर रोक लगनी चाहिए कि हिंदी या कोई भी भारतीय भाषा रोमन या किसी अन्य लिपि में लिखी जाए । हमारे पास जब खरे सोने जैसी लिपि है, तब हम क्यों अपनी भाषा को अन्य लिपि में घसीट कर धूल चटाएं ?

आज सारा संसार एक बृहद 'बाजार' बन गया है । और, संसार के जनगण को एक 'ग्राहक' मानकर चला जा रहा है। यह स्थिति अच्छी है या बुरी, इस प्रसंग को हम यहां नहीं छेड़ेंगें हम केवल यह देखना चाहते हैं कि इस बाजारवाद और मानव के ग्राहकीकरण में भाषा की भूमिका और स्थिति क्या होगी। जिसे अपना माल बेचना है, वह बहुत तरह के समझौते करता है, कभी-कभी अनैतिकता की हद तक उतर जाता है। उनके लिए जब नैतिकता महत्व नहीं रखती, तब यह अपेक्षा करना व्यर्थ है कि वे भाषा या संस्कृति का ख्याल रखेंगे। ऐसे में हमें स्वयं अपनी नीतियां निर्धारित करनी होंगी, अपनी शर्तें स्वयं तय करनी होंगी, बाजार-चालकों को विवश करना होगा कि वे हमारी शर्तों के अनुसार चलें। जैसे, विज्ञापनों में हिंदी या संस्कृत के वाक्यांश अन्य लिपियों में न लिखे जाएं । इसके लिए कानून की सलाह लेकर आवश्यक कदम उठाने होंगे। इसके साथ ही देवनागरी में भद्र विज्ञापनों को प्रोत्साहन दिया जाए, हिंदी में भद्दे और अश्लील विज्ञापनों पर रोक लगे। वाणिज्य के इस युग में किसी चीज को बाजार का हिस्सा बनने से रोकना कठिन है, लेकिन यह तो किया जा सकता है कि हम उस पलड़े पर रहें जहां विश्वसनीयता हो। यानी, एक ऐसा स्तर तैयार हो जिसमें लोग मानें कि यदि किसी वस्तु का विज्ञापन हिंदी में आया है तो वह चीज जरूर भरोसे की होगी ।

हिंदी का समस्त साहित्य, समस्त ज्ञान भंडार कम्प्यूटर पर आ जाना चाहिए । जो लिखा जा चुका है और जो लिखा जा रहा है–सब कुछ कंप्यूटर पर उपलब्ध होना चाहिए । इसके लिए अनेक सशक्त, अनुरक्त, प्रवीण और लगनशील व्यक्ति समूहों की आवश्यकता है। इसे एक पूर्णकालिक कार्य की तरह करना होगा। योजनाबद्‌ध ढंग से इसका कार्यान्वयन हो। हिंदी का भविष्य संभावनाओं से भरा है । सरकारी उदासीनता या विदेशी वैमनस्य से इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। हिंदी बिना किसी ढोल-नगाड़े के सफलताओं से भरे सत्पथ पर अग्रसर है । ■

साहित्यिकी

रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में सामाजिक संदर्भ

–डॉ. गुड्डी बिष्ट*

संस्कृति के मनीषी कवियों में कवि दिनकर का स्थान सर्वोपरि है । समाज की विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर लेखनी चलाने वाले कवि दिनकर ने अपनी पहचान एक राष्ट्रीय कवि के रूप में स्थापित की है । समाज के प्रति कवि की सोच जितनी सकारात्मक रही उतनी ही राष्ट्र के प्रति भी। अस्तु राष्ट्र का कवि होते हुए भी समाज की विभिन्न समस्याओं को उठाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और इस कसौटी पर कवि पूर्णतः सफल रहे हैं । कवि दिनकर एक प्रतिभा संपन्न कवि थे, उनका हिंदी साहित्य जगत में उदय एक महत्वपूर्ण घटना है, साहित्यकार समाज का द्रष्टा एवं सृष्टा दोनों ही होता है । साहित्य को समाज का दर्पण इसलिए कहा जाता है, क्योंकि साहित्यकार समाज को देखकर उसमें घटित घटनाओं पर चिंतन-मनन करने के उपरान्त उसे साहित्य का रूप देता है, कवि दिनकर भी समस्त जगत से जुड़े हुए युग परिवेश के कवि है । दिनकर जी ने आरंभ से ही देश और समाज के प्रति समर्पण भाव का निर्वाह किया । दिनकर जी की जन्मभूमि सिमरिया पटना से लगभग 60 मील पूर्व गंगा के उत्तरी तट पर स्थित है, सिमरिया गरीब किसानों का गांव है । वहां अक्सर बाढ़ आती थी और अकाल पड़ता था । बाढ़ से त्रस्त गांवों का जीवन अत्यंत दुखदायी व कठोर होता है, इसी यथार्थ को देखकर दिनकर जी के काव्य में अत्याचार शोषण और सामाजिक वैषम्य के प्रति जो विद्रोह के भाव व्यक्त हुए हैं उसकी प्रेरणा उन्हें अपनी जन्म भूमि सिमरिया की शोषित दलित पीड़ित निर्धन जनता के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं से मिली है । उस गांव में अक्सर अकाल पड़ता था, ऐसे समय में वहां की जनता को भूख से पीड़ित देख कवि दिनकर के नेत्र आंसुओं से और हृदय आक्रोश से भर उठता था, समाज में फैली आपदाओं को देखकर कवि मन विद्रोही हो उठा । उन दिनों की असंख्य घटनाएं उनके स्मृति पटल पर अंकित रही हैं । कवि ने तत्कालीन समाज के समस्त गतिविधियों के साथ उसकी पीड़ा, छटपटाहट, विवशता आदि को समझा । ऐसे नाजुक समय में जब ब्रिटिश शासक अपना शासन दृढ़ बनाने में जुटे थे, गरीबी के बोझ से दबी धार्मिक व सामाजिक बंधनों में बंधी, ब्रिटिश शासन के अधीन बेबस जनता को उन्होंने समीप से देखा यही कारण रहा कि काव्य के माध्यम से समाज व आम आदमी से जुड़ी समस्याओं को व्यक्त कर वे सदैव समाज से जुड़े रहे । वे स्वयं मानते हैं कि– **"मेरी कविताओं के भीतर जो अनुभूतियां उतरी वे विशाल भारतीय जनता की अनुभूतियां थी, जिनके अंक में बैठकर मैं रचना कर रहा था, कवि होने की सामर्थ्य शायद मुझमें नहीं थी यह क्षमता मुझमें भारत वर्ष का ध्यान करने से जागृत हुई । यह क्षमता मुझमें भारतीय जनता की आकुलता को आत्मसात् करने से स्फुरित हुई ।"**[1]

स्वजन के प्रति गहरा संबंध व समाज की ज्वलंत समस्याओं पर विचार कर वे जन समाज के उज्जवल भविष्य निर्माण के आकांक्षी रहे हैं । तथा युग के स्वर को समाज के सामने रखा, उन्होंने सामाजिक, आर्थिक विषमताओं की विविध समस्याओं तथा उनके मूलभूत कारणों पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर उन्हें अपने काव्य के कथ्य की मूल संवेदना के द्वारा प्रकाश में लाने का कार्य किया है, उन्होंने वर्ग वैषम्य, श्रमिकों एवं कृषकों की दीन दशा, सामाजिक शोषण, छूआछूत और साम्प्रदायिकता के प्रति विद्रोह व्यक्त किया है, वह वर्गहीन व समतापूर्ण समाज की कल्पना कर मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते हैं, वह सामाजिक समता में विश्वास करते हैं । व्यक्ति की श्रेष्ठता

* बिष्ट भवन, नर्सरी रोड, श्रीनगर, गढ़वाल-246174

1545 HA/10—5A

उपेक्षित मूल पात्र के रूप में आता है। 'रश्मिरथी' में उसी कलंक को धोने का गहरा प्रयास किया गया है। कवि का ध्येय कुल एवं जाति के अहंकार को मिटाकर मानवीय मूल्यों एवं गुणों की स्थापना का रहा है। उच्च या नीच वंश व्यक्ति की योग्यता एवं शक्ति का प्रतीक नहीं है, व्यक्ति का व्यक्तित्व ही मूल्यांकन की सबसे बड़ी कसौटी है, इसी सामाजिक सरोकार को केन्द्र बिन्दु बनाकर 'रश्मिरथी' एक अमूल्य कृति उभरकर सामने आई है। कर्ण के मिथक को आधार बनाकर दिनकर जी समाज के इस भेदभावपूर्ण चेहरे को आकार देने का सफल प्रयास करते हैं क्योंकि कर्ण की समस्या समाज में संपूर्ण व्याप्त है। कर्ण के सिर पर दोहरा कलंक है एक ओर वह अविवाहिता का पुत्र है और दूसरी ओर सूतपुत्र है कवि में परंपरा का मोह है अतः परम्पराएं उनकी रचना की आधार भूमि है पर इन परम्पराओं की पृष्ठभूमिं में युग की एक प्रमुख सामाजिक समस्या को उठाया गया है। किसी भी व्यक्ति को सम्मान या मर्यादा प्रतिष्ठित जाति के आधार पर नहीं विद्वता और योग्यता के आधार पर मिलनी चाहिए, जातीयता की तुला पर तौलकर विद्वता और योग्यता का प्रमाण नहीं दिया जाना चाहिए–

"मैं उनका आदर्श जिन्हें कुल का गौरव ताड़ेगा,
नीच वंश जन्मा कहकर जिनको जग धिक्कारेगा,
मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे,
पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे।"[5]

'रश्मिरथी' में दिनकर जी ने मानवीय मूल्यों को सर्वोच्च माना है और दिखाया है कि मानवीय मूल्य किसी भी समाज के विकास की सीढ़ी हैं, मानवता एवं मानवीय मूल्य समाज की सबसे बड़ी धरोहर है। रश्मिरथी दिनकर के काव्य जगत का ऐसा ध्रुवतारा है जिसके सिद्धान्त अटल एवं शाश्वत हैं। यह केवल सामाजिक चेतना का प्रतिनिधि काव्य नहीं है अपितु इसमें मानवतावाद का उद्घोष समूचे अस्तित्व के साथ ध्वनित हुआ है। इसमें मानव जीवन की त्रासदी का ऐसा ज्वलन्त सत्य समाज के समक्ष आया है जिसने दर्पशील समाज के अन्दर मूल्यों को हिलाकर रख दिया है। इस रचना की सोच एवं आधारभूमि की विवेचना से कवि दिनकर विचारक एवं दार्शनिक से ऊपर उठकर महानतम मानवतावादी हो गए हैं। 'रश्मिरथी' की आधार भूमि में कर्ण के चरित्र को स्थापित करने के पीछे कवि का उद्देश्य मानवतावाद को विकसित करना भी रहा है अतः इस रचना की विषय वस्तु को खड़ा करने के लिए मानवतावाद, युगीन सच्चाइयों, जाति-पाति, कुलगोत्र से उपजी समस्या, वर्ग विभेद आदि विचारों की विवेचना की नींव का सहारा लिया गया है अतः कवि ने 'रश्मिरथी' के माध्यम से कर्ण के मिथ को लेकर पूर्ण विकसित मानव के रूप में स्थापित करते हुए मानवतावाद की प्रतिष्ठा प्रभावशाली ढ़ग से की है–

"ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है,
दया धर्म जिसमें हो, सबसे वही पूज्य प्राणी है,
क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग,
सबसे श्रेष्ठ वहीं ब्राह्मण है, हो जिसमें तप त्याग"[13]

दिनकर की एक अन्यतम रचना कुरूक्षेत्र चिंतन पर आधारित है और साथ ही उसमें साम्य पर आधारित शासन की स्थापना पर जोर दिया गया है। कवि भीष्म के मुख से राजतंत्र की निंदा और लोकतंत्र की प्रशंसा करता है। कवि ने इस रचना में समाजवादी विचारधारा को वाणी दी है। महाभारत के महान मिथक को लेकर कवि दिनकर ने अपनी इस रचना में युद्ध की समस्या का मौलिक चिंतन अत्यन्त अनूठे ढंग से किया है इसमें मानवीय चेतना सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना के पक्ष को उठाया गया है। वर्तमान में जब संपूर्ण विश्व युद्ध की विभीषिका के कगार पर खड़ा है तो ऐसे नाजुक समय में कवि की इस रचना का महत्व और भी बढ़ जाता है। 'कुरूक्षेत्र' के भीष्म और युधिष्ठिर भी महाभारत की तरह नहीं हैं ये पात्र भी कवि की नवीन विचारधारा के वाहक हैं। महाभारत में ग्रहीत कथानक और पात्रों के माध्यम से नवीन विचारधारा के संवाहक हैं। अतः महाभारत में ग्रहीत कथानक और पात्रों के माध्यम से कवि आधुनिक युद्ध विज्ञान की विनाशकारी शक्तियों एवं स्वार्थवृत्तियों से मनुष्य को परिचित कराता हुआ मानवता के प्रचार एवं प्रसार का समर्थक एवं पोषक है।

कुरूक्षेत्र में कवि ने बुद्धि पक्ष का अवलंबन लेकर स्पष्ट किया है कि युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ है कवि उस समस्या का समाधान खोजने लगा। अतः कुरूक्षेत्र में वर्तमान के सत्य के साथ अतीत के आलोक को भी अभिव्यक्ति दी गई है, कवि के मत में अनाचारी और शोषक वर्ग ही युद्धों को जन्म देता है–

"चुराता न्याय जो रण को बुलाता भी वही है,
युधिष्ठिर स्वत्व की अन्वेषणा पताका नहीं हैं।"[14]

'परशुराम की प्रतीक्षा' सन 1962 में चीन-भारत युद्ध को आधार बनाकर लिखी गई एक रचना है। 'परशुराम की प्रतीक्षा' राष्ट्र हित का सामाजिक सरोकार है क्योंकि दिनकर मूलतः राष्ट्रवादी कवि हैं। देश की सुरक्षा वाह्य आक्रमणों से रक्षा प्रत्येक सामाजिक का जो इस भारत का नागरिक है प्रधान कर्तव्य है। परशुराम के मिथक द्वारा कवि दिनकर ने भारतीय वीरों की अदम्य शक्ति को ऊर्जा दी है और कहा है कि यदि दुश्मन हमारे सामने चुनौती रख ही दे तो हमें भी परशुराम के आक्रोश क्रोध एवं वीरता का समर्थन करना है, शठे शाठ्यम् समाचरेत् यानि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना है।

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि 'रश्मिरथी', 'कुरूक्षेत्र' रेणुका और 'परशुराम की प्रतीक्षा' तथा 'उर्वशी' आदि मिथक काव्यों के माध्यम से दिनकर जी ने भारतीय वाङ्गमय में निहित उन मूल्यों को सामाजिक वाणी दी है जिन्होंने आदिकाल से हमारी संस्कृति एवं सामाजिक अस्मिता का संरक्षण किया है। अतः अतिशयोक्ति न होगा कि दिनकर का काव्य सामाजिक सरोकारों का प्रतिबिम्ब है जो हमें हमारी विराट एवं भव्य संस्कृति का परिचय कराता है और समाज एवं राष्ट्र के प्रति न्यौछावर होने की प्रेरणा देता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

(1) दिनकर-चक्रवाल - पृष्ठ-64

(2) दिनकर-रश्मिरथी प्रथमसर्ग - पृष्ठ-01

(3) दिनकर-रश्मिरथी प्रथमसर्ग - पृष्ठ-11

(4) दिनकर-रश्मिरथी प्रथमसर्ग - पृष्ठ-15

(5) दिनकर-उर्वशी - पृष्ठ-57

(6) दिनकर-उर्वशी - पृष्ठ-48

(7) महादेवी वर्मा-शृंखला की कड़ियां - पृष्ठ-113

(8) महादेवी वर्मा-उर्वशी - पृष्ठ-11-12

(9) दिनकर-उर्वशी - पृष्ठ-22

(10) दिनकर-उर्वशी - पृष्ठ-23

(11) दिनकर-रश्मिरथी - पृष्ठ-62

(12) दिनकर-रश्मिरथी - पृष्ठ-41

(13) दिनकर-रश्मिरथी - पृष्ठ-01

(14) दिनकर-कुरूक्षेत्र - पृष्ठ-48 ■

(पृष्ठ 10 का शेष)

के प्रति हमारे मन में जो सम्मान व ममत्व होना चाहिए उस पर अंग्रेजी के कारण पर्दा पड़ा हुआ है। अंग्रेजी भाषा की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही है कि उसने भारतीयता के प्रति विमुखता और अनास्था की भावना को बल दिया है। 200 वर्ष तक वह सदा यह घोषित करती रही कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति निस्तार व अनुपयोगी है और उसके इस प्रचार को हमने बड़ी ही सहजता से ग्रहण कर लिया है। भारतीय समाज का एक वर्ग तो यहां तक मान बैठा है कि हमारा सब कुछ हीन है। इसलिए जिस तत्परता से स्वाधीन राष्ट्र अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति आत्मीयता का अनुभव करता है, उसकी आज कमी दिखाई देती है और आज भी हम उस समोवृत्ति से मुक्त नहीं हो पा रहें हैं। वह मनोवैज्ञानिक समस्या राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में बाधक है।

हिंदी के विकास में एक बड़ी समस्या सहज एवं बोधगम्य पारिभाषिक शब्दावली की कमी भी है। जब हिंदी कार्यान्वयन की बात चलती है तो बड़े ही सहज अंदाज में लोग शब्दाभाव को रोना रोकर अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा लेते हैं। इसलिए दुरुह शब्दों के स्थान पर स्थानीय भाषाओं का पुट लिए पारिभाषिक शब्दावली तैयार की जाने की आवश्यकता है।

राजभाषा कार्यान्वयन की इन समस्याओं का जिक्र करते समय हमें इस तथ्य को भी स्वीकारना पड़ेगा कि हिंदी तथाकथित अंग्रेजी साम्राज्यवाद और कई बाहरी अवरोधों के कारण ही नहीं अपितु अपनी आंतरिक बेड़ियों में जकड़ी होने के कारण भी पिछड़ी हुई है। यदि हमारे मन में अपनी भाषाओं के लिए आत्म-स्वाभिमान और आत्म गौरव हो तथा हम संकीर्ण एवं शुद्धतावादी दृष्टिकोण की बजाय व्यापक एवं उदार दृष्टिकोण विशेषकर राजभाषा कार्यान्वयन में, अपनाएं व भावुकता की बजाए व्यवहार में उसे आगे बढ़ाएं तो हिंदी केवल नाम की ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत देश की संपर्क भाषा एवं सच्चे अर्थों में राजभाषा बन सकती है। अंत में मैं मैथिलीशरण गुप्त की पंक्तियों से अपने विचारों को विराम दूंगा।

भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं,
वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ■

1545 HA/10—6A

छायावादी काव्य में शिवम् की अभिव्यक्ति

–डॉ. साधना तोमर*

'शिव' शब्द श्रेय, कल्याण, मंगल, हित तथा लोकहित का सूचक है । संस्कृत भाषा में शिव का अर्थ 'मंगल' अथवा कल्याण है । श्रेय अथवा कल्याण के अर्थ में 'शिव' पद का प्रयोग वेदों में भी मिलता है । उपनिषदों में ब्रह्म के विशेषण के रूप में शिवम् का प्रयोग किया गया है । इससे कल्याण के अर्थ में 'शिव' पद के प्रयोग की प्राचीनता विदित होती है । डॉ. कृष्ण चन्द्र गुप्त के शब्दों में–"साहित्य में शिवम् के अभिव्यक्ति से अभिप्राय उन जीवन मूल्यों से है जो असद्, अन्याय, अत्याचार, अन्धकार आदि को ध्वस्त कर कल्याण, आलोक, सद् आदि के रूप में प्रकट होते हैं ।"[1]

प्रसाद जी ने 'श्रेय' के द्वारा 'शिवम्' को अभिहित किया है एवं उसके केवल प्रेम रूप को काव्य में अभिव्यक्त करने योग्य माना है । उनके शब्दों में–"आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारूत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य में संकल्पात्मक मूल अनुभूति कही जा सकती है ।"[2] पंत जी ने शिव की अभिव्यक्ति को लोकोपयोगी सांस्कृतिक तत्व के रूप में प्रतिपादित किया है । लोकोपयोगी सांस्कृतिक तत्वों से अभिप्राय उन जीवन-मूल्यों से है जो अनजाने में ही पाठक का उन्नयन कर उसको वैचारिक एवं भावात्मक रूप से समृद्ध करते हैं । इन तत्वों में शिवमय सत्य रमणीय रूप में व्यक्त होता है । इसलिए रसज्ञ और विचारक पाठक इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते ।

चिरंतन काल से ही काव्य में शिवम् की भावना को प्रमुख स्वर देना कवि-कर्म का प्रमुख प्रयोजन रहा है । आचार्य मम्मट का मत इसी ओर संकेत करता है–

काव्यं यशसेअर्थकृते, व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये ।
सद्यः परनिवृतये कान्तासम्मितयोपदेशयुजे । ।[3]

काव्य में शिवम् इस तथ्य का द्योतक है कि जन जीवन अपनी वास्तविकता से परिचित होकर अपनी दुर्बलताओं, अपने अभावों, अपने अत्याचारों से सर्वथा मुक्त होता हुआ समाज में सबलता, सदाचार, शालीनता एवं सर्वमंगलता की ओर अग्रसर हो और क्षण-क्षण होने वाली असत् प्रवृत्तियों के युद्ध में उसकी सत् प्रवृत्तियां सदैव विजयी होती रहे ।

विश्व के सभी महान् कवियों की कृतियों में शिवम् की भावना परिलक्षित होती है । भारतीय साहित्य में भी शिवम् की सृजनात्मक परंपरा के दर्शन होते हैं । भक्तिकालीन साहित्य में परिष्कृत वातावरण की सृष्टि करके, साधारण जनता के जीवन को श्रेमोन्मुखी बनाना कवियों का उद्देश्य रहा है । तुलसीदास ने अपने काव्य मे लोकमंगल और लोकमर्यादा पर बल दिया है–

मंगल करनि कलिमल हरनि,
तुलसी कथा रघुनाथ की ।[4]

रीतिकाल में भी कुछ ऐसे उच्च संस्कारों से युक्त कवि थे जिन्होंने नीति, चरित्रकाव्य, वीरता आदि विषयों पर लेखनी चलाकर शिवम् की भावना का प्रसार किया । शिवम् की दृष्टि से आधुनिक साहित्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । गद्य हो या पद्य यथार्थवादी साहित्य ने समाज का कल्याण किया । गोदान, गबन, कंकाल जैसे उपन्यासों ने एक ओर सामाजिक कुरीतियों का पर्दाफाश किया तो दूसरी ओर समाज को संघर्षों का सामना करने और अन्याय का विरोध करने की प्रेरणा भी प्रदान की । आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में–"साहित्य इसलिए बड़ा नहीं है कि उसमें गद्य, पद्य, छन्द, कला, कहानी होती है बल्कि इसलिए बड़ा है कि मनुष्य को उन्नत और विशाल बनाता है । जो साहित्य अपने लिए लिखा जाता है, उसकी क्या कीमत है? मैं नहीं जानता परंतु जो साहित्य मनुष्य, समाज को अज्ञान, रोग, शोक, दरिद्रता और परमुखापेक्षिता से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है, वह निश्चय ही अक्षय निधि है ।"[5]

छायावाद हिंदी साहित्य के सौभाग्य के रूप में उदित हुआ क्योंकि प्रथम बार उसकी एकधारा (छायावाद) विश्व

*सहायक प्रोफेसर जनता वैदिक महाविद्यालय बड़ौत (बागपत) यू.पी.

1545 HA/10—6B

की थाती के रूप में प्रतिष्ठित हुई। छायावाद में एक ओर तो भारतीय संस्कृति को विशाल आधार मिला दूसरे उसकी परिणति विश्व संस्कृति में हुई। छायावाद ने काव्य को एक विशद भूमि पर प्रतिष्ठित किया। सूक्ष्म के माध्यम से सर्वप्रथम विश्व-व्याप्त भावों की अभिव्यंजना की। छायावादी कवियों ने एक नवीन धर्म, विश्व-करुणा, विश्व-बंधुत्व, विश्व-संस्कृति और समन्वयात्मक दृष्टि को काव्य में स्थान दिया। छायावाद में शिवम् विराट संस्कृति के रूप में आया है। नवीन युग-मूल्यों के अनुरूप उसने समन्वय की सभी संभाव्य शक्तियों का संचयन किया और उसका सार ग्रहण करके दृष्टि-विशालता का परिचय दिया। छायावादी शिवम् की भावना मानवतावाद के निकट है, उसमें न तो धर्म की संकीर्णता है न विशिष्टि राष्ट्रगत संस्कृति की। उसमें एक ही धर्म है—मानव-धर्म। इसको परम विश्वसनीय बनाने के लिए छायावादी कवियों ने आस्था, विश्वास और नूतन अध्यात्म की सफल कल्पना की है।

छायावाद के चारों कवियों (प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी) ने छायावादी स्वच्छंद प्रवृति के अनुकूल शिवम् की चार स्वच्छंद दिशाओं की ओर बढ़कर महान् कार्य किया है। प्रसाद जी ने मानव के पूर्ण विकास की ओर अथक प्रयास किया। उनके 'झरना' काव्य में समाज-कल्याण की ओर अग्रसर होने की प्रवृत्ति निरंतर दृष्टिगत होती है। कवि अपने व्यक्तिगत सुख-दुख, हर्ष-विषाद आदि का समाज सापेक्ष प्रसार चाहता है। 'आंसू' में विरह-जल से कवि का मानव-कुमुद निखर उठा है तथा कवि की दृष्टि समन्वयात्मक हो गयी है। कोमल-कठोर, सुख-दुख, आशावादी-निराशावादी जीवन के अन्य क्षणों में कवि सुन्दर समन्वय चाहता है। जिस एकाकी दृष्टि को कवि लेकर चला था उसका अंत वैश्व-परिणति में हुआ—

सबका निचोड़ लेकर तुम,
सुख से सूखे जीवन में;
बरसो प्रभात हिमकन सा,
आंसू इस विश्व सदन में।[6]

'लहर' के गीतों में भी कवि का उदात्त स्वर मुखरित हुआ है। प्रसाद जी आहत् मानवता और सन्तप्त धरती के दुख-द्वंद्वों को शांत, शीतल करने में जीवन की सार्थकता मानते हैं—

संसृति के विक्षत पग रे,
यह चलती है डग-मग रे,
अनुलेप सदृश तू लग रे,
मृदु दल बिखेर इस मग रे।[7]

'कामायनी' में भी प्रसाद जी ने मानवीय भावों का प्रसार किया है। श्रद्धा मानवता की बेल को समूचे विश्व में फैलाने की प्रेरणा मनु को देती है तथा संपूर्ण मानवता के विजयिनी होने की कामना करती है। कवि ने विश्व-बंधुत्व की भावना की स्थापना कर शिवम् की भावना का प्रतिपादन किया। श्रद्धा मनु को सबको, सुखी बनाकर अपने सुख विस्तृत करने का सत्परामर्श देती है—

औरों को हँसते देखो मनु
हँसो और सुख पाओ।
अपने सुख को विस्तृत कर लो,
सबको सुखी बनाओ।[8]

पंत जी का काव्य आद्यांत उत्कर्ष की ओर अग्रसर होता चला गया। इनके परवर्ती काव्य में शिवम् की भावना अपेक्षाकृत अधिक है। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण समन्वयात्मक है। वे समाज में सुशिक्षा, सुसंस्कृति और हृदय की निश्छलता का बाहुल्य चाहते हैं। भौतिकता और आध्यात्मिकता में समन्वय करना चाहते हैं। वे मानवतावाद के प्रकाश को नष्ट नहीं होने देना चाहते। विज्ञान और भौतिकता की अति से आज का मानव तमसावृत है ऐसे में आलोक की कामना कवि करता है—

जीवन के इस अंधकार में,
मानवात्मा का प्रकाश कण;
जग सहसा ज्योति कर देता
मानव के चिर गुह्य कुंज वन।[9]

पंत जी नव मानवता का उदय और जर्जर जीवन में नवचेतना के संचार के आकांक्षी है। समाज में विषमता, अत्याचार, शोषण, अनैतिक ढंग से धनोपार्जन और स्वार्थ-लोलुपता से कवि क्षुब्ध है और इन्हें समाज से मिटा देने के आकांक्षी हैं। वे मानव मात्र के उत्थान की कामना करते हैं। पंत जी के काव्य में विश्व-बंधुत्व की भावना परिलक्षित होती है। प्रकृति में भी वे इसी भाव को देखते हैं—

विश्व प्रेम का रूचिर राग,
पर सेवा करने की आग।[10]

कवि सुंदरम और शिवम् को जीवन में एक साथ लाना चाहते हैं । 'गुंजन' में पंत जी पूर्ण 'शिवम्' के कवि हैं । इसमें इनकी लोकमंगलैषणा की प्रवृत्ति अधिक विकसित हुई है । पंत जी की सौंदर्य-चेतना अत्यंत समृद्ध है, उसी के बल पर इनके काव्य में शिवम् की भावना विकसित हुई है ।

छायावाद के प्रमुख चार स्तंभों में से एक निराला ने भी छायावादी काव्य में शिवम् की भावना का प्रसार किया । शौर्य और शक्ति की नव दिशा को निराला ने ही खोजा । लोक जीवन में शौर्द का जीवंत स्पर्श होता है और जिस काव्य में शौर्य के साथ अध्यात्म का अद्भुत मिश्रण हो, उसमें निहित लोकोपयोगी तत्वों की कमी नहीं हो सकती । उन्होंने अध्यात्मक, शक्ति, संस्कृति, लोक-जीवन और काव्य सबका सुंदर समन्वय करने के हमें नयी शैली की एक महान् विरासत दी । इन्होंने भारतीय अध्यात्मक, संस्कृति और विचार-परंपरा तथा काव्य में महाप्राणता की प्रतिष्ठा की । ये वैदिक परंपरा को पुनर्जीवित करना चाहते थे जिस प्रकार वैदिक ऋषियों ने अपनी ओज भरी वाणी से समूचे राष्ट्र का उद्बोधन किया, उसी प्रकार निराला भी सोई हुई राष्ट्र की शक्तियों को जाग्रत करना चाहते थे । हृदयोद्गारों को बेधड़क रूप से व्यक्त करने में वे कबीर की श्रेणी में आते हैं । कबीर और तुलसी दोनों लोकमंगल के महान् उपासक थे । इन दोनों संतों के कार्यों को निराला ने आगे बढ़ाया ।

युगों से पीड़ित शूद्रों के प्रति निराला में पूर्ण सहानुभूति दिखायी । शूद्रों के चरम उत्थान की भविष्यवाणी विवेकानंद ने भी की थी । सामाजिक चेतना और सामाजिक यथार्थ निराला-काव्य का संबल है । निराला सच्चे अर्थों में जन कवि थे । निर्धनों की सेवा में उन्होंने अपना सर्वस्व लुटा दिया । शिवम् की भावना का उद्गाता बादल से प्रार्थना करता है कि हे बादलो ! इस धरा पर शीतलता और नम्रता भर दो-

वज्र छिपा, नूतन कविता
फिर भर दो,
बादल गरजो ।

तप्त धरा जल से फिर
शीतल कर दो ।
बादल गरजो ।[11]

निराला मनुष्य मात्र का कल्याण चाहते थे । 'प्रबंध-प्रतिमा' में व्यक्त किए गए उनके विचारों पर मानवतावादी भावना की पूर्ण छाप है । भारत का ही नहीं विश्व का प्रत्येक व्यक्ति ब्राह्मण बने-उदारमना, त्यागशील, संकीर्णताओं से ऊपर उठा हुआ शक्ति-प्रेमी, अहिंसक और विश्वमैत्री का पाठ पढ़ाने वाला ब्राह्मण, यही उनकी इच्छा थी । निराला की राष्ट्रीय-चेतना और मानवतावादी भावना एक ही धरातल पर स्थित है ।

छायावाद की चौथी शक्ति हैं-त्याग, तपस्या और साधना की मूर्ति महादेवी वर्मा । मंगलमयी करूणा की धारा के रूप में उनकी पहचान है । इनका काव्य आद्यांत सर्वभूतहित की कामना से परिपूर्ण है । विश्वमंगलेच्छु महर्षियों की परंपरा में आकर इन्होंने हिंदी-कविता के माध्यम से अपनी आर्षवाणी को संतप्त संसार तक पहुंचाने का अमर प्रयास किया है । वे संसार के दुःखी प्राणियों के दुख को आत्मसात कर लेना चाहती है । शिवम् की भावना का प्रसार उनके काव्य का मुख्य प्रयोजन है ।

सुख-दुख को वे विश्व-नियंता के संदेश मात्र मानती है । वे अपनी ममता को विश्वभर में बिखेर देना चाहती है । परोपकार के प्रति अटूट आस्था को पालना और विश्वमंगल के लिए आत्मोसर्ग करना महादेवी जी का परम साध्य है । इसी आत्मविश्वास को उन्होंने कई स्थलों पर व्यक्त किया है-

मैं कण-कण में ढाल रही अलि,
आंसू के मिस प्यार किसी का ।

X X X X

मेरे प्रति पग पर बसता जाता,
सूना संसार किसी का ।[12]

विश्व-वेदना और समष्टि-सुख में महादेवी जी अमरत्व मानती है समष्टि-सुख की वृद्धि के लिए उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को एक मिशन के रूप में परिणत कर दिया । वे सर्वत्र हृदय का प्रकाश चाहती है ताकि विश्व के सारे हृदय जुड़ सकें । दीपक-रागिनी जलाकर विश्व में व्याप्त अज्ञान, निराशा और असफलता के अंधकार को जलाकर प्रेम का अखंड साम्राज्य स्थापित करना चाहती हैं -

सब बुझे दीपक जला लूं।
घिर रहा तम आज दीपक-रागिनी अपनी जला लूं ।[13]

(शेष पृष्ठ 36 पर)

पुरानी यादें—नए परिप्रेक्ष्य

युग-प्रवर्तक रचनाकार : प्रेमचंद

—डॉ. इंदरराज बैद*

भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को गौरव के उत्तुंग शिखर पर पहुंचाने का श्रेय जिन साहित्यकारों को दिया जाता है, उनमें प्रेमचंद जी (1880-1936) का अति विशिष्ट स्थान है। जिस प्रकार कविता के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद और आलोचना के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल अग्रगण्य हैं, उसी प्रकार उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद अग्रणी हैं। हिंदी-साहित्यकार को आभामंडित करने वाले युग-प्रवर्तक रचनाकारों में वे ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो विश्व-वाङ्मय की विभूति बन चुके हैं। वे हिंदी के उपन्यास-सम्राट हैं जिनकी गणना केवल भारत के ही नहीं, विश्व के श्रेष्ठ रचनाकारों में की जाती है। उनका साहित्य अपने युग का सचित्र ध्वन्यंकन है। आम आदमी जिसका नायक है और उसकी जिजीविषा ही जिसका स्पंदन है, उस साहित्य का निर्माण किया था प्रेमचंद ने और वह सब कुछ किया उसी की भाषा में। यही तो रहस्य है उनकी कहानियों की संप्रेषणीयता और सफलता का। उन्होंने जन-जन की पीड़ाओं को, संघर्षों को, आकांक्षाओं को उन्हीं की वाणी में इस कुशलता के साथ अभिव्यंजित किया कि हरेक को उसमें अपनी ही छवि दिखाई दी।

- भाषा साहित्य की संवाहिका है। मनुष्य जो कुछ सोचता है, समझता है, अनुभव करता है उसे अगर व्यक्त करना है तो एक ऐसी भाषा का सहारा लेना पड़ेगा जो सरल एवं सीधी हो, जिसमें उसका अपना मुहावरा हो और जो सर्वजन ग्राह्य हो। प्रेमचंद जी ने इसीलिए उर्दू और हिंदी को अपनाया। दोनों एक ही भाषा के दो रूप थे। हिंदी वास्तव में उसी खड़ीबोली का शुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठित रूप है, जिससे उर्दू का भी विकास हुआ है। उर्दू ने अपनी शब्दावली का स्रोत अरबी-फारसी में देखा और हिंदी ने संस्कृत-देशज शब्दों को आधार बनाया। खड़ीबोली के दोनों रूपों की अपनी निजी विशेषताओं और लिपियों की भिन्नता के बावजूद उनकी आधारभूत अभिव्यंजना में अद्भुत एकात्मकता थी जिसका अनुभव स्वयं प्रेमचंद जी ने किया था। उन्होंने खड़ीबोली के दोनों ही रूपों को अपनाया।

प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लमही गांव में 31 जुलाई, 1880 को एक साधारण परिवार में हुआ था। वे पिता अजायबराय की चौथी संतान थे, तीन पुत्रियों के बाद होनेवाला लाड़ला पुत्र। उनका वास्तविक नाम धनपतराय था। बाल्यावस्था में उर्दू की शिक्षा प्राप्त करके उर्दू में ही लिखने की प्रवृत्ति विकसित की। मौलाना शरर, पं. रतननाथ सरशार, मिर्ज़ा रुसवा, मौलवी मुहम्मद अली आदि रचनाकारों की भूल उर्दू में लिखी औपन्यासिक कृतियां और रेनाल्ड के उर्दू में रूपांतरित उपन्यास पढ़ डाले। उस समय उनकी अवस्था तेरह-चौदह साल की थी। बाद में उन्होंने हिंदी सीखी और बीस वर्ष की उम्र तक उर्दू और हिंदी साहित्य की समस्त उपलब्ध कृतियां उन्होंने पढ़ लीं परंतु अपने लेखन की शुरुआत वे उर्दू में ही कर पाए। 'आवाज़-ए-खल्क' नामक साप्ताहिक पत्रिका के 1 मई, 1903 के अंक में उन्होंने अपनी पहली रचना 'ओलिवर क्रामवेल' (लेख) प्रकाशित की जो कुछ अंकों तक धारावाहिक छपी। इसी उर्दू साप्ताहिक में उनका अन्य आरंभिक उपन्यास 'असरारे मआबिद' अक्तूबर 1903 से फरवरी 1905 तक धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। 'हमखुर्मा व हमसवाब' उपन्यास भी उन्होंने 1906 ई. में निकाला था। अगले ही वर्ष उनकी पहली उर्दू कहानी 'दुनिया का सबसे अनमोल रतन' कानपुर की 'ज़माना' पत्रिका में छपी। नवाबराय के उपनाम से लोकप्रिय युवा कथाकार ने 1908 ई. में अपनी पांच उर्दू कहानियों का संकलन 'सोज़ेवतन' नाम से प्रकाशित किया। देशप्रेम पर आधारित इन कहानियों से अंग्रेजी हुकूमत बेचैन हो गई और तत्कालीन कलेक्टर के आदेश से

*14, नारायण अपार्टमेंट स्ट्रीट 10, नंगनल्लूर, चेन्नई-600061

1545 HA/10—7A

पुस्तक की प्रतियां जब्त कर ली गईं । धनपतराय, जो उन दिनों नवाबराय के नाम से उर्दू में उपन्यास और कहानियां लिखते थे, ने अपने हितैषी मित्र मुंशी दयानारायण निगम के सुझाव पर अपना नया नाम रख लिया प्रेमचंद । इसी नए नाम के साथ आरंभ हुआ उनका हिंदी-लेखन । यों प्रेमचंद के उपनाम से भी उन्होंने कुछ कहानियां उर्दू में लिखीं । ऐसी ही एक कहानी 'बड़े घर की बेटी' ज़माना दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई थी ।

प्रेमचंद का हिंदी में प्रवेश उनके जीवन की ही नहीं, विकासमान खड़ीबोली हिंदी के भविष्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी । प्रसिद्ध पत्रिका 'सरस्वती' (दिसंबर 1915) में उनकी पहली प्रकाशित हिंदी कहानी थी 'सौत' । उन्होंने अपना प्रथम हिंदी कथा-संकलन 'सप्त सरोज' जून 1917 में निकाला । उनके हिंदी लेखन के संबंध में भगवतीचरण वर्मा अपने एक संस्मरण में लिखते हैं— "बात सन् 1921 या 1922 की है । हिंदी के सुविख्यात कहानीकार पंडित विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक के घर पर मित्र-लोगों की मंडली जमी थी । मैं हाल में ही उस मित्र मंडली में शामिल हुआ था । बातचीत के क्रम में प्रेमचंद ने कहा था—अब मैं उर्दू छोड़कर हिंदी में प्रवेश कर रहा हूं । हिंदी कोटि-कोटि जनता की भाषा है । वह जन-भावना को वहन करती है । हिंदी के ज़रिये से मैं जनता-जनार्दन तक पहुंच सकूंगा ।" (उपन्यास-सम्राट प्रेमचंद, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, अगस्त 1980, पृ. 14) हिंदी के विस्तृत आंगन में प्रेमचंद अपनी संपूर्ण प्रतिभा और निष्ठा के साथ प्रविष्ट हुए थे । हिंदी और प्रेमचंद दोनों एक दूसरे के लिए वरदान सिद्ध हुए । उन्होंने हिंदी में मौलिक कथा-उपन्यास तो लिखे ही, अपनी उर्दू रचनाओं का भी अनुवाद हिंदी भाषा में कर डाला । अपने उर्दू उपन्यासों-बाज़ारे हुस्न, गोशए आफ़िमत और चौगाने हस्ती का उन्होंने हिंदी-रूपांतरण सेवासदन (1918), प्रेमाश्रम (1922) और रंगभूमि (1925) नामों से किया । रंगभूमि के बाद की सारी कृतियां उन्होंने मूल रूप से हिंदी में ही लिखीं । कायाकल्प (1926), निर्मला (1927), गबन (1931), कर्मभूमि (1932) और गोदान (1936) उपन्यास मूल रूप से हिंदी में ही लिखे । जो हो, वे उर्दू और हिंदी में समान अधिकार के साथ लिखने वाले असाधारण साहित्यस्रष्टा थे ।

भाषा के संबंध में प्रेमचंद बहुत उदार थे । उर्दू उनके लिए सोने में सुगंध का काम करती थी । उनकी भाषा में उर्दू शब्दों का प्रयोग सहजता के साथ हुआ दिखाई पड़ता है । सन् 1934 में दक्षिण के हिंदी-छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था—"मेरा सारा जीवन उर्दू की सेवकाई करते गुजरा है और अब भी मैं जितना उर्दू लिखता हूं, उतनी हिंदी नहीं लिखता । कायस्थ होने और बचपन से फारसी का अभ्यास करने के कारण उर्दू मेरे लिए जितनी स्वाभाविक है, उतनी हिंदी नहीं है ।" दरअसल इसे उर्दू भाषा के प्रति उनके मन की आत्मीयता, सदाशयता और कृतज्ञता ही मानना चाहिए । हिंदी के शीर्षस्थ लेखक होकर भी उन्होंने उर्दू या हिंदुस्तानी के महत्व को कभी निस्तेज नहीं होने दिया । 29 दिसंबर 1934 को मद्रास के गोखले हाल में दीक्षांत भाषण देते हुए उन्होंने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के छात्रों और प्रचारकों को भाषाओं की भावात्मक एकता का संदेश दिया और कहा—"इसे हिंदी कहिए, हिंदुस्तानी कहिए या उर्दू कहिए, चीज़ एक ही है । नाम से हमारी कोई बहस नहीं । ईश्वर भी वही है जो खुदा है ।" (हंस, जनवरी 1935 ई.) यह उदार दृष्टि हम उनकी परवर्ती रचनाओं में सर्वत्र देखते हैं । यद्यपि उन्होंने उर्दू में लिखना बंद अवश्य किया था, पर उस शैली की रंगत को कभी नज़रअंदाज़ नहीं किया । उर्दू की मिठास उनकी भाषा-शैली का विशिष्ट अंग बन गई । उनकी ये पंक्तियां देखें—"मैं जानता हूं कि दौलत से आराम और तक़ल्लुफ़ के कितने सामान जमा किए जा सकते हैं । मगर यह भी जानता हूं कि दौलत इंसान को कितना खुदगरज़ बना देती है, कितना ऐशपसंद, कितना मक्कार, कितना बेग़ैरत ।" (मिर्ज़ा खुर्शीद, गोदान)

प्रेमचंद के सामने हिंदी का विशाल संसार था । अपने राष्ट्रीय और मानवीय संदेश को प्रकट करने के लिए वे पत्रकार बन गए । उन्होंने "माधुरी" और "मर्यादा" का संपादन किया । मासिक "हंस" और साप्ताहिक "जागरण" का प्रकाशन आरंभ करके उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को नया आयाम दिया, खड़ीबोली को सुदृढ़ आधार दिया और साहित्य की उभरती प्रतिभाओं को नया मंच दिया । खड़ीबोली अर्थात् हिंदी के बहुआयामी विकास में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता । सदासुखलाल, सदल मिश्र, इंशा अल्ला खां, राजा लक्ष्मणसिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रतापनारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और अध्यापक पूर्णसिंह की भाषा को अभिव्यक्ति के नये धरातल प्रदान किए । सेवासदन, रंगभूमि, ग़बन और सबसे बढ़कर गोदान का दान देकर उन्होंने भारतीय वाङ्मय की श्रीवृद्धि में अपनी महनीय

1545 HA/10—7B

भूमिका निभाई। प्रेमचंद को हिंदी जगत् ने उपन्यास-सम्राट घोषित किया। उनकी रचनाओं के कारण हिंदी की सुकीर्ति ने आकाश की ऊंचाइयों को छुआ। आसेतू हिमाचल भारत के हज़ारों सहृदय पाठकों के वे हृदय-सम्राट बन गए। विशेष रूप से दक्षिण ने तो उन्हें ऐसे अपनाया जैसे वे उसी के जाए हों। प्रेमचंद-शताब्दी के संदर्भ में लिए गए एक साक्षात्कार में दक्षिण के हिंदी मनीषी मोटूरी सत्यनारायण ने विद्वान शौरिराजन को बताया था—"अब भी मुझे याद है कि पढ़नेवालों और पढ़ानेवाले दोनों को 'सप्त सरोज' और 'नवनिधि' की कहानियों में कितना लुत्फ़ आता था और उनकी मुहावरेदार भाषा कितनी मंजी हुई और मोहक होती थी। इन दोनों कहानी संग्रहों ने हज़ारों स्त्री-पुरुषों को प्रेमचंद की भक्त बनाया। हिंदी का खंभा दक्षिण में, निःसंकोच कहा जा सकता है, बहुत मज़बूत गाड़ा था प्रेमचंद जी ने।" (प्रेमचंद स्मृति अंक, हिंदी प्रचार समाचार, जुलाई 1980, पृ. 5)

वास्तव में यह प्रेमचंद की अभिव्यक्ति-कला का ही चमत्कार था कि लोक उनपर लट्टू होने लगे। काव्यात्मक शैली में जब वे कहते हैं कि वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपनी गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपने माधुर्य की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है तो कौन ऐसा पाठक होगा जिसके हृदय की कली नहीं खिलेगी। प्रेमचंद की भाषा-शैली की एक विशेषता उनकी व्यंजना की कलात्मकता है। 'प्रेम पूर्णिमा' की कहानी 'खून सफेद' की ये पंक्तियां देखें—"दया, सहजता और प्रेम, ये सब मानवीय भाव हैं जिनका कर्ता मनुष्य है; प्रकृति ने हमको केवल एक भाव प्रदान किया है और वह 'स्वार्थ' है। मानवीय भाव बहुधा कपटी मित्रों की भांति हमारा साथ छोड़ देते हैं, पर यह ईश्वरप्रदत्त गुण हमारा गला नहीं छोड़ता।" कहीं-कहीं सुंदर सूक्त्यात्मक वाक्य भी अपनी मनोहर झलक दिखा जाते हैं। यथा—

(अ) "नेत्रों का सुंदरता से बड़ा घना संबंध है। घूरना पुरुष का और लजाना स्त्री का स्वभाव है।" (धर्म संकट, प्रेम पूर्णिमा, पृ. 74)

(आ) "अपने शत्रु की हानि मनुष्य को अपने लाभ से अधिक प्रिय होती है।" (ईश्वरीय न्याय, प्रेम पूर्णिमा, पृ. 23)

(इ) "मन पर जितना ही गहरा आघात होता है, उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही गहरी होती है।" (गोदान, पृ. 128)

अपने उपन्यासों और कहानियों में ही नहीं, साहित्यिक मित्रों के साथ होनेवाले संलापों में भी वे बड़ी कुशलता से सुंदर उक्तियों को गूंथ दिया करते थे। यशस्वी साहित्यकार शिवपूजन सहाय ने अपने एक संस्मरण में प्रेमचंद के इस विशिष्टि गुण की चर्चा की है—"साधारण बोलचाल में भी वे सूक्तियां कह जाते थे। एक दफा कहा था— 'गुस्सा पी जाने पर आबेहयात (अमृत) बन जाता है।' उनके लेखों की तो बात ही क्या, उनकी चिट्ठियों में भी सूक्तियां मिल जाती हैं।" (उपन्यास सम्राट प्रेमचंद, प्रकाशन विभाग, पृ. 10) प्रेमचंद जी जैसे कलम के सिपाही, जिनका जीवन-लक्ष्य—खाना-पीना, धन कमाना और संसार बसाना नहीं, वरन् संस्कृति, देश व समाज की रक्षा करना होता है, यदा-कदा ही पैदा होते हैं। वे हिंदी के भंडार को भरनेवाले साहित्यकार ही नहीं थे, हिंदी की प्रतिष्ठा के लिए और उसकी गौरव-रक्षा के लिए शंखनाद करनेवाले साहसी सपूत भी थे। वे जानते थे कि राष्ट्र की बुनियाद उसकी भाषा होती है जो संस्कृति को अभिव्यक्त ही नहीं करती, उसका संरक्षण भी करती है। उन्हें प्रतीति थी कि भारत की आत्मा उसकी वाणी में स्पंदित होती है। उन्होंने गुलामी के दिन देखे थे। वे अंग्रेजों के अत्याचारों के प्रत्यक्षदर्शी थे। उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र की तरह हिंदी के सम्मान रक्षण का बीड़ा उठाया था। वे गांधीजी के स्वप्न को साकार होते देखना चाहते थे। अंग्रेजी के व्यामोह से भारतीय परिवेश को बचाने की उनमें छटपटाहट थी। जब भी अवसर मिलता, वे हिंदी प्रेमियों को सचेत करते रहते कि यदि उन्हें स्वराज्य प्राप्त करना है तो अंग्रेजी सत्ता के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा को भी विदा करना होगा। सन् 1934 के दीक्षांत-समारोह में उन्होंने कहा था—"हमारी पराधीनता का सबसे अपमानजनक, सबसे व्यापक और सबसे कठोर अंग अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व है .... यह समझ लीजिए कि जिस दिन आप अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व तोड़ देंगे और अपनी एक कौमी भाषा बना लेंगे, उसी दिन आपको स्वराज्य के दर्शन हो जाएंगे।" (हिंदी प्रचार समाचार—प्रेमचंद अंक, जुलाई 1980, पृ. 18)

राष्ट्रभाषा तो हमने बना ली, आज़ादी भी हासिल कर ली, लेकिन अंग्रेज़ी का प्रभुत्व हम कहां तोड़ पाए हैं? अंग्रेज़ी रहे, मगर उसका ही प्रभुत्व बना रहे, यह भारत के स्वदेशाभिमानी नागरिकों के लिए अत्यंत अपमान की बात है। हम जो प्रेमचंद के भक्त और प्रेमी होने का दावा करते हैं, क्या कभी अंग्रेजी के वर्चस्व को हटाकर उनके स्वप्न को पूरा कर पायेंगे?

विचार-विमर्श

हिंदी में दलित-साहित्य की अवधारणा एवं दलित-साहित्य

-प्रो. शंकर बुंदेले*

दलित-चेतना और दलित-साहित्य पर विचार करने से पहले 'दलित' शब्द का अर्थ समझ लेना अनिवार्य प्रतीत होता है। इसका अर्थ होता है—पीसना, कुचलना, नाश करना, संहार करना, आदि। 'दलन' शब्द से अनुस्यूत विशेषण बोधक 'दलित' शब्द का अर्थ है—कुचला हुआ, दबा हुआ, नष्ट किया हुआ। दलित का तात्पर्य है, कुचला हुआ, उपेक्षित, अधिकारों से वंचित एवं शोषित, आदि।

'दलित' साहित्य वह साहित्य है, जो दलितों के जीवन विषयक यथार्थवादी पृष्ठभूमि पर लिखा गया हो, जिसमें मानवीय संवेदनाएं सहज एवं स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्ति पाती हैं, जो दलित जीवन या उपेक्षितों की सच्ची जीवन-गाथा को प्रतिबिंबित कराता हो। इस दृष्टि से एक विचारधारा यह है कि दलित से तात्पर्य वर्ण-व्यवस्था से उपजी जाति व्यवस्था में शुद्र जाति के जीवन की दासता 'दलित-साहित्य' है, जो दलित साहित्यकारों द्वारा ही सृजित हुआ हो।

दूसरा अभिमत यह है कि 'दलित' शब्द का विस्तृत अर्थ लिया जाए, जिसमें समाज के किसी भी वर्ण में चाहे, वह ब्राह्मण हो, लेकिन आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा व उपेक्षित हो एवं उसकी मर्मात्मक पीड़ा को चाहे कोई भी वर्ग का साहित्यकार अभिव्यक्त करता हो, वह 'दलित-साहित्य' कहलाएगा। "साहित्यकार डॉ. शरणकुमार लिम्बाले एक दलित साहित्यकार हैं, जो दलित साहित्य को दलितों द्वारा लिखित दलित जीवन पर, दलितों के लिए लिखे, साहित्य को ही दलित-साहित्य मानते हैं।"[1] दलित साहित्य के निम्नांकित तीन चरण माने गये हैं, जो निम्नानुसार हैं—

प्रथम - वेदनाओं का सहज अभिव्यक्तिकरण
द्वितीय - उसमें नकारात्मक चित्रण की प्रस्तुति
तृतीय - विद्रोह की समग्र अभिव्यक्ति

श्री शरणकुमार लिम्बाले जी दलित साहित्य के केंद्र में 'मानव' को रखकर लिखे गए, साहित्य को दलित साहित्य मानते हैं। उनका मानना है कि दलित-साहित्य का दर्शन अन्य साहित्य के दर्शनों से भिन्न होता है। दलित साहित्य की समाज के प्रति प्रतिबद्धता सदैव होती है, जिसका अपना महत्व सहज ही उजागर होता है। यह ऐतिहासिक सत्य है कि इस देश पर जाति व्यवस्था का कलंक रहा है, जिसके परिप्रेक्ष्य में 'दलित-साहित्य' की मीमांसा नितांत आवश्यक प्रतीत होती है। दलित-साहित्य का अभीष्ट सत्ता एवं संपति में दलितों को बराबरी की भागीदारी दिलवाना है। उनका मानना है कि दलित-साहित्य से यह देश अति सुंदरतम विनिर्मित हो सकेगा।[2] मुख्यत: यहां 'दलित-साहित्य' की मान्यता का यह आधार डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का राजनैतिक एवं सामाजिक जीवन-दर्शन रहा है। इसके बिना दलित साहित्य का समग्र आकलन संभव नहीं है। आपकी मान्यता रही है, कि हिंदी में दलित साहित्य का आगमन मराठी के दलित-साहित्य से अनुवाद के माध्यम से हुआ है और साथ ही हिंदी में समानांतर साहित्य-सृजन भी होता रहा है। आपने सन् 1960 के पश्चात् हिंदी में दलितों द्वारा दलित-जीवन के सर्वांगीण पक्षों पर दलित-साहित्य सृजित हुआ है, ऐसा भी उद्घोषित किया है। अत: आप स्वयं दलित साहित्यकार हैं, जिनका 'अकरमासे' आत्मकथा तथा 'झुंड' उपन्यास दलित-जीवन की अन्यन्तम कृतियां सिद्ध हुई हैं और हिंदी में अनूदित होकर, बहुत अधिक दलित

*अध्यक्ष हिंदी विभाग, संत गाडगे बाबा अमरावती विश्व विद्यालय, अमरावती-444602 (महाराष्ट्र)

जीवन के प्रमाणिक दस्तावेज के रूप में प्रचलित रही हैं। स्मरणीय रहे आपकी मराठी में लगभग पैंतीस कृतियाँ दलित-साहित्य के रूप में चर्चित हुई हैं।

दलित-साहित्य विषयक दूसरी अवधारणा यह रही है कि उत्तर वैदिक काल से, समाज के उपेक्षित वर्गों पर लिखा गया वह साहित्य है, जिसमें व्यथितजन की व्यथा अभिव्यंजित होती है, 'दलित-साहित्य' की श्रेणी में समाविष्ट होता है। यद्यपि राम के चरित्र पर 'शम्बूक वध' का आरोप लगाया जाता है तथापि राम ने निषादराज गुह को अपना अभिन्न मित्र बनाकर, गले लगाया था और आत्मीयजन बनाकर उसका उद्धार भी किया था। इसके साथ ही भीलनी शबरी के झूठे बेर खाकर, उसके प्रति सच्चे प्रेम की अभिव्यक्त की थी। अन्य दलित पिछड़े एवं उपेक्षितजनों का कल्याण भी राम ने ही किया था। हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसी कथाएँ तुलसीदास तथा वाल्मीकि ने राम के जीवन पर लिखकर, मानवतावादी चिंतन ही प्रसृत किया है, जिसमें नारी एवं दलितोद्धार की पीड़ा समग्रतः अभिव्यक्त हुई है। तुलसी ने 'परपीड़ा सम नहीं अधमाई' कह कर दलित भावाभिव्यक्ति की है। इसी प्रकार राम ने धोबी (दलित) की मंशा के अनुरूप अग्नि परीक्षित अपनी पत्नी सीता का परित्याग कर, दलित का सम्मान एवं प्रतिष्ठा ही स्थापित की है।

इस तथ्य की पुष्टि हेतु प्रो. तेजस्वी कट्टीमणी का अभिमत सबल प्रमाण सिद्ध होता है, वे लिखते हैं—

–"भक्तिकाल को हिंदी-साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इसमें सगुण और निर्गुण दो अलग-अलग भक्तिधाराओं के अस्तित्व को हम देखते हैं। मध्यकालीन इतिहास में दलित जातियों में से निर्गुण संतों का जन्म लेने की घटना को देशी क्रांति का हिस्सा माना गया है। दलित और गैर दलित समाज में अनेक संतों ने इसी काल में जन्म लिया था। --------पंद्रहवीं शताब्दी के संत कबीरदास स्वयं एक बहुत बड़े संत होने के बावजूद भी जुलाहे का काम करके अपना जीवन बिताते थे। कबीर के समकालीन तथा शिष्य संत रविदास मोची का काम करते थे।"[3] इसी परिप्रेक्ष्य में आधुनिक काल में प्रेमचंद दलित साहित्य के प्रणेता रहे हैं, चूंकि उनके द्वारा सृजित कथा-साहित्य में अनेक कहानियां और उपन्यास इसी साहित्य से भरे पड़े हैं। यथा--'रंगभूमि' उपन्यास का 'सूरदास' पात्र एवं उसका जीवन, 'दलित-साहित्य' का समग्रतः अंकन करता है। 'कफ़न' कहानी एवं 'ठाकुर का कुंआ' और 'सद्गति' कहानी अपने आप में इसके अनन्यतम उदाहरण रहे हैं। इस संबंध में श्री शरणकुमार लिंबाले का दलित-साहित्य के प्रति अभिमत रहा है कि दलित साहित्यकार का स्वयं दलित (जाति) का होना आवश्यक है। प्रतित्युत्तर में श्री हितेश व्यास का मानना है कि —"क्या जन्मना दलित साहित्यकार ही दलित साहित्य की रचना कर सकते हैं? क्या जन्मना 'दलित' साहित्यकार की रचना ही प्रमाणिक दलित साहित्य है? पहली बात तो यह है कि क्या कोई जन्म से दलित हो सकता है? जन्म से तो सब मनुष्य ही होते हैं जन्मते ही समाज, उस पर जाति, धर्म, वर्ण थोप देता है। संस्कृत में कहा गया है जन्म से तो सब शूद्र होते हैं, संस्कार उसे ब्राह्मण बनाते हैं। इस कथन के अनुसार तो जन्मना जाति का सिद्धांत ही ध्वस्त हो जाता है। यदि जन्म से सब शूद्र हैं, तो सारा साहित्य दलित साहित्य है और सारा ही साहित्य प्रमाणित है।"[4] अतः श्री शरणकुमार लिंबाले के मत को पूर्णतः स्वीकारा नहीं जा सकता।

इस संबंध में भी मथुरा प्रसाद सिंह जटायु ने लिखा है—"दलित शब्द को किसी विशेष जाति, वर्ण, संप्रदाय से संबद्ध करना अदूरदर्शिता ही कही जायेगी। हर सबल जीव द्वारा निर्बल जीव को सताया जाना अनादिकाल से चला आ रहा है। बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाया करती है।"[5] निष्कर्षतः 'दलित' शब्द का अर्थ सभी जातियों के उपेक्षित एवं पीड़ित एवं शोषित वर्ग से लगाया जाना अधिक न्यायसंगत सिद्ध होता है।

ऐतिहासिक घटनाक्रमों पर ध्यानपूर्वक देखने से यह सिद्ध होता है कि अंग्रेजों ने सन् 1906 में दलित का प्रयोग 'Depresed Classes' करके हिंदू जाति में 'फूट डालो और शासन करने' के उद्देश्य से किया था। इसी परिप्रेक्ष्य में श्री मथुराप्रसाद सिंह जटायु आगे यों अपना अभिमत स्पष्ट करते हुए कहते हैं—"आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से पिछड़े हुए, कमजोर व्यक्तियों का उत्पीड़न, सामाजिक कारणों से उतना नहीं हुआ है, जितना कि राजनैतिक कारणों से। वर्तमान समय में 'दलित-साहित्य' और दलित-चेतना की अवधारणा भी राजनैतिक पृष्ठभूमि में ही पल्लिवित हुई

1545 HA/10—8A

है । आजकल 'दलित' शब्द के लिए बहुत भ्रमजाल पैदा हो गया है ।"[6]

महात्मा गांधी और उनके 'हरिजन' शब्द से चिढ़ने वाले लोग इस भ्रम में जी रहें हैं कि 'दलित' नाम को, इस नाम से पहचाने जानेवाले समाज ने अपने आप में सन् 1930 में इसे अपनाया था । उन्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन दिनों में इस समाज के दो प्रमुख नेता रहे थे—'डॉ. भीमराव अंबेडकर' और 'श्री एम.सी. राजा' और इन दोनों ने ही अपने समाज के लिए 'दलित' नामकरण का विरोध किया था ।"[7]

यह ऐतिहासिक सत्य है कि कर्मवीर शिंदे और न्यायाधीश श्री चंदावरकर ने सन् 1906 में 'डिस्प्रेस्ड क्लासेज मिशन' नामक संस्था की स्थापना की थी । जिसके फलस्वरूप नवंबर, 1917 में बंबई में दो दलित सम्मेलनों का आयोजन किया गया था । इस प्रकार डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के अमेरिका से लौटने के पहले ही 'दलित' शब्द का प्रयोग भारतीय समाज में प्रचलित हो चुका था । सन् 1921 की जनगणना में दलित वर्गों का अलग कॉलम बनाकर, इस शब्द को अंग्रेजों द्वारा विधिवत मान्यता प्रदान की गई थी । सन् 1925 तक आते-आते डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जी को यह शब्द खटकने लगा था और उन्होंने इसे तिलांजलि देकर 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा', जैसा नाम अपनाया था ।

इस प्रकार दलित नेताओं ने गोलमेज सम्मेलन के लिए अपने पूरक प्रतिवेदन में 4 नवंबर, 1931 को स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि दलित वर्गों के लोगों को इस नाम पर सक्त आपत्ति है । इसलिए नये संविधान में हमें दलित वर्गों के बजाय 'गैर सर्वण हिंदू' या 'प्रोटेस्टेंट हिंदू' या 'शास्त्रबाह्य हिंदू' जैसा नाम दिया जाये । इसी संदर्भ में 21 एवं 22 फरवरी, 1932 को श्री एम.सी. राजा की अध्यक्षता में दलित वर्ग एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव पारित कर, 'आदि हिंदू' नाम देने का आग्रह किया था । स्मरण रहे उत्तर भारत में इस वर्ग की अनेक संस्थाएं 'आदि धर्म सभा', 'आदि हिंदू सभा' नाम अपनाए हुए थे' । ब्रिटिश सरकार ने सन् 1935 में संविधान के प्रारंभ में 'दलित वर्ग' नाम को ही अपनाया था । परंतु अंग्रेजों द्वारा इस वर्ग के नेताओं के कड़े विरोध के कारण 'अनुसूचित जाति' जैसे नाम को परिवर्तित कर, अपनाया गया था, जिसका कोई सामाजिक संदर्भ नहीं रहा है । इस विषय पर श्री मथुराप्रसाद सिंह जटायु का मानना है कि "अंग्रेज शासन दलित समस्या का राजनीतिकरण करके, उसका 'अपनी फूट डालो और राज करो' नीति के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे ।"[8] इससे यही सत्यान्वेषण होता है । इसके उपरांत भी हम विशिष्ट वर्ग चिंतन से इस शब्द को जोड़ते हैं और संकीर्ण मानसिकता का ही परिचय देते हैं । यह अवश्य कहा जा सकता है कि सन् 1930 से महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि में अंबेडकरवादी चिंतन का प्रवाह निरंतर समाज जीवन को प्रभावित करता रहा है । इसने दलित चिंतन के क्षेत्र में अहम् भूमिका निर्वहित की है । पूर्वपीठिका के रूप में देखा जा सकता है कि महाराष्ट्र की भूमि पर महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई ने इस चिंतन का उत्स प्रस्तुत किया था । इस प्रकार महाराष्ट्र की जन्मभूमि से चोखामेला एवं नामदेव आदि संतों ने पूर्व में ही दलित चिंतन का सूत्रपात अवश्य किया था । कर्नाटक के प्रो. कट्टीमणी के मत से यह अधिक परिपुष्ट होता है । वे कहते हैं—"महाराष्ट्र के ज्योतिबा फुले मूलतः माली थे । गाडगे बाबा ने धोबी का काम करते हुए, महाराष्ट्र के दलितों में सदियों से बसे अंधविश्वास को निकाल फेंकने का काम किया ।"[9]

अतः इन्हीं ऐतिहासिक संदर्भों पर 'दलित-आंदोलन' एवं 'दलित-चेतना' और 'दलित-साहित्य' में दलित शब्द की विस्तृत अर्थ अभिव्यक्ति को ग्राह्य कर, हम हिंदी में दलित कथा साहित्य को विश्लेषित करेंगे, तो इस विषय के साथ न्याय हो सकेगा और हम इस विषय 'हिंदी में दलित-साहित्य की अवधारणा एवं दलित-साहित्य' पर वस्तुनिष्ठ विमर्श कर, उसमें सामाजिक चेतना को खंगाल सकेंगे ।

इस प्रकार 'दलित' से अभिप्रेत सभी वर्णों में उपेक्षित एवं तिरस्कृत 'जन' से है, जिनके प्रति सच्ची मानवीय संवेदनाएं अभिव्यक्त करने के लिए यथार्थ की भूमि पर, उनका चित्रांकन होता है । केंद्र में 'मानव' होता है, जिससे मानवीय मूल्यों का विकास हो सकेगा एवं उपेक्षित पात्रों को न्याय की प्राप्ति हो सकेगी और वह सड़ी-गली मानसिकता से समाज को बाहर निकालकर, समाज में समता, बंधुता और सदाशयता की समन्वित भावना को पल्लवित किया जा

1545 HA/10—8B

सकेगा । यहां यह स्पष्ट निरूपित करना चाहूंगा कि जो साहित्य दलित को केंद्र में रखकर लिखा गया हो, चाहे वह साहित्य दलित साहित्यकार द्वारा सृजित हो अथवा गैरदलित साहित्यकार द्वारा । चूंकि दलित साहित्यकार द्वारा सृजित साहित्य को दलित साहित्य मानना संकीर्णता से ओत-प्रोत धारणा है । इसके बावजूद कि श्री शरणकुमार लिंबाले मानते हैं कि—"दलित साहित्य में स्वानुभूति होती है, वहीं उसका सहज अभिव्यक्तिकरण कर सकता है, जिसने उसे भोगा है ।"[10] इसके लिए यह अभिमत प्रचलित है, कि 'राख ही बता सकती है जलने की यातना' ।

वास्तव में इस अभिमत से हम सहमत नहीं हैं चुंकि साहित्यकार पात्रों की मनोदशा में सहज रूप से प्रवेश पाता है, उसकी अनुभूति सर्वकालिक एवं सर्वजनीन होती है । उसके द्वारा साहित्य में साधारणीकरण की प्रक्रिया द्वारा संपूर्ण मानवीय मन की तीव्रतम अनुभूतियों की यथा--कहानी, कथा, कविता, उपन्यास, आदि विधाओं में अभिव्यक्ति होती है । इसीलिए साहित्यकार को वर्ण व दल एवं समूह में बांटकर, उसके साहित्य की समीक्षा करना, राजनीतिकरण का ही एक घृणित उपक्रम सिद्ध होगा । इससे दलित-साहित्य की अवधारणा अवश्य प्रभावित होगी और विशिष्टि एवं संकीर्ण दायरे में सिमटकर रह जाएगी, हम इस साहित्य का वैज्ञानिक अनुशीलन नहीं कर पाएंगे । इस तथ्य की पुष्टि हेतु अन्य उदाहरण यहां दृष्टव्य है । यदि ऐसा है, तो हरिवंशराय बच्चन ने बिना पिए मधुशाला कैसे लिख दी? लोग कहते हैं भाई इसमें शराब पीने की कोई बात नहीं है । उन्होंने तो उमर खैय्याम की रूबाइयों का अनुवाद मात्र किया है । परंतु 'मधुशाला' में शराबी की सच्ची संवेदनाएं अभिव्यक्ति पाती है । इसी प्रकार अन्य उदाहरण हैं--बंबई की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के जीवन पर लिखे गए उपन्यास 'मुरदाघर' का है, जो बहुत चर्चित और प्रसिद्ध हुआ है । उसे तो श्री जगदम्बा प्रसाद दीक्षित ने लिखा है किसी दलित साहित्यकार ने नहीं । इस तरह गैरदलित भी अपनी अंर्तदृष्टि एवं परपीड़ा अनुभूति को सहजता से व्यक्त कर सकता है । साहित्यकार में वह सच्ची अनुभूति को व्यक्त करने की अद्भूत क्षमता होती ही है ।

हिंदी में दलित साहित्य लेखन का इतिहास अत्यंत प्राचीन रहा है । उस पर अन्य भारतीय भाषाओं के दलित साहित्य के प्रभाव को देखना नितांत आवश्यक प्रतीत होता है । हिंदी से पूर्व मलयालम् भाषा में सन् 1930 के आसपास दलित साहित्य का प्रारंभ हुआ था । श्री के.पी. करूपनल ने मधुआरा लेखक होते हुए भी शुद्रों के जीवन की समस्याओं का यथार्थमय चित्रांकन किया है । इसी भांति कन्नड़ में सिद्धा लिंगय्यप्पा ने दलित साहित्य का लेखन किया है। वैसे ही तमिल भाषा में ई.वी. रामास्वामी नायकर ने दलित चिंतन को विस्तृत आयाम दिया है । वहीं गुजराती में सन् 1980 के बाद दलित साहित्य का स्वरूप बनना शुरू हुआ है । वास्तव में पंजाबी में प्रचुर मात्रा में दलित साहित्य उपलब्ध रहा है । इन सभी भारतीय भाषाओं के दलित-साहित्य का प्रभाव हिंदी में दलित-साहित्य सृजन पर पड़ा है । हिंदी में दलित लेखन का प्रारंभ दलित पत्रकारिता से हुआ है, ऐसा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर दृष्टिपात करने से पता चलता है । दलित पत्रकारिता के क्षेत्र में महात्मा ज्योतिबा फुले का कार्य मौलिक एवं आधारभूत रहा है । हिंदी में 1905 में स्वामी अछूतानंद ने 'अछूत' और 1917 में 'आदि हिंदू' नामक पत्र प्रकाशित की थी । इसी प्रकार सन् 1924 में 'जाति-पाति तोड़क मंडल' के मूर्धन्य हिंदी सेवी संतराम बी.ए. की 'उषा' मासिक पत्रिका ने सामाजिक समस्याओं को सर्वांगपूर्ण रूप से प्रश्रय दिया था । यहीं से आधुनिक हिंदी दलित साहित्य का सूत्रपात माना जा सकता है ।

हिंदी के समकालीन दलित कथा-साहित्य में सामाजिक चेतना की बात जब आती है, तो हमें उन विद्यमान साहित्यिक कृतियों पर दृष्टिपात करना होता है, जिन आत्मकथाओं, कहानियों एवं उपन्यासों के माध्यम से समाज के दलित वर्ग की विषमता पूर्ण स्थिति का सांगोपांग चित्रण हुआ है, जिनके पात्रों के जीवन विषयक समस्याओं से मर्मांतक पीड़ा सहज उत्पन्न होती है और जो मानव होने के कारण न्याय एवं समताधारित समाज में पोषकता प्राप्त करने के अधिकारी दिखाई देते हैं । हमें उन पात्रों के जीवन-प्रसंगों, आत्मकथाओं एवं जीवन के विराट फलक की यथार्थानुभूति परक संवेदनाओं को चित्रांकित कर, विश्लेषित करना होगा और समता, बंधुता एवं न्याय तथा शोषणविहीन व्यवस्था में मानवीय मूल्यों को पुर्नस्थापित करना होगा । इस दृष्टि से डॉ. बाबूलाल 'बाबूल' की आत्मकथा जो मानव-मन में रोंगटे खड़ा कर देती है, जिसमें स्त्री को गहान रखने का प्रसंग है । चंद पैसों

के लिए साहूकार जो (उच्चवर्णीय है) दूसरे की स्त्री को बलात रख लेता है उससे उसे लड़का उत्पन्न होता है, जब ऋणी अपनी पत्नी को मांगने जाता है, तब साहूकार अपनी रकम चुकाकर, स्त्री को ले जाने का तर्क देता है। यहां इसी आर्थिक विवशता एवं विषमता की यथार्थमय पीड़ा अभिव्यक्त होती है। अन्य कहानियों में श्री मोहनदास नैमिशराय की कहानियों का उल्लेख करना जरूरी है--जिनमें प्रमुख 'मुक्तिपर्व', 'आज बाजार बंद है' और 'वीरांगना झलकारी बाई', एवं 'अपने-अपने पिंजरे' चर्चित रही हैं; जिनमें दलित नारी के जीवन की यथार्थानुभूति को अभिव्यक्त कर, रेखांकित किया जा सका है।

आत्मकथात्मक कृति में श्री ओमप्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित 'जूठन' बहुत अधिक चर्चित रही है। जिसमें लेखक उद्घाटित करता है--"इन अनुभवों को लिखने में कई प्रकार के खतरे थे। एक लंबी जद्दोजहद के बाद, मैंने सिलसिलेवार लिखना शुरू किया। तमाम कष्टों, यातनाओं, उपेक्षाओं, प्रताड़नाओं को एक बार फिर जीना पड़ा। उस दौरान गहरी मानसिक यंत्रणाएं मैंने स्वयं को भोगी परत-दर-परत उधेड़ते हुए, कई बार लगा--कितना दुखदायी है यह सब। सब लोगों को यह अविश्वसनीय और अतिरंजनापूर्ण लगता है।"[11]

इसी प्रकार मोहनदास नैमिशराय की दलित कहानियां 'इनकी आवाजें' और 'हारे हुए लोग' चर्चित रही हैं। इसी संदर्भ में जगदीशचंद्र की बीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक में लिखी कहानी 'नरककुंड में वास' का जिक्र करना मुझे आवश्यक प्रतीत होता है, जिसमें नायक 'कोली' को चौधरी की सवर्णीय व्यवस्था से संघर्ष करना पड़ता है, वह गांव छोड़कर शहर जाता है, परंतु वहां भी उसकी हीन ग्रंथि, उसमें आत्मविश्वास नहीं जगा पाती। यहां श्री कोली संपूर्ण दलित जाति का प्रतिनिधित्व करता है। एक अन्य कृति श्री सुबोधकुमार श्रीवास्तव की कहानी 'हीरा पड़ा बाजार' में एक दलित स्त्री के यौन शोषण की कथा है, जो समकालीन दलित होने के साथ ही साथ स्त्री होने की पीड़ा यावज्जीवन भोगती रहती है।

आधुनिक उपन्यासों में प्रेमचंद की 'रंगभूमि' और उसका नायक 'सूरदास' दलित-जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करने वाला एक सशक्त प्रतिनिधि पात्र सिद्ध होता है। 'सूरदास' से बड़ा दलित पात्र यद्यपि अन्यत्र नहीं है। दलित साहित्यकारों में सर्वश्री डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर, सूरजपाल चव्हाण, भीमसेन संतोष, मलहवान सिंह, डॉ. शांति यादव आदि महत्वपूर्ण दलित चेतना के हस्ताक्षर रहे हैं। तथापि दलित साहित्य सृजन में गैरदलित साहित्यकारों के प्रदेय को भी विस्तृत नहीं किया जा सकता, जिनमें सर्वश्री गोपाल उपाध्याय, अमृतलाल नागर, गिरिराज किशोर, नागार्जुन, निराला, जगदीश चंद्र, डॉ. जयसिंह व्यथित आदि महत्वपूर्ण रहे हैं। चुंकि सभी का केंद्र मानव है और मानवता के विकासार्थ दलित-कथा साहित्य का अनुशीलन कर, मानवीय मन से विकृत प्रवृत्तियों का शमन करना इन का लक्ष्य रहा है। अतः उपेक्षित वर्ग की पीड़ा का निदान करना एवं शोषण एवं दलन का विध्वंस करना तथा समता की भाव-भूमि पर बंधुता के संदेश को स्थापित करना, इन सभी साहित्यकारों का अभीष्ट सिद्ध रहा है। तभी भारत एक होकर वैश्विक धरातल पर समग्र मानव-जाति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकेगा। अतएव दलित कथा-साहित्य निश्चित ही हमारी मानवीय संवेदनाओं का परिष्करण कर, सच्ची मानवतावादी दृष्टि को विकसित करता है। इस प्रकार हम संकीर्ण मानसिकता से उभरकर, मानव-मानव में भेद न करते हुए, सभी को उनकी क्षमतानुरूप विकास का समान अवसर उपलब्ध करा सकेंगे ताकि-दलित और उपेक्षित वर्ग फिर शेष न रह पाये। वास्तव में, हजारों वर्षों वाली पुरातनवादी मानसिकता का विध्वंस करने में इस साहित्य से हमें बल मिला है और हम मानव पर केंद्रीत होकर, सुमित्रानंदन पंत की इस मानवतावादी जीवन दृष्टि को रूपायित कर सकें हैं--

"सुंदर है विहग, सुमन सुंदर,
मानव तुम सबसे सुंदरतम।

निर्मित सबकी तिल सुषमा से,
तुम अखिल सृष्टि में चिर अनुपम।"[12]

कुल मिलाकर हिंदी में लिखित 'दलित-साहित्य' का व्यापकतापूर्ण दृष्टि से अपनाकर, उसका विश्लेषण एवं अनुशीलन करना होगा, जिससे हिंदी साहित्य में आए समस्त सुधारवादी आंदोलनों को स्वीकार कर, उनका मानवता के विकास में समन्वयात्मक रूप लाभकारी सिद्ध हो सका।

निष्कर्षतः हमें इस हेतु मध्यकाल के दलित चिंतन के प्रबल पक्षधर एवं समाज सुधारक कबीर की सामाजिक चेतना को रेखांकित कर एवं आधुनिक काल के दलित जीवन पर लिखे साहित्य को केंद्र में रखकर, उनमें अभिव्यक्त विविध आंदोलनों का समावेश करना होगा, तभी हम सच्चे अर्थों में समस्त मानव-कल्याण की अनुगूंज को साहित्य में रूपायित कर पायेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया से साहित्य में हमारी आशाएं अधिक बलवती हुई हैं। फिर भी हमें दलित-साहित्य के प्रति सच्ची वैज्ञानिक दृष्टि अपनाकर, उसे मानवतावादी चेतना के रूप में स्वीकार करना होगा। इसलिए हमें दलित चेतना के पुरोधा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के मानवतावादी दर्शन को अपने साहित्य का लक्ष्य बनाना होगा, जिसकी प्रस्तुति राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने अपनी वाणी में यों व्यक्त की हैं --

"मानवता है पंथ मेरा, इंसानियत यह पक्ष मेरा ।।
सबकी भलाई धर्म मेरा, दुविधा को हटाना वर्म मेरा ।।
एक जात बनाना कर्म मेरा, सब साथ चलाना मर्म मेरा ।
निच ऊंच हटाना गर्व मेरा, गिरते को उठाना स्वर्ग मेरा ।।"[13]

संदर्भ-सूची

1. राष्ट्रीय-संगोष्ठी 'हिंदी के समकालीन दलित कथा साहित्य में सामाजिक चेतना' दि. 2 फरवरी के श्री शरणकुमार लिंबाले के बीज भाषण से उद्धृत
2. राष्ट्रीय-संगोष्ठी 'हिंदी के समकालीन दलित कथा साहित्य में सामाजिक चेतना' दि. 2 फरवरी के श्री शरणकुमार लिंबाले के बीज भाषण से उद्धृत
3. भारतीय दलित साहित्य--एक परिचय-प्रो. कट्टीमणी-पृ. 293
4. दलित साहित्य की प्रमाणिकता-प्रतिश्रुति-हितेश व्यास अक्तूबर, दिसंबर 2007
5. कंचनलता-अक्तूबर-दिसंबर, 2003 भारतीय साहित्य में दलित चेतना-मथुरा प्रसाद सिंह जटायू पृ.-9
6. कंचनलता-अक्तूबर-दिसंबर, 2003 भारतीय साहित्य में दलित चेतना-मथुरा प्रसाद सिंह जटायू पृ.-9
7. कंचनलता-अक्तूबर-दिसंबर, 2003 भारतीय साहित्य में दलित चेतना-मथुरा प्रसाद सिंह जटायू पृ.-9
8. कंचनलता-अक्तूबर-दिसंबर, 2003 भारतीय साहित्य में दलित चेतना-मथुरा प्रसाद सिंह जटायू पृ.-9
9. भारतीय दलित साहित्य-एक परिचय--प्रो. कट्टीमणी-पृ; 2 एवं 3
10. राष्ट्रीय-संगोष्ठी 'हिंदी के समकालीन दलित कथा साहित्य में सामाजिक चेतना' दि. 2 फरवरी के श्री शरणकुमार लिंबाले के बीज भाषण से उद्धृत
11. 'जूठन' आत्मकथा ओमप्रकाश वाल्मीकि
12. कविवर सुमित्रानंदन पंत की काव्य-पंक्तियां
13. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की काव्य-पंक्तियां

किसी भी भाषा पर अधिकार पाने के लिए शब्द भण्डार बढ़ाना जरूरी है। शब्द भण्डार बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ना और बातचीत करना जरूरी है यदि पढ़ने और बातचीत के साथ-साथ लिखने का अभ्यास भी बराबर चलता रहे तो भाषा पर अधिकार पाया जा सकता है। भाषा में शब्दों का इस्तेमाल उसी प्रकार होता है जिस प्रकार मकान बनाने में ईंटों का। शब्दों में ज्ञान के साथ-साथ शब्दों का सही प्रयोग करना जरूरी है।

प्रस्तुति-डॉ. देवेन्द्र तिवारी, एन एच पी सी, चम्बा (हि.प्र.)

1345 HA/10—9A

पत्रकारिता

पूर्वोत्तर भारत में हिंदी के प्रचार-प्रसार और प्रयोग में मीडिया का योगदान

–डॉ. अकेलाभाइ*

मीडिया की चर्चा करने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि इस मीडिया से होता क्या है । इसका उत्तर मात्र एक शब्द से दिया जा सकता है - संप्रेषण । दो व्यक्तियों अथवा स्थानों के मध्य संदेश पहुँचाना ही यह प्रक्रिया है यही जब दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य पहुँचता है तो समूह से बात करने का ढंग भिन्न हो जाता है और जन-जन तक पहुँचने पर जन-संचार बन जाता है । यह संप्रेषण बोलकर अथवा लिखकर हो सकता है । मौखिक संप्रेषण की परंपरा भारत में बहुत प्राचीन है । संप्रेषण के लिए मानव शरीर में अलग-अलग यंत्र बने हुए हैं-आँख, कान, मुख, त्वचा, हाथ आदि । आँखों और हाथों द्वारा संप्रेषण को संकेतात्मक संप्रेषण कहते हैं । इसी प्रकार हाथों से बनाए चित्र, मूर्तियाँ, पत्थरों पर उकेरे भित्तिचित्र मन के भाव को अभिव्यक्त करने के माध्यम हैं । अब ध्वनियों के निर्बाध प्रवाह से उच्चरीत शब्द और फिर वाक्य और वाक्यों की सुव्यवस्था से भाषा और साहित्य का निर्माण होता है ।

एक बात तो सर्वमान्य है कि भाषा संप्रेषण का सबसे सशक्त माध्यम है । लिपि के अविष्कार ने संप्रेषण को गति प्रदान की है । भावों और विचारों को सँजोकर रखने का संबल, आधार लिपियों के माध्यम से मिला और संस्कृति के विकास की कहानी यहीं से आरंभ होती है । वैज्ञानिक विकास के साथ जब मुद्रण तकनीक का अविष्कार हुआ, तो उसने इसमें एक क्रांति ला दी । पुस्तकों का मुद्रण होने लगा और विचारों का आदान-प्रदान एक छोर से दूसरे छोर तक तेजी से तैरने लगा । ज्ञान का भंडार पुस्तकों में सुरक्षित रखना संभव हो गया । सामाजिक संप्रेषण को शक्तिशाली माध्यम के रूप में विकास को आधार, मुद्रण तकनीकी के आविष्कार ने दिया । तब संप्रेषण को एक गति मिली और विज्ञान के संयोग से उसमें वेग आया । मनुष्य की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत नहीं रहकर सामाजिक बन गई । अखबार, पत्र-पत्रिकाएँ, पोस्टर आदि के माध्यम से मनुष्य एक साथ हजारों-हजार लोगों तक विचारों को पहुँचाने और प्राप्त करने में सक्षम हो गया । संप्रेषण हमारे जीवन की आवश्यकता है । हमारे भीतर की बेचैनी हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी बात कहें । यह जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है जिससे जीवन प्रवाहित होता है ।

राष्ट्रभाषा हिंदी ने पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ा है और देश की मीड़िया ने इसमें अपनी अहम भूमिका निभाई है । आकाशवाणी के राष्ट्रीय प्रसारणों ने राष्ट्रीय एकता के सूत्र को मजबूत किया है और देश की सांस्कृतिक धारा को गति प्रदान की है । पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित आकाशवाणी के केंन्द्र वार्ता, कहानी, साक्षात्कार, रूपक, काव्य, पाठ, परिचर्चा आदि विधाओं के माध्यम से हिंदी की समृद्धि और विकास में अपना योगदान दे रहें हैं । इनमें कुछ विधा रेडियो की अपनी है । इसकी शैली भिन्न हो, जो प्रिन्ट मीडिया से इसे अलग करती है । रेडियो के नाटकों की भी अपनी विशेषता है । पूर्वोत्तर भारत में स्थित आकाशवाणी के केंद्र पिछले साठ वर्षों में हिंदी लेखकों की अच्छी खासी टीम तैयार कर ली है जो रेडियो विधा के अनुसार लेखन करते रहे हैं । इस दृष्टि से हिंदी के विकास में, प्रचार प्रसार में रेडियो के योगदान का आकलन किया जा सकता है ।

मेघालय की राजधानी शिलांग, असम की राजधानी गुवाहाटी, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर आदि

* रेडियो कॉलोनी, पो. रिन्जा, शिलांग-793006 (मेघालय)

1545 HA/10—9B

शहरों में स्थित आकाशवाणी के केंद्र के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं । उस क्षेत्र में प्रचलित मातृभाषा के माध्यम से हिंदी का पाठयक्रम चलाया जाता है । इसके अतिरिक्त कई केंद्रों से हिंदी के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है जिससे हिंदी का प्रचार प्रसार निरंतर अपनी गति से हो रहा है । हिंदी के विकास की दृष्टि से आकाशवाणी की पूर्वोत्तर सेवा द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की चर्चा आवश्यक है । पूर्वोत्तर सेवा द्वारा प्रति सप्ताह हिंदी में वार्ता, महीने में एक बार परिचर्चा, गीतों भरी कहानी, इनसे मिलिए, डॉक्टर से मिलिए, परिचर्चा, रूपक, नाटक, लाइव फोन–इन आदि कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है । ये सभी कार्यक्रम पूर्वोत्तर सेवा के महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं और इनका प्रसारण नियमित किया जाता है । आकाशवाणी गुवाहाटी और ईटानगर से हिंदी के कई कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है । हिंदी के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी द्वारा फिल्मी गीतों का प्रसारण निःसंदेह आकाशवाणी का एक सराहनीय प्रयास माना जा सकता है । इस क्षेत्र में फिल्मी गीतों को और फोन–इन प्रोग्राम को सुनने और समझने के लिए श्रोता हिंदी को सीखते हैं और बोलने की कोशिश करते हैं । पिछले साठ वर्षों में हिंदी ने धीरे–धीरे हिंदीतर भाषी पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रवेश पाया है । इसका बहुत बड़ा कारण है–भारतीय जनमानस के एक बहुत बड़े समुदाय का हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में जीविकोपार्जन हेतु जाने का क्रम । पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित आकाशवाणी केंद्रों से हिंदी कार्यक्रमों के प्रसारण का प्रतिशत संतोषजनक कहा जा सकता है ।

जहाँ तक कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की बात है उस संबंध में हम यह निःसंदेह कह सकते हैं कि आकाशवाणी के कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बहुत कम होता है । इसका कारण यह है कि इस क्षेत्र में नागरी लिपि का ज्ञान बहुत ही कम लोगों को हो पाता है और नागरी लिपि के प्रति यहाँ की जनता जागरूक नहीं दिखाई देती है । यदि उसे हिंदी भाषा मे भी कुछ लिखना होता है तो वह रोमन लिपि का ही प्रयोग करती है ।

यह एक सोचनीय विषय है । लिपि के ज्ञान के आभाव में फाइल वर्क करना बहुत दूर की बात है । आलेख और टिप्पण की बात और है । यहाँ पर हिंदी में हस्ताक्षर भी कम से कम लोग करते पाए गए हैं । कुछ एक राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में हिंदी बोलने वालों की संख्या से हिंदी समझने वालों की संख्या कम है और हिंदी लिखने वालों की संख्या तो और भी कम है ।

किसी भी लोकतंत्रात्मक राष्ट्र के लिए मीडिया चौथा स्तंभ होता है । कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका की तरह ही मीडिया भी लोकतंत्र में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करता है । मीडिया एक जनसेवा है और यह जनहित–राष्ट्रहित के लिए समर्पित होता है । देश का चहुमुखी विकास, राष्ट्रीय एकता और अखंडता आदि के लिए मीडिया उत्तरदायी होता है । मीडिया कर्मी सेवा भावना से कार्य करते हैं । मीडिया को कभी व्यवसाय के रूप में नहीं देखा जा सकता । और जन–चेतना के निर्माण के लिए आज मीडिया से सशक्त और कोई माध्यम नहीं है, चाहे वह प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रोनिक मीडिया ।

पूर्वोतर भारत के कुछ राज्य हिंदी की उर्वरा भूमि है और इस क्षेत्र में हिंदी बोलने वालों की तादाद लाखों है । यहाँ बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि हिंदीभाषी क्षेत्रों के लोग व्यवसाय या अन्य सिलसिले में आकर बसे । यही कारण है कि यहाँ हिंदी के दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्र–पत्रिकाओं की अच्छी खपत है । असम राज्य में तो हिंदी के अच्छे विद्वान भी हैं, जो मूलतः असमिया हैं । असम में सन् 1942 में सर्वप्रथम हिंदी साप्ताहिक 'अकेला' का तिनसुकिया से प्रकाशन हुआ, जो सत्तर के दशक तक चला । 1950 में गुवाहाटी से हिंदी मासिक 'पूर्व ज्योति' का प्रकाशन हुआ । 1962 में असम का सबसे पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र 'दैनिक लोकमान्य' का प्रकाशन हुआ । 1984 में पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी सम्मेलन की मुखपत्र मासिक 'समाज विकास' का प्रकाशन तिनसुकिया से हुआ ।

असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा 'राष्ट्रसेवक' नामक मासिक पत्र का प्रकाशन किया जा रहा है । असम के इतिहास में अस्सी के दशक का उत्तरार्द्ध हिंदी पत्रकारिता के लिए स्वर्णयुग कहा जाएगा, क्योंकि इस दौरान गुवाहाटी से हिंदी के तीन दैनिक समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ किया गया । 'पूर्वांचल प्रहरी', 'हिंदी सेंटिनल' और 'उत्तरकाल' । इसके साथ ही हिंदी का एक साप्ताहिक पत्र 'सप्तसेतु' का प्रकाशन भी आरंभ किया गया ।

पूर्वोतर के साहित्य को केंद्र मे रखकर 'उलुपि' नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी एक साहसिक कदम माना जा सकता है । लगभग तीन वर्षो पूर्व से दो और हिंदी के दैनिक समाचार पत्रों, 'पूर्वोदय' और 'खबर' का प्रकाशन किया जा रहा है और इनके पाठकों की संख्या भी कम नहीं है ।

1950 ई. में श्री देवेन्द्रनाथ प्रशांत ने गुवाहाटी से हिंदी मासिक 'पूर्व ज्योति' का प्रकाशन किया । वे इस पत्रिका का संपादन लगभग 15 वर्षों तक करते रहे । इसके बाद हिंदी -असमिया में समान दखल देने वाले स्व. छगनलाल जैन 'पूर्व ज्योति' के संपादक बने । पहला हिंदी--असमिया शब्दकोश का प्रकाशन भी श्री जैन ने करवाया था । 1962 में असम का सबसे पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र दैनिक लोकमान्य प्रकाशित हुआ । तिनसुकिया से श्रीकांतेश्वर के संपादन में 'असम भूमि' मासिक का प्रकाशन भी किया गया । मेघालय राज्य से 'पूर्वाजंलि' नामक मासिक पत्रिका का नियमित प्रकाशन करने का दो-दो बार प्रयास किया गया । एक बार तो पूर्वांचल साहित्य परिषद की ओर तथा दूसरी बार इस्टर्न पेनोरमा प्रकाशन की ओर से श्री स.च.झा कुमार के संपादकत्व में 'पूर्वाजंलि' का प्रकाशन 2002 से 2005 के बीच किया गया । यह एक सराहनीय प्रयास था परंतु आर्थिक कठिनाई और पाठकों की संख्या की कमी के कारण यह पत्रिका अपने नियमित प्रकाशन की राह देखती रही ।

मेघालय राज्य से ही 'शिलांग दर्पण' नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी आरंभ 2005-06 के दौरान किया गया । इसके संपादक भी स.च.झा कुमार थे । सिलचर से एक अर्द्ध साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन इस बात का संकेत है कि पूर्वोत्तर भारत में हिंदी मीडिया का प्रसार खूब हो रहा है । भले हिंदी पाठकों और पत्रकारों की कमी महसूस की जा रही है किंतु इन पत्र-पत्रिकाओं के लिए प्रकाशन सामग्री के साथ-साथ पाठक का जुगाड़ एक चुनौती भरा कार्य कहा जा सकता है । राष्ट्रभाषा हिंदी के अतिरिक्त पूर्वोत्तर की क्षेत्रीय भाषाओं में अनेक दैनिक, साप्ताहिक, मासिक एवं त्रैमासिक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन पूर्वोत्तर भारत की भाषाई पत्रकारिता की सबसे बड़ी उपलब्धि है । पाठकों की संख्या अधिक न होने के बावजूद क्षेत्रीय भाषाओं के पत्र-पत्रिकाओं का निरंतर प्रकाशन इस बात की पुष्टि करता है कि इस क्षेत्र में भाषाई पत्रकारिता की कोई समस्या नहीं हैं । समस्या है तो यहाँ के पत्रकारों को प्रशिक्षित करने का । उपयुक्त प्रशिक्षण के अभाव में पत्रकार अपने उत्तरदायित्व और अधिकारों को जान सकने में असमर्थ रहता है । उसे सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है । मात्र घटना की सूचना देना पत्रकारिता हो सकती है, लेकिन अच्छी पत्रकारिता इससे आगे भी जाएगी, वह यह बताने की कोशिश करेगी कि उस असामान्य घटना में उसका कितना योगदान है, जिसे सामान्य समझा जाता है, अगर वह ऐसा नहीं करती, तो हम कह सकते हैं कि वह भी उसी समाज व्यवस्था का अंग है जिसमें मनुष्य को मनुष्य के बारे में कोई गहरी दिलचस्पी नहीं है और चाहे तो यह भी जोड़ सकते हैं कि यह दिलचस्पी न हो, इसमें पत्रकारिता भी अपने ढंग से कुछ भूमिका निभा रही होती है । सवाल है, इस दिशा में ईमानदारी का, जागरूकता का तथा पहल का । ये सब एक स्वस्थ पत्रकारिता के साथ जुड़ी हुई शर्तें हैं । केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा 'पूर्वोत्तर समन्वय' के प्रकाशन से यह आशा बँधती है कि इन राज्यों के नवोदित रचनाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा और इनकी आवाज पूर्वोत्तर भारत के बाहर भी गूँजेगी ।

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में इतने सारे हिंदी के समाचार पत्रों का प्रकाशन निःसंदेह एक सराहनीय प्रयास है । यही पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपब्धि है और पत्रकारिता हिंदी के विकास में, हिंदी के प्रचार-प्रसार में और हिंदी के प्रयोग में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है । ■

हिंदी भाषा की उन्नति का अर्थ है राष्ट्र और जाति की उन्नति

–रामवृक्ष बेनीपुरी

विविध

सेवानिवृति

–यश वर्धन*

सृष्टि का नियम है कि जो आया है उसे एक न एक दिन जाना है। आरंभ हुआ है तो अंत आवश्यंभावी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, शैशव काल से वृद्धावस्था तक व्यक्ति विविध सोपानों से गुजरता हुआ, विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करता हुआ अपनी नियति की ओर अग्रसर होता है। शैशव काल में प्राथमिक शिक्षा, फिर माध्यमिक शिक्षा और अन्ततः उच्च अथवा व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर वह जीविका-उपार्जन के लिए व्यवसाय या सेवा को चुनता है। जीविका-उपार्जन के इस अनुक्रम में वह सफलता/विफलता के खट्टे मीठे अनुभवों को झेलते हुए एक ऐसे बिन्दु की ओर अग्रसर होता है जिसे विश्राम की अवस्था कह सकते हैं और विधान की परिधि में आंके तो उसे सेवानिवृति कहा जाएगा।

सेवानिवृति शब्द अपने आप में एक उदासी एक भावनात्मक टूटन और बेबसी की ओर संकेत करता है। एक ओर लंबे वर्षों तक संस्था की सेवा करते हुए उस संस्था के साथ जुड़े होने का अहसास जहां मन में गौरव एवं आत्मविश्वास का संकेतक होता है, वहीं सेवानिवृति के अवसर पर उस संस्था से अलग होते हुए अपने पुराने मित्रों से बिछुड़ते हुए और चिरपरिचित वातावरण से कट जाने की स्थिति अत्यंत दुखद सी लगती है। सेवानिवृति उस समय और अधिक दुख दायी लगती है जब व्यक्ति बहुत बड़े पद से सेवानिवृत हो रहा हो। उसका सुविधाभोगी मन उन सुविधाओं को याद करके गमगीन हो जाता है जो उसे सेवाकाल के दौरान मिलती रहीं हैं और सेवानिवृति के पश्चात् उसे उन सभी सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा।

ऊपर वर्णित विचारों के साथ-साथ सेवानिवृति के बाद का जीवन अपने आप में कई प्रकार के कष्टों, परेशानियों और विवशताओं से भरा होता है। मानव जीवन के दो मुख्य आयाम है-आर्थिक पक्ष और सामाजिक पक्ष। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों और सामाजिक प्रतिबद्धताओं की पूर्ति करते-करते थक कर चूर होकर व्यक्ति सेवानिवृति के उपरांत विश्राम की स्थिति में पहुंचता है तो वह नाम की भूख और अस्तित्व की तलाश में लग जाता है। उसके अंतर्मन की गहराईयों में यह लालसा दबे-छिपे रूप में विद्यमान रहती है कि अतीत में उसने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, जिन सामाजिक और पारिवारिक उत्तरदायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वाह किया है, उसके परिजन, उसके मित्र, उसके हितैषी उन्हें सराहें, उस पर चर्चा करें और उसे सम्यक सम्मान दें और उसकी प्रत्येक इच्छा को पूरा करने की चेष्टा करें। इस लालसा की पूर्ति के लिए व्यक्ति कई बार बालकपन की हद तक हठी और आत्मकेन्द्रित हो जाता है और इस प्रकार की लालसा के पूरा न हो पाने की स्थिति में अवसाद से भरकर वह चिड़चिड़ेपन का रूप इख्तियार कर लेता है। इस बिन्दू पर आकर व्यक्ति एक प्रकार की बेचारगी का शिकार हो जाता है और अपने आप से बड़बड़ाते हुए यह प्रश्न पूछने लगता है कि क्या मैं बेकार हूं मेरा वजूद क्या है ? मेरी पहचान क्या ? मेरा अस्तित्व क्या है ? यह स्थिति अत्यंत गहरे दुःख से जुड़ी हुई है। सर्वप्रथम यदि परिवार में बेटी, बहुओं और धर्मपत्नी की ओर से सकारात्मक व्यवहार की प्राप्ति न हो तो स्थिति और भी विषम हो जाती है। समाज के अन्य लोग भी गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए पेश आते है।

* राजभाषा अधिकारी, दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लि. क्षेत्रीय कार्यालय-1, जीवन भारती बिल्डिंग, नौवीं मंजिल, टावर-1, 124 कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

1545 HA/10—10A

सेवानिवृति के पश्चात् व्यक्ति को जिन सबसे महत्वपूर्ण पुष्टिदायक तत्वों की आवश्यकता होती है वह है :

1. आर्थिक सुरक्षा

2. भावनात्मक सुरक्षा

3. चिकित्सीय सुरक्षा

सेवानिवृति के पश्चात् व्यक्ति में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता बनी रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति सेवाकाल के दौरान उसकी योजनाबद्ध तरीके से रूप-रेखा तैयार करे। मोह माया से ग्रस्त हो कर पारिवारिक उत्तरदायित्वों के साथ साथ व्यक्ति को अपनी वृद्धावस्था के विषय में भी सोचना चाहिए। पेंशन, बैंकों में जमा राशि पर ब्याज और टैक्स बचाने संबंधी योजनाओं में धन का उपयुक्त प्रयोग कर स्वयं के लिए एक नियमित आय की प्राप्ति होना आवश्यक है ताकि व्यक्ति के परिवारजन उसे किसी भी प्रकार से बोझ न समझें और अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए उसे किसी से कुछ माँगना न पड़े। सेवानिवृति के समय मिलने वाली बड़ी धनराशि देखकर निकटतम परिजन एवं सगे-संबंधी तरह तरह के भावनात्मक पहलुओं का वास्ता देकर और पूर्व में व्यक्ति के साथ की गई छोटी-बड़ी नेकियों की याद दिलाकर व्यक्ति से धनराशि प्राप्त करने के लिए दबाव बनाते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति को स्थिति का आकलन करके ही अत्यंत सावधानीपूर्वक कदम उठाने चाहिए। अपने बच्चों को अपने जिन्दा रहते हुए भी पैसा देना है और व्यक्ति के मरने के बाद भी बच्चे जोर देकर भी आपसे पैसा मांग सकते हैं। यदि आप विवश होकर जीते जी उन्हें पैसा दे देते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि वे पूरी ईमानदारी से आपकी सेवा और देखभाल करेंगे और यदि आप अपने जीते जी बच्चों को पैसा नहीं देते तो वह ऊपर से भले ही झलकने न दें, परंतु मन ही मन वे आपसे खिन्न और नाराज हो जाएंगे, उनकी खिन्नता और नाराजगी की स्थिति सेवानिवृति व्यक्ति को अच्छी नहीं लगेगी। इसके लिए "मध्य मार्ग" हो सकता है कि आप एक निश्चित राशि अपने बच्चों में समान रूप से विभाजित करें अपने प्रथम नाम और बच्चे को दूसरे नाम के साथ रखकर बैंक सावधि (एफ डी आर) जमा में लगा दें। इससे बच्चों को यह भरोसा हो जाएगा कि एक में दूसरा नाम तो उनका है न। अपने बहु-बेटों को समय समय पर कुछ न कुछ राशि देते रहें ताकि उनके मन में भी आपके प्रति लगाव बना रहे। बैंक बचत खाते में उपयुक्त रूप से नामांकन कर दें ताकि आपकी मृत्यु के पश्चात् सरकारी पेचीदगियों में पैसा फंस न जाए।

मुख्य तौर पर निम्नलिखित बिन्दुओं का ध्यान रखें :

क्या करें :

1. सेवा में रहते हुए सही समय पर अपने सेवानिवृति जीवन की भावी योजना बनाएं और सेवानिवृति के पश्चात् उन्हें मूर्त रूप दें।

2. जीवन बीमा, पेंशन संबंधी योजना और इसी प्रकार की अन्य योजनाएं जो वृद्धावस्था में आपके आर्थिक हितों का पोषण करने में सहायक हों, का चयन करके उन्हें अपनाएं।

3. अपने चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए उचित मेडिकल योजना का चुनाव करें।

4. अपनी एक नियमित दिनचर्या बनाएं और उसका पालन करें। सुबह से लेकर शाम तक अपने आपको व्यस्त रखने के उचित साधनों/माध्यमों का चयन करें।

5. रोजमर्रा के जीवन में घटित होने वाली खट्टी मीठी घटनाओं को नजर अंदाज करके विशुद्ध रूप से सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। अपने स्वभाव एवं आयु से मेल खाते (Like minded) व्यक्तियों से मेल-जोल रखे और स्वस्थ मनों-भावों से अपने समय को व्यतीत करने की चेष्टा करें। सामाजिक हित में आप अपने पिछले अनुभवों के आधार पर समाज कल्याण से संबंधित कार्यों को भी सम्पन्न कर सकते हैं।

6. स्वाभिमान एवं आत्मविश्वास बना रहे, इस स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए अपनी आय के नियमित साधन बनाएं। आपात् स्थिति

1545 HA/10—10B

में बैंक से पैसा निकल जाए, इसके लिए अपने बच्चों के साथ संयुक्त खाता खोलें ।

7. अपने बच्चों और उनके बच्चों को समय-समय पर उपहार या छोटी मोटी राशि देते रहें । उनकी छोटी मोटी उपलब्धियों और सफलताओं की मुक्त कंठ से प्रशंसा करें और उन्हें प्रोत्साहित करें ।

8. समय रहते अपना वसीयत नामा तैयार करें और उसकी सूचना निकटतम संबंधियों को दें । यह प्रयास रहे कि जब तक आप जीवित है आपकी चल और अचल संपति आपके नाम में ही दर्ज रहे ।

9. यदि आप संयुक्त परिवार व्यवस्था में रह रहे हैं तो अपनी प्राथमिकताओं को यथोचित महत्व दें और अपने मनोरंजन एवं समय व्यतीत करने के उपकरणों की पृथक रूप से व्यवस्था रखें । टी.वी. मोबाइल, ताश की गड्डी ऐसे ही उपकरण हैं ।

10. सामाजिक उत्सवों, पारिवारिक समारोह और मानवीय रिश्तों को प्रगाढ़ करने वाले कार्यक्रमों में खुले रूप से हिस्सा लें । समन्वय एवं सौहार्द के साथ इन कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज करके उमंग एवं प्रफुल्लता का अनुभव करें ।

क्या ना करें :

1. बदलते समय के साथ मानव के जीवन मूल्यों में तीव्र परिवर्तन आए हैं । इन परिवर्तनों के अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के परिणाम नजर आते हैं । अकसर जीवन मूल्यों में परिवर्तन मतभेद का कारण बनता है और ये मतभेद कई बार क्रोध एवं तनाव की विषय-वस्तु बन जाते हैं । पुराने जमाने में जो आदर्श स्थितियां विद्यमान थीं, आज विशुद्ध भौतिकवाद ने उन्हें तोड़कर रख दिया है । इसलिए बीते हुए जमाने के उन आदर्शों, जीवनमूल्यों, परम्पराओं जिन पर चलकर सेवानिवृत व्यक्ति ने एक अस्तित्व हासिल किया है, जरूरी नहीं कि आपके बच्चे भी उन्ही आदर्शों एवं जीवन मूल्यों का अनुकरण करें । इसलिए आप उन्हें ऐसी सलाह या परामर्श थोंपने का प्रयास ना करें जिन्हें आपके बच्चे सहर्ष स्वीकार ना करें । क्योंकि यदि वह आपकी बात नही मानेंगे तो आपको बुरा और खराब लगेगा ।

2. क्षणिक क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अवसाद से परिचालित होकर अपने परिवार और बच्चों की कमजोरियां या नकारात्मक मुद्दों पर समाज या रिश्तेदारों में चर्चा ना करें ।

3. अपनी दिनचर्या से संबंधित प्राथमिकताओं में इतना लचीलापन रखें कि संयुक्त परिवार के बाकी सदस्यों को इस दिनचर्या से कम से कम परेशानी हों । मसलन आपकी कामकाजी बहु या ऑफिस को जाने वाले पुत्र के प्रस्थान के पश्चात् ही आप बाथरूम और अन्य सुविधाओं का प्रयोग करने की आदत डालें ।

4. घर से बाहर जाने का कोई ऐसा कार्यक्रम ना बनाएं जिससे परिवार के अन्य सदस्यों को परेशानी हो ।

5. अपने बैंक खातों और चल-अचल संपति से संबंधित संवेदनशील तथ्यों की समाज में या मित्र मंडली में चर्चा ना करें ।

6. सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्था के साथ-साथ बदलते हुए जीवन मूल्यों की बुराई करने वाले, ईर्ष्या-द्वेष से जनित व्यवहार करने वाले और पर-निंदा करने वाले व्यक्तियों की संगति में जाने से बचें ।

7. समाज के विवादास्पद मुद्दों पर किसी भी तरह से अपनी राय देने से बचें । कुछ लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए समाज के दूसरे लोगों को इस्तेमाल करते हैं । स्वयं को इन परिस्थितियों से बचाने का भरसक प्रयास करें ।

8. समाज के कुछ पात्र कुछ मुद्दों पर चर्चा करके आपको भावनात्मक उत्तेजना में धकेल सकते हैं और आपकी स्थिति हास्यास्पद हो सकती है । ऐसे क्षणों में विवेक का प्रयोग बहुत जरूरी है । कुछ लोगों के चेहरे पर मुखौटे लगे हुए होते हैं । उनका असली चेहरा पहचानने की कोशिश करें ।

9. ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता दर्ज करने से बचें जहां आप सक्षम रूप से भाग लेने में असमर्थ हो ।

10. ऐसे क्रियाकलाप जहां समाज के विभिन्न पक्षों का लेन-देन समाहित है, उन क्रियाकलापों से अपने को दूर रखने का भरसक प्रयास करें ।

उपरोक्त सभी तथ्य संकेत मात्र हैं और पूर्णत: पूर्वाग्रह रहित हैं । वृद्धावस्था का प्रत्यक्ष सरोकार भावना से जुड़ा हुआ है । कई बार भावनात्मक अवसाद आक्रामक रूप से हावी हो सकता है । परन्तु सकारात्मक मनोवृति इसे परिमार्जित करने में सहयोग देती है । जीवन को क्रिकेट के खेल का मैदान समझते हुए सेवानिवृति के पश्चात् फिर से खेल की एक नई पारी की शुरूआत करने का प्रयास करें ।

एक हिंदी कवि के शब्दों में :

अभी न होगा मेरा अंत, अभी ना होगा मेरा अंत,
अभी-अभी तो आया है, मेरे जीवन का नव-वसंत ।

हिंदी कवि के साथ एक अत्यंत भावनात्मक फिल्म का जिक्र करें तो उसकी चिर-स्मरणीय पंक्तियां हैं :

यारों हंसो, चलो भागो दौड़ो,
मरने से पहले, जीना ना छोड़ो ।

इन पंक्तियों के आलोक में कार्यालयी व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक कार्मिक से इन पंक्तियों के लेखक का विनम्र संकेत है कि बिना किसी पूर्वाग्रह, ईर्ष्या और द्वेष के कार्यालय परिसर में आए अपने सेवानिवृत सहकर्मी को यथोचित सम्मान और महत्व दें । ताकि वह सदैव अपनेपन को महसूस करे, स्मरण रहे, हम सबने किसी दिन सेवानिवृत होना है । ■

(पृष्ठ 20 का शेष)

महादेवी जी की कामना है, कि प्राणी मात्र के हित में रत उनका जीवन-दीप अहर्निश जलता रहे । समाज के गौण पात्र, संसार के दीन-दुखी और क्लांत, परिश्रांत पथिक इस दीपक के कल्याणप्रद शीतल प्रकाश में अपने दुख-दर्द को मिटाते रहें । अपनी आत्मा के प्रकाश को महादेवी सारे संसार में बिखेर देना चाहती है । यह परंपरा भारतीय संस्कृति के अनुरूप है । छायावादी कवियों ने भारतीय संस्कृति को समस्त विश्व के लिए उपादेय बनाया ।

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि छायावादी काव्य शिवम् की भावना से ओत-प्रोत है । वह काव्य जनजीवन का काव्य है । वह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे महान् सिद्धांतों पर आधारित आदर्शों का काव्य है । प्रसाद जी की यथार्थवाद दृष्टि शिवम् को ठोस रूप प्रदान करती है। यथार्थवादी के कारण ही उन्होंने संतुलन का मार्ग अपनाया जिसका पूर्ण परिपाक सामरस्य के रूप में हुआ । पंत जी के काव्य में सौंदर्य-सृष्टि निरंतर पूर्णता की ओर उनके काव्य-विकास के युग-पथ पर अग्रसर होती है । प्रगति के स्थिर रूप की अपेक्षा उत्तरोत्तर विकास और परिष्कार की अवस्था ही उनके काव्य-प्रसार में झलकती है । निराला के काव्य में ओज और शक्ति का वैभव अद्भुत प्रभाव-सृष्टि करते हैं । वे सांस्कृतिक पुनर्जागरण के कवि हैं । काव्य में उनका निर्भीक स्वर, शिवम् का प्रतिपादन का उनका स्वतंत्र स्तर छायावाद की अमूल्य निधियां हैं । महादेवी वर्मा अपनी करुणा और वेदना से सारे संसार को आप्लावित कर देती हैं । लोकमंगल का इच्छुक व्यक्ति बिना कष्टों का अनुभव किए अपने प्रयत्नों को प्रतिफलित होता हुआ नहीं देख सकता । इनके काव्य में शिवम् विश्ववेदना और करुणा पर आधारित है । इस प्रकार छायावादी काव्य लोक जीवन से संबद्ध होते हुए भी उच्चतर सांस्कृतिक मूल्यों को प्रश्रय देने वाला काव्य है । उसमें युग के उत्पीड़न, वैषम्य को नष्ट कर नूतन समाज व्यवस्था और विश्व संस्कृति का आग्रह है, जीवन के स्वस्थ और प्रेरक तत्वों का समाहार है ।

संदर्भ-संकेत

1. डॉ. कृष्णचंद्र गुप्त, छायावादी कवियों का काव्यादर्श, पृ.-117
2. जयशंकर प्रसाद, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, पृ.-17
3. आचार्य मम्मट, काव्य प्रकाश 1/2
4. तुलसीदास, रामचरितमानस, पृ.-42
5. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हमारी साहित्यक समस्याएं, पृ . 93
6. जय शंकर प्रसाद, आंसू, पृ.-79
7. जयशंकर प्रसाद, लहर, पृ.-50
8. जयशंकर प्रसाद, कामायनी, पृ.-140
9. सुमित्रानंदन पंत, युगपथ, पृ.-46
10. सुमित्रानंदन पंत, वीणाग्रंथि पृ.-23
11. निराला, अनामिका, पृ.-82
12. महादेवी वर्मा, दीपशिखा, पृ.-124, 125
13. महादेवी वर्मा, पृ.-77

■

राजभाषा संबंधी गतिविधियां

(क) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें

केंद्रीय उत्पाद शुल्क के आयुक्त का कार्यालय चेन्नई-IV 692, एम एच यू कंप्लेक्स, नंदनम, चेन्नई- 600035

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 30-9-2009 को समाप्त तिमाही की बैठक दिनांक 29-10-2009 को सायं 3.00 बजे मुख्यालय के सभा कक्ष में श्री बी हरेराम, आयुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई। श्री वी वेंकटेश्वरा, सहायक निदेशक (रा भा) ने अध्यक्ष, राजभाषा अधिकारी और समिति के अन्य सदस्यों का स्वागत किया। अध्यक्ष महोदय ने राभाकास की पिछली बैठक के कार्यवृत की समीक्षा की। सहायक निदेशक (रा भा) ने अध्यक्ष और समिति के अन्य सदस्यों को सूचित किया कि निर्णयानुसार दिनांक 4-9-2009 से 11-9-2009 तक आयुक्तालय में हिंदी सप्ताह मनाया गया और हिंदी सप्ताह के दौरान स्टाफ के लिए हिंदी में 5 प्रतियोगिताएं यानि-अनुवाद, गायन, प्रश्नोत्तरी, वाक्य बनाओ व घालमेल शब्द आयोजित की गई और दिनांक 17-9-2009 को हिंदी दिवस मनाया गया और पुरस्कार वितरण समारोह में श्री बालशौरी रेड्डी, सुप्रसिद्ध साहित्यकार, मुख्य अतिथि थे। हिंदी पुस्तकालय के लिए हिंदी पुस्तकों की खरीद के संबंध में सहायक निदेशक (रा भा) ने कहा कि बुक विक्रेता से पुस्तकों की सूची प्राप्त करते ही अवलोकन के लिए प्रस्तुत की जाएगी और दिसंबर या जनवरी माह में पुस्तकें खरीदी जाएगी। आगे, सहायक निदेशक (रा भा) ने कहा कि विभागीय हिंदी पत्रिका-चेन्नैवाणी के 20वें अंक का वियोचन औपचारिक रूप से किया गया एवं पत्रिका की प्रतियां सभी संबंधित को वितरित की गई।

अध्यक्ष ने कहा कि नेमी पत्र जैसे अनुस्मारक, आदि की सूची तैयार की जाये और अनुपालन हेतु सभी अनुभागों को परिचालित किया जाए ताकि निर्धारित लक्ष्य 55% प्राप्त कर सके। वैसे ही फाइलों में टिप्पणी लिखने के संबंध में, अध्यक्ष महोदय ने श्री ए हुसेन बेग, अपर आयुक्त से कहा कि हिंदी मे कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त सभी अधिकारी/कर्मचारी को परिपत्र द्वारा निदेश दिया जाए कि वे फाइलों के आंतरिक कवरों में प्रकाशित द्विभाषिक टिप्पणी की सूची की सहायता से फाइलों में हिंदी में टिप्पणी लिखना शुरू करें। मंडल कार्यालयों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने के पश्चात्, जब अध्यक्ष ने श्री पुरुषोत्तम गुप्ता, सहायक आयुक्त, क्रोम्पेट मंडल से कहा कि अगली तिमाही में बेहतर निष्पादन के लिए प्रयास करना है, तब श्री पुरुषोत्म गुप्ता ने उत्तर दिया कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

सहायक निदेशक (रा भा) ने प्रस्तावित किया कि दिसंबर माह में मसौदा व टिप्पण लेखन, राजभाषा नीति, बोलचाल की हिंदी से संबंधित विषयों में कार्यशाला का आयोजन किया जाए। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि पांच दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाए जिसमें प्रतिदिन 1 घंटे का सत्र हो।

कार्यसूची में उल्लिखित मुद्दों पर चर्चा करने के बाद, अध्यक्ष ने समिति के अन्य सदस्यों से सुझाव आमंत्रित किया। श्री ए हुसेन बेग, अपर आयुक्त (का व स) ने सुझाव दिया कि द्विभाषी टिप्पणियों की सूची मुख्यालय के विभिन्न अनुभाग के कंप्यूटरों में लोड किया जाए ताकि इसकी आवश्यकता पड़ने पर स्टाफ इसका प्रयोग कर सके। अध्यक्ष ने अपनी सहमति दी।

पूर्व रेलवे महाप्रबंधक (राजभाषा) कार्यालय 17, एन एस रोड, कोलकाता-700001

क्षेरेराकास की तिमाही बैठक 30-9-2009 को महाप्रबंधक, पूर्व रेलवे श्री दीपक कृष्ण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

1545 HA/10—11A

रेलवे के उप महाप्रबंधक (रा भा) एवं क्षेरेराकास के पदेन सदस्य सचिव श्री चन्द्र गोपाल शर्मा ने समिति अध्यक्ष, अपर महाप्रबंधक, समिति-सदस्यों तथा आमंत्रित महानुभावों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि समिति की तिमाही बैठकों के जरिए राजभाषा नीति को रेलवे के कार्यक्षेत्र में व्यवस्थित ढंग से लागू करने/कराने में मदद मिलती है। साथ ही भविष्य की कार्य-योजना तय करने में भी यह बैठकें मददगार साबित होती हैं।

मुराधि एवं मुख्य संरक्षा अधिकारी श्री गुणानन्द झा ने कहा कि मुख्य राजभाषा अधिकारी के रूप में यह मेरी पहली बैठक है और मुझे उम्मीद है कि आप सबके सक्रिय सहयोग से पूर्व रेलवे में हिंदी का प्रयोग-प्रसार और अधिक तेज गति से हो सकेगा।

मुराधि ने निम्नांकित क्षेत्रों का जिक्र किया, जिनमें कार्रवाई अपेक्षित है :

(क) 14 सांविधिक प्रलेखों (Statutory documents) को अनिवार्यत: हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक साथ जारी करना/कराना तथा इन प्रलेखों की गार्ड फाइल रखना।

(ख) हिंदी में मिले पत्रों के उत्तर अनिवार्यत: हिंदी में ही देना : साथ ही, हिंदी में मिले या हिंदी हस्ताक्षरों के तहत मिले आवेदनों/अपीलों/अभ्यावेदनों (representations) के उत्तर हिंदी में देना और नौकरी संबंधी प्रलेख (documents) (जिनमें अनुशासनिक कार्यवाही के प्रलेख जैसे चार्जशीट आदि भी शामिल हैं) हिंदी में मांगे जाने पर बिना अनुचित विलंब के हिंदी में ही मुहैया कराना।

(ग) हिंदी पत्राचार निर्धारित मात्रा के अनुरूप करना। साथ ही, हावड़ा मंडल में हिंदी पत्राचार की मात्रा में मार्च, 09 तिमाही के मुकाबले जून, 09 तिमाही में जो अत्यधिक कमी हुई है, उसके बारे में सुधार के उपाय करना। इसके अलावा, सियालदह मंडल में हिंदी पत्राचार के सिलसिले में आ रही गिरावट की प्रवृत्ति को रोकना।

(घ) अधिकारी स्तर पर पूरी जागरूकता हो, इसके लिए प्रत्येक विभाग में राजभाषा समीक्षा बैठक हर तिमाही में सम्पन्न हो। इन बैठकों की अध्यक्षता संबंधित प्रमुख/समन्वयक विभागाध्यक्ष करें। इस तरह की बैठक मंडलों में हर शाखा स्तर पर तथा कारखानों में प्रशासनिक यूनिटों सहित हर शॉप स्तर पर भी आयोजित की जाये।

(ङ) अधिकारी जब भी निरीक्षण करें, वे निरीक्षित कार्यालय में हिंदी की स्थिति का जायजा भी लें तथा हिंदी की स्थिति की टिप्पणी अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में शामिल करें।

महाप्रबंधक महोदय ने रेलवे की ई-पत्रिका 'पूर्वोदय' का विमोचन एवं नेट एक्टीवेशन किया।

महाप्रबंधक एवं समिति अध्यक्ष ने अपर महाप्रबंधक, मुख्य राजभाषा अधिकारी, प्रमुख विभागाध्यक्ष, मण्डलों, कारखानों से आए प्रतिनिधियों का स्वागत किया, उन्होंने विजया की शुभेच्छा के साथ यह कामना की कि रेलवे के कामकाज में हिंदी का इस्तेमाल निरंतर बढ़े और आशा व्यक्त की कि नये मुख्य राजभाषा अधिकारी के नेतृत्व में हिंदी के काम में और गति आयेगी।

महाप्रबंधक महोदय ने आगे कहा कि फाइलों पर रूटीन नोटिंग आसानी से हिंदी में भेजे जा सकते हैं। सभी कंप्यूटर हिंदी क्षमता युक्त हैं। अत: इस मशीनी सहुलियत का पूरा उपयोग करते हुए नोटिंग/पत्राचार हिंदी में होना चाहिए।

पूर्व रेलवे में सितम्बर माह में हिंदी दिवस एवं जागरूकता पखवाड़ा के अवसर पर महत्वपूर्ण प्रतियोगितायें आयोजित की गई थी। इन प्रतियोगिताओं से हिंदी के प्रति सजगता आयी है, यह खुशी की बात है।

एन एच पी सी लि., क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्र-III, प्लाट नं. 3 ब्लाक-डी पी, सैक्टर-5, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700091

क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तीसरी तिमाही बैठक दिनांक 24-11-2009 को श्री दिग्विजय नाथ, कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस बैठक में समिति के सदस्य एवं प्रतिनिधिगण ने भाग लिया।

इस बैठक के प्रारम्भ में श्री दिग्विजय नाथ, कार्यपालक निदेशक एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने उपस्थित सदस्यों एवं प्रतिनिधियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हिंदी कार्य की प्रगति को बढ़ाना सभी की नैतिक जिम्मेदारी

1545 HA/10—11B

है । उसके साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुँचे और उन्हें यह एहसास न हो कि उन पर हिंदी थोपी जा रही है बल्कि हमें प्रोत्साहन एवं प्रेरणा के माध्यम से हिंदी के प्रति उनके मन में सकारात्मक भावनाओं को जगाने की जरूरत है, भले ही इसमें समय लग सकता है, पर सफलता अवश्य मिलेगी । हम यह देख रहे हैं कि हमारे कार्यालय में हिंदी का प्रयोग काफी अच्छे तरीके से हो रहा है । फिर भी हमें जरूरत है हिंदी के प्रयोग को और अधिक विकसित करने की । क्षेत्र के अनुसार देखें तो हमारा कार्यालय "ग" क्षेत्र में है और उस दृष्टि से हिंदी की प्रगति बहुत अच्छी है ।

उसके बाद उन्होंने सदस्य सचिव श्री अजय कुमार बक्सी, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) को बैठक प्रारम्भ करने के निर्देश दिए । सदस्य सचिव ने समिति को बैठक की कार्यसूची की जानकारी दी । आगे उन्होंने कहा कि इस समिति की दूसरी तिमाही बैठक दिनांक 25-9-2009 को आयोजित हुई थी और उस बैठक का कार्यवृत्त की पुष्टि की गई । तत्पश्चात् पिछली बैठक में ली गई निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई एवं उसकी प्रगति समिति के समक्ष रखी गई । समिति को यह सूचित किया गया कि इस कार्यालय में हिंदी प्रशिक्षण का कार्य पूरा हो गया है और अब हिंदी भाषा प्रशिक्षण के लिए कोई हिंदीतर कार्मिक शेष नहीं है । इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है । आगे उन्होंने कहा कि इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जाए । सदस्य सचिव ने बतलाया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय में द्विमासिक हिंदी प्रतियोगिताएं प्रारम्भ की जा चुकी हैं और अब तक दो प्रतियोगिताएं आयोजित की जा चुकी हैं और आगे की प्रतियोगिताएं निर्धारित समय पर आयोजित की जाएंगी । आगे उन्होंने बतलाया कि हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं प्रेरणा को ध्यान में रखते हुए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी दीवार पोस्टरों को बाइंड करवा कर कार्यालय के प्रमुख स्थानों पर लगवा दिए गए हैं ।

इस बैठक में वार्षिक कार्यक्रम 2009-10, संसदीय समिति को दिए गए आश्वासनों को पूरा किए जाने, हिंदी टाइपलेखन प्रशिक्षण, कार्यालय के विभागों में राजभाषा संबंधी गतिविधियों का निरीक्षण, दिनांक 30-9-2009 को समाप्त तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा, राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4)के अंतर्गत कार्यालय को अधिसूचित कराया जाना आदि मदों पर चर्चा के उपरांत आवश्यक कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया ।

पूर्वोत्तर सीमा रेल (निर्माण संगठन) महाप्रबंधक/निर्माण (राजभाषा) का कार्यालय मालीगांव, गुवाहाटी-11

श्री शिव कुमार, महाप्रबंधक/निर्माण की अध्यक्षता में दिनांक 30-9-2009 को वर्ष की तीसरी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राजभाषा के प्रचार-प्रसार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया । इसी दिन दिनांक 14-9-2009 से 18-9-2009 तक आयोजित राजभाषा सप्ताह समारोह के दौरान सम्पन्न विभिन्न प्रतियोगिताओं के सफल प्रतिभागियों को महाप्रबंधक/निर्माण के कर कमलों से पुरस्कृत भी किया गया ।

पू.सी. रेल निर्माण संगठन में इस वर्ष 14 सितम्बर से 18 सितम्बर तक राजभाषा सप्ताह मनाया गया । श्री शिव कुमार, महाप्रबंधक/निर्माण ने दीप प्रज्वलित कर राजभाषा सप्ताह का शुभारंभ किया । इस अवसर पर अधिकारियों के बीच प्रश्नोत्तरी एवं कर्मचारियों के बीच निबंध लेखन, वाक् तथा टिप्पण एवं प्रारूप लेखन इत्यादि विभिन्न रूचिकर एवं ज्ञानवर्धक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया । 17 सितम्बर को रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए चित्रांकन तथा कविता पाठ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया तथा दिनांक 18-9-2009 को एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया । इस कवि सम्मेलन के साथ ही राजभाषा सप्ताह सम्पन्न हुआ ।

भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, पूर्वोत्तर क्षेत्र मुख्यालय, गुवाहाटी

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, पूर्वोत्तर क्षेत्र मुख्यालय (गुवाहाटी) राजभाषा कार्यान्वयन समिति के वर्ष 2009 की तीसरी तिमाही बैठक दिनांक 30-9-2009 को अपराह्न 12 बजे श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, कार्यपालक निदेशक (पूर्वोत्तर क्षेत्र), की अध्यक्षता में आयोजित हुई ।

बैठक के आरंभ में अध्सक्ष महोदय में समिति-सदस्यों का स्वागत किया । फिर, सदस्य-सचिव ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से पिछली बैठक का कार्यवृत पढ़ा और इसकी मुख्य बातों के संबंध में की गयी कार्रवाई पर चर्चा हुई ।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष कृपया यहाँ यह ध्यान दें कि जब भी मैं सम्बद्ध अनुभागों (concerned sections) का राजभाषा निरीक्षण करूंगा, पिछली तिमाहियों की किसी भी तिमाही

के आँकड़ों का निरीक्षण कर सकता हूँ, यह जरूरी नहीं कि मैं चालू (current) तिमाही या उसकी पिछली तिमाही का राजभाषा निरीक्षण करूँ ।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्य-सचिव को अनुदेश दिया कि जो सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के आज की तिमाही बैठक से अनुपस्थित हैं, उन्हें ज्ञापन जारी किए जाने वास्ते, सम्बद्ध मसौदा मेरे समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करे ।

किसी विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष द्वारा कोई कार्रवाई न करने की बात पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वरिष्ठाधिकारियों से ऐसी चीजों की अपेक्षा नहीं की जाती । हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कार्यपालकों/गैरकार्यपालकों से हिंदी में कार्यालयीय काम कराने के पीछे भारत सरकार का मकसद यह है कि 'वार्षिक कार्यक्रम' (annual programme) में निर्धारित लक्ष्यों को निश्चित समय सीमा से पूर्व प्राप्त किया जा सके । यदि विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्षों से, संबंधित रिपोर्ट निश्चित अवधि में प्राप्त नहीं होती, तो इस बात की रिपोर्ट निगमित मुख्यालय को कर दी जाएगी ।

समीक्षा के उपरांत अध्यक्ष महोदय ने कहा कि बागडोगरा, इंफाल, बारापानी हवाई अड्डों को छोड़कर, अन्य किसी हवाई अड्डे ने हिंदी पत्राचार का निर्धारित प्रतिशत प्राप्त नहीं किया है तथा वहीं गुवाहाटी, अगरतला, बागडोगरा, डिब्रूगढ़ तथा बारापानी हवाई अड्डों ने राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का उल्लंघन किया है और केवल बागडोगरा, बारापानी तथा इंफाल कार्यालय ने अपने यहाँ हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया है ।

अध्यक्ष महोदय ने क्षेत्रीय मुख्यालय की राजभाषा हिंदी के प्रगामी-प्रयोग-स्थिति की समीक्षा (आतंरिक) करते हुए कहा कि कार्मिक व प्रशासन अनुभाग, वाणिज्य अनुभाग, विधि अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जो हिंदीतर भाषी कार्यपालक/गैरकार्यपालक 'प्राज्ञ' परीक्षा उतीर्ण होते हैं, उनसे यह अपेक्षा हो जाती है कि वे अपने कार्यालय काम का (यदि उनके पास फाइलों आदि में लिखने का काम है) अधिक-से-अधिक राजभाषा हिंदी में करें । चाहे वे किसी भी क्षेत्र में स्थित कार्यालय में कार्यरत हैं, उन्हें अपने कुल काम का 55% कार्य हिंदी में तो अवश्य ही करना चाहिए । चूँकि वे सरकार से 'प्राज्ञ' परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत प्राप्त होने वाला प्रोत्साहन (वैयक्तिक वेतन तथा नकद पुरस्कार) प्राप्त कर चुके होते हैं । अत: सभी विभागाध्यक्षों/अनुभागाध्यक्षों से अपेक्षित है कि उनके काम करने वाले 'प्राज्ञ' परीक्षा उत्तीर्ण कार्यपालक व गैरकार्यपालक (स्वयं भी करते हुए यदि वे 'प्राज्ञ' परीक्षा उत्तीर्ण हैं) कार्यालय का काम कम से कम 55% कार्य राजभाषा हिंदी में कराएँ तथा तत्संबंधी रिपोर्ट मुझे अगली बैठक तक दें ।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अधीनस्थ कार्यालयों के कार्यालय प्रधान, भारत सरकार की राजभाषा नीति को लागू करने के प्रति किसी तरह की कोताही न दिखाएँ । यदि संबंधित हवाई अड्डों पर 'राजभाषा नोडल अधिकारी योजना' लागू न हो, तो उसे अवश्य (निर्धारित प्रक्रिया पूरी करते हुए) लागू करें ।

आकाशवाणी; कडपा (आं. प्र.)

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 23-9-2009 को आकाशवाणी, कडपा केंद्र में डॉ एस. कुमार, कार्यालयाध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुई ।

अध्यक्ष महोदय ने प्रशासनिक अनुभाग से यह बताया कि हर पत्र की मुख्य शीर्ष द्विभाषा में करने के लिए कहा गया । प्रशिक्षण से आए हुए कर्मचारियों से संबंधित कर्मचारी की सेवा-पंजी में इंदराज हिंदी में हिंदी अनुवादक की सहायता से किया जाए । इस विषय पर लेखाकार ने यह बताया कि सेवा-पंजी में इंदराज हिंदी व अंग्रेजी में करने का प्रयास जारी है । उपाध्यक्ष श्री आदिनारायण ने यह बताया कि टेम्प्लेट की सहायता से हिंदी पत्र को कॉपी करके कंप्यूटर में रखने से पत्र का शीर्ष द्विभाषा में प्रिन्ट कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय ने यह सूचित किया कि धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए कागजात जैसे परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, नियम, करार, संविदा, टेंडर नोटिस आदि को अनिवार्य रूप से द्विभाषा में जारी किया जाए । इस विषय पर हिंदी अनुवादक ने यह बताया कि जब भी पत्र अंग्रेजी में तैयार करते हैं तब उस पत्र को हिंदी एकक की माध्यम से भेज दिया जाए ।

मुख्य आयकर आयुक्त अमृतसर क्षेत्र, आयकर भवन, मकबूल रोड, अमृतसर-143001

मुख्य आयकर आयुक्त अमृतसर क्षेत्र की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक 10 दिसम्बर 2009 को 3.00 बजे, दोपहर आयकर आयुक्त, अमृतसर-1 (राजभाषा अधिकारी) श्री डी. पी. शर्मा की अध्यक्षता में उन्हीं के कार्यालय कक्ष में संपन्न हुई, इस बैठक में आयकर उपायुक्त (मुख्य प्रशा.), कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त, सहित आयकर आयुक्त मुख्यालय I-II के अधिकारियों तथा

सभी डी. डी. ओ. स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया। सहायक निदेशक (राजभाषा) ने अध्यक्ष महोदय की ओर से सभी का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की।

मुख्यालय में प्राप्त प्रगति रिर्पोटों के अनुसार अमृतसर क्षेत्र में पिछली तिमाही में लगभग 71 प्रतिशत पत्र व्यवहार हिंदी में हुआ है, जब कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में 90 प्रतिशत पत्राचार हिंदी में किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। अध्यक्ष महोदय ने सभी उपस्थित अधिकारियों से अनुरोध किया कि हिंदी में पत्राचार को और बढावा दिए जाने के प्रयास किए जाएं।

राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम अनुसार (ख) क्षेत्र में हिंदी नोटिंग का 50 प्रतिशत लक्ष्य रखा गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी अधिकारियों से अनुरोध किया गया कि छोटी-छोटी टिप्पणियों का प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक हिंदी में नोटिंग की जाए। विशेष रूप से प्रशासन शाखा की सभी फाइलों पर टिप्पणियां हिंदी में ही दी जाए।

राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों के अनुसार पुस्तकालय हेतु उपलब्ध कुल अनुदान का 50 प्रतिशत तक हिंदी पुस्तकों पर खर्च किया जा सकता है। संसदीय राजभाषा की सिफारिशों के अनुसार सरल-सुबोध और उपयोगी हिंदी पुस्तकें खरीदी जानी है।

संसदीय राजभाषा की सिफारिशों के अनुसार कंप्यूटर सहित सभी यांत्रिक उपकरणों में देवनागरी लिपि में कार्य करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्यालय के कुछ अनुभागों में पूरा कार्य हिंदी में किए जाने हेतु विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिए कि आयकर आयुक्त कार्यालयों के प्रशासन अनुभागों को सारा कार्य हिंदी में किए जाने हेतु विर्निर्दिष्ट/स्पेसीफाई किए जाने के बारे में आदेश जारी कर दिए जाएं।

बैठक के अंत में हिंदी पत्राचार को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित निर्देश दिए गए।

कार्यालय प्रशासन संबंधी सभी आदेश हिंदी में/ द्विभाषी जारी तथा डिस्पैच किए जाएं।

कार्यालय द्वारा जारी होने वाली सभी रिर्पोटों, परिपत्रों के अग्रेषण पत्र केवल हिंदी में जारी किये जायें। इन अग्रेषण पत्रों के नमूने सभी आयकर आयुक्त कार्यालय को प्रेषित किए जाएँ।

जन शिकायतें संबंधी सभी रिपोर्टें हिंदी में प्रेषित की जाएं। रिपोर्टों के अग्रेषण पत्रों के नमूने सभी आयकर आयुक्तों को प्रेषित किए जाएं।

सभी वित्तीय स्वीकृतियां/प्रशासनिक अनुमोदन हिंदी में जारी तथा डिस्पैच किए जाएं।

अर्जित छुट्टी/आकस्मिक छुट्टी/मुख्यालय छोड़ने की अनुमति संबंधी आवेदन पत्र, हिंदी में तैयार करके प्रयोग में लाए जाएं। बैठक के दौरान अर्जित छुट्टी के द्विभाषी आवेदन का नमूना सभी सदस्य कार्यालयों को प्रदान किया गया।

सभी डी. डी. ओ. कृपया ध्यान रखें कि कार्यालय के सभी साइनबोर्ड, नेमप्लेटें, रबड़ की मोहरें केवल अंग्रेजी में न हों।

सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी टिप्पण/आलेखन प्रोत्साहन पुरस्कार योजना 2009-10 में भाग लेने हेतु प्रेरित किया जाए।

आकाशवाणी : जालंधर

आकाशवाणी जालंधर केंद्र पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 23-11-2009 को सायं 4.00 बजे अधीक्षण अभियंता श्री युवराज बजाज की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई।

डा. जे. के. शर्मा, हिंदी अधिकारी ने दिनांक 17-9-2009 को आयोजित तिमाही बैठक का कार्यवृत पढ़ कर सुनाया तथा विभिन्न मुद्दों पर की गई कार्रवाई से सदस्यों को अवगत कराया।

अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे दिल से काम हिंदी में करें व महानिदेशालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सभी संभव सहयोग दें। धारा 3(3) के आदेशों का पालन करते हुए इससे संबंधित सभी पत्र या तो हिंदी में जारी करें या द्विभाषी जारी करें। कार्यालय के सभी अधिकारी/कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं, अत: वे अपना काम मूल रूप से ही हिंदी में करने का प्रयास करें। अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्यों का आभार व्यक्त करने के उपरांत बैठक समाप्ति की घोषणा कर दी गई।

1545 HA/10—12A

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

शिलचर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, शिलचर भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की 40वीं बैठक संयोजक कार्यालय-हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड, कछाड़ पेपर मिल, पंचग्राम के अतिथि गृह में 16 नवंबर, 2009 को अपराह्न 3.00 बजे मिल के मुख्य अधिशासी एवं समिति के अध्यक्ष श्री मोहन झा की अध्यक्षता में संपन्न हुई ।

उक्त बैठक में बराक घाटी स्थित कछाड़ (शिलचर), करीमगंज एवं हैलाकांदी जिलों के केंद्रीय सरकार के कार्यालयों/विभागों/उपक्रमों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यालय प्रमुख/राजभाषा अधिकारी/प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

समिति के माननीय सदस्य श्री ए. के. चौहान उप समादेष्टा सीमा सुरक्षा बल ने कहा कि समिति की तरफ से सर्वप्रथम हिंदी से संबंधित सही बिन्दुओं का चुनाव कर उन्हें कार्यसूची में लाना होगा, तभी उन पर अमल हो सकेगा । राज्य एवं उनके जिले उन पर सुझाव दें और प्रस्ताव पारित करें । यहां आपको स्मरण दिला दूं कि सर्वप्रथम विवेकानंद ने भारत का संदेश विदेशों में दिया था । दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है । बस ईश्वर पर आस्था आवश्यक है । सफलता अवश्य मिलेगी । कमांड के लिए कमांडर की विशेष भूमिका रहती है । आखिर तो कोई कारण है कि एक डीसी/एसपी के आने से जिले की तस्वीर बदल जाती है । फिर हिंदी के संबंध में भी यही सत्य है ।

सीमा सड़क कृतिक के ले. कर्नल विक्रम सिंह ने कहा कि बहुभाषी समाज में भाषा की समस्या को एक राजभाषा के माध्यम से ही ठीक किया जा सकता है । हिंदी में विचार प्रकट करने में कोई दिक्कत नहीं है । अजीब तो तब लगता है, जब लोग सीमावर्ती राज्यों के संबंध में जानकारी तक नहीं रखते । एक विरोधाभास माहौल का भी है । आज के बच्चे हिंदी का नहीं, बल्कि अंग्रेजी का टेबल (पहाड़ा) जानते हैं । सो हिंदी सीखने का कार्य घर से ही शुरू की जानी चाहिए । दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि इस संबंध में "तोड़ो और राज करो" की नीति से बचकर ही हम हिंदी को अपनाकर प्रगति कर सकते हैं ।

केंद्रीय विद्यालय, पंचग्राम के प्राचार्य श्री दारोगा पांडेय ने कहा कि सर्वप्रथम हमें अपनी कथनी तथा करनी में अंतर करना बंद करना होगा । पूर्व वक्ता ने काफी सही बात कही है । आप हिंदी में कार्य करें । अन्य लोग स्वमेव हिंदी में कार्य करने के लिए बाध्य हो जाएंगे ।

बराक हिंदी साहित्य समिति, शिलचर के अध्यक्ष श्री महावीर जैन ने कहा कि विशाल भारत में स्वाभाविक ही अनेक भाषाएं हैं और इनमें समन्वय लाने का कार्य हिंदी ही करती है । शिलचर स्थित असम विश्वविद्यालय परिसर हो अथवा एनआईटी, हमने वहां सभी को हिंदी में ही बातचीत करते देखा-सुना है । आज आवश्यक है कि हिंदी का प्रशिक्षण जरूर दिया जाए । आज चीन में मार्केटिंग के लिए हिंदी भाषा का प्रशिक्षण दिया जाने लगा है । स्पष्ट है कि अब हिंदी किसी के रोके नहीं रुकने वाली । मैं श्री ए. के. चौहान, उप समादेष्टा, सीमा सुरक्षा बल का विशेष रूप से आभारी हूं कि उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, जिनपर ध्यान दिया जाना चाहिए । बराक हिंदी साहित्य समिति, शिलचर की तरफ से एक हिंदी भवन निर्माणाधीन है, जो शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा । आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि पूर्व मंत्री संतोष मोहन देव कहते थे कि जब मैं हिंदी सीख गया, तभी केंद्र सरकार का मंत्री बन पाया । शिलचर के श्री देबोजीत साहा हिंदी गीत गाकर ही राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो गये । सो हिंदी का भविष्य उज्जवल है । वह इस कारण कि जो भी इसे अपनाता है, वह प्रगति कर जाता है ।

यूनियन बैंक आफ इंडिया, शिलचर के शाखा प्रबंधक श्री एस.के. राय ने कहा कि हिंदी अपनाने पर अपने ही व्यक्तित्व का विकास होता है । इसे अपनाने में शर्म की नहीं, अपितु गर्व की अनुभूति करनी चाहिए ।

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वरिष्ठ उप महानिरीक्षक श्री अजित कुलश्रेष्ठ ने सर्वप्रथम ऐसे आयोजन पर प्रसन्नता

1545 HA/10—12B

व्यक्त की । उन्होंने कहा कि आपका प्रयास सराहनीय है । यहां आना मुझे पुरस्कार प्राप्त करने के समान लगा है । यहां मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा कि सर्वप्रथम इस धारणा को मन से निकाल दें कि अंग्रेजी पढ़ा-लिखा आदमी विद्वान और पैसे वाला होगा । जबकि हिंदी वाला अनपढ़ और धनहीन होगा । सर्वप्रथम हमें इस मानवी कुंठा को जीतना है । अपनी मानसिकता को बदलना है । वैसे अधिक से अधिक भाषाएं सीखना अच्छी बात है । परन्तु अपनी राजभाषा हिंदी को अवश्य सीखें ।

राष्ट्रभाषा विद्यापीठ, शिलचर के नवनियुक्त सचिव एवं आचार्य श्री देवेश मिश्र ने कहा कि भारतीय समाज बहुभाषी है और इसलिए संपर्क भाषा के रूप में राष्ट्रभाषा हिंदी को अपनाया गया । इसके उपयोग के वक्त गलतियों पर रुकिये नहीं, अपितु आगे बढ़िए । गलतियों का सुधार स्वमेव होता जाएगा ।

आकाशवाणी केंद्र, शिलचर के सहायक अभियंता श्री कुश प्रसाद यादव ने कहा कि आकाशवाणी में अनेक कार्य हिंदी में संपादित किए जाते हैं । फिलहाल यहां हिंदी के सभी पद रिक्त हैं, जिनका भरा जाना आवश्यक है।

मिराज फाउन्डेशन के अंतर्गत कार्यरत राज्यिक बी. सी. हैन्दिक खुला विश्वविद्यालय के निदेशक श्री विधान सिन्हा ने ऐसे आयोजनों की सराहना की तथा कुछ विद्वानों को नमन करते हुए असम में राष्ट्रभाषा हिंदी की स्थिति की विवेचना की ।

ओ.एन.जी.सी., श्रीकोना के प्रतिनिधि डॉ. हिमांशु कुकरेती ने कहा कि जिस भाषा ने राष्ट्र की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसी की खातिर हमें हिंदी दिवस जैसे समारोह मनाने पड़ रहे हैं । अब राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में तेजी लानी चाहिए । सभी भारतीय भाषाएं फूल के समान हैं, जो हिंदी के धागे में पिरोई हुई हैं । वैसे भी हमें अंग्रेजी की बजाय हिंदी को ज्यादा महत्व देना चाहिए ।

सी.आर.पी.एफ. के इंन्स्पेक्टर श्री ओम प्रकाश शर्मा ने अपने वक्तव्य में इच्छा शक्ति को आवश्यक बताया । अपने दीर्घ अनुभव के आधार पर उन्होंने कहा कि सी.आर.पी. एफ. में हिंदी के प्रति अनुकूल माहौल है । यहां तक कि दक्षिण में भी लोग हिंदी में बातचीत करते हैं । उन्होंने इस आयोजना के प्रति प्रसन्नता व्यक्त की ।

भारतीय जीवन बीमा निगम, मंडल कार्यालय के प्रबंधक श्री बी.के. गुप्ता ने अपना विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि भारत में अनेक भाषाएं हैं, जिनमें विभिन्नताएं हैं । यह विभिन्नता एक ही भाषा में क्षेत्र विशेष के कारण भी है । जैसे बंगाल की बंगला, बराक की बंगला से भिन्न है, जिससे स्वाभाविक ही कठिनाई होती है । और इस प्रकार की कठिनाईयों को राजभाषा हिंदी ही दूर कर सकती है । हमारे कार्यालय में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के लिए अनेक कार्य हुए हैं । अनेक दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में कराया गया है । कार्यशाला एवं प्रतियोगिताओं का भी आयोजन कर्मचारियों के बीच हिंदी के प्रति रुचि जगाने के लिए किया जाता है ।

भारत संचार निगम के अभियन्ता श्री जे.के. विश्वास के कहा कि हिंदी तो बोलचाल की भाषा है ही । लगभग 50 प्रतिशत लोग हिंदी जानते-समझते हैं । लेकिन बातचीत करना एक बात है । मूल कठिनाई पत्राचार की है, जिसे दूर किया जाना चाहिए ।

समिति के अध्यक्ष श्री मोहन झा ने अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में सर्वप्रथम केंद्रीय विद्यालयों एवं सैनिक संस्थानों को धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि राजभाषा हिंदी के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है । वैसे यह सत्य है कि जरूरत ही भाषा सिखाती है । विगत दिनों मझे दिल्ली जाने का सौभाग्य मिला । एक अरूणाचली युवक मुझसे हिंदी में बात कर रहा था और उसने खुद बताया कि उसने विगत तीन माह में काम चलाऊ हिंदी सीख ली है । वैसे सच तो यही है कि अंग्रेजी के प्रति आकर्षण सिर्फ हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि खुद दिल्ली में ही है ।

राजभाषा विभाग की राजभाषा नीति प्रेरणा, प्रोत्साहन और पुरस्कार की है । और इसलिए यहां कहीं भी दबाव की बात नहीं आनी चाहिए । आप स्वयं देखिए, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है और यह स्वत:स्फूर्त माध्यम से प्रकाश में आती है । वैसे भी हिंदी सम्पर्क की भाषा, बाजार की भाषा बन चुकी है । क्योंकि हम इस बहुप्रचलित सरल भाषा को अपनाकर, बेहतर अभिव्यक्ति कर विशाल समाज से जुड़ते

हैं । अपने विचार ज्यादा लोगों तक संप्रेषित कर पाते हैं । इसलिए राष्ट्रभाषा हिंदी को हमें निःसंकोच अपनाना है ।

कंप्यूटर पर हिंदी में काम करना बहुत सरल है । मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप अपने कम्प्यूटरों का हिंदीकरण करें । इससे आपका काम बहुत आसान हो जायेगा । इसके अलावा भी आप अपने स्वविवेक से राजभाषा के प्रचार-प्रसार के संबंध मे अनेक कार्य कर सकते हैं । आप अपने सीमित संसाधानों के द्वारा भी हिंदी का प्रचार-प्रसार कर बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं । मंदी के इस दौर में, मितव्ययिता अपनाकर भी काफी कुछ किया जा सकता है । सो आप स्वयं चिंतन करें तथा राजभाषा की उन्नति में सहायक हों ।

यह प्रसन्नता की बात है कि बराक घाटी में राजभाषा का समुचित विकास हुआ है और हो रहा है । अब यहां हिंदी आसानी से बोली, समझी जाती है । थोड़ी बहुत परेशानी पढ़ने और लिखने की है । इसे आप अपने कार्यालयों में "राजभाषा कार्यशाला" का आयोजन कर दूर कर सकते हैं । यहां मैं एक बात और यह कहना चाहूंगा कि आप इस समिति की बैठक में अपने साथ एक अन्य हिंदीतर भाषी सहयोग को अवश्य साथ लाएं, ताकि उसे भी हिंदी के माहौल को देखने और समझने में मदद मिले ।

अंत में, कछाड़ पेपर मिल के वरिष्ठ सहायक-एसजी (राजभाषा) श्री चितरंजन लाल ने समिति के अध्यक्ष, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, माननीय सदस्यों, आकाशवाणी एवं समाचार-पत्रों के प्रेस प्रतिनिधियों तथा अन्य सहयोगियों का इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया ।

कटक

दिनांक 13 नवम्बर, 2009 (शुक्रवार) को अपराह्न 03.00 बजे कटक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 34वीं बैठक हुई । बैठक का आयोजन दूरसंचार भवन के सम्मेलन कक्ष में किया गया । बैठक की अध्यक्षता भारत संचार निगम लिमिटेड (दूरसंचार जिला कटक) के महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार होता ने की ।

हिंदी शिक्षण योजना के कटक केन्द्र पर पदस्थापित वरिष्ठ प्राध्यापक विमल किशोर मिश्र ने जून 2009 और सितंबर 2009 की तिमाही प्रगति रिपोर्टों की मतवार एवं कार्यालयवार समीक्षा की । तिमाही प्रगति रिपोर्टों को त्रुटिपूर्वक भरे जाने की व्यापक प्रवृत्ति के मद्देनज़र उन्होंने फरवरी 2010 के प्रथम सप्ताह में तिमाही एवं छमाही रिपोर्टों को भरे जाने की प्रविधि बताने के लिए दो-दिवसीय कार्यशाला का सुझाव दिया, जिसे करतल ध्वनि के साथ स्वीकृति दे दी गई ।

हिंदी शिक्षण योजना के सर्वकार्यकारी अधिकारी श्री शैलेन्द्रनाथ दास ने सूचित किया कि दिनांक 22 नवंबर और 29 नवंबर को क्रमशः प्रवीण और प्राज्ञ की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी । इसके बाद दिनांक 08-01-2010 से हिंदी शिक्षण योजना का नया सत्र प्रारंभ होगा । उक्त सत्र में कक्षाएं निम्नलिखित प्रशिक्षण केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी :-

(क) दूरसंचार भवन, लिंक रोड, कटक -753012

(ख) केंद्रीय तारघर, कटक-753005

(ग) खारवेल क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, मुंडली-754006

श्री दास ने सभी कार्यालयों से यह अनुरोध किया कि वे सेवाकालीन हिंदी प्रशिक्षण के लिए विहित, किंतु शेष बचे अधिकारी/कर्मचारियों को अधिक से अधिक संख्या में नामित करें ।

अध्यक्ष एवं भारत संचार निगम के महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार होता ने राजभाषा हिंदी की वर्त्तमान दशा और दिशा पर विस्तारपूर्वक अपने विचार प्रकट किए । उन्होंने यह तथ्य रेखांकित किया कि राष्ट्रीय स्वाभिमान, एकता और संप्रभुता की रक्षा के लिए अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी भाषा एक श्रेष्ठ विकल्प है । भारत ने अंग्रेजी भाषा को प्रश्रय दिया लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव संसाधन, विज्ञान, सैन्य क्षमता और प्रति व्यक्ति-आय की दृष्टि से अपेक्षित विकास नहीं कर पाया । दूसरी ओर चीन ने अपनी मंदारिन भाषा में ही शिक्षा, राजकाज, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के साथ-साथ सैन्यविज्ञान के क्षेत्र में काम किए । आज वह हमसे दशकों आगे निकल चुका है और विश्व की महाशक्तियाँ उससे आयासपूर्वक मैत्री संबंध स्थापित कर रही हैं ।

प्रश्न यह है कि जो काम चीन कर सकता है, वह भारतवर्ष क्यों नहीं कर सकता । हमारी लिपि संसार की सबसे वैज्ञानिक लिपि और संस्कृत भाषा की धनी परंपरा

है। हमें अपना संकोच छोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर सोचना और काम करना चाहिए।

सदस्य सचिव श्री उमाकांत भूयाँ ने सूचित किया कि दिनांक 09 और 10 नवंबर को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से हिंदी निबंध लेखन, आशु भाषण और अनुवाद कार्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। उसमें अनेक सदस्य कार्यालयों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिताओं में सफल घोषित प्रतिभागियों को अध्यक्ष महोदय ने पुरस्कृत किया। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का संचालन हिंदी प्राध्यापक प्रदीप कुमार साहु ने किया।

इम्फाल

प्रथम अर्ध-वार्षिक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 16-10-2009 को 3.00 (अप.) बजे महालेखाकार कार्यालय में न.रा.का.स. अध्यक्ष-श्री स्टीफन होंगे, महालेखाकार की अध्यक्षता में हुई।

अध्यक्ष महोदय ने पिछले बैठको का विस्तृत की समीक्षा की अध्यक्ष महोदय ने हिंदी प्रशिक्षण पर चर्चा पर कहा कि सभी विभाग हिंदी प्रशिक्षण पर ध्यान दें। और अपने विभाग को शीघ्र ही हिंदी प्रशिक्षण दिलाएं। इस पर नराकास-सचिव, श्री राजकुमार बाल्मिकी ने कहा कि कुछ कार्यालयों में हिंदी प्रशिक्षण का कार्य समाप्त होने वाला है और बहुत ही कम कार्यालय अर्धवार्षिक हिंदी प्रशिक्षण रिपोर्ट भेजते हैं, जिससे वस्तु स्थिति का पता लगाना बहुत ही मुश्किल है।

नाजिरा (शिवसागर) -785685 (असम)

दिनांक 19-08-09 को केंद्रीय विद्यालय ओ.एन. जी.सी. , शिवसागर में प्रातः 10.30 बजे नराकास, नाजिरा की 13वीं बैठक माननीय श्री प्रदीप सहारिया, महाधिप्रबन्धक (मा.स.) की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। दिनांक 28-01-09 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त को पढ़ा गया और उसकी पुष्टि की गई। राजभाषा विभाग, भारत सरकार, गृह मंत्रालय से जारी वार्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू करने एवं सफल बनाने के आश्वासन प्राप्त हुए। इसे साकार रूप में लाने के लिए अथक प्रयास किए जाएंगे। अधिकारियों एवं कर्मचारियों का हिंदी भाषा में प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। इसके लिए नराकास के उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया कि यदि कोई कार्यालय अधीक्षक अपने अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी को हिंदी शिक्षण प्राप्त कराना चाहता है तो हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत गुवाहाटी में शिक्षण दिलाया जा सकता है, तथा यह शिक्षण निशुल्क होगा।

वर्ष 2009-10 में ओ.एन.जी.सी. इस प्रतिस्पर्धा से अलग रहेगी क्योंकि पूर्व में ओ.एन.जी.सी. प्रथम पुरस्कार प्राप्त करती रही है। हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसा किया जा रहा है, जिससे नराकास, नाजिरा/शिवसागर के सदस्य कार्यालयों द्वारा इसमें अधिक से अधिक भाग लेकर अपनी गुणवत्ता बढ़ा सके। इसी क्रम में अन्य प्रोत्साहन पुरस्कारों के विषय में भी विचार किया गया, जिससे अधिक से अधिक कार्यालय स्पर्धा में भाग ले सके।

अध्यक्षीय भाषण में श्री प्रदीप सहारिया, महाधिप्रबन्धक (मा.स.) ने हिंदी को उच्च स्थान दिलाने के लिए विशेष बल दिया तथा अन्य देशों के विषय में जानकारी दी कि यदि उस देश की भाषा में बात नहीं करते कोई भी व्यक्ति आपकी सहायता के लिए नहीं आता। हमें अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए।

कोलकाता (बैंक)

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक),कोलकाता की 48वीं बैठक दिनांक 20-10-2009 को अपराह्न 3.30 बजे मर्चेंट चेम्बर ऑफ कॉमर्स के सम्मेलन कक्ष, 15वीं, हेमंत बसु सारणी, कोलकाता में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संयोजक बैंक युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक श्री टी. एम. भसीन ने की।

सदस्य-सचिव द्वारा सदस्य कार्यालयों के प्रतिनिधियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए आमंत्रण हेतु अनुरोध के पश्चात विजया बैंक के प्रबंधक (राजभाषा) श्री पंकज कुमार वर्मा ने समिति के माध्यम से एक प्रस्ताव पारित करके यूनिकोड प्रणाली के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए सभी बैंकों में कंप्यूटर पर अनिवार्य रूप से द्विभाषी की बोर्ड उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव पारित कर उसे क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्व), कोलकाता के माध्यम से राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय को भिजवाने की बात कही।

चर्चा में भाग लेते हुए उप निदेशक (कार्यान्वयन), पूर्व क्षेत्र, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय ने यूनिकोड प्रणाली के साथ-साथ फोनेटिक एवं अन्य तत्संबंधित प्रणालियों को

1545 HA/10—13/

भी लागू रखने की आवश्यकता का जिक्र करते हुए यह बताया कि वर्तमान में इस संसाधनों का प्रयोग द्विभाषी रूप में कार्य करते समय सहजता से किया जा सकता है, जिसका यूको बैंक के श्री विजय कुमार यादव, उप मुख्य अधिकारी (राजभाषा) ने समर्थन किया ।

इसी विषय पर चर्चा के दौरान केनरा बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक श्री निरूपम शर्मा ने भी भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए द्विभाषी की बोर्ड उपलबध कराने संबंधी प्रस्ताव का समर्थन किया ।

इलाहाबाद बैंक के सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा) डा. गजेन्द्र कुमार ने नराकास (बैंक), कोलकाता को भी पुरस्कार प्राप्त हो, इसके लिए उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्व क्षेत्र) कोलकाता से विचार-विमर्श करके नराकास की अगली बैठक में एक यथास्थिति (Status Report) प्रस्तुत करने का सुझाव दिया । इस प्रस्ताव पर उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्व क्षेत्र), भारत सरकार, राजभाषा विभाग ने कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए । क्षेत्र ग स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ सक्रिय ढंग से कार्य कर रही हैं ।

समिति के अध्यक्ष तथा संयोजक बैंक के कार्यपालक निदेशक ने अपने वक्तव्य में कहा कि हिंदी के प्रचार-प्रसार की दिशा में काम करना गर्व का विषय समझा जाना चाहिए । हिंदी का प्रयोग मात्र अपना कर्त्तव्य न समझ कर, इसे एक आदत के रूप में लिया जाना चाहिए तभी हम सहज ढंग से अपने लक्ष्यों तक पहुंच पाएंगे । उन्होंने आमंत्रित अतिथियों द्वारा दिए गए सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधितों से अनुरोध किया ।

केनरा बैंक के मंडल प्रबंधक श्री देवव्रत चटर्जी ने धन्यवाद देते हुए सभी सदस्यों कार्यालयों की ओर से आमंत्रित अतिथियों द्वारा दिए गए सुझावों के पूर्ण अनुपालन का आश्वासन दिया । समिति के अध्यक्ष, सदस्य बैंकों के वरिष्ठ कार्यपालकों तथा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया । उन्होंने बैठक के बेहतर आयोजन और प्रभावी संचालन के लिए संयोजक बैंक को धन्यवाद ज्ञापित किया ।

चण्डीगढ़

नगर राजभाषा कार्यान्वन समिति, चण्डीगढ़ द्वारा किसान भवन, सैक्टर-35, में अपनी बैठक का आयोजन किया गया । इसकी अध्यक्षता श्री पी.के. चोपड़ा, मुख्य आयकर आयुक्त, उत्तर-पश्चिम क्षेत्र, चंडीगढ़ ने की । बैठक में चण्डीगढ़ स्थित केंद्रीय सरकारी कार्यालयों/निगमों बोर्डों एवं उपक्रमों के लगभग 145 कार्यालय अध्यक्षों/अधिकारियों ने भाग लिया । बैठक में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की समीक्षा की गई तथा कार्यालयों में राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने के लिए उपायों पर चर्चा की गई । समिति ने इस वर्ष चंडीगढ़ के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए हिंदी निबंध, हिंदी शब्द ज्ञान, कंप्यूटर पर हिंदी टाइप, आशुलिपि, कविता पाठ इत्यादि हिंदी प्रतियोगिताओं तथा राजभाषा अधिकारी सेमिनार का आयोजन किया है । बैठक में समिति की संयुक्त हिंदी पत्रिका का प्रकाशन तथा अनुवादकों एवं कर्मचारियों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करने का निर्णय लिया गया । समिति जनवरी, 2010 में राजभाषा सांस्कृतिक समारोह का भी आयोजन करेगी जिसमें हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेताओं के अतिरिक्त उन कार्यालयाध्यक्षों को भी पुरस्कार दिए जाएंगे जिनके कार्यालयों में वर्ष के दौरान राजभाषा के प्रयोग के लिए सराहनीय प्रयास किए गए हैं । समिति ने सदस्य कार्यालयों में कार्यरत हिंदी लेखकों को भी सम्मानित करने का निर्णय लिया । अपने अध्यक्षीय संबोधन में मुख्य आयकर आयुक्त श्री पी.के. चोपड़ा ने कहा कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, चंडीगढ़ को वर्ष 2008-09 के लिए राजभाषा विभाग द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया जा रहा है । यह पुरस्कार सभी सदस्यों द्वारा राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने के लिए किए गए सामूहिक प्रयासों के कारण ही प्राप्त हुआ है अतः सभी सदस्य इसके लिए बधाई के पात्र हैं । उन्होंने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे अपने स्तर पर छोटी-छोटी टिप्पणियाँ लिखकर अपने अधीन अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें । राजभाषा संबंधी नियमों और आदेशों का अवश्य पालन होना चाहिए । इसके लिए कार्यालयों में जांच बिन्दु निर्धारित करके उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए । उन्होंने कहा कि सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार राजभाषा हिंदी में कार्य करना सभी अधिकारियों का दायित्व है ।

चित्र समाचार

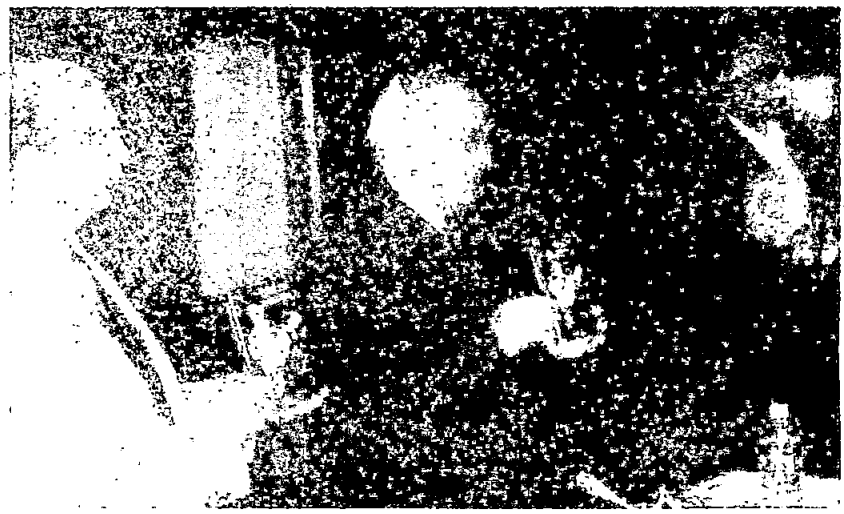

1. पूर्व तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन शिलांग में पत्रिका का विमोचन करते हुए श्री डी. के. पांडेय संयुक्त सचिव राजभाषा विभाग, श्री बी. एस. परशीरा, सचिव, भारत सरकार तथा श्री जी. भानुमूर्ति, कार्यपालक निदेशक, गुवाहाटी रिफाइनरी ।

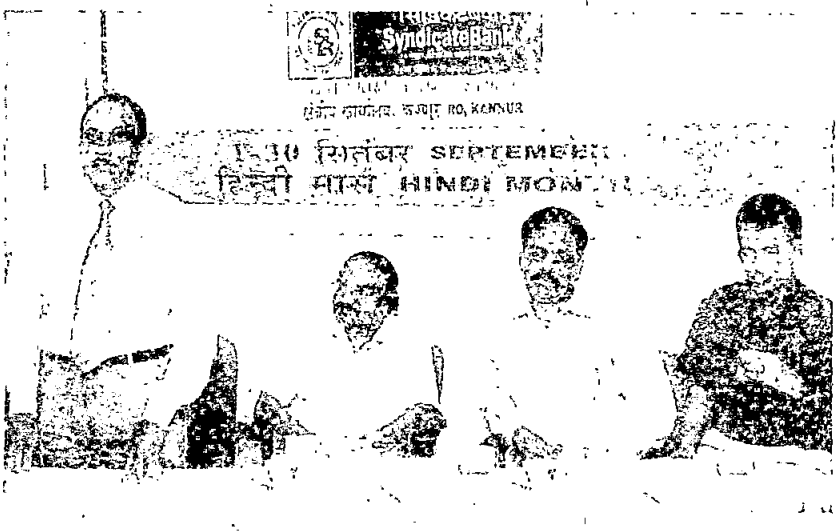

2. सिंडीकेट बैंक क्षेत्रीय कार्यालय कण्णूर में हिंदी दिवस समारोह में संबोधित करते हुए सहायक महा-प्रबंधक श्री वी. पी. जी. नायनार साथ में हैं मुख्य अतिथि श्री टी. शशिधरण, हिंदी विभागाध्यक्ष कण्णूर विश्वविद्यालय, श्री यू. पी. नरायणन मुख्य प्रबंधक तथा श्री गंगाधर तिवारी सहायक प्रबंधक (रा.भा.) ।

3. यूको बैंक, अंचल कार्यालय धर्मशाला की राजभाषा अधिकारी डॉ. निधि शर्मा, 'राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन' का पुरस्कार प्राप्त करती हुईं ।

4. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुरगांव गोवा में हिंदी दिवस समारोह में विभागीय गृह राजभाषा पत्रिका "मत्स्यकीर्ति" के प्रवेशांक का विमोचन करते अतिथिगण ।

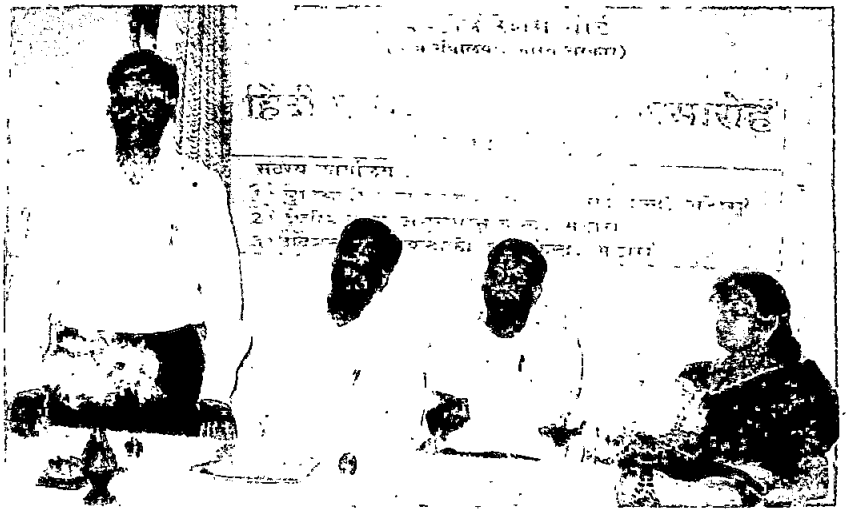

5. केंद्रीय रेशम बोर्ड भंडारा की संयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में अध्यक्षीय भाषण देते हुए डॉ. एस. के. माथुर, वैज्ञानिक डी (संयुक्त निदेशक) ।

6. पावर ग्रिड कार्पो ऑफ इंडिया लि. पटना में राजभाषा सम्मेलन का एक दृश्य ।

7. नराकास कण्णूर में हिंदी कार्यशाला में संबोधित करते हुए अध्यक्ष एवं सिंडीकेट बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री वी. पी. जी. नयनार ।

8. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् उनियन (मेघालय) में हिंदी सप्ताह समापन समारोह में संबोधित करते हुए संस्थान के निदेशक डॉ. एस. बी. डुचान ।

9. पश्चिम रेलवे मुख्य कारखाना प्रबंधक दाहोद में हिंदी कार्यशाला का एक दृश्य ।

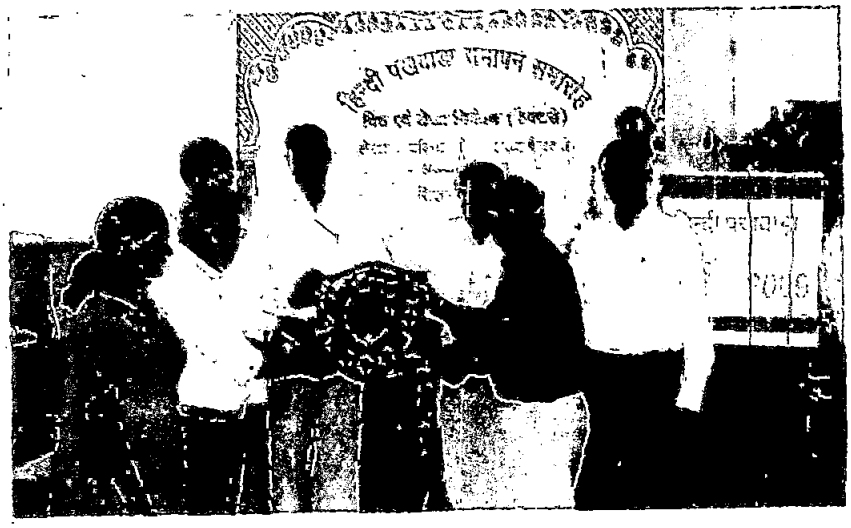

10. गोला बारूद फैक्टरी खड़की पुणे में हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह में सर्वाधिक हिंदी कार्य के लिए चल शील्ड प्रदान करते हुए नियंत्रक (फै.) के. जी. एफ. महोदय ।

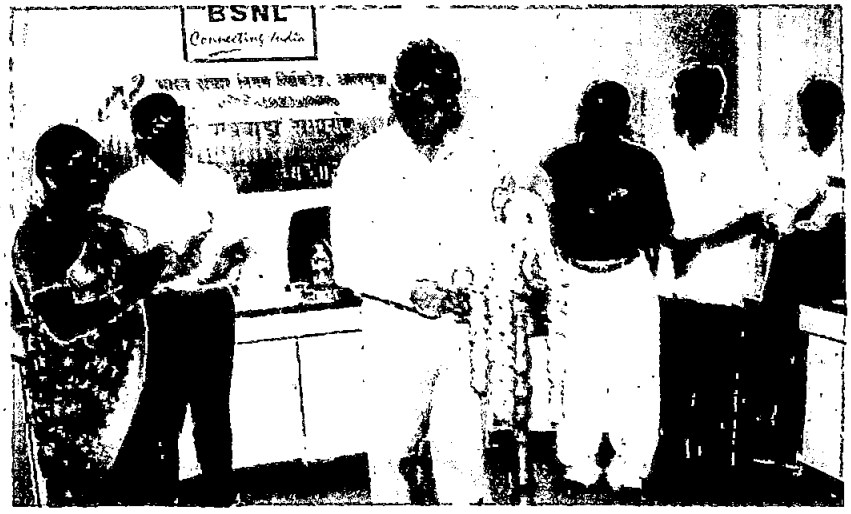

11. भारत संचार निगम लि. आलप्पुषा के हिंदी पखवाड़ा समारोह का उद्घाटन करते हुए श्री टी. नटराजन, महाप्रबंधक दूरसंचार ।

12. दूरदर्शन केंद्र कोलकाता में हिंदी पखवाड़ा समारोह का एक दृश्य ।

13. कर्मचारी राज्य बीमा निगम गुवाहाटी में राजभाषा पखवाड़ा में पत्रिका का विमोचन क़रते हुए अधिकारीगण ।

14. उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में राजभाषा पुरस्कार वितरण करते हुए मंडल रेल प्रबंधक श्री जी. सी. अग्रवाल ।

15. प्रधान महाप्रबंधक दूरसंचार जिला जयपुर में हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह में पत्रिका का विमोचन करते हुए अधिकारीगण ।

16. पूर्वोत्तर सीमा रेल (निर्माण) मालीगांव, गुवाहाटी में क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का एक दृश्य ।

17. नराकास (बैंक) पटना की बैठक का एक दृश्य ।

18. सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली में हिंदी कार्यशाला का एक दृश्य ।

19. भिलाई इस्पात संयंत्र में हिंदी दिवस समारोह का एक दृश्य ।

20. केंद्रीय भूमि जल बोर्ड मुख्यालय फरीदाबाद में हिंदी पखवाड़ा समारोह का एक दृश्य ।

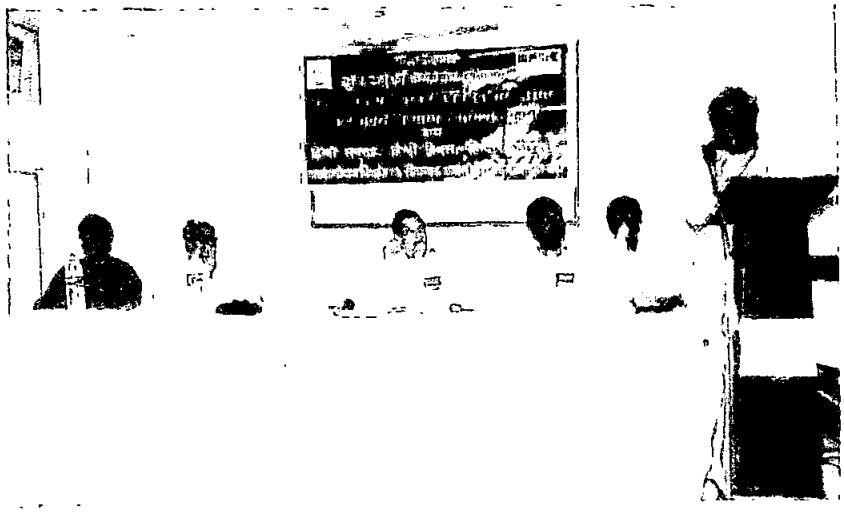

21. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान, पटना में हिंदी दिवस समारोह की एक झलक ।

22. पश्चिम रेलवे भाव नगर मंडल में राजभाषा सप्ताह समारोह का एक दृश्य ।

23. भारत सरकार निगम लि. पुदुचेरी में हिंदी दिवस समारोह का एक दृश्य ।

24. मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय बेंगलूर में हिंदी पखवाड़ा समारोह का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि डॉ. शंकर प्रसाद उप महाप्रबंधक (राजभाषा) हिंदुस्तान एरोनॉटिक लि. बेंगलूर ।

25. बोंगाइगांव रिफाइनरी में हिंदी दिवस समारोह की एक झलक ।

26. कर्मचारी राज्य बीमा निगम चण्डीगढ़ में हिंदी दिवस समारोह में राजभाषा शील्ड प्रदान करते हुए अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक श्री जी. सी. जेना ।

27. यूको बैंक, अंचल कार्यालय धर्मशाला में हिंदी दिवस समारोह का एक दृश्य ।

28. बैंक ऑफ बड़ौदा क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी में हिंदी दिवस समारोह का एक दृश्य ।

29. इलाहाबाद बैंक, मंडलीय कार्यालय, नई दिल्ली में हिंदी दिवस समारोह का एक दृश्य ।

30. रबड़ बोर्ड कोट्टयम में राजभाषा सम्मेलन का एक दृश्य ।

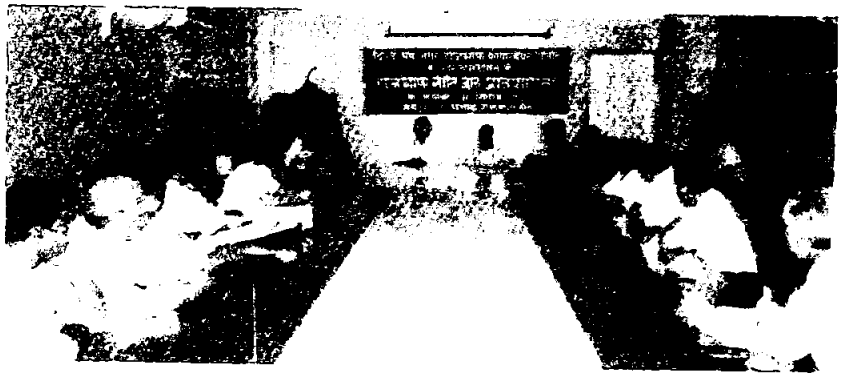

31. नराकास (बैंक) दिल्ली में "राजभाषा नीति ज्ञान प्रतियोगिता" का शुभारंभ करते हुए श्री ओ. पी. गोयल, उप महाप्रबंधक ।

32. नराकास मुंबई (उपक्रम) की बैठक का एक दृश्य ।

33. कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली में हिंदी दिवस समारोह का एक दृश्य ।

34. पश्चिम रेल राजकोट मंडल में टिप्पण आलेखन स्पर्धा में भाग लेते हुए कर्मचारीगण ।

35. दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कं. लि., क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली में हिंदी कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए श्री सी. एस. टंडन, उप महाप्रबंधक ।

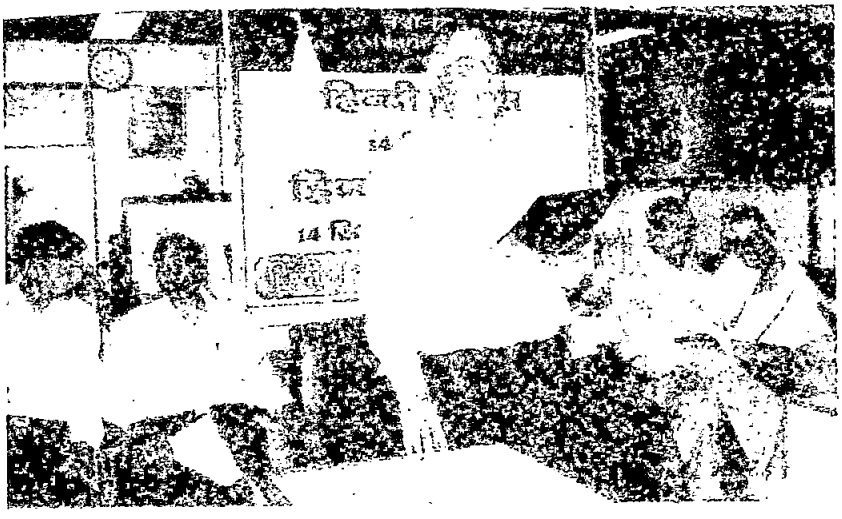

36. नेशनल इंश्योरेंस कं. लि., क्षेत्रीय कार्यालय-1 दिल्ली में हिंदी दिवस समारोह में डॉ. एच. के. शर्मा उप महाप्रबंधक संबोधित करते हुए ।

मुंबई (उपक्रम)

मुंबई उपक्रम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 43वीं बैठक का आयोजन किया गया । बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स (आरसीएफ) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री उदय शंकर झा ने की ।

उप निदेशक-कार्यान्वयन, डॉ एम.एल. गुप्ता ने सदस्य उपक्रमों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए रेखांकित किया कि:

- बैठक में कार्यपालकों की उपस्थिति सराहनीय है ।
- सभी सदस्य उपक्रम राजभाषा प्रगति रिपोर्ट समीक्षा हेतु समय पर भेजें ।
- सदस्य उपक्रमों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी तिमाही बैठक में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि को अवश्य बुलायें और कार्यवृत भी राजभाषा विभाग को भेजें ।
- धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करें ।
- राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार युनिकोड पर सभी सदस्य उपक्रम काम करना सुनिश्चित करें ।

वार्षिक कार्यक्रम 2009-10 पर बैठक में चर्चा की गई और टॉलिक सचिव सुश्री वासंती वैद्य ने इस बात की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया कि 2009-10 के कार्यक्रम की अनुपालन रिपोर्ट राजभाषा विभाग को मई, 2010 तक भेजना अपेक्षित है ।

बैठक में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बैनर तले विविध गतिविधियों के आयोजन के लिए एचपीसीएल, राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स, एमटीएनएल और एनटीपीसी के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया ।

अहमदाबाद

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति अहमदाबाद/गांधीनगर की 55वीं बैठक प्रधान महालेखाकार कार्यालय के आडिटोरियम में दिनांक 08-10-2009 को 15.30 बजे आयोजित की गई । इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सौजन्य से आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता नराकास के अध्यक्ष श्री डी.एस. रस्तोगी मुख्य आयकर आयुक्त, अहमदाबाद ने की ।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के उप महाप्रबंधक श्री आर. एस. सिसोदिया ने सभी मंचस्थ महानुभावों एवं बैठक में उपस्थित सभी कार्यालयाध्यक्षों एवं कार्मिकों का स्वागत किया और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी । उन्होंने कहा कि चूंकि उनका कार्य आम जनता से जुड़ा हुआ है इसलिए उन्हें हिंदी में कार्य करने में ज्यादा आसानी होती है और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इस वर्ष स्वर्ण जयंति के अवसर पर राजभाषा के प्रचार प्रसार हेतु भी विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित कर रहा है ।

राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि डॉ. एम.एल.गुप्ता ने अपने वक्तव्य में कहा कि नराकास अहमदाबाद जिस प्रकार से राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सक्रिय है निश्चित ही हम हमारे लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे । उन्होंने अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र के निदेशक महोदय द्वारा राजभाषा सम्मेलन के आयोजन हेतु सक्रिय सहयोग देने के प्रस्ताव का भी स्वागत किया है और कहा कि अगर संभव हुआ तो अगला राजभाषा सम्मेलन अहमदाबाद की दोनों नराकास-कार्यालय एवं बैंक के सहयोग से अहमदाबाद में ही आयोजित किया जायेगा । उन्होंने कार्यालयाध्यक्षों से कहा कि राजभाषा के कार्यान्वयन हेतु आप स्वयं सक्रिय रूप से कार्य करें । प्राय: यह देखने में आया कि कई कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण का बहाना लगाकर यह कहा जाता है कि कम्प्यूटर आने से राजभाषा के प्रचार-प्रसार में बाधा आ रही है । लेकिन ऐसा नहीं है । माइक्रोसाफ्ट ने विन्डोज़ 2000 से अपने सभी संस्करणों में यूनिकोड फोन्ट की सुविधा प्रदान की है । जिसे केवल आपको एक्टीवेट करना होता है । हिंदी में कार्य करने के लिए अलग से किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत भी अब नहीं है । हमें केवल अपनी मानसिकता को बदलना है । जो कार्यालय आम जनता से जुड़े हैं उनका तो यह उत्तरदायित्व है कि वे अपना सारा कार्य हिंदी में करे जिससे उनके सारे ग्राहक आसानी से सम्प्रेषण कर सकें । तेल कंपनियाँ, बीमा कंपनियां इन सबके ग्राहक सभी तरह के लोग होते हैं अत: उन्हे अपना ज्यादातर कार्य हिंदी में ही करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय ने सर्वप्रथम वर्ष 2008-09 में राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने पर शील्ड विजेताओं को हार्दिक बधाई दी । उन्होंने अपने सारगर्भित वक्तव्य में कहा कि सरकारी कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार ने राजभाषा अधिनियम और नियम बनाकर हम कार्यालयाध्यक्षों को यह जिम्मेदारी दी है कि हम इसे लागू करें । यह कार्य एक सामूहिक प्रयास से ही संभव है । कार्यालयों में इसके लिए हमें हिंदी अनुभाग पर निर्भर नहीं रहना है बल्कि सभी कार्यालय कार्मिकों को इसके लिए सकारात्मक प्रयास करने हैं ।

हम हमारे दैनिक कार्यों में ज्यादातर या तो हिंदी या फिर हमारी मातृभाषा का प्रयोग करते है लेकिन ऑफिस में आकर हमारी सोच थोड़ी बदल जाती है और हम अंग्रेजी के साथ ही चल पड़ते है। वास्तव में किसी नई गतिविधि को लागू करने के लिए हमें अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता होती है। राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में भी हमें सकारात्मक सोच अपनाकर प्रयास करने है ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके ।

राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए विभागीय स्तर पर हमें नियमित रूप से तिमाही बैठकों का आयोजन करना चाहिए जिससे कार्यालय में हिंदी में हो रहे कामकाज की नियमित समीक्षा हो सके । इन बैठकों के दौरान तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा की जानी चाहिए ।

दिल्ली बैंक

दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जिसका संयोजक पंजाब नेशनल बैंक है, के तत्वाधान में पंजाब नैशनल बैंक द्वारा नराकास के सदस्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के स्टाफ सदस्यों के लिये दिनांक 18-09-2009 को दोपहर 3.30 बजे राजभाषा नीति ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया ।

प्रतियोगिता का उद्घाटन बैंक के श्री ओ.पी.गोयल, उप महाप्रबंधक, राजभाषा विभाग, प्रधान कार्यालय ने किया । अपने संबोधन में उन्होंने प्रतिभागियों को अपना बैंक कार्य सरल एवं सुबोध हिंदी में करने का आग्रह किया । श्री गोयल ने कहा कि इससे हिंदी का प्रचार-प्रसार अधिक हो सकेगा। उन्होंने प्रतिभागियों से कहा कि किसी प्रतियोगिता में पुरस्कारों को संख्या सीमिति होती है किंतु प्रतियोगिता में भाग लेना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है । उन्होंने आगे कहा कि हिंदी हमारी अस्मिता से जुड़ी हुई है अत: हिंदी में कार्य करना हम सभी के लिये गौरव का विषय है । प्रतियोगिता में दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के कुल 21 स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया ।

शिमला

शिमला नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 28-10-2009 को सांय 3.30 बजे मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, रेलवे बोर्ड भवन के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई । बैठक की अध्यक्षता मुख्य आयकर आयुक्त एवं समिति अध्यक्ष श्री एम.पी.सिंह जी ने की ।

अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हिंदी भारत संघ की राजभाषा है । इसका प्रचार प्रसार करना एवं इसे समृद्ध करना हम सभी का संवैधानिक एवं नैतिक दायित्व है । हमें अपने दैनिक व्यवहार में अधिकाधिक हिंदी का प्रयोग कर इसे शक्तिशाली बनाना है चूंकि कोई भी भाषा प्रयोग करने से शक्तिशाली होती है । यद्यपि हमारे अधिकतर कार्यालयों में हिंदी कार्यान्वयन की स्थिति अच्छी है परन्तु फिर भी तनिक अधिक सजगता एवं सतर्कता दर्शाकर हम बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं । राजभाषा हिंदी को शक्तिशाली बना कर हम देश के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दे सकते हैं ।

(बैंक), पटना

वर्ष 2008-09 की 49वीं बैंठक दिनांक 21-8-2009 (शुक्रवार) को दोपहर 12.00 बजे पार्थो श्री बंगोवास, आचंलिक प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, पटना अंचल एवं अध्यक्ष, पटना (बैंक) नराकास, की अध्यक्षता में होटल चाणक्य, पटना में संपन्न हुई ।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में श्री पार्थो बंगोबास ने कहा कि देश में 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में सांविधिक स्वीकृति मिली अर्थात् प्रशासन-शास्त्र ने हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी । उन्होंने कहा कि आजादी के 62 वर्ष में भी हिंदी को वह सम्मान नहीं मिला है जो मिलना चाहिए । फिर भी इन छः दशकों में हिंदी सामाजिक स्तर पर एक जन सामान्य भाषा के रूप में स्वत: स्थापित हो चुकी है और अब यह धीरे-धीरे सरकारी कार्यालयों की दहलीज पर दस्तक देने लगी है । उन्होंने कार्यपालकों से आग्रह किया कि आप जहाँ भी राजभाषा के प्रयोग में कोई बाधा आये उसे दूर करें और राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने का हर संभव प्रयास करें । बैठक को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि टी.वी. चैनलों ने हिंदी को देश के सुदूर भागों में पहुँचाया है, क्योकि उनके अधिकांश दर्शक हिंदी ही जानते और समझते हैं । इन चैनलों ने विदेशों में भी हिंदी को इस कदर बढ़ाया है कि हिंदी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भाषा बन गई है । अंत में उन्होंने ने कहा कि हमें दिल से हिंदी अपनाने की जरूरत है । यह हमारी आत्मा की पुकार है । जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है यह हमारे देश के गौरव और अस्मिता के साथ भी सम्बद्ध है । ■

(ग) कार्यशालाएं

एन एच पी सी लि. क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्र-III प्लाट नं. 3, ब्लाक-डीपी, सैक्टर -V साल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700091

दिनांक 21-8-2009 को राजभाषा अनुभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्र-III द्वारा इस कार्यालय एवं इस कार्यालय के नजदीकी पावर स्टेशनों/परियोजनाओं/यूनिटों में कार्यरत कार्मिकों के लिए हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। व्याख्याता के रूप में डॉ. आर.बी.सिंह, केंद्र प्रभारी, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो कोलकाता, को आमंत्रित किया गया था।

डॉ. आर.बी.सिंह ने अपने वक्तव्य का प्रारंभ हिंदी के विविध स्वरूपों -राष्ट्रभाषा, राजभाषा एवं संपर्क भाषा के रूप को बहुत ही सरल शब्दों में स्थिति सापेक्ष उदाहरण देते हुए व्यक्त किया। आगे उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हिंदी से भारतीय भाषाओं को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। हिंदी का हृदय इतना विशाल है कि वह भारतीय भाषा के किसी भी शब्द को बड़ी आसानी से आत्मसात कर लेती है और प्रयोग में भी लाती है। इस गुण के कारण हिंदी की शब्द संपदा बढ़कर काफी विशाल हो गयी है। एक समय ऐसा आने वाला है जिसमें हिंदी का वर्चस्व होगा और उस समय हिंदी न जानने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस कार्यालय से हिंदी सीखने का जो अवसर दिया जा रहा है उसका भरपूर लाभ उठाएं। इसके बाद उन्होंने मुख्य विषय पर अपने व्याख्यान दिए। जिसमें उन्होंने राजभाषा नीति के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार पूर्वक जानकारियाँ दी। अपराह्न के बाद उन्होंने हिंदी में टिप्पण व आलेखन के नियमों की जानकारी दी और प्रतिभागियों से अभ्यास कार्य करवाया।

इस कार्यशाला में 16 कार्मिकों ने भाग लिया।

भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन-628007

भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन में दिनांक 08-09-दिसम्बर, 2009 को दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में भारी पानी संयंत्र के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ-साथ नराकास सदस्य कार्यालयों से भी नामांकन प्राप्त किए गए जिसमें सीमा शुल्क विभाग, नमक विभाग भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड, इत्यादि कार्यालयों के प्रतिभागी उपस्थित थे।

उद्घाटन के अवसर पर श्री सेनगुप्ता ने हिंदी की प्रमुखता बताते हुए कहा कि हिंदी के महत्व को हमें समझना चाहिए क्योंकि इसकी जरूरत कल भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी क्योंकि हमारे संविधान में अनेक भाषाएँ होने के बावजूद भी हिंदी ही एक ऐसी भाषा जो हम सबको एक जूट में जोड़ सकती है। अत: हमें हिंदी कार्यशालाओं का पूरी तरह लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदी कार्यशाला द्वारा ही हम अपने सरकारी काम-काज हिंदी में करने में हो रही कठिनाइयों का निराकरण करने एवं अपना अधिक से अधिक सरकारी काम-काज हिंदी में करने के प्रति प्रेरित तथा प्रोत्साहित हो सकते हैं। विशेष कार्याधिकारी श्री परमसिवम ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा, एक दिन या दो दिन में नहीं बनी है इसे बहुत ही सोच विचार कर और उसकी प्रयोग, सहजता एवं सरलता को देखते हुए ही इसे राजभाषा का सम्मान दिया गया है। राजभाषा हिंदी के कार्यान्वियन के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएँ एवं कार्यक्रम बनाए हैं, अत: हमारे कामकाज हिंदी में करके हिंदी के कार्यान्वियन में हमें सरकार का साथ देना चाहिए। इस कार्यशाला में नराकास सदस्य कार्यालयों की भागीदारी देखते हुए उन्होंने प्रसन्नता जताई। उन्होंने यह भी कहा कि भारी.पानी संयंत्र, तूतीकोरिन के हिंदी कक्ष में एक ही कार्मिक है फिर भी राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में कमी नहीं आई है। इसके लिए उन्होंने बधाई दी।

कार्यशाला में कुल 16 प्रतिभागी थे। कार्यशाला में हिंदी व्याकरण, पत्र लेखन, कार्यालय में प्रयुक्त शब्दों की जानकारी, हिंदी अनुवाद के साथ-साथ कुछ प्रशासनिक विषयों जैसे सूचना का अधिकार, सेवानिवृत्ति लाभ, सुरक्षा जागरूकता आदि विषय पर भी व्याख्यान दिए गए।

आकाशवाणी, कटक

केंद्र में दिनांक 09-11-2009 से 11-11-2009 तक तीन दिवसीय संयुक्त हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में ओड़िशा के विभिन्न

आकाशवाणी केंद्रों के अधिकारी/कर्मचारी-गण प्रशिक्षार्थी के रूप में उपस्थित थे । आकाशवाणी, कटक के केंन्द्र निदेशक सुश्री संजीवनी सुधा पटनायक ने कार्यशाला का उद्घाटन किया । उन्होंने अपने वक्तव्य में हिंदी भाषा एवं कार्यशालाओं के आयोजन पर महत्व डालते हुए कहा कि ऐसे कार्यशालाओं का आयोजन हर केंद्र में होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हमें अपने कार्यालय के कामकाज में हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए । उन्होंने सभी प्रशिक्षार्थियों से कार्यशाला के उद्देश्य को सफल बनाने के लिए आग्रह किया ।

उद्घाटन सत्र के तुरंत बाद कार्यशाला का प्रथम सत्र प्रारम्भ हुआ । इस सत्र का विषय था "राजभाषा नीति, नियम एवं अधिनियम" । इस विषय पर एम.एस.एम. ई. संस्थान, कटक के हिंदी अधिकारी, श्री दीनबन्धु सिंह ने सविस्तार चर्चा की । कार्यशाला के इस प्रथम दिवस के अपराह्न सत्र में हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, कटक के प्राध्यापक डॉ. अजित प्रसाद महापात्र ने "मानक वर्तनी एवं देवनागरी लिपि तथा हिंदी सीखने में कठिनाइयाँ" विषय को आकर्षक ढंग से समझाया एवं अभ्यास करवाया ।

दूसरे दिवस अर्थात् दिनांक 10-11-2009 को प्रथम सत्र में चर्चा के लिए विषय रखा गया था " सामान्य हिंदी व्याकरण" । इस विषय पर विशिष्ट हिंदी विद्वान तथा हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, कटक के प्राध्यापक डॉ. लक्ष्मीधर दाश ने प्रकाश डाला । उन्होंने हिंदी व्याकरण के विभिन्न पहलुओं को अत्यन्त आकर्षक ढंग से समझाया । इसी दिवस के अपराह्न सत्र का विषय था "कार्यालयीन पत्राचार" । इस विषय पर भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय, भुवनेश्वर के सहायक निदेशक (राजभाषा), श्री ब्रजनाथ मिश्र ने व्याख्यान दिया । उन्होंने कार्यालयीन पत्राचार के विभिन्न मसौदे प्रस्तुत किये एवं प्रशिक्षार्थियों को अभ्यास करवाया ।

तीसरे दिवस अर्थात् दिनांक 11-11-2009 के प्रथम सत्र का विषय था "आलेखन टिप्पण" । इस विषय पर हिंदी शिक्षण योजना, कटक के हिंदी प्राध्यापक श्री प्रदीप कुमार साहु ने विस्तार से चर्चा की एवं प्रशिक्षार्थियों को अभ्यास करवाया । इसी दिवस के अपराह्न सत्र का विषय था "अनुवाद के सिद्धान्त और प्रयोग (सरल अनुवाद)" । इस विषय पर ओड़िशा के जाने माने हिंदी विद्वान तथा रेवेंशॉ महाविद्यालय के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष (हिंदी) डॉ. अजय कुमार पटनायक ने व्याख्यान दिया । उन्होंने अनुवाद के विभिन्न पहलुओं पर उदाहरण पेश करते हुए विस्तार से चर्चा की ।

केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बहरमपुर (पश्चिम बंगाल)

दिनांक 15-10-2009 को संस्थान के प्रशासनिक संवर्ग के पदधारियों के लिए एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस कार्यशाला में कुल 20 पदधारीगण प्रशिक्षित किए गए ।

कार्यशाला के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता संस्थान के उप निदेशक (प्रशा. व लेखा), श्री एच. सी. हाईबुरू ने की । इस अवसर पर उन्होंने अपने अध्यक्षीय अभिभाषण में उपस्थित पदधारियों को इस कार्यशाला का लाभ उठाते हुए सरकारी कामकाज में यथासंभव हिंदी का प्रयोग करने तथा राजभाषा हिंदी को उनका यथोचित स्थान दिलाने में अपना योगदान देने का आह्वान किया ।

इस अवसर पर सुश्री बेबी शुक्ला, हिंदी प्रध्यापक, जवाहर नवोदय विद्यालय, बहरमपुर (प.बं.) ने अपना उद्गार व्यक्त करते हुए यह कहा कि इस बहुभाषी देश में एक संपर्क भाषा का होना आवश्यक है और हिंदी यह भूमिका बखूबी निभा रही है । उन्होंने यह भी कहा कि हम सभी का यह सांविधानिक और नैतिक कर्तव्य है कि अपने कार्यालयीन कार्य में हम राजभाषा का अधिकाधिक प्रयोग करें । इसके अतिरिक्त, उनके द्वारा शासकीय कार्यों में यथासंभव सरल और बोल-चाल की हिंदी का प्रयोग करने पर बल दिया गया । तत्पश्चात, उनके द्वारा कार्यशाला में "राजभाषा हिंदी का प्रयोजनमूलक स्वरूप एवं कार्यालयीन पत्राचार आदि के विविध स्वरूप सहित टिप्पण-आलेखन जैसे विषयों तथा प्रशासनिक व पारिभाषिक शब्दावलियों के हिंदी पर्याय व शासकीय कार्यों में इसका अनुप्रयोग" पर विशद रूप से प्रकाश डालने के साथ-साथ तदविषयक अभ्यास भी कराया गया । इसके अलावा, उनके द्वारा एक जाँच-परीक्षा का आयोजन किया गया जो कि काफी रोचक और लाभप्रद साबित हुआ । इसके अतिरिक्त, श्री आर.बी. चौधरी, सहायक निदेशक (रा.भा.) द्वारा कार्यशाला में राजभाषा नियम एवं अधिनियम तथा तत्संबंधी विभिन्न पहलुओं पर व्याख्यान दिया गया । समापन सत्र के दौरान संस्थान के निदेशक, डॉ. ए. के. वाजपेयी महोदय द्वारा

उपस्थित प्रतिभागियों को राजभाषा नीतियों के सफल कार्यान्वयन पर अमूल्य सुझाव व मार्ग-दर्शन प्रदान करने के अतिरिक्त यह विचार व्यक्त किया गया कि हम जितनी सहजता वे अपने मन की अनुभूतियों को अपनी भाषा में व्यक्त करने में सक्षम होते हैं उतनी अन्य विदेशी भाषाओं में नहीं । इसके अलावा उनके द्वारा सभी पदधारियों से यह भी अपील किया गया कि वे राजभाषा हिंदी के प्रावधानों के कार्यान्वयन में सक्रिय योगदान कर एक नये आयाम की सृष्टि करें ।

अंत में प्रतिभागियों ने इस अवसर पर अपने-अपने विचार व्यक्त किए तथा इसी के साथ संस्थान के श्री आर.बी. चौधरी, सहायक निदेशक (राजभाषा) के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हिंदी कार्यशाला की समाप्ति की घोषणा की गई ।

एम एस एम ई- विकास संस्थान, कोलकाता

संस्थान में दिनांक 01 से 14 सितंबर, 2009 की अवधि में हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया और सोमवार, दिनांक 14 सितंबर, 2009 को हिंदी दिवस का पालन किया गया । हिंदी पखवाड़ा के दौरान हिंदी में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया । हिंदी पखवाड़ा के दौरान दिनांक 09 सितंबर, 2009 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । जिसमें कुल 17 अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया । इस अवसर पर अतिथि वक्ता के रूप में श्री अदालत प्रसाद, हिंदी प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना, कोलकाता को आमंत्रित किया गया ।

संस्थान के उपनिदेशक (कांच-मृत्तिका) श्री अजय बंद्योपाध्याय जी ने हिंदी कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि हिंदी कार्यशाला में सरकारी कामकाज हिंदी में किस तरह किया जाए इस संबंध में पूरी जानकारी दी जाती है । अतः हिंदी कार्यशाला का आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है । उन्होंने आगे कहा कि अब से प्रत्येक तीन महीने में हिंदी कार्यशाला का आयोजन करने का निर्णय लिया गया । इस अवसर पर स्वागत भाषण प्रस्तुत करते हुए संस्थान के सहायक निदेशक (यांत्रिक) और नामित राजभाषा अधिकारी श्री एस. विजय कुमार ने कहा कि हिंदी कार्यशाला में सरकारी कामकाज हिंदी में करने संबंधी पूरी जानकारी दी जाएगी । अतिथि वक्ता श्री अदालत प्रसाद ने हिंदी कार्यशाला के आयोजन की पूरी जानकारी दी और सभी को टिप्पण आलेखन आदि का पूरा अभ्यास करवाया । अन्त में धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हिंदी कार्यशाला सम्पन्न हुई ।

हिंदी पखवाड़ा के समापन पर दिनांक 14-09-2009 को मुख्य अतिथि डा. प्रेमशंकर त्रिपाठी के कर-कमलों के द्वारा हिंदी कार्यशाला के प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए ।

अन्त में श्री कन्हैयालाल वर्मा, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक के द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के साथ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ ।

रेलवे कार्या. मुख्य कारखाना प्रबंधक, दाहोद

कारखाना दाहोद के सम्मेलन कक्ष दिनांक 23-11-09 से 27-11-09 तक प्रति दिन सोमवार से शुक्रवार समय 11.00 से 13.00 बजे तक, 05 कार्य दिवस में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस कार्यशाला में मुख्य कारखाना प्रबंधक एवं उससे संबंधित कार्यालयों के विभिन्न अनुभागों में कार्यरत लगभग 30 कर्मचारियों ने भाग लिया । दिनांक 23-11-09 को श्री संजय अग्रवाल, अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं मुख्य कारखाना प्रबंधक ने कार्यशाला का सरस्वती की फोटो पर माल्यार्पण एवं द्वीप प्रज्जवलित कर उद्घाटन किया । श्री संजय अग्रवाल, अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं मुख्य कारखाना प्रबंधक ने कार्यशाला में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों को दैनिक कार्य में सामान्यतः प्रयुक्त वाक्यांशो और शब्दावली की जानकारी दी तथा कार्यशाला के महत्व पर प्रकाश डाला उन्होंने कहा कार्यशाला चलाने का उद्येश्य तभी पूरा होगा जब प्रशिक्षार्थी अपना दैनिक कार्य हिंदी में करेंगे । तत्पश्चात् कार्यशाला में अन्य अधिकारियों एवं राजभाषा अधीक्षक श्री वीरेन्द्र प्रसाद शर्मा ने प्रशिक्षणार्थियों से नोटिंग में पत्राचार आदि का अभ्यास करवाया तथा दिनांक 27-11-09 को उप महाप्रबंधक (राभा)प.रे. श्री के.पी. सत्यानन्द ने उन्हे राजभाषा नीति एवं नियमों संबंधी जानकारी से प्रोजेक्टर के माध्यम से अवगत कराया, जिसकी सभी प्रशिक्षणार्थीयों ने काफी सराहना की । कार्यशाला के अंतिम दिन प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न अनुभागों से संबंधित उपयोग में आने वाले हिंदी शब्दावली की भी जानकारी दी तथा कसौटी परीक्षा ली गई जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वालों को नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया ।

केनरा बैंक, अंचल कार्यालय, 21, कैमक स्ट्रीट, कोलकाता-700016

प. बंगाल और सिक्किम में स्थित अपनी शाखाओं व कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिये केनरा बैंक ने 13 व 14 अगस्त 2009 को एक विशेष हिंदी अनुवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें अतिथि वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए श्री सतीश कुमार पांडेय, अनुवाद व प्रशिक्षण अधिकारी, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, भारत सरकार-गृह मंत्रालय ने अनुवाद की बारीकियों से प्रतिभागियों को अवगत कराते हुए शब्दों के नहीं वरन् अर्थ के अनुवाद के महत्व पर प्रकाश डाला और उदाहरणों के साथ भाषाओं की प्रकृति के अनुरूप अनुवाद के बारे में समझाया ।

बैंकिंग से जुड रहे नए-नए शब्दों की अनुवाद संबंधी समस्याओं पर भी प्रतिभागियों ने श्री पांडेय से चर्चा की ।

दो दिवसीय इस विशेष प्रशिक्षण में प्रतिभागियों ने विभिन्न प्रकार के अभ्यासों द्वारा सरल वाक्यों, विविध वाक्यांशों, वाउचरों, पत्रों, परिपत्रों व प्रेस विज्ञप्तियों आदि के अनुवाद का प्रशिक्षण लिया ताकि भारत सरकार की अपेक्षाओं के अनुरूप केनरा बैंक की हरेक इकाई में अधिकाधिक कार्य राजभाषा-हिंदी में किया जा सके ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, राजेन्द्र प्लेस, दिल्ली

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय के निर्देशानुसार क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली में दिनांक 16-11-2009 से 20-11-2009 तक निगम के कर्मचारियों को हिंदी का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने और निगम कार्यालयों में मूल हिंदी पत्राचार बढ़ाने के उद्देश्य से पांच दिवसीय पूर्णकालिक हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई । इसमें क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली तथा प्रभागीय कार्यलय, नन्द नगरी के 24 सहायकों ने भाग लिया । कार्यशाला का उद्घाटन श्री ए. के. वर्मा, अपर आयुक्त-सह क्षेत्रीय निदेशक द्वारा किया गया । कार्यशाला के दौरान प्रमुख व्यक्तियों जैसे श्री एम.एस.कठैत, डॉ. रमेश मेहता आदि ने हिंदी से जुड़े 30 विविध विषयों पर व्याख्यान दिए तथा अभ्यास भी करवाया गया ताकि हिंदी में कार्य करने की झिझक दूर हो सके ।

कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न विषयों में से वक्ताओं ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान दिए :-

1. कार्यालयी हिंदी का स्वरूप
2. क.रा.बी. निगम की शासन व्यवस्था
3. संघ की राजभाषा नीति
4. देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता पर विचार और हिंदी वर्तनी के संबंध में कुछ प्रयोग
5. कम्प्यूटर पर हिंदी में प्रयोग के आयाम व अनुप्रयोग
6. मसौदा लेखन, अनौपचारिक पत्र-व्यवहार, कार्यालय ज्ञापन, सूचनाएं, प्रेस नोट, निविदा सूचना आदि की जानकारी ।

आकाशवाणी, अहमदाबाद

दिनांक 25-11-2009 को आकाशवाणी अहमदाबाद के सभागार में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला चलाई गई । कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाने के लिए कार्यशाला में श्री भगीरथ पंड्या, केंद्र निदेशक, श्रीमती मीनाक्षी सिंघवी, केंद्र अभियंता स्वयं उपस्थित रहें ।

वक्ता के रूप में डॉ. आराधना भावसार, वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी, आईओबी आमंत्रित थी ।

कार्यशाला का विषय - 'पत्राचार का स्वरूप और लेखन' रखा गया था । औपचारिक स्वागत के पश्चात् अपना परिचय देते हुए वक्ता ने पहले राजभाषा नीति नियमों की संक्षिप्त जानकारी दी एवं पत्र लिखते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तथा पत्र कैसे लिखा जाए इत्यादि उदाहरण देकर समझाया ।

श्री भगीरथ पंड़या, केंद्र निदेशक ने उनका आभार व्यक्त किया एवं इस व्याख्यान को आगे अपने सरकारी कामकाज में प्रयोग में लाकर सफल बनाने का अनुरोध किया ।

कार्यशाला का संचालन सीमा धमेजानी, प्र.हि.अ. ने किया एवं अलका मोदी, हिंदी आशुलिपिक ने उसमें सहयोग दिया ।

भारी पानी संयंत्र, फर्टिलाइजर नगर, बड़ौदा

भारी पानी संयंत्र, बड़ौदा में दिनांक 11-11-2009 को वित्त-वर्ष 2009-10 की तीसरी हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जो संयंत्र की 27वीं कार्यशाला थी ।

यह कार्यशाला संयंत्र के वैज्ञानिक सहायक तथा अन्य वर्ग के लिए आयोजित की गई थी । कार्यक्रम का आरंभ उप महाप्रबंधक प्रकाश चंद्र जैन ने कहा कि दीपक का प्रकाश ज्ञान का प्रकाश है । आत्मं ज्ञानं स्वयं ज्ञानं । सभी को पता होता है कि उसे कितना ज्ञान है क्योंकि प्रत्येक जीव स्वयं ही ज्ञान का भंडार है । उसे सिर्फ उसका प्रयोग करना है । अत: कोई यह न समझे कि हिंदी कार्यशाला में उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा । हिंदी का ज्ञान तो यहां आए हुए सभी प्रतिभागियों को है । केवल उसका अभ्यास करना है ।

इस अवसर पर संयंत्र के उत्पादन प्रबंधक श्री महेश ठक्कर ने कहा कि हम सब स्कूलों में हिंदी में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं । लेकिन नौकरी में आने के बाद हिंदी का प्रयोग बंद कर देते हैं और अंग्रेजी में काम करने लग जाते हैं, जिससे हिंदी का अभ्यास छूट जाता है । यदि हम कार्यालय में भी हिंदी का प्रयोग करें, तो हिंदी का अभ्यास भी बना रहेगा और वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करना भी संभव हो जाएगा ।

कार्यशाला में राजभाषा नीति/नियम, हिंदी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ISM-2000/यूनीकोड, हिंदी में टिप्पण-लेखन, पारिभाषिक शब्दावली आदि की जानकारी देते हुए अभ्यास भी कराया गया । व्याख्याता-गण थे : सर्वश्री/सुश्री एन.के. दुबे, अशोक उपाध्याय, आई.आई.मिस्त्री, डॉ.रश्मि वार्ष्णेय । कार्यशाला का संचालन डॉ. रश्मि वार्ष्णेय ने किया ।

एन एच पी सी लि. मुख्यालय, सैक्टर-33 फरीदाबाद

दिनांक 1 दिसंबर, 2009 को आई.टी. सुपरवाइजरों के लिए तथा दिनांक 2 दिसंबर, 2009 को हिंदी समन्वयकों के लिए हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई । इन कार्यशालाओं में विभिन्न विभागों के 50 कार्मिकों ने भाग लिया ।

इन हिंदी कार्यशालाओं का उद्घाटन श्री आर.आर. शर्मा, महाप्रबंधक (मानव संसाधन व राजभाषा) ने किया । उन्होंने सभी प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने वाली भाषा हिंदी ही है और संविधान में भी हिंदी को ही राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है । इसलिए हिंदी का प्रचार-प्रसार करना हम सबका संवैधानिक दायित्व है । उन्होंने बताया कि हमारे निगम में प्रेरणा और प्रोत्साहन के साथ राजभाषा का प्रयोग बढ़ाया जा रहा है । इसके लिए हमारे निगम में समय-समय पर हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम और हिंदी कार्यशालाएं, संगोष्ठी और सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं । उन्होंने हिंदी कार्यशालाओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इन कार्यशालाओं की सार्थकता तभी है जब हम इन कार्यशालाओं में दी गई जानकारी का भरपूर लाभ उठाएं और अपने दैनिक कार्यालयीन कार्य में उसका उपयोग करें । उन्होंने सभी प्रतिभागियों से अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने का आह्वान किया ।

इन कार्यशालाओं के प्रथम सत्र में डॉ. राजबीर सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) ने प्रतिभागियों को राजभाषा नीति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी । उन्होंने स्लाइडों के माध्यम से प्रतिभागियों को राजभाषा नियमों और अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह हम सब का संवैधानिक दायित्व है कि हम अपने निगम में अपना अधिक से अधिक कार्यालयीन कार्य हिंदी में ही करें । साथ ही उन्होंने हिंदी समन्वयकों को हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट भरने के बारे में समुचित जानकारी दी और राजभाषा कार्यालय में आने वाली कठिनाईयों का समाधान किया और विभागों से प्राप्त राजभाषा संबंधी सूचनाओं और तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा भी की ।

इन कार्यशालाओं के दूसरे सत्र में प्रतिभागियों को विभिन्न हिंदी सॉफ्टवेयरों और उसके प्रयोग से संबंधित अद्यतन जानकारी देने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के तकनीकी निदेशक (राजभाषा) श्री केवल कृष्ण ने प्रतिभागियों को अधुनातन हिंदी सॉफ्टवेयरों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी और उनके व्यावहारिक प्रयोग के बारे में बताया । उन्होंने राजभाषा विभाग द्वारा विकसित किए गए मंत्रा एवं श्रुतलेखन हिंदी सॉफ्टवेयर के बारे में भी जानकारी दी कि इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अनुवाद कार्य करना संभव है तथा केवल बोलकर ही कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य भी किया जा सकता है । उन्होंने बताया कि किस प्रकार हम हिंदी की टाइपिंग न जानते हुए भी कंप्यूटर पर हिंदी में टाइपिंग का कार्य कर सकते हैं । उन्होंने प्रतिभागियों को इन सॉफ्टवेयरों के प्रयोग का अभ्यास भी कराया तथा कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने में आने वाली उनकी शंकाओं तथा समस्याओं का समाधान भी किया ।

भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, हवाई अड्डा, जयपुर

जयपुर विमानपत्तन पर दिनांक 18-11-2009 से 20-11-2009 तक तीन दिनों की अर्द्धदिवसीय हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई ।

इस कार्यशाला का उद्घाटन श्रीमान अनुज अग्रवाल, निदेशक विमानपत्तन, जयपुर द्वारा दीप प्रज्जवलित कर किया गया ।

इस अवसर पर प्रथम व्याख्यान भी निदेशक विमानपत्तन, जयपुर श्री अनुज अग्रवाल का था, जिन्होंने अपने व्याख्यान में कार्यालयी कामकाज में हिंदी का प्रयोग, लक्ष्य कठिनाईयां एवं समाधान विषय पर 90 मिनट का सारगर्भित व्याख्यान दिया, अपने पॉवर प्वाइन्ट प्रजेन्टेशन में निदेशनक विमानपत्तन ने उपस्थित कुल 17 प्रतिभागियों को संबोधित करते हुये आपसी विचार-विमर्श कर अपने अनुभव शेयर किये तथा उनकी कठिनाईयों का निवारण भी किया ।

राजभाषा नीति एवं प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग एवं कठिनाईयां विषयों पर वरिष्ठ प्रबंधक, एच.एस. पारीक ने (अधोहस्ताक्षरी) ने व्याख्यान दिया ।

तीन दिन की इस अर्धदिवसीय कार्यशाला में वित्त अनुभाग में हिंदी का प्रयोग एवं कठिनाईयां, सिविल एवं अभियांत्रिकी अनुभाग में हिंदी का प्रयोग एवं कठिनाईयों विषय पर सर्व श्री छोटू सिंह भाटी, वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त) तथा श्री डी.बी. सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक (विद्युत) ने विभागीय व्याख्याता के रूप में अपना व्याख्यान दिया ।

इस कार्यशाला में 3 अधिकारियों एवं 14 कर्मचारियों अर्थात् कुल 17 प्रतिभागियों ने भाग लिया, अंतिम सत्र में जांच परीक्षा भी रखी गई थी । उक्त जांच परीक्षा में प्रथम चार स्थान पर आने वालों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सांत्वना पुरस्कार प्रदान कर पुरस्कृत किया गया तथा सभी प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र भी प्रदान किये । निदेशक विमानपत्तन ने आशा व्यक्त की कि सभी प्रतिभागी अपना दैनिक कार्य कुशलता से हिंदी में संपादित करेंगे ।

भारतीय डाक विभाग कार्यालय पोस्टमास्टर जनरल, इन्दौर क्षेत्र, इन्दौर-452001

पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय, इन्दौर में दिनांक 23-9-2009 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । यह कार्यशाला कार्यालय में 14 से 28 सितम्बर, 2009 तक आयोजित हिंदी दिवस व हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित की गई । इसका उद्देश्य भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन व राजभाषा कार्यान्वयन को और गति प्रदान करना तथा सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने में कर्मचारियों की झिझक दूर करना था । प्रमुख वक्ता कार्यालय के सहायक निदेशक (अन्वेषण) श्री पी.एल. साहू थे । प्रमुख वक्ता ने प्रारंभ में कहा कि हिंदी व्यवस्थित और सरल भाषा है । हिंदी में कार्य करना हमारा संवैधानिक एवं नैतिक दायित्व है । प्रमुख वक्ता ने इस कार्यशाला में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी सभी को दी । इसके अलावा हिंदी में मौलिक लेखन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही विभिन्न प्रोत्साहन योजना कम्प्यूटर पर हिंदी में कार्य 'क' 'ख' व 'ग' -क्षेत्रों, राजभाषा संबंधी विभिन्न समितियां और राजभाषा संबंधी विभिन्न नियमों/प्रावधानों की जानकारी सभी को दी । साथ ही उन्होंने सर्किल कार्यालय, भोपाल से प्राप्त हिंदी कार्यशाला मॉड्यूल और डाक निदेशालय, नई दिल्ली से प्राप्त डाक शब्दावली की जानकारी सभी को दी । हिंदी और अंग्रेजी भाषा के शब्दों वाक्यों और टिप्पणियों पर चर्चा करते हुए प्रतिभागियों को हिंदी में लिखने का कुछ अभ्यास भी कराया । इस कार्यशाला में 39 कर्मचारियों ने भाग लिया ।

क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र, सहसपुर, देहरादून

क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र, सहसपुर, देहरादून में दिनांक 1-9-2009 का एक पूर्ण दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

कार्यशाला का शुभारम्भ मुख्य अतिथि वक्ताओं ने दीप प्रज्जवलित कर किया । कार्यशाला दो सत्रों में आयोजित की गई । कार्यशाला में हिंदी व्याकरण, वर्तनी की अशुद्धियां, राजभाषा नियम तथा अनुसंधान प्रकाशनों के हिंदी में अनुवाद की समस्याएं उनके समाधान विषयों पर व्याख्यान आयोजित किये गए ।

कार्यक्रम का संचालन करते हुए श्री कमल किशोर बडोला, वरिष्ठ अनुवादक (हिंदी) ने कार्यशालाओं के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हम हिंदी भाषी हैं । अत: हमें कार्यशालाओं की आवश्यकता नहीं है । वस्तुत: कार्यशालाएं ही वह माध्यम हैं जिससे हमें अपने कार्य की त्रुटियों, अपने ज्ञान की कमियों की जानकारी मिलती है तथा उनमें सुधार के सुझाव एवं अवसर मिलते हैं ।

कार्यशाला के प्रथम सत्र में श्री ब्रहमानंद, प्रवक्ता राजकीय इण्टर कालेज, सेलाकुई ने हिंदी वर्णमाला एवं

व्याकरण पर प्रकाश डाला । उन्होंने हिंदी भाषा व व्याकरण के विभिन्न पहलुओं से प्रतिभागियों को अवगत कराया तथा उपस्थित प्रतिभागियों की हिंदी भाषा व व्याकरण से संबंधित शंकाओं का भी समाधान किया ।

प्रथम सत्र में ही अन्य अतिथि वक्ता श्री राजकुमार, प्रवक्ता, राजकीय इण्टर कालेज, सेलाकुई ने हिंदी में होने वाली वर्तनी की अशुद्धियों पर एक कक्षा ली । उन्होंने सामान्यतया लोगों द्वारा की जाने वाली हिंदी वर्तनी की अशुद्धियों पर प्रकाश डाला तथा उनको शुद्ध रूप में लिखने का अभ्यास प्रतिभागियों को कराया ।

कार्यशाला के द्वितीय सत्र में डॉ दिनेश चमोला, वरिष्ठ हिंदी अधिकारी, भारतीय पैट्रोलियम संस्थान, देहरादून ने राजभाषा नियमों की विस्तार से जानकारी दी । उन्होंने भारत सरकार की राजभाषा नीति पर प्रकाश डाला । उन्होंने अनुसंधान प्रकाशनों के हिंदी अनुवाद में आने वाली समस्याओं पर व्याख्यान दिया तथा इन समस्याओं के समाधान भी सुझाए । उन्होंने कहा कि भाषा हमारा जीवन है । भाषा का संबंध हृदय से है । उन्होंने कहा कि शब्द ऊर्जा देता है, शब्द जीवन्तता देता है । शब्द ही वह बाण है जो सृष्टि को बदल सकते हैं । शब्द ही किसी ज्ञान-विज्ञान की पहली सीढ़ी है । शब्द जीवंत दर्शन है । कार्यशालाओं की उपयोगिता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि कार्यशालाएं सचेतक का काम करती हैं ।

कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए कार्यालय प्रभारी श्री एम.एम.भट्ट, वैज्ञानिक-डी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कार्यशाला ऐसा माध्यम होता है जिससे हमें अपने कार्य को और अधिक परिष्कृत करने का अवसर मिलता है । उन्होंने कहा कि वस्तुतः हम हिंदी भाषी हैं किन्तु फिर भी हमें हिंदी के सही रूप के प्रयोग की जानकारी हिंदी कार्यशाला से ही प्राप्त होती है । हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम इस प्रकार की कार्यशालाओं में पूरे मनोयोग से प्रतिभागिता करें तथा अपने कार्यालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाएं ।

कार्यशाला में इस केंद्र की अधीनस्थ इकाइयों एवं केंद्रीय रेशम बोर्ड की देहरादून स्थित अन्य इकाइयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी भाग लिया ।

सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली-243001

सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय बरेली पर 18 नवंबर को बरेली क्षेत्र के अधिकारियों हेतु एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । हिंदी कार्यशाला में बरेली क्षेत्र की विभिन्न शाखाओं से आये अधिकारियों ने भाग लिया । डा. धर्मेन्द्र सिंह ने सभी अधिकारियों से शाखा स्तर पर ग्राहकों को सेवा हिंदी में प्रदान करने का अनुरोध किया उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि उत्तम ग्राहक सेवा से ही हमारे बैंक का व्यवसाय बढ़ सकता है इसलिए शाखा में ग्राहकों की समस्याओं का समाधान तुरन्त करें और बैंक की जमा एवं ऋण योजनाओं की जानकारी ग्राहकों को हिंदी माध्यम से ही दें । हिंदी में कार्य करना हम सभी की संवैधानिक जिम्मेदारी है इसलिए बैंक में भारत सरकार की राजभाषा नीति का प्रभावी अनुपालन कर व्यवसाय में वृद्धि करें । हिंदी कार्यशाला में प्रतिभागियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति की जानकारी एवं कंप्यूटरों के माध्यम से हिंदी का प्रयोग कैसे बढ़े इस बात पर विशेष रूप से चर्चा की गई, सत्रों संचालन अशोक कुमार तनेजा मुख्य अधिकारी राजभाषा, आंचलिक कार्यालय, आगरा, इतेश कुमार, सहायक निदेशक राजभाषा, नराकास, बरेली एवं महेश चन्द्र राजभाषा अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय बरेली ने किया । अंत में सभी प्रतिभागियों ने ग्राहक सेवा हिंदी माध्यम से देने एवं बैंक के व्यवसाय में अपेक्षाकृत वृद्धि करने हेतु संकल्प व्यक्त किया ।

केंद्रीय भूमि जल बोर्ड मुख्यालय, फरीदाबाद

केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, मुख्यालय फरीदाबाद में दिनांक 3 से 4 सितंबर, 2009 को दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्री एस. के. सिन्हा, निदेशक (प्रशा.) ने कहा कि सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग हमारा नैतिक दायित्व है । उन्होंने मुख्यालय में राजभाषा हिंदी की प्रगति की प्रशंसा की तथा कहा कि इस दिशा में अभी और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है । उन्होंने राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास करने पर जोर दिया । उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह दो दिवसीय कार्यशाला राजभाषा हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग को प्रोत्साहित करने में सहायक सिद्ध होगी ।

कार्यशाला में व्याख्याता के रूप में डा. वीरेन्द्र कुमार सिंह, उपनिदेशक (रा.भा.), केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, डॉ. ब्रजमोहन शर्मा, प्रबंधक (रा.भा.) सिंडिकेट बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, फरीदाबाद; श्री रमेश लाल वर्मा, सहायक निदेशक (रा.भा.), कर्मचारी राज्य बीमा निगम तथा श्री राकेश गुप्ता, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड ने भारत सरकार की राजभाषा नीति, हिंदी पत्राचार, पारिभाषिक शब्दावली और हिंदी व्याकरण की सामान्य भूलें, हिंदी टिप्पण लेखन एवं तिमाही प्रगति रिपोर्ट आदि विषयों पर व्याख्यान दिए तथा व्यावहारिक अभ्यास करवाया। कार्यशाला में केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के 16 अधिकारियों-कर्मचारियों ने भाग लिया।

कार्यशाला के समापन समारोह के अवसर पर श्री बी.एम. झा, अध्यक्ष, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड ने सभी प्रतिभागियों के विचार सुने। उन्होंने प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से कार्यशाला के आयोजन पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राजभाषा हिंदी में काम करने में किसी को भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि कार्यशाला में प्रशिक्षित अधिकारी/कर्मचारी अपना शत-प्रतिशत सरकारी कार्य हिंदी में ही करेंगे।

कार्यशाला के समापन समारोह के अवसर पर एक राजभाषा प्रतियोगिता भी रखी गई। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। समारोह की समाप्ति पर डॉ. वीरेन्द्र कुमार सिंह, उपनिदेशक (रा.भा.) ने अध्यक्ष महोदय तथा सभी उपस्थित लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया।

दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कं. लि. क्षेत्रीय कार्यालय-1, जीवन भारती बिल्डिंग, नौवीं मंजिल, टावर-1, 124, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

क्षेत्रीय कार्यालय-1, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 10-3-2010 को सभा कक्ष (कान्फ्रेंस रूम) में कार्मिकों के लिए हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आरंभ मां सरस्वती की अर्चना और दीप प्रज्ज्वलन द्वारा श्री सी. एस. टंडन, उप महाप्रबंधक महोदय द्वारा किया गया। इस कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उन्होंने राजभाषा हिंदी के संवैधानिक पक्ष के साथ-साथ राजभाषा हिंदी के व्यावहारिक पक्ष का उल्लेख किया। उनके अनुसार हिंदी केवल राजभाषा ही नहीं अपितु हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की द्योतक भी है, उनके अनुसार प्रत्येक कार्मिक का यह दायित्व है कि किसी औपचारिकता में बंधे बिना सहज एवं सरल भाव से हिंदी को अंगीकार करें। उन्होंने उपस्थित कार्मिक वृन्द को संबोधित करते हुए अपने रोजमर्रा के कार्यालयी कार्यों में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने का आह्वान किया।

राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री वी. के. गर्ग ने राजभाषा हिंदी के महत्व का प्रतिपादन करते हुए यह उल्लेख किया कि वे हिंदी प्रदेश से संबंध रखते हैं और उनकी सम्पूर्ण शिक्षा हिंदी में ही हुई है। उनके अनुसार बहुत से राष्ट्रों ने अपनी भाषा के दम पर सफलता के प्रतिमान तय किए हैं और वे एक सशक्त अर्थव्यवस्था बन कर उभरे हैं। श्री गर्ग ने विश्व व्यापी उपभोक्तावाद के संदर्भ में यह उल्लेख किया कि आज बहुत सी विदेशी कंपनियां अपने उत्पादों को बेचने के लिए हिंदी का आश्रय लेने के लिए विवश हैं। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से अपने कार्यालय कार्यों में हिंदी का प्रयोग करने पर बल दिया।

इस अवसर पर प्रधान कार्यालय से इस कार्यशाला के अतिथि एवं वक्ता के रूप में श्री कैलाशचन्द उपस्थित हुए। उन्होंने हिंदी भाषा की उत्पत्ति पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए हिंदी के उद्भव एवं विकास की लंबी यात्रा पर प्रकाश डाला। उन्होंने हिंदी के समृद्ध शब्द भंडार और सक्षम व्याकरण का उल्लेख किया। इस संदर्भ में उन्होंने वेदों, पुराणों एवं उपनिषदों में निहित ज्ञान के अथाह भंडार का भी उल्लेख किया और उपस्थित प्रतिभागियों की जिज्ञासा एवं प्रश्नों का समाधान किया।

कार्यशाला के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय-1 के राजभाषा अधिकारी श्री यश वर्धन ने हिंदी के संवैधानिक पक्ष का उल्लेख करते हुए हिंदी के प्रयोजन मूलक विभिन्न रूपों पर चर्चा की । इसके साथ-साथ उन्होंने हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली पर भी संक्षित चर्चा तथा संघ की राजभाषा नीति, और संविधान में किए गए प्रावधानों के साथ-साथ राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम तथा राजभाषा संकल्प पर विस्तार पूर्वक चर्चा की ।

इस कार्यशाला के समापन के पश्चात् उप महाप्रबंधक प्रभारी द्वारा सभी प्रतिभागियों और इस आयोजन के संबंध में सुश्री रिंकी और क्षेत्रीय कार्यालय के राजभाषा अधिकारी के सहयोग और समन्वय के लिए धन्यवाद किया ।

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा

4 फरवरी, 2010 को शिलांग में आयोजित की गई तकनीकी कार्यशाला

हिंदी प्रयोगकर्ता में तकनीकी जागरूकता पैदा करने के लिए शिलांग में तकनीकी कार्यशाला का आयोजन

दिनांक 4 फरवरी, 2010 को गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी प्रयोगकर्ता में तकनीकी जागरूकता लाकर उसे सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से असम राईफल्स मुख्यालय के सभागार में एक तकनीकी कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यशाला में माननीय गृह राज्य मंत्री, श्री अजय माकन के अतिरिक्त हिंदी समाचार पत्रों के संपादकों, हिंदी विद्वानों एवं पूर्व तथा पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के अधिकारियों ने भाग लिया । कार्यशाला में कंप्यूटर पर प्रयोग के लिए भाषा एनकोडिंग के मानक यूनिकोड एनकोडिंग अपनाने के लाभों का उल्लेख करते हुए इस बात पर जोर दिया गया है कि यूनिकोड अपनाने से हिंदी प्रयोगकर्ता को कंप्यूटर पर कार्य में अब तक आने वाली अधिकांश समस्याओं का स्वतः ही पूर्ण समाधान हो जाता है ।

कार्यशाला में मुख्य अतिथि, माननीय गृह राज्य मंत्री, श्री अजय माकन ने अपने संबोधन में इस बात पर बल दिया कि कार्यालयों में राजभाषा हिंदी द्वारा अंग्रेजी प्रयोग की वर्तमान स्थिति को सशक्त चुनौती देने और कार्यालयों में भाषा प्रयोग को हिंदी के पक्ष में लाने के लिए हिंदी प्रयोगकर्ता में तकनीकी जागरूकता लाकर हिंदी को सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ सुनिश्चित करने की आवश्यकता है । यह उल्लेख करते हुए कि कंप्यूटर की अपनी भाषा हमारी अपनी सभी भाषाओं से भिन्न है श्री अजय माकन ने कहा कि कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के लिए यूनिकोड एनकोडिंग प्रयोग करने पर हिंदी प्रयोग में आने वाली फोंट संबंधी सभी समस्याएं बीते कल की बात बन कर रह जाएंगी । हिंदी के लिए यूनिकोड प्रयोग को प्रोत्साहित करने के भारत सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने भारत सरकार द्वारा कंप्यूटर पर हिंदी प्रयोग के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाओं की जानकारी दी ।

कार्यशाला में दी गई अपनी प्रस्तुति में राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव, श्री डी. के. पाण्डेय द्वारा राजभाषा हिंदी की विशेषताओं और इसके प्रचार-प्रसार में जुटे राजभाषा विभाग पर एक प्रस्तुति दी । कार्यशाला में प्रोफेसर अशोक चक्रधर, श्री बालेन्दु दाधीच, श्री वी. के. मल्होत्रा एवं श्री केवल कृष्ण ने कंप्यूटर पर हिंदी प्रयोग के लिए उपलब्ध सुविधाओं, फोंट समस्या एवं यूनिकोड द्वारा इन समस्याओं का समाधान, उपलब्ध कुंजीपटल को विभिन्न कुंजीपटल शैलियों के अनुरूप उपयोग करने की सुविधाओं की जानकारी सहित हिंदी प्रयोगकर्ता की सॉफ्टवेयर सुविधाओं तथा यूनिकोड अनुरूप हिंदी वेबसाइट का निर्माण के संबंध में अपेक्षाओं को रेखांकित किया । कार्यशाला के अंत में अपने अध्यक्षीय संबोधन में राजभाषा विभाग के सचिव, श्री बी. एस. परशीरा ने प्रतिभागियों से आह्वान किया कि वे कार्यशाला से प्राप्त जानकारी को अपने कार्यालयों में अन्य हिंदी प्रयोगकर्ताओं तक पहुंचाए और इस जागरूकता को व्यवहारिक लाभ में परिवर्तित करें ।

(घ) हिंदी दिवस

वरिष्ठ उप महालेखाकार (निर्माण लेखापरीक्षा तथा परियोजनाएं) का कार्यालय ओड़िशा, पुरी

हिंदी पखवाड़ा 2009 समारोह दिनांक 01-09-2009 से 14-09-2009 तक आयोजित किया गया।

दिनांक 01 सितंबर 2009 को अपराह्न 3.30 बजे कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में हिंदी पखवाड़ा 2009 का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया था।

दिनांक 14 सितंबर 2009 का अपराह्न 3.30 कार्यालय के पण्डाल में हिंदी पखवाड़ा 2009 का समापन समारोह का आयोजन किया गया था। श्री एस. राधाकृष्ण भट्, उप महालेखाकार (निर्माण लेखापरीक्षा तथा परियोजना) अध्यक्ष तथा श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, श्री प्यारी मोहन पट्टनायक मुख्य अतिथि थे। कार्यालय के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के बीच भाषण प्रतियोगिता प्रारम्भ हुई। भाषण प्रतियोगिता का विषय "सरकारी कार्यालय में हिंदी कामकाज बढ़ाने के लिए राजभाषा नियम 1976 में किए गए प्रावधान के बारे में संक्षिप्त चर्चा अपने विचार सहित" था। इस भाषण प्रतियोगिता में बहुत सारे अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भाग लिया।

अतिथि महोदय ने अपने भाषण के माध्यम से मन में हिंदी के प्रति प्रेम जागरण करने के सुझाव दिए। वह अपने भाषण के जरिए हिंदी भाषा का महत्व, उसका सरलता आदि के उपर उनके विचार प्रस्तुत किए थे। उन्होंने कहा था कि हिंदी सरल भाषा है इसमें काम में करने में कोई कठिनाई नहीं है केवल मन में हिंदी के प्रति प्यार पैदा करने से हिंदी में काम करते वक्त आने वाली कठिनाईयां खुद व खुद दूर हो जाएंगी। सिर्फ प्रयास जारी रखना है।

अतिथि महोदय ने आयोजित सभी प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों को पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया। इस अवसर पर लेखा तथा लेखापरीक्षा कार्यालय के 6 कर्मचारियों को कार्यालय में हिंदी में काम करने के लिए सम्मानित किया गया था।

मुख्य पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय, कर्नाटक डाक सर्किल, बेंगलूर

मुख्य पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय, कर्नाटक डाक सर्किल, बेंगलूर में दिनांक 14-09-2009 से 28-09-2009 तक हिंदी पखवाड़ा अतीव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पखवाड़े के दौरान पदधारियों को कार्यालयीन कामकाज के दौरान राजभाषा हिंदी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया गया। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हिंदी पखवाड़ा के दौरान अधिकारियों/पदधारियों के लिए विविध हिंदी प्रतियोगिताएं जैसे :-श्रुतलेखन, स्मृति-परीक्षण, सुलेख, कहानी-लेखन, टिप्पण और आलेखन, निबंध-लेखन, वार्तालाप, कविता-पाठ, गायन और प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं में अधिकाधिक संख्या में अधिकारियों व पदधारियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। प्रत्येक प्रतियोगिता के पाँच-पाँच पुरस्कार घोषित किए गए। साथ ही, विशेष सहभागिता पुरस्कार की घोषणा भी की गई। दिनांक 01-01-2009 के अपराह्न 04.00 बजे "हिंदी पखवाड़ा-2009-समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह" का भव्य आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, कर्नाटक डाक सर्किल, श्रीमती शान्ति नायर ने की।

श्री वसुमित्र, पोस्टमास्टर जनरल (व्यवसाय विकास एवं प्रौद्योगिकी) अपने सारगर्भित व्याख्यान में संघ सरकार की राजभाषा नीति और उसके कार्यान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाले। मुख्य अतिथि डॉ. शंकर प्रसाद, उप महाप्रबंधक (राजभाषा), हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड,

लूर द्वारा हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार रित किये गये ।

मुख्य अतिथि डॉ. शंकर प्रसाद, उप महाप्रबंधक भाषा), हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेंगलूर ने ओजपूर्ण व सारगर्भित भाषण में राजभाषा के रूप में की महत्ता पर अपने विचार प्रकट किए । उन्होंने सक पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हुए कहा कि संपर्क के रूप में हिंदी भारत की सभी प्रादेशिक भाषाओं के अपना सामंजस्य स्थापित करके भारत के एक कोने रे कोने तक भ्रमण करनेवाले साधुओं, विचारकों एवं कों के विचारों को परस्पर आदान प्रदान करने में यक सिद्ध रहा है । हिंदी के शब्द ही नहीं अपितु मारी प्रादेशिक भाषाओं के शब्दों का प्रचलन एक ही अर्थ में एक से अधिक भाषाओं में विद्यमान है । हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहरों एवं समृद्ध संस्कृति को बचाकर इसे अपने आने वाली पीढ़ी को सौंपना है तो हमें अपनी-अपनी मातृभाषाओं को अपने घरों में जीवंत रखना अनिवार्य है । उसी प्रकार राष्ट्रीय भावना, एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए राजभाषा हिंदी को अपनाना अनिवार्य है । उन्होंने गीता से श्लोक का उद्धरण देकर वरिष्ठ अधिकारियों से अपील की कि वे अपने कार्यालयीन कार्यों में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करें ; ताकि उनके अधीनस्थ कर्मचारी भी उनका अनुसरण करते हुए राजभाषा हिंदी में कार्य करने में अग्रसर होंगे । इस प्रकार उन्होंने सभी अधिकारियों/पदधारियों का राजभाषा हिंदी में कार्य करने हेतु प्रेरणा दी ।

श्रीमती शान्ति नायर, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, कर्नाटक डाक सर्किल एवं पदेन अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सर्किल कार्यालय ने अपने अध्यक्षीय भाषण में उद्गार प्रकट किए जिसमें उन्होंने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाईयां दी और उपस्थित अधिकारी व पदधारियों से अनुरोध किए कि भविष्य में आयोजित होने वाली हिंदी प्रतियोगिताओं में अधिकाधिक संख्या में भाग लें । आगे उन्होंने कहा कि हिंदी, सभी भारतीयों चाहे वे किसी भी प्रदेश या क्षेत्र के हों, के दिलों को जोड़नेवाली भाषा है; यह सरल भाषा है जिसमें थोड़ी सी रुचि लेने पर हम इसे आसानी से सीख सकते हैं । हम सभी को हिंदी में कार्यालीयन कार्य करने का अधिकाधिक प्रयत्न करना चाहिए ।

केंद्रीय विद्यालय, पू. वायु कमान, अपर शिलांग डा. नांगलियर, जनपद, पू. खासी हिल्स, मेघालय-793009

केंद्रीय विद्यालय, पू. वायु कमान, अपर शिलांग मेघालय के राजभाषा समिति के तहत हिंदी पखवाड़े का आयोजन 14 से 28 सितम्बर, 2009 को आयोजित हुआ । जिसका उद्घाटन राजभाषा समिति की अध्यक्षा प्राचार्या श्रीमती सरोज कुजूर ने 14 सितम्बर को हिंदी दिवस के अवसर पर किया । इस पखवाड़े के अंतर्गत हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए हिन्दी से संबंधित कार्यक्रमों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ । जिनमें मुख्य रूप से कविता पाठ, देशभक्तिगीत, निबन्ध लेखन, नारा व संवाद लेखन, शब्द निर्माण, समूह गान आदि सम्मिलित किये गए । उपरोक्त प्रतियोगिताओं में विद्यालय के लगभग 500 विद्यार्थियों ने भाग लिया । विद्यालय के अहिंदी भाषी शिक्षकों ने भी बड़े उत्साह के साथ भाग लिया ।

हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह के दिन आकाशवाणी केंद्र शिलांग के मुख्य उद्घोषक डा. अकेला भाई मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे । उन्होंने हिंदी के पुरजोर विकास पर बल दिया और हिंदी को अधिक से अधिक व्यावहारिक बनाने की अपील की । इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय पत्रिका का लोकार्पण किया तथा अध्यक्षा महोदया ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट स्वरुप प्रदान किया ।

कार्यक्रम की अध्यक्षा प्राचार्य श्रीमती सरोज कुजूर ने की और हिंदी के महत्व और सार्थकता पर प्रकाश डाला ।

अंत में हिंदी पखवाड़ा संयोजक श्री रवीन्द्र कुमार प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षक (हिंदी) के नेतृत्व में समस्त विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने हिंदी को अधिक से अधिक प्रयोग में लाने का संकल्प लिया ।

केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन (पूर्वा.) भुवनेश्वर, उड़ीसा

दिनांक 14-09-2009 से 18-09-2009 तक संगठन में हिंदी सप्ताह बड़े धूमधाम से मनाया गया । सप्ताह के दौरान 5 हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया । कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया ।

18-09-2009 को समापन समारोह में प्रक्षेत निदेशक डॉ. प्रसन्न कुमार पंडा की अध्यक्षता में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया । इस अवसर पर निदेशक जी ने सभी कर्मचारियों को राजभाषा की उन्नति के लिए कार्यालय के सभी कार्य हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित किया । सप्ताह के कार्यक्रम को कार्यालय के हिंदी अनुवादक श्री अभिमन्यु साहाणी जी ने सुचारू रूप से परिचालित किए ।

महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक.) असम, मैदानगांव, बेलतला, गुवाहाटी-29

राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से पूरे देश के साथ प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), असम तथा महालेखाकार (लेखा एवं हक.) असम, गुवाहाटी दोनों कार्यालयों के संयुक्त प्रयास से 04 सितम्बर से 14 सितम्बर 2009 तक विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हिंदी पखवाड़ा 2009 का आयोजन किया गया ।

संयुक्त हिंदी पखवाड़े का विधिवत् उद्घाटन दिनांक 04 सितम्बर 2009 को महालेखाकार (लेखा एवं हक.) श्री यशोधरा राय चौधरी ने भारतीय परंपरानुसार दीप प्रज्वलित कर किया । उद्घाटन समारोह के अवसर पर दोनों कार्यालयों के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे । अपने संक्षिप्त एवं सारगर्भित उद्घाटन भाषण में महालेखाकार (लेखा एवं हक.) महोदया ने कार्यालय में हिंदी के बढ़ते वातावरण के लिए खुशी जाहिर करते हुए कहा कि व्यवहारिक रूप में आ सके, इसके लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए ।

समारोह में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करते हुए अपने स्वागत भाषण में श्रीमान जे. पी. रजक, वरिष्ठ, उपमहालेखाकार, ने कहा कि कार्यालय के ग क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद, जिस तरह का हिंदी प्रेम यहाँ दिखाई देता है, उससे यह स्पष्ट है कि हिंदी अब हमारे लिए परायी भाषा नहीं रही । विभिन्न-भाषी भारत वर्ष में अलग-अलग प्रांतीय भाषाएँ होने के बावजूद हिंदी सभी की अपनी है ।

महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सुश्री यशोधरा राय चौधरी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी दिवस या पखवाड़े के आयोजन का उद्देश्य महज औपचारिकता निभाना नहीं होना चाहिए । हमारा उद्देश्य केवल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर पुरस्कार प्राप्त करना नहीं बल्कि हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं प्रयोग ने अपनी जिम्मेदारी निभाने का होना चाहिए । हम सभी का यह प्रयास होना चाहिए कि कार्यालय में हिंदी जल्द से जल्द अंग्रेजी का स्थान ले सके । श्री ऐनुल हक, उप महालेखाकार(पे/फं) हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हिंदी को ऊपर उठाएँ आगे चलकर उन्होंने कहा कि भारत एक बहुभाषी देश है । वेशभूषा, परंपरा सब भिन्न होते हुए भी हम सब एक हैं । इसका कारण हमारे बीच पनप रही मजबूत कड़ी हिंदी है ।

उक्त पखवाड़े के दौरान कार्यालय में हिंदी के [illegible] प्रसार एवं लोगों के मन में हिंदी के प्रति रुचि बढ़ाने [illegible] उद्देश्य से हिंदी निबंध लेखन, अनुवाद, आशुभाष[illegible] वाद-विवाद आदि प्रतियोगितायें आयोजित की गई जिनमें दोनों कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया । इस दौरान स्टाफ के बच्चों के लिए भी कविता आवृति तथा प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता आयोजित की गई थी । विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीया स्थान पाने वाले प्रतियोगियों को नक़द पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया ।

दूरदर्शन केंद्र : नागपुर

दूरदर्शन केंद्र, नागपुर में दिनांक 1 से 14 सितम्बर, 2009 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया । दिनांक 1-9-2009 को केंद्र अभियंता श्री अधीर गड़पाले ने दीप प्रज्वलित कर हिंदी पखवाड़े का उद्घाटन किया । अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में उन्होंने उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों से यह अपील की कि हिंदी के कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहित करने के अवसर ढूंढने के बजाय इसे दिल से स्वीकार करें। श्रीमती प्रतिभा पांडे, सहा. केंद्र निदेशक तथा श्री सुधीर पाटणकर, सहा. केंद्र निदेशक ने भी इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया ।

पखवाड़े के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से हिंदी की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। दिनांक 14 सितंबर को हिंदी दिवस समारोह मनाया गया जिसकी अध्यक्षता केंद्र अभियंता, श्री अधीर गड़पाले ने की । इस अवसर पर केंद्र अभियंता महोदय ने माननीय गृह मंत्री भारत सरकार द्वारा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में भेजे गए

संदेश को पढ़कर सुनाया । हिंदी दिवस समारोह के पश्चात् सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें महाराष्ट्र शासन द्वारा नियुक्त तथा डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशिक्षण व विकास प्रबोधिनि, अमरावती में कार्यरत प्रशिक्षण समन्वयक श्री श्यामसुंदर मकरमपुरे का व्याख्याता के रूप में आमंत्रित किया गया । श्री श्यामसुंदर मकरमपुरे ने सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 पर सारगर्भित व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए उक्त विषय के संबंध में न केवल महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की बल्कि उपस्थितों की शंकाओं का निवारण भी किया । अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित इस कार्यशाला का लाभ दूरदर्शन केंद्र, नागपुर के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ प्रसार भारती के नागपुर स्थित अन्य कार्यालयों जैसे-आकाशवाणी, एस पी टी, सी सी डब्ल्यू, दूरदर्शन अनुरक्षण केंद्र इत्यादि के कर्मचारियों ने भी उठाया । कुल 52 अधिकारियों/कर्मचारियों को इस कार्यशाला में प्रशिक्षित किया गया ।

कार्यशाला की समाप्ति के पश्चात् हिंदी पखवाड़ा समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया जिसमें मुख्य अतिथि श्री श्यामसुंदर मकरमपुरे, प्रशिक्षण समन्वयक, महाराष्ट्र शासन तथा केंद्र अभियंता श्री अधीर गड़पाले, एवं श्रीमती प्रतिभा पांडे, सहा. केंद्र निदेशक ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किये । सभी कार्यक्रमों का संचालन श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा, हिंदी अनुवादक द्वारा किया गया तथा आभार प्रदर्शन क्रमशः श्री निरंजन पाठक, प्रस्तुति सहायक तथा श्री राजीव गायकवाड, कार्यक्रम निष्पादक ने किया ।

केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, मुख्यालय, नागपुर

हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदी दिवस बोर्ड में मनाया गया है । श्री वी. आर. हनवते, उप निदेशक (मुख्यालय) ने हिंदी दिवस का दिनांक 14-09-2009 को उदघाटन किया । उन्होंने राजभाषा हिंदी के विकास तथा गरिमा के बारे में भी बताते हुए कहा कि हमें मिलजुलकर हिंदी को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए ।

इस अवसर पर श्री बी. वी. रमेश बाबू, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने हिंदी दिवस से संबंधित जानकारी प्रदान की ।

श्रीमती एल. आर. सोमकुवर, क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय निदेशालय, नागपुर ने भी हिंदी भाषा के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए ।

मुख्यालय के संपादक श्री एम. ए. शालीग्राम ने कहा कि हिंदी भाषा आदमी को आदमी से जोड़ने की भाषा है ।

क्षेत्रीय निदेशालय, नागपुर में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रशिक्षणार्थियों ने तथा कार्यक्रम में उपस्थित बोर्ड के अन्य पदाधिकारियों ने भी हिंदी भाषा पर अपने-अपने विचार व्यक्त किए ।

श्रीमती उज्वला रामटेके, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक ने कार्यक्रम का सफल संचालन किया तथा श्रीमती शीतल वासनिक, हिंदी टंकक ने धन्यवाद ज्ञापन दिया ।

उच्च शक्ति प्रेषित:आकाशवाणी:आलप्पुषा-688 521

हिंदी दिवस समारोह 14 सितंबर 2009 को धूम-धाम से मनाया गया । इस अवसर पर श्री पी. आर. पाजी, सहायक केंद्र अभियंता समारोह के अध्यक्ष रहे । उन्होंने मुख्य अतिथि श्री सदाशिवन पिल्लै (सेवा-निवृत्त हिंदी अधिकारी, भारतीय खाद्य निगम, कोट्टयम) एवं सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का स्वागत करते हुए कहा कि आकाशवाणी, महानिदेशालय से प्राप्त आदेशों के मुताबिक हमें ज्यादातर काम हिंदी में ही करना चाहिए । फिर मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित करके समारोह का औपचारिक उद्घाटन किया । अपने स्वागत भाषण में उन्होंने कहा कि आधुनिक युग में ज्यादातर बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही है । फिर यूनिकोड के बारे में भी बताया ।

इस अवसर पर, तारीख 15-09-2009 को अपराह्न 2.00 बजे से पाँच प्रतियोगिताएं, जैसे-टिप्पण एवं मसौदा-लेखन, गीत प्रतियोगिता, वाचन एवं अनुवाद प्रतियोगिता आम तौर पर सभी कर्मचारियों के लिए और वाचन प्रतियोगिता केवल घ-श्रेणी के कर्मचारियों के लिए आयोजित की गई और तारीख 18-09-2009 को अपराह्न 2.00 बजे से छः प्रतियोगिताएं, जैसे-हस्तलेख, श्रुतलेख, स्मरण-शक्ति प्रतियोगिता और कार्यशाला पर आधारित प्रतियोगिता आम तौर पर सभी कर्मचारियों के लिए और हस्तलेख और स्मरण-शक्ति प्रतियोगिता केवल घ-श्रेणी के कर्मचारियों के लिए आयोजित की गई । सभी कर्मचारियों ने अत्यंत रुचि के साथ इसमें भाग लिया और पुरस्कार भी प्राप्त किया ।

दूरदर्शन केंद्र : हैदराबाद

राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वाधान में दिनांक 1-09-2009 से 14-09-2009 तक हिंदी सप्ताह/हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया ।

दिनांक 7-09-2009 से 10-09-2009 तक चार प्रतियोगिताएं रखी गई । इन प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया और पुरस्कार भी प्राप्त किए । दिनांक 16-09-2009 को शाम 4.00 बजे समापन समारोह रखा गया । इस समारोह के अध्यक्ष केंद्र निदेशक डॉ. पी. मधुसूदन राव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ । कार्यक्रम का संचालन सुश्री पी. गायत्री देवी, हिंदी अधिकारी ने किया और अपने अनुभाग से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत किया तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं का उल्लेख किया । केंद्र के अधीक्षक अभियंता श्री डी. एस. आर. बी. हेच. बाबा अपने भाषण में कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है । इसको सीखने तथा हिंदी में काम करने से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए । हमारे कार्यालय में अधिकतर कर्मचारी अपनी मातृ भाषा तेलुगु होते हुए भी हिंदी पढ तथा लिख सकतें है इनकी झिझक को दूर करने के लिए हमारे कार्यालय में कार्यशालाएं रख कर उन्हें अभ्यास करवाया जाए तो कर्मचारियों की हिंदी के प्रति झिझक दूर हो जाएगी ।

समारोह के अध्यक्ष डॉ पी मधुसूदन राव, निदेशक ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि यह तो सच है कि हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है परन्तु भाषा को आगे बढाने का कार्य तो बोलने तथा सीखने से ही होता है हमें तो किसी न किसी तरह से गृह मंत्रालय द्वारा प्राप्त वार्षिक कार्यक्रम में बताए लक्ष्यों को पूरा करना पड़ता है तथा संसदीय राजभाषा द्वारा दिए गए निर्देशों को भी पूरा करना है इसी लिए सभी अधिकारी तथा कर्मचारी पूर्ण लगन से हिंदी में काम करें तथा उन आश्वासनों को पूरा करें ।

आकाशवाणी, सम्बलपुर

आकाशवाणी, सम्बलपुर केंद्र में 14 सितम्बर, 2009 को हिंदी दिवस मनाया गया तथा 15 सितम्बर से 30 सितम्बर 2009 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। 14 सितम्बर को केंद्र के प्रतिक्षालय में आयोजित सभा की अध्यक्षता श्री शेषदेव ताजन, केंद्र अभियंता तथा केंद्राध्यक्ष ने की । कार्यालयाध्यक्ष ने हिंदी दिवस के तात्पर्य के बारे में जानकारी देते हुए समस्त कर्मचारियों को कार्यालय के कामकाज में हाजिरी पंजी में हस्ताक्षर हिंदी में करने के लिए तथा टिप्पण और पत्राचार आदी को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया ।

हिंदी पखवाड़ा के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन आकाशवाणी, सम्बलपुर केंद्र के अधिकारियों/कर्मचारियों के बीच में किया गया ।

पखवाड़े का समापन तथा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन 24 सितम्बर को अपराह्न 4.00 बजे आकाशवाणी, सम्बलपुर के प्रतिक्षालय में किया गया । इसमें मुख्य अतिथि के रूप में गंगाधर मेहेर महाविद्यालय के सेवा निवृत्त प्राध्यापक श्री मुरारीलाल शर्मा ने अपने कर कमलों से सफल आनेवाले समस्त प्रतियोगिओं को पुरस्कृत किया ।

मुख्य अतिथि ने अपने अभिभाषण में 'भाषा' का महत्व के बारे में उल्लेख करते हुए कहा कि किसी भी देश या जाती के विकास में भाषा अहम भूमिका निभाती है । भाषा के विकास के बिना सभ्यता का विकास असंभव है । उन्होंने इतिहास की स्वर्णिम अध्यायों की याद दिलाते हुए कहा कि यह केवल हिंदी ही था जिसके माध्यम से हमारे परम पूज्य महात्मा गांधी आदी महामानवों ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान समग्र भारत वर्ष के हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक के लोगों में जागरूकता और एकता लाने में सक्षम हो सके । उन्होंने कहा कि भाषा किसी राष्ट्र की पहचान होती है और उस राष्ट्र की सभ्यता, संस्कृति और संस्कार उनकी भाषा में प्रतिबिंबित होते है । अपने संस्कार, सभ्यता, संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए हमें ऐसी भाषा की आवश्यकता है जो सरल, सुबोध होने के साथ अमृत के समान मधुर मिठी हो । हिंदी ही एक ऐसी भाषा के पद पर प्रतिष्ठित हुई है । अतः इस दिशा में संघ सरकार के जो लक्ष्य है, उन लक्ष्यों को प्राप्त करना हमारा कर्तव्य होना चाहिये ।

मुख्य अभियंता (पूर्वी क्षेत्र), आकाशवाणी और दूरदर्शन, कोलकाता

कोलकाता के कार्यालय में दिनांक 01-09-2009 से 15-09-2009 तक हिंदी पखवाड़ा समारोह का आयोजन किया गया । आकशवाणी भवन के सम्मेलन कक्ष में दिनांक 1-09-2009 को अपराह्न 2.30 बजे हिंदी पखवाड़ा का शुभ उद्घाटन किया गया । हिंदी अधिकारी श्री ब्रज बिहारी

दास ने अधिकारियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत किया एवं पखवाड़ा के बारे में विस्तृत विवरण प्रदान किया। तत्पश्चात श्री वेद प्रकाश, निदेशक अभियांत्रिकी ने कहा कि "हिंदी के प्रचार एवं प्रसार हेतु प्रत्येक कर्मचारी को सिर्फ पखवाड़ा में ही नहीं बल्कि दैनिक कार्यालयीन कार्यों में भी हिंदी के कार्यों को बढ़ावा देना जरूरी है।" इसके बाद श्री आर. एस. तिवारी, निदेशक अभियांत्रिकी ने अपने भाषण में यह कहा कि "कार्यालय में पखवाड़ा मनाया जा रहा है, यह अति प्रसन्नता की बात है। आशा है कि इसमें ज्यादा कर्मचारी भाग लेगें और इस कार्य को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे"।

पखवाड़े के दौरान "5" प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

दिनांक 15-09-2009 को हिंदी पखवाड़ा का समापन तथा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया।

श्री एच. के. सिन्हा, मुख्य अभियंता (अनुरक्षण) ने अपना भाषण प्रदान किया। उन्होंने कहा कि "कार्यालय में पखवाड़ा उत्साहपूर्वक मनाया गया, यह खुशी की बात है। सारे वर्ष के दौरान भी हिंदी में कामकाजों को उत्साह सहित करना चाहिए ताकि हिंदी के प्रचार-प्रसार को अग्रगति मिल सके।" इसके बाद अध्यक्ष महोदय श्री एस.आर.एम. शास्त्री, मुख्य अभियंता (परियोजना) ने अपना अभिभाषण प्रदान किया। उन्होंने कहा कि "हिंदी पखवाड़ा सफलता पूर्वक मनाने के बाद यह आशा करूँगा कि पूरे वर्ष में सभी कर्मचारी हिंदी के कार्य में रूचि लेकर काम करेंगे और अगली बार ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी इस पखवाड़ा में हिस्सा लेंगे तथा हिंदी के प्रचार-प्रसार को आगे बढ़ायेंगे"।

आकाशवाणी डिब्रूगढ़ केंद्र

आकाशवाणी डिब्रूगढ़ केंद्र में हिंदी सप्ताह का आयोजन बड़े धूम-धाम से दिनांक 7 से 14 सितम्बर तक किया गया। राजभाषा हिंदी सप्ताह का उद्घाटन दिनांक 7-9-2009 को आकाशवाणी डिब्रूगढ़ केंद्र की कान्फ्रेंस हाल में सहायक केंद्र अभियंता श्री उत्पल भट्टाचार्जी ने सभी कर्मचारियों तथा अधिकारियों के उपस्थिति में किया। हिंदी सप्ताह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

हिंदी सप्ताहिक समापन तथा पुरस्कार वितरण समारोह की अनुष्ठान दिनांक 14 सितम्बर को आकाशवाणी डिब्रूगढ़ के सभा कक्ष में किया गया। समारोह की अध्यक्षता श्री उत्पल भट्टाचार्जी, सहायक केंद्र अभियंता ने किया। उन्होंने कार्यक्रम का प्रारम्भ स्वागत भाषण से किया। असम की परम्परा के अनुसार केंद्र के कार्यालय प्रधान तथा समारोह के अध्यक्ष श्री उत्पल भट्टाचार्जी, सहायक केंद्र अभियंता द्वारा समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. अलख निरंजन सहाय, प्रवक्ता, डिब्रुगढ़ महाविद्यालय को फूल एवं गमछा से सम्मानित किया गया।

इसके बाद मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में राजभाषा हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में स्पष्ट रूप से बताते हुए कहा कि केंद्र में इस प्रकार की हिंदी प्रतियोगिताओं के आयोजन से निश्चित तौर पर कार्यालय में हिंदी में काम करने का वातावरण पैदा होता है। प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले कर्मचारियो को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि इन प्रतियोगिताओं में ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को भाग लेना चाहिए क्योंकि राजभाषा हिंदी को उसका समुचित स्थान दिलाने के लिए हम सबको सच्चे दिल से प्रयासशील होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय ने अपने भाषण के प्रारम्भ में सभी कर्मचारियों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर हिंदी सप्ताह एवं समारोह को सफल बनाने के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन किया। उन्होंने केंद्र के सभी कर्मचारियों को अपने अधिक से अधिक काम हिंदी में करने के लिए प्रयत्नशील होने के लिए अनुरोध किया।

इस के पश्चात् केंद्र के सहायक श्री के.पी. दास ने अपने भाषण में विचार प्रकट करते हुए कहा कि राजभाषा होने के नाते हम सबको इस भाषा का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर हिंदी सप्ताह एवं समारोह को सफल बनाने के लिए सभी कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापन किया एवं साथ में बधाई भी दिया। इस के पश्चात् डॉ. श्रीमती शुक्ला राय चौधरी (उच्च श्रेणी लिपिक ने अपने भाषण में सम्पर्क भाषा के रूप में हिंदी तथा राष्ट्रभाषा होने के नाते हिंदी के महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में व्यापक रूप से स्पष्ट करते हुए कहा कि हिंदी सप्ताह के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर सभी ने जो उत्साह दिखाया है, वह उत्साह हमें अपने कार्यालय के दैनिक क्रियाकलापों में भी शामिल करना चाहिए।

डॉ. ए.एन. सहाय ने अपने भाषण में कहा कि हिंदी न केवल हमारे देश की बल्कि विश्व की सबसे सरलतम, सुकोमल, मधुर व वैज्ञानिक भाषा है । आज आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में अधिकाधिक रूप से अपनाई जाय एवं इसे अधिकाधिक व्यावहारिक बनाने के लिए हम सबको प्रयत्न करना चाहिए ।

मुख्य अतिथि ने सभी प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पाने वालों को नकद पुरस्कार के साथ-साथ प्रमाण पत्रों से सम्मानित किया ।

एस.ई.आर.सी एण्ड सी.एस..आई.आर. मद्रास कॉम्प्लेक्स सी.एस.आई.आर कैंपस, तरमणी, चेन्नै-600113

सी.एस.आई.आर. मद्रास कॉम्प्लेक्स और एस.ई.आर. सी. द्वारा संयुक्त रूप से विभिन्न हिंदी कार्यक्रमों और हिंदी प्रतियोगिताओं को आयेजित करते हुए 01-14 सितम्बर, 2009 के दौरान हिंदी पक्ष मनाया गया । हिंदी पक्ष के दौरान कर्मचारियों के लिए हिंदी में टंकण, लेखन, प्रश्नोत्तरी, गीत गायन आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं इसके अलावा ग्रुप-1 तथा क्लास-4 को छोड़कर बाकी सभी तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई । कार्यशालाओं में वक्ता के रूप में तथा प्रतियोगिताओं में निर्णायक के रूप में विभिन्न कार्यालयों/बैंकों से हिंदी अधिकारियों को बुलाया गया ! कार्यशालाओं में भारत सरकार की राजभाषा नीति, राजभाषा हिन्दी के संवैधानिक प्रावधान, पत्र लेखन, टिप्पण एवं प्रारूप-लेखन आदि विषयों पर भाषण/प्रशिक्षण दिए गए ।

हिंदी पक्ष का समापन कार्यक्रम 14 सितम्बर, 2009 को एस.ई.आर.सी. के विज्ञान ऑडिटोरियम में अपराह्न 3.30 से 5.30 बजे तक आयोजित किया गया । इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आई.आई.टी. मद्रास के जीव-प्रौद्योगिकी विभाग के अध्यक्ष डॉ. रमा शंकर वर्मा को आमंत्रित किया गया । समापन कार्यक्रम का शुभारंभ ईश्वर वंदना से हुआ । हिंदी पक्ष समारोह समिति के अध्यक्ष एवं एन.एम.एल. इकाई के वैज्ञानिक डॉ. श्रीपाद सुब्बाराव ने स्वागत भाषण दिया । एस.ई.आर.सी. के निदेशक एवं सी.एस.आई.आर. मद्रास कॉम्प्लेक्स के समन्वय निदेशक डॉ. नागेश र. अय्यर ने अध्यक्षता की । वरिष्ठ हिंदी अधिकारी श्री कुमरेश बापु ने राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की ।

ज्वार अनुसंधान निदेशालय (पहले राष्ट्रीय ज्वार अनुसंधान केंद्र) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् राजेन्द्रनगर, हैदराबाद

ज्वार अनुसंधान निदेशालय में 07 सितम्बर, 2009 को डॉ. एन. सीतारामा, निदेशक द्वारा हिंदी सप्ताह समारोह का उद्घाटन किया गया । इस सप्ताह के दौरान हिंदी में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने हिंदी में हस्ताक्षर करके कार्यक्रम को सफल बनाया । इस समारोह के दौरान हिंदी में विभिन्न प्रतियोगिताओं जैस-छोटे शब्दों एवं पदों का हिंदी में अनुवाद, निबंध लेखन (विषय: खाद्यान समस्या और ज्वार), भाषण प्रतियोगिता (विषय: ज्वा.अनु.नि. को सर्वोत्तम संस्था बनाने हेतु अपेक्षाएँ), सोचो और लिखो-पाँच मिनट हिंदी शब्द लेखन, श्रुत-लेखन (शुद्ध लेखन), प्रश्न मंच तथा निदेशालय में संचालित अनुसंधान पर आधारित विषयों पर पोस्टर प्रस्तुतीकरण का आयोजन किया गया, जिसमें वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक तथा अनुसंधान सहायक शोध छात्रों आदि ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया ।

निदेशालय के ज्वार सभागार में 14 सितम्बर 2009 को उक्त समारोह के समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।

मुख्य अतिथि डॉ. एस.पी. सिंह प्रधान वैज्ञानिक, चावला अनुसंधान निदेशालय ने प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र प्रदान किए तथा डॉ. एन सीतारामा ने प्रतियोगिता के अन्य सहभागियों को प्रोत्साहन पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र एवं प्रतियोगिताओं के निर्णायकों को स्मृति चिह्न प्रदान किए । तत्पश्चात डॉ. एस.पी. सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी हमारी राजभाषा ही नहीं है अपितु वह हमारे देश में संपर्क भाषा का दायित्व भी निभा रही है और संपर्क भाषा वही बन सकती है जो देश के जन-सामान्य में अत्यधिक प्रचलित हो । अत: हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम देश की जनभाषा तथा संविधान सभा द्वारा राजभाषा के रूप में पारित हिंदी में ही कार्य करें, ताकि सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों से जनता अवगत हो सके तथा अपने दायित्वों का आसानी से निर्वाह कर सके । डॉ. एन सीतारामा ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि

हमारे संस्थान में राजभाषा कार्यान्वयन में प्रगति सही दिशा में हो रही है, परंतु हमें इससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए तथा इस प्रगति में और तीव्रता लाते हुए हमारी प्रचार-प्रसार सामग्री को हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में तैयार करना चाहिए ताकि हमारे अनुसंधान कार्यों से देश का सामान्य कृषक वर्ग लाभान्वित हो सके ।

भारत संचार निगम लिमिटेड, मैसूर

कर्नाटक परिमंडल कार्यालय, बेंगलूर मुख्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार भारत संचार निगम लिमिटेड, मैसूर जिले में दिनांक 1 सितंबर से 15 सितम्बर 2009 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया । इस पखवाड़े के दौरान न केवल मैसूर के महाप्रबंधक कार्यालय के स्टाफ के लिए प्रतियोगिताएं चलाई गई बल्कि मैसूर के सभी अधीनस्थ स्थानीय मंडल कार्यालयों एवं ग्रामीण स्थित मंडल अभियंता के कार्यालयों के स्टाफ के लिए भी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं । कुल 14 हिंदी प्रतियोगिताएं चलाई गई और वो थे हिंदी टिप्पण व आलेखन, अनुवाद, सुलेख, स्मरण, हिंदी टंकण, आशुभाषण एवं वार्तालाप आदि । स्टाफ के बच्चों के लिए भी हिंदी गायन प्रतियोगिता आयोजित की गई । सभी विजेताओं को नकद पुरस्कार व प्रमाण-पत्र दिए गए ।

16 सितंबर 2009 को हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह व पुरस्कार वितरण समारोह के रूप में मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में श्री रामजी गुप्ता, वरिष्ठ वैज्ञानिक (सेवानिवृत्त) भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, मैसूर और सम्मानित अतिथि के रूप में श्रीमती आर. पद्मा, सहायक निदेशक (राजभाषा), परिमंडल कार्यालय, बेंगलूर ने अपनी उपस्थिति से इस समारोह की शोभा बढ़ाई ।

मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में कहा कि कैसे हिंदी संपर्क भाषा के रूप में सारे विश्व में तीव्र गति से उभर रही है और चूंकि भारत एक बहुभाषी देश है वहां हिंदी विविधता में एकता कायम रखने की अहम भूमिका निभा रहा है । उन्होंने बीएसएनएल के सभी स्टाफ को बधाई दी कि उनके कार्यालय में हिंदी कार्यान्वयन की दिशा में अच्छा कार्य हो रहा है । उन्होंने प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रमाण पत्र व नकद पुरस्कार वितरण किया ।

श्री एस. आर. चंद्रन, महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लिमिटेड, मैसूर ने सभी विजेताओं को बधाई दी और खुशी प्रकट की कि इस वर्ष हिंदी प्रतियोगिताओं में सभी स्टाफ ने बड़ी संख्या में और बड़े ही उत्साह से इनमें भाग लिया । उन्होंने कहा कि भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर प्रभावी और सक्रिय रूप से इस कार्यालय में कार्य किया जा रहा है । उन्होंने इस बात पर भी खुशी प्रकट की कि कर्नाटक परिमंडल में मैसूर जिले से प्रति तिमाही, नियमित रूप से हिंदी पत्रिका-महक प्रकाशित की जा रही है ।

श्रीमती आर. पद्मा, ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि मैसूर जिले में महाप्रबंधक श्री एस. आर. चंद्रन जी के नेतृत्व में हिंदी का अच्छा काम हो रहा है । उन्होंने मैसूर जिले के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को हिंदी कार्यान्वयन में उनके उत्साह व सहयोग के लिए भी बधाई दी ।

भारत संचार निगम लिमिटेड

महाप्रबंधक का कार्यालय, पुदुच्चेरी-605001

बी.एस.एन.एल., मुख्यालय, नई दिल्ली और परिमंडल कार्यालय, चेन्नई के निर्देशानुसार, तारीख 1 सितम्बर, 2009 से 14 सितम्बर 2009 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया । इस अवधि में, कर्मचारी और उनके बच्चों को प्रोत्साहन करने हेतु, निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए : अधिकारी स्तर पर सुंदर लिखावट, कर्मचारी स्तर पर सुंदर लिखावट, शब्द शक्ति, टिप्पण व मसौदा लेखन, बच्चों के लिए शब्द शक्ति, और बच्चों व कर्मचारियों के लिए संगीत प्रतियोगिता आदि ।

तारीख 06 अक्तूबर, 2009 को सम्मेलन कक्ष, दूरभाष केंद्र, पुदुच्चेरी में समापन समारोह और पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ । प्रार्थना गीत से कार्यक्रम का श्री गणेश हुआ । श्री पी. गुणशेखरन, सहायक महाप्रबंधक (प्रशासन) ने सबका स्वागत किया । श्रीमती ई. एस. शेषाद्री, उप मंडल अभियंता (प्रशासन) ने हिंदी पखवाड़े की रिपोर्ट प्रस्तुत की। माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार से प्राप्त संदेश को श्री एस. रामदेशिगन, उप मंडल अभियंता (योजना) ने वाचन किया और श्री एस. श्रीधरण, टी.एस.ओ, ने उसका तमिल पाठ वाचन किया । श्री आर. मार्शल आँटनी लियो, आई.टी.एस. महाप्रबंधक, पुदुच्चेरी ने अध्यक्षीय भाषण देकर विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण-पत्र दिए । श्री ए. राबर्ट जेराई रवि, आई.टी.एस., उप महाप्रबंधक-दूरसंचार और एन. सारि,

उप-महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी । श्री के. कण्णन, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, पुदुच्चेरी ने धन्यवाद समर्पण किया । राष्ट्रगान के साथ समारोह समाप्त हुआ ।

दूरसंचार जिला महाप्रबंधक का कार्यालय, आलप्पुषा-688011

महाप्रबंधक-दूरसंचार कार्यालय, बी एस एन एल आलप्पुषा में पूरे पंद्रह दिनों के विभिन्न कार्यक्रम सहित हिंदी पखवाड़ा मनाया गया । समारोह का विस्तृत प्रचार के लिए आलप्पुषा एस डी सी ए के सभी मंडल कार्यालयों में त्रिभाषी बैनर् प्रदर्शित किए गए । 14 सितंबर, 2009 को श्री टी. नटराजन, महाप्रबंधक द्वारा पखवाड़े का उद्घाटन किया गया । इसके दौरान अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके बच्चों के लिए प्रतियोगिताएँ, राजभाषा जागरुकता कार्यक्रम, कार्यशाला, स्पोकन हिंदी क्लास आदि आयोजित किए गए । 26-9-2009 को समापन समारोह में श्री टी. नटराजन, महाप्रबंधक ने अध्यक्षता की । मुख्य अतिथि श्रीमती एस. सिंधु, हिंदी प्रोफेसर ने प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए । इस समारोह में कर्मचारियों और उनके बच्चों द्वारा विविध कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए ।

महाप्रबंधक दूरसंचार का कार्यालय, बी एस एन एल, दावणगेरे (कर्नाटका)

कार्यालय में दिनांक 1 सितम्बर, 2009 से 15 सितंबर, 2009 तक हिंदी पखवाड़ा 2009 मनाया गया । इस सिलसिले में बी एस एन एल के कर्मचारी-वर्ग के लिए हिंदी में 10 प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं जैसे टिप्पण और आलेखन, स्मरण परीक्षा, गायन (महिला, पुरूष एवं बच्चों के लिए अलग से), सुलेख, श्रुतलेखन, हिंदी निबंध, अधिकारियों के लिए हस्ताक्षर प्रतियोगिता एवं सामान्य ज्ञान ।

पखवाड़े के अन्तिम दिवस को हिंदी दिवस एवं पुरस्कार वितरण समारोह के रूप में महाप्रबंधक श्री ज्योति शंकर एस जी की अध्यक्षता में दिनांक 26-9-2009 को कार्यालय के सम्मेलन कक्ष मे आयोजित किया गया । जिसके मुख्य अतिथि के रूप में शिवमोग्गा दूरसंचार जिले के सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री हरि पटनायक जी ने भाग लिया था । उन्होंने अपने भाषण में हिंदी की महानता आदि के बारे में बताते हुए कहा कि अब हिंदी विश्व भाषा बनने जा रही है । समारोह के अध्यक्ष श्री ज्योति शंकर एस जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में हिंदी एक मीठी भाषा है । इसे प्यार से अपनाने का कहते हुए कर्मचारी-वर्ग अपने दैनंदिन कामकाज में इसका अधिक प्रयोग करने के लिए सुझाव दिए ।

इस बार कार्यालय के दो अनुभागों को राजभाषा के उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन के लिए प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार दिया गया । यह पुरस्कार शील्ड के रूप में अनुभागों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया । इस वर्ष प्रथम पुरस्कार कार्यालय के विपणन अनुभाग को और द्वितीय पुरस्कार सामान्य अनुभाग को दिया गया ।

ग्रेफ केंद्र दिघी कैम्प, पुणे-411015

राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने व कर्मचारियों में हिंदी के प्रति जागरुकता एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ग्रेफ सेन्टर एवं अभिलेख कार्यालय में दिनांक 1 सितंबर, 2009 से 14 सितंबर, 2009 तक हिंदी दिवस/पखवाड़े का आयोज़न किया गया । हिंदी पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया ।

हिंदी पखवाड़े का शुभारंभ हिंदी नोटिंग/ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता के साथ किया गया । हिंदी भाषियों एवं हिंदीतर भाषियों के लिए अलग-अलग नोटिंग/ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता एवं हिंदी निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई । प्रजियोगिताओं का संचालन निर्णायक मंडलों के तत्वाधान में किया गया । ग्रेफ केंद्र एवं अभिलेख कार्यालय के कार्मिकों ने उत्साहपूर्वक इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया ।

दिनांक 14 सितंबर, 2009 को हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह आयोजित किया गया । समारोह की अध्यक्षता कर्नल ए के दारा, कमांडेंट ग्रेफ केंद्र एवं प्रभारी अधिकारी अभिलेख ने की ।

अध्यक्ष महोदय ने अपने भाषण में कहा कि मुझे खुशी है कि हमारे ग्रेफ केंद्र एवं अभिलेख कार्यालय में हिंदी को बढ़ावा देने व प्रचार-प्रसार के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं । इस प्रकार के समारोह न केवल कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं बल्कि राजभाषा हिंदी के प्रति हमारे दायित्वों की याद दिलाते हैं । हमारे समारोह की सार्थकता तभी पूर्ण होगी जब हम हिंदी को

स्वेच्छा से अपनाएं और रोजमर्रा के कामों में अधिक से अधिक प्रयोग कर दूसरों को भी इसके प्रयोग के लिए प्रेरित करें। हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है और किसी देश में प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उस देश का राजकाज उसकी राष्ट्र-भाषा में हो ताकि उसकी राष्ट्रीयता का प्रकटीकरण समूचे भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में हो। हमारे विशाल भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं, उनमें हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे देश के आम लोग बोलते एवं समझते हैं। इसके साथ हमारी धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक परम्पराएं जुड़ी हैं, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम राष्ट्रभाषा हिंदी को राजभाषा एवं संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग में लाएं।

कार्यक्रम के अन्त में हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले कार्मिकों को कमांडेंट महोदय द्वारा नकद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला खड़कवासला, पुणे

अनुसंधानशाला में 14 सितंबर, 2009 को हिंदी दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पूणे के पूर्व निदेशक डॉ. गोविन्द वल्लभपंत, मुख्य अतिथि द्वारा हिंदी गृह पत्रिका "जलवाणी" के सोलहवें अंक का विमोचन किया गया। हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित हिंदी निबंध, वाद-विवाद, वार्तालाप, प्रश्नमंच, प्रस्तुतीकरण, टंकण, तकनीकी लेख और हिंदी में मूल रूप से टिप्पण आलेखन योजना में पुरस्कार प्राप्त कर्मचारियों को मुख्य अतिथि द्वारा नकद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया।

डॉ. गोविन्द वल्लभ पंत जी ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि हर राष्ट्र की अपनी राष्ट्रभाषा होती है। भारत जैसी बहुत पुरानी सभ्यता में समय के साथ तेजी से भाषाओं का विकास हुआ है। इस विशाल देश में भाषा में परिवर्तन होते रहते हैं। इसमें रहन-सहन, जलवायु के अनुसार क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द शामिल हो गए हैं। इसमें भाषा और भी सशक्त हो गई है। इसलिए हमें हिंदी के साथ अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करने में झिझकना नहीं चाहिए। साथ ही उन्होंने पर्यावरण पर कविता भी प्रस्तुत की। जिसे सभी उपस्थितों ने बहुत सराहा।

एनएचपीसी लि., कार्यपालक निदेशक (क्षेत्र-4), 74-75 दक्षिण मार्ग, सैक्टर-31ए, चण्डीगढ़

एनएचपीसी लि., के क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ में 1 सितम्बर, 2009 से 15 सितम्बर, 2009 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। हिंदी पखवाड़े का उद्घाटन 1 सितम्बर, 2009 को श्री रमेश नारायण मिश्र, कार्यपालक निदेशक (क्षेत्र-4) ने दीप प्रज्जवलित करके किया।

इस अवसर पर अपने उद्घाटन संबोधन में श्री रमेश नारायण मिश्र, कार्यपालक निदेशक (क्षेत्र-4) ने कहा कि "यह विडंबना ही है कि हमें अपने ही देश में हिंदी दिवस व पखवाड़ा मनाकर लोगों को हिंदी भाषा के प्रयोग के प्रति जागरुक करना पड़ रहा है। मैं तो उस दिन के इंतजार में हूं जिस दिन इस तरह के आयोजन बंद होंगे और पूरे देश का काम-काज हिंदी भाषा में होगा। इस के लिए हम सभी को हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। तभी यह संभव हो सकेगा"। इस अवसर पर श्री अर्नेष्ट तिर्की, प्रमुख (मानव संसाधन) ने श्री एस. के. गर्ग, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश पढ़कर सुनाया।

श्री देश राज, सहायक राजभाषा अधिकारी ने इस अवसर पर हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी।

पखवाड़े के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं जिनमें अधिकारियों व कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में कुल 34 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

पखवाड़े का समापन समारोह 14 सितम्बर, 2009 को आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता श्री रमेश नारायण मिश्र, कार्यपालक निदेशक ने की। इस अवसर पर प्रतिष्ठित साहित्यकार डा. मथुरादत्त पाण्डे मुख्य अतिथि ने कहा कि "हमें अपनी भाषा के प्रति अनुराग और स्नेह रखना चाहिए और सारा कार्य हिंदी में ही करना चाहिए। कार्य करते समय यदि कोई शब्द नहीं मिलता है तो उसे देवनागरी लिपि में

लिखा जा सकता है । ऐसा करने से हमारी झिझक भी दूर होगी और हिंदी का प्रयोग भी बढ़ेगा" । डा. पाण्डेय ने वर्तनी में आने वाली समस्याओं का भी समाधान बताया ।

पखवाड़े के समापन समारोह मे हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया । यह पुरस्कार मुख्य अतिथि डा. मथुरादत्त पाण्डे और श्री रमेश नारायण मिश्र, कार्यपालक निदेशक के कमलों द्वारा दिए गए ।

दूरदर्शन केंद्र : राजकोट

राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से दूरदर्शन केंद्र, राजकोट में दिनांक 14-9-2009 से 29-9-2009 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया । इस अवधि के दौरान हिंदी निबंध, हिंदी श्रुतलेखन, हिंदी सुलेखन, हिंदी अंग्रेजी शब्दावली प्रश्नोतरी, अधूरी कहानी, और शीघ्र वाक् जैसी विभिन्न प्रकार की सात हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया । इन सभी प्रतियोगिताओं में केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़-चढ़ कर उत्साहपूर्वक भाग लिया । शीघ्र वाक प्रतियोगिता को छोड़कर बाकी सभी प्रतियोगिताओं का आयोजन कार्यालय परिसर और उच्च शक्ति प्रेषण केंद्र दोनों स्थानों में किया गया ।

इसके अलावा "स्वतंत्रता के पश्चात् 62 वर्षों में राजभाषा के रूप में हिंदी की प्रगति और आज की स्थिति" विषय पर एक चर्चा रिकार्ड की जिसका प्रसारण केंद्र के स्थानीय प्रसारण और 'डीडी गिरनार' चैनल से हुआ । यह चर्चा नराकास, राजकोट के अध्यक्ष श्री वेद पाल, मंडल रेल प्रबंधक, राजकोट और नराकास के सचिव श्री पी.वी. सिंह से की गई । इस चर्चा का संचालन केंद्र के हिंदी अनुवादक श्री सु. कु. शर्मा ने किया ।

हिंदी पखवाड़ा समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह दिनांक 9-11-2009 को सायं 3 बजे केंद्र के स्टुडियो में आयोजित किया गया । समारोह के मुख्य अतिथि डा. सर्वदमन वोरा, प्रधानाचार्य श्री धर्मेंद्र सिंह, कालेज-राजकोट के थे । जिन्होंने अपने कर कमलों से विजेताओं और प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान करके प्रोत्साहित किया । इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में हिंदी के प्रयोग को राष्ट्र की सेवा बताया जिसको करना हम सबका मुख्य कर्त्तव्य है । उन्होंने कहा हिंदी के प्रसार-प्रचार की प्रगति में दूरदर्शन की ऐसी भूमिका है जैसे महाभारत में भीष्म पितामह का स्थान है । इसलिए दूरदर्शन के साथ जुड़े लोगों को अधिक से अधिक हिंदी का व्यावहारिक प्रयोग करने की आवश्यकता है । इससे हिंदी केवल पढ़े-लिखे लोगों तक ही न सीमित रहकर देश के जन-साधारण व अशिक्षित को भी लाभ होगा ।

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नाशिक रोड

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय में दिनांक 14-9-2009 से 30-9-2009 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया ।

पखवाड़े के दौरान हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । तकनीकी, नियंत्रण, वर्कशॉप एवं अन्य अनुभागों के लिए यह प्रतियोगिता अलग-अलग ली गई ताकि हिंदी में कार्य करने के लिए सभी अनुभागों के कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जा सके । पखवाड़े के दौरान चित्रकला एवं श्रुत वाक्य प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया । प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया । पखवाड़े के दौरान छोटे-बड़े चालीस अनुभागों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया गया और पायी गयी कमियों को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों एवं स्टाफ का ध्यानाकर्षण एवं मार्गदर्शन किया गया । सभी अनुभागों में राजभाषा कार्यान्वयन के लिए कर्मचारियों में उत्साह और सकारात्मक मानसिकता पाई गई । निरीक्षण के दौरान हिंदी कक्ष की ओर से हिंदी शब्दकोश और संदर्भ साहित्य भी दिया गया । स्वयंस्फूर्त होकर काम करने वाले कर्मचारियों के कार्य का निरीक्षण किया गया और उनके नाम की सिफारिश राजभाषा पुरस्कारों के लिए की गई ।

दिनांक 31-10-2009 को हिंदी पखवाड़ा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।

पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में श्री मनिष शंकर, कार्य प्रबंधक और हिंदी पखवाड़ा आयोजन समिति के अध्यक्ष ने पखवाड़े के दौरान की गई विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी और मुद्रणालय के सभी कर्मचारियों को हिंदी प्रतियोगिताओं में सम्मिलित करने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी दी और कहा कि वे ऐसे ही प्रयास जारी रखेंगे ताकि तकनीकी अनुभागों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जा सके । श्री एन जे सन्नी, उप महाप्रबंधक ने हिंदी कक्ष के

प्रयासों की सराहना की और सभी अधिकारियों से अपील की वे आगामी समय में उनके स्तर पर हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करें ।

आकाशवाणी : सांगली

कार्यालय में हिंदी दिवस के उपलक्ष में, दिनांक 1 सितंबर, 2009 से दिनांक 14 सितंबर, 2009 तक 'हिंदी पखवाडा समारोह' मनाया गया ।

दिनांक 1 सितंबर, 2009 को हिंदी पखवाड़े का उद्घाटन-अपराह्न-3.15 बजे राजभाषा भित्तीपत्र विशेषांक 'एकता' के विमोचन और दीपप्रज्वलन से हुआ । इस कार्यक्रम की प्रधान अतिथि डॉ. कविता सुल्हयान, हिंदी विभाग, कन्या महाविद्यालय, मिरज ने अपने मन्तव्य में कहा कि, हिंदी भाषा यह आकलन योग्य और बोलने के लिए सुगम भाषा है । उसका प्रचार व प्रसार करना अपना कर्तव्य है ।

दिनांक 14 सितंबर, 2009 को 'हिंदी दिवस' एवं हिंदी पखवाडा समापन समारोह का आयोजन किया गया था । इस कार्यक्रम के प्रधान अतिथि थे-श्री सुभाष कवडे, मराठी के प्रख्यात कवि और कार्यवाह, भिलवडी शिक्षण संस्था द्वारा सेकंडरी स्कूल और ज्यूनियर कॉलेज, भिलवडी.

सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद विजित प्रतियोगियों को और सभी सहभागियों को नकद पुरस्कार, प्रमाणपत्र और भेंट वस्तुओं का वितरण किया गया ।

तत्पश्चात् अपने मन्तव्य में प्रधान अतिथी श्री सुभाष कवडे जी ने कहा कि, हिंदी में काम करना यही सच्ची देशभक्ति है । राष्ट्रध्वज, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रगीत का सम्मान हमें करना चाहिए । हिंदी पखवाडा के आयोजन के लिए उन्होंने कार्यालय का अभिनंदन किया । श्री नितीन कुमार पत्रावले ने विजित प्रतियोगियों की ओर से अपना मनोगत व्यक्त किया ।

आभार प्रकटन, कार्यक्रम-संयोजन व सूत्र संचलन हिंदी अनुवादक द्वारा किया गया ।

दूरदर्शन केंद्र : ईटानगर

दूरदर्शन केंद्र : ईटानगर में 24 सितंबर, 2009 तक हिंदी दिवस एवं हिंदी पखवाड़ा मनाया गया ।

दिनांक 15 सितंबर, 2009 को हिंदी दिवस, 2009 तक हिंदी पखवाड़ा की शुरूआत की गई जिसमें केंद्र के अध्यक्ष महोदय श्री एस.एन. सिंह ने समारोह का उद्घाटन किया तथा जोर देते हुए कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है तथा हमें अपनी भाषा में कार्य करने में गर्व महसूस करना चाहिए तथा हिंदी सभी भाषाओं को एक जुट करने में सहायता प्रदान करती है । उप निदेशक समाचार श्री दिनेश कुमार ने भी भारतीय भाषाओं में हिंदी को राष्ट्रभाषा का महत्व देते हुए अनुरोध किया कि सभी लोग हिंदी में कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी एक सरल भाषा है, के लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनुरोध किया । श्री सी.एल. शर्मा, सहायक अभियंता एवं आहरण तथा संवितरण अधिकारी ने देवनागरी भाषा पर बल देते हुए कहा कि जब कोई व्यक्ति हिंदी में बोलने लगता है तो सामने में जो अंग्रेजी बोलने वाला है की बोलती बन्द हो जाती है । कहने का तात्पर्य यह है कि हम यदि कोशिश करें तो बहुत अच्छी हिंदी बोल एवं लिख सकते हैं ।

हिंदी पखवाड़ा के दौरान कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हिंदी की विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई थीं ।

आकाशवाणी विजयवाडा केंद्र

आकशवाणी विजयवाडा 14 सितम्बर 2009 को हिंदी दिवस तथा 15-09-2009 से 29-09-2009 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया ।

हिंदी पखवाड़ा के दौरान कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 12 प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई वर्ष 2008-2009 के दौरान 24 कर्मचारियों को प्राज्ञ परीक्षा के लिए नामित किया शत प्रतिशत उत्तीर्ण हुए । कर्मचारी श्री माड्डुगुला रामकृष्णा ने सहयोग साहित्य की शब्दावली 2000 से अधिक शब्दों की तैयार कर प्रस्तुत किया । कार्यालय के प्रमुख को और उन्हें विशेष पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया ।

इसी को श्रीमती जी. पार्वती देवी ने द्विभाषिक रूप में इस शब्दावली का कार्य हिंदी कांप्यूटर पर किया । इन्हें भी विशेष रूप से पुरस्कृत किया गया ।

आकाशवाणी : कटक

आकाशवाणी, कटक में 1 सितंबर से 15 सितम्बर, 2009 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया । सुश्री संजीवनी सुधा पट्टनायक, केंद्र निदेशक ने 1 सितंबर को आयोजित उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की । केंद्र अभियन्ता एवं राजभाषा अधिकारी श्री बसन्त कुमार बेहेरा ने अपने उद्बोधन में कहा कि हम भारतवर्ष में कहीं भी जाते हैं, अगर हमें हिंदी आती है तो हमारी बीच की दूरियाँ कम हो जाती हैं । हिंदी एक ऐसी कड़ी है जो जोड़ने का कार्य करती है । विज्ञापन प्रसारण सेवा के सहायक केंद्र निदेशक तथा कार्यालय प्रमुख डॉ. यशोवन्त नारायण धरजी ने अपने अभिभाषण में कहा कि हिंदी का प्रचार और प्रसार करने में आकाशवाणी दूरदर्शन और हिंदी चलचित्रों का बहुत बड़ा योगदान है । तुलसीदास रचित "रामचरित मानस" ने भी हिंदी का प्रचार करने में प्रमुख भूमिका निभायी है । केंद्र निदेशक सुश्री संजीवनी सुधा पट्टनायक ने अपने अध्यक्षीय अभिभाषण में कहा कि हमें बिना किसी झिझक एवं संकोच के सरल हिंदी भाषा का प्रयोग करके अपना सरकारी काम-काज अधिक से अधिक हिंदी में करना चाहिए ।

हिंदी पखवाड़ा के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया । इसमें आकाशवाणी, कटक के साथ-साथ विज्ञापन प्रसारण सेवा, कटक के कर्मचारियों ने भाग लिया ।

पखवाड़े का पुरस्कार वितरण समारोह 14 सितंबर, 2009 को अपराह्न 3.00 बजे आकाशवाणी के सम्मेलन कक्ष में किया गया ।

विज्ञापन प्रसारण सेवा, कटक के सहायक केन्द्र निदेशक तथा कार्यालय प्रमुख डॉ. यशोवंत नारायण धर ने सरल हिन्दी के प्रयोग पर बल देते हुए कहा कि इस समारोह के बाद भी हमें कार्यालय में हिंदी का माहौल बनाये रखना चाहिए । केन्द्र अभियंता तथा राजभाषा अधिकारी श्री बसन्त कुमार बेहेरा ने कहा कि हमारी देश की संस्कृति एवं परंपरा का मूल आधार है हिंदी । स्वतंत्रता से पहले भी 'हिंदी' भारत की जन मानस की भाषा रही है । उन्होंने आगे कहा कि आज हिन्दी दिवस के शुभ अवसर पर हमें यह संकल्प करना चाहिए कि हम वर्ष भर अपना काम हिंदी में करेंगे । बी.जे.बी. महाविद्यालय, भुवनेश्वर के प्राध्यापक डॉ. स्नेहलता मिश्र ने हिंदी भाषा के महत्व पर अपना विचार प्रकट किया ।

मुख्य वक्ता डॉ. रवीन्द्रनाथ मिश्र ने सभा को सम्बोधित करते हुए हिंदी साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर सविस्तार प्रकाश डाला । मुख्य अतिथी प्रो. राधाकान्त मिश्र ने अपने उद्बोधन में कहा कि हिंदी हमारी राजभाषा है तथा बहुत बड़े भू-भाग में बोली जाती है । उन्होंने कार्यालयीन तथा व्यावहारिक हिंदी पर जोर देते हुए कहा कि इसे सीखना हमारे लिये बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हम कार्यालय के कार्य बिना झिझक के हिंदी में कर सकते हैं । उन्होंने आगे कहा कि जिस गति से हिंदी का विकास सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रहा है, उसे देखकर हमें आशान्वित होना चाहिए ।

केंद्र निदेशक सुश्री संजीवनी सुधा पट्नायक ने अपने अध्यक्षीय अभिभाषण में कहा कि हिंदी में कार्य करना तथा राजभाषा का प्रचार प्रसार हमारा कर्त्तव्य है । उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार में संचार माध्यमों की भूमिका को भी रेखांकित किया । सम्पर्क भाषा हिंदी पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हिन्दी एक ऐसी कड़ी है जो जोड़ने का कार्य करती है ।

अन्त में हिंदी अधिकारी श्री सुरेन्द्रनाथ सामल ने राजभाषा हिंदी में कार्य करने की आदत पर जोर डालते हुए कहा कि हर हिंदुस्तानी को इस पर निरन्तर प्रयत्न करना चाहिए ।

दूरदर्शन केंद्र : कोलकाता

दूरदर्शन केंद्र, कोलकाता में दिनांक 4-9-2009 से 24-9-2009 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया ।

दिनांक 14-9-2009 को उपमहानिदेशक श्री अभय कुमार पांडे एवं इस अवसर पर आमंत्रित मुख्य अतिथि श्री राजीव कुमार, निदेशक, फिल्म प्रभाग एवं विशेष अतिथि श्रीमती शुक्ला चौधरी, सह संपादिका, फरुट न्यूज ने दीप प्रज्वलित कर केंद्र में राजभाषा पर्व का शुभारम्भ किया ।

केंद्र की पुस्तकालयाध्यक्ष, श्रीमती विनीता चक्रवर्ती ने माननीय गृहमंत्री, भारत सरकार द्वारा हिंदी दिवस के उपलक्ष में भेजे गए संदेश को पढ़कर सुनाया इसके उपरांत केंद्र के उपमहानिदेशक महोदय ने अपने अध्यक्षीय भाषण में राजभाषा हिंदी में अधिकाधिक काम करने के लिए प्रेरित किया ।

आमंत्रित मुख्य अतिथि श्री राजीव कुमार जी ने न केवल कार्यालयीन अपितु रोजमर्रा के जीवन में भी हिंदी के महत्व पर सबका ध्यान आकर्षित किया । केंद्र के प्रशासनिक

अधिकारी (वित्त) श्री अलक चट्टोपाध्याय ने कार्यालयीन हिंदी की आवश्यकता पर जोर देते हुए हमारे संवैधानिक कर्तव्य की ओर ध्यान दिलाया । इस अवसर पर केंद्र के हिंदी कार्यक्रम विभाग द्वारा -राजभाषा-हिंदी ही क्यों ? एक परिचर्चा का प्रसारण किया गया जिसमें श्रीमती पूनम दीक्षित, सहायक निदेशक, एवं श्रीमती कैसर जहां, सहायक निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना ने भाग लिया ।

इस दौरान केंद्र में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी-21

राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार को गति देने के क्रम में मुख्यालय के दिशा-निर्देशानुसार प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी में दिनांक 01-09-2009 से 14-9-2009 तक राजभाषा पखवाड़ा एवं दिनांक 14-9-2009 को अपराह्न 3.00 बजे से हिंदी दिवस समारोह का आयोजन पूरे हर्षोल्लास से किया गया ।

पखवाड़े की शुरुआत 1 सितंबर को हुई । कार्यालय परिसर में राजभाषा पखवाड़ा सम्बंधी आकर्षक बैनर लगाए गए । कार्यालय के पूरे वातावरण को हिंदीमय बना दिया गया । पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार, हिंदी निबंध प्रतियोगिता, हिंदी वाक् प्रतियोगिता, हिंदी टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता एवं हिंदी अंताक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । इस वर्ष नोटिस बोर्ड पर उल्लिखित शब्दों पर आधारित एक हिंदी श्रुतलिपि प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया । साथ-ही कार्यालय के कार्मिकों के बच्चों के लिए भी एक चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । सभी प्रतियोगिताओं में बढ़ती हुई प्रतिभागियों की संख्या इस बात का परिचायक है कि इस कार्यालय के कार्मिकों में हिंदी के प्रति रुझान बढ़ा है और अब वह समय दूर नहीं जब यहाँ का सारा काम हिंदी में ही होगा ।

14 सितंबर को क्षेत्रीय कार्यालय के सभा कक्ष में पखवाड़े का समापन समारोह और हिंदी दिवस समारोह मनाया गया । क्षेत्रीय निदेशक, श्री रमेन साइकिया ने महानिदेशक के संदेश का वाचन किया । उन्होंने सभी उपस्थित कर्मचारियों से राजभाषा नीति का अनुपालन करने तथा इसके लिए तय किए निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए कहा । उन्होंने कहा कि हिंदी ही एक ऐसी कड़ी है जो पूरे देश को एकता के सूत्र में जोड़े रख सकती है । हम दुनिया के किसी कोने में चले जाए, वहाँ हिंदी बोलने वाले और समझने वाले मिल जायेंगे ।

कार्यक्रम के अगले चरण में विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं के सभी विजेताओं को नियमानुसार मुख्य अतिथि तथा अधिकारीगण द्वारा नकद पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र दिए गए और इसके बाद कार्यालय के कार्मिकों के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया । बच्चों द्वारा मधुर कंठ से गाए देशभक्ति गीत- "सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा" और उन बच्चों द्वारा ही प्रस्तुत असमिया लोकनृत्य "बिहु" ने सभागार में उपस्थित सभी लोगों को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया ।

ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय, कोचिन

सभागृह में दिनांक 14 सितंबर, 2009 को हिंदी पखवाडे समारोह का शुभारंभ ईश्वर वंदना से हुआ । उप महाप्रबंधक श्री इशरेल के. मणी ने परंपरागत रूप से दीप प्रज्जवलित कर समारोह का उद्घाटन किया । अपने भाषण में उन्होंने कहा कि हिंदी दिवस मात्र हिंदी भाषा के लिए नहीं अपितु भारतीय भाषाओं के बीच मैत्री लाने तथा एकता का दिन है । भाषा संस्कृति का आइना है । किसी भी विदेशी भाषा में हमारी संस्कृति को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाएंगें जो हम अपनी भाषा में कर सकते हैं ।

इस अवसर पर राजभाषा अधिकारी श्री गौतम कुमार मीणा ने हिंदी पखवाडे के महत्व को बताते हुए हिंदी दिवस पर माननीय गृहमंत्री श्री पी. चिदम्बरम जी का संदेश माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी का संदेश एवं कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम रामदास का संदेश पढ़कर सुनाये । हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदी पखवाडे का आयोजन दिनांक 14 से 29 सितंबर तक क्षेत्रीय कार्यालय एवं समस्त अधीनस्थ केरल राज्य के 19 मण्डलीय कार्यालय एवं 28 शाखा कार्यालयों में उत्साह से मनाने का आव्हान किया ।

मुख्य आयोजन क्षे.का. स्तर पर किया जिसमें सुलेख, श्रुतिलेखन, अनुवाद, हिंदी गीत, प्रश्नोत्तरी, हिंदी अंताक्षरी प्रतियोगिताओं के साथ कम्पनी में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों

के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं दिनांक 26 सितंबर को आयोजित की साथ ही हिंदी प्रचार प्रसार के लिए दो हिंदी फिल्में दिखाई गई । इसमें कार्मिकों के बच्चों के साथ परिवार के सदस्य भी उत्साह से भाग लिए ।

हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह दिनांक 01-10-2009 को क्षेत्रीय कार्यालय के सभा कक्ष में की जिसमें मुख्य अतिथि सैंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया प्रभारी केरल के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री एस.आसैतंबी जिन्होंने हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला एवं प्रतियोगिताओं में विजेता कार्मिकों को बधाई दी तथा सेन्ट्रल बैंक के ही उप मुख्य अधिकारी (राजभाषा) श्री के. ए. मोहनचन्द्रन नायर ने राजभाषा प्रचार प्रसार में हिंदी पखवाड़े के महत्व पर प्रकाश डाला ।

कम्पनी के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री आर राममूर्ती ने सभी कार्मिकों से हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने और दैनंदिन कार्यों में हिंदी का प्रयोग करने की सभी कार्मिकों से अपील की जिससे राजभाषा अनुपालना पूर्ण हो सकेगी । हमारे अधीनस्थ कार्यालयों में भी हिंदी पखवाड़े का धूमधाम से आयोजन किया साथ ही स्थानीय कार्यालयों में राजभाषा अधिकारी की देखरेख में आयोजन किया गया ।

हिंदी पखवाड़े में विजेता कार्मिकों और उनके बच्चों को मुख्य अतिथि श्री. एस. आसैतंबी, उप महाप्रबंधक श्री इशरेल के मणी तथा क्षेत्रीय प्रबंधक श्री आर. राममूर्ती के कर-कमलों द्वारा वितरित किए गए ।

केंद्रीय रेशम उत्पादन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बहरमपुर (प. बं.)

दिनांक 1-9-2009 से 15-9-09 तक हिंदी दिवस/पखवाड़ा का आयोजन किया गया । इस दौरान अधिकारियों/पदधारियों को राजभाषा हिंदी के प्रति प्रेरित व प्रोत्साहित करने तथा इसके व्यापक प्रचार-प्रसार की दृष्टि से संस्थान में दिनांक 1-9-2009 से प्रारंभ कर 11-9-2009 तक विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे कि हिंदी टिप्पण व आलेखन, शब्दावली, वाद-विवाद, निबंध, सुलेख/श्रुतिलेख, राजभाषा प्रश्नोत्तरी, अंताक्षरी, तात्क्षणिक भाषण एवं समूह "घ" वर्ग के पदधारियों के लिए भी एक वाक् प्रतियोगिता का आयोजन किया गया ।

दिनांक 15-9-09 को संस्थान में हिंदी दिवस/पखवाड़ा का मुख्य समारोह आयोजित किया गया । मुख्य अतिथि तथा संस्थान के निदेशक, माननीय डॉ. ए. के. बाजपेयी तथा इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थल सेना, शाखा भर्त्ती कार्यालय, मुर्शिदाबाद के निदेशक, आदरणीय श्री एस. के. चुघ महोदय दवा संस्थान के अनुभागों एवं इसके सम्बद्ध केंद्रों दवा वर्ष 2008-09 के दौरान राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्थापना, सस्य विज्ञान, लेखा और शहतूत रोग निदान अनुभाग समेत क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र, कोरापुट, रांची तथा अविके, नबग्राम को राजभाषा चल शील्ड व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया । हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रत्येक प्रतियोगिताओं (कुल 9) के विजेताओं को प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा सांत्वना पुरस्कार प्रदान करने के साथ-साथ वर्ष 2008-09 के दौरान राजभाषा हिंदी में मूल रूप से सरकारी कामकाज निष्पादित करने हेतु कुल 12 पदधारियों को प्रोत्साहन स्वरूप नकद राशि प्रदान कर उन्हें राजभाषा हिंदी के प्रति प्रेरित व प्रोत्साहित किया गया ।

माननीय मुख्य अतिथि द्वारा अपने अभिभाषण में यह उद्गार व्यक्त किया गया कि आज हिंदी ज्ञान-विज्ञान की भाषा बन चुकी है तथा जनसंपर्क के मामले में इसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ इसकी पहुंच समाज के सभी क्षेत्रों तथा सभी वर्गों के लोगों में है । उन्होंने यह भी कहा कि हमें क्षेत्रीय भाषा के साथ-साथ राजभाषा हिंदी को अवश्य सीखना तथा अपनाना चाहिए ।

संस्थान के निदेशक, डॉ ए. के. बाजपेयी महोदय ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हिंदी हमारी संस्कृति का संवाहक है । हमें हिंदी के प्रति अनुराग रखना चाहिए तथा अपना अधिकाधिक कार्य हिंदी में भी निष्पादित करने का प्रयास करना चाहिए । इसके अलावा, उनके द्वारा यह भी उद्गार व्यक्त किया गया कि संस्थान के अधिकारीगण को हिंदी के प्रयोग में झिझक छोड़कर आगे आना चाहिए जिससे कि पदधारियों को भी हिंदी में काम करने की प्रेरणा मिले। इसके साथ ही उन्होंने संस्थान के अधिकारियों व पदधारियों से अपील की कि वे अपने नैमिक प्रकृति के कार्यों में अधिकाधिक हिंदी का प्रयोग करें तथा राजभाषा द्वारा निर्धारित सभी क्षेत्रों में शत-प्रतिशत पत्राचार हिंदी में करने का मिशन बनाएं ।

बोंगाइगाँव रिफाइनरी

आईओसीएल, बोंगाइगाँव रिफाइनरी में दिनांक 14 सितंबर, 2009 को राजभाषा पखवाड़े का मुख्य समारोह

बड़े ही उत्साहपूर्ण वातावरण में श्री एच. सी. विश्वकर्मा, महाप्रबन्धक-तकनीकी सेवाएँ, बोंगाइगाँव रिफाइनरी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ ।

बोंगाइगाँव रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक ने अपने संदेश में कहा कि हम अपने नैतिक और राष्ट्रीय दायित्वों को समझते हुए राष्ट्र को अपनी पहचान के साथ विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करने के लिए किसी प्रकार की कोई कसर न रखें । अतः हमें राजभाषा सम्बंधी संवैधानिक प्रावधानों को पूरा करते हुए राजभाषा हिंदी के प्रयोग को प्रतिदिन बढ़ाना है । संदेश में स्पष्ट किया गया कि हम अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक रहकर देश को देश की भाषा में अभिव्यक्ति देने के लिए तत्पर रहेंगे और राजभाषा संबंधी संवैधानिक अनिवार्यताओं को निष्ठापूर्वक पूरा करते हुए देश की तीव्र प्रगति में अपने सकारात्मक योगदान को सुनिश्चित करेंगे ।

अध्यक्ष महाप्रबन्धक-तकनीकी सेवाएँ, श्री एच. सी. विश्वकर्मा ने अपने भाषण में सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि हिंदी को संवैधानिक रूप से 14 सितम्बर, 1949 को "राजभाषा" के रूप में स्वीकार किया गया । यह दिन हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है । इस दिन विविधताओं से भरे हमारे देश को एक भाषा के सूत्र में बाँधने का प्रयास किया गया । इस विशाल बहुभाषी देश में ऐसा कोई माध्यम होना जरूरी है जिससे सभी करीब आ सकें । हमारी भाषा ही हमारी पुस्तैनी धरोहर है । हमें अपनी इस धरोहर को विकसित कर अपनी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनानी है । इसके लिए हम सभी को अपने प्रयासों में और गति लाने की आवश्यकता है । किन्तु, यह देखने में आता है कि प्राप्त पुस्तैनी धरोहर को मूल्यहीन मानकर उसकी महत्ता को अपनी नजरों में कम आँका जाता है । जिससे अपना अस्तित्व और अपनी गरिमा दूसरों की नजरों में कम हो जाती है । अत: यह जरूरी है कि अपनी धरोहर का मूल्यांकन सही तरीके से करें ; उसका विस्तार और विकास करें । तभी हम अपने मान-सम्मान को बढ़ा पाएंगे और अपने अस्तित्व को बचा पाएंगे ।

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि., उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली-II, जम्मू

हिंदी दिवस के अवसर पर पावर ग्रिड, उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली-II के क्षेत्रीय मुख्यालय जम्मू तथा इसके अधीनस्थ विभिन्न स्थल कार्यालयों एवं उप केंद्रों में दिनांक 14 से 29 सितम्बर, 2009 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया ।

अपने संक्षिप्त भाषण में इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने पावर ग्रिड में हिंदी में किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह क्षेत्रीय मुख्यालय, अहिंदी भाषी क्षेत्र में होते हुए भी यहां पर हिंदी का प्रचार एवं प्रसार किया जा रहा है । हिंदी पत्राचार को बढ़ाने के लिए सभी कंप्यूटरों में हिंदी में काम करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और लगभग सभी विभागों के कर्मचारियों को कंप्यूटर संबंधी आवश्यक प्रशिक्षण दिलाया गया है एवं सभी कर्मचारी अधिक से अधिक हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित किए जा रहे हैं ।

क्षेत्रीय मुख्यालय, जम्मू में हिंदी पखवाड़े के दौरान हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों, उनके बच्चों एवं उनके परिवारजनों हेतु विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया । दिनांक 29 सितंबर, 2009 को हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह के अवसर पर श्री दिनेश चन्द्र, अपर महाप्रबंधक, श्री जगमोहन शर्मा, अपर महाप्रबंधक, श्री स्टैनली मैथ्यूज, मुख्य प्रबंधक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगभग 50 विजेता प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार भी दिए गए ।

क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्र-III, एनएचपीसी लि., कोलकाता

एनएचपीसी लि. की क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्र-III, सैक्टर-V, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता में दिनांक 1-9-2009 से 15-9-2009 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन हर्षोल्लासमय राजभाषामयी वातावरण में किया गया । इस पखवाड़े को विशेषत: भाषायी सद्भाव, राष्ट्रीय एकता एवं राजभाषा के प्रयोग के प्रति जागरूकता के रूप में मनाया गया ।

इस पखवाड़े का उद्घाटन समारोह दिनांक 1-9-2009 को आयोजित किया गया । इस समारोह की अध्यक्षता श्री दिग्विजय नाथ, कार्यपालक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्र-III, कोलकाता ने किया ।

डा. अरूण होता ने संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के अखिल भारतीय स्वरूप को स्पष्ट करते हुए वैश्विक संदर्भ

में हिंदी के महत्व को रेखांकित किया और उसके साथ ही प्रो. होता ने हिंदी को सौहार्द्र स्थापित करने वाली भाषा के रूप में अपनी स्थापना दी। उन्होंने इस आशंका का निराकरण किया कि हिंदी के विकास से भारतीय भाषाओं को खतरा है।

कार्यपालक निदेशक, क्षेत्र-III, श्री दिग्विजय नाथ ने राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में हिंदी की भूमिका को रेखांकित किया तथा स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी की ऐतिहासिक देन पर भी प्रकाश डाला।

आगे उन्होंने राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी पखवाड़ा मनाना ही काफी नहीं बतलाया बल्कि हिंदी में काम करने की लगन एवं मेहनत की आवश्यकता पर बल दिया। हिंदी दिल से बोली जाने वाली भाषा है उसे दिल से अपनाने की जरूरत है।

इस पखवाड़े के दौरान राजभाषा संबंधी विषयों पर आधारित अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनमें हिंदी सुलेख, श्रुतलेख, कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग, नोटिंग/ड्राफ्टिंग, भाषण, निबंध लेखन, शब्दावली आदि प्रमुख थे। इस पखवाड़े के दौरान एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। हिंदी पुस्तकों की प्रदर्शनी भी लगाई गई।

इस पखवाड़े के दौरान राजभाषा संबंधी अनेक प्रेरक एवं उत्साहवर्द्धक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और 52 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार स्वरूप नकद राशि एवं पुस्तकें प्रदान की गई।

पूरे कार्यक्रम का संचालन श्री अजय कुमार बक्सी, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) ने किया। उन्होंने राजभाषा के विकास एवं संवैधानिक मूल्यों पर सारगर्भित विचार व्यक्त किया। उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि इस कार्यालय में राजभाषा के प्रयोग बढ़ने के उचित माहौल है, केवल एक बृहत शुरुआत करने भर की देर है। इससे पहले वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) ने आगत अतिथियों एवं कार्मिकों का तह-ए-दिल से स्वागत किया। उन्होंने हिंदी पखवाड़े के महत्व को रेखांकित करते हुए उपस्थित हिंदी प्रेमियों के प्रति आभार प्रकट किया और इस आयोजन में सहयोग देने वाले विभागों के प्रति भी आभार प्रकट किया।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए भा.कृ.अनु.प. का अनुसंधान परिसर उमरोई रोड, उमियम, मेघालय-793 103

संस्थान के तत्वावधान में 7 सितंबर से 14 सितंबर 2009 तक हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया जिसमें संस्थान के वैज्ञानिकों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साह से भाग लिया। सप्ताह का शुभारंभ एक भव्य समारोह में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, के अधिष्ठाता डॉ. राजू ने दीप प्रज्वलित करके किया। तत्पश्चात केंद्रीय विद्यालय, नेपा के बच्चों द्वारा मधुर संगीतमय सरस्वती वन्दना गायन हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रीय पादप संसाधन ब्यूरो, उमियम के प्रभारी एवं प्रधान वैज्ञानिक डॉ. एस के वर्मा, निदेशक के प्रतिनिधि के रूप में मृदाविज्ञान प्रभाग के अध्यक्ष डॉ. पाती राम भी उपस्थित थे। उप निदेशक (रा.भा.) श्री एस. पी. उनियाल ने पूरे वर्ष की हिंदी क्रियान्वयन रिपोर्ट प्रस्तुत की। डॉ. एस. के. वर्मा ने हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा/चेतनामास मनाने के महत्व पर प्रकाश डाला। डा. राजू ने कहा कि हिंदी देश की राजभाषा है और कार्यालयीन हिंदी कार्यों में हिंदी प्रयोग करना हम सबका संवैधानिक दायित्व है। उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंदी के प्रचार-प्रसार पर जोर देते हुए कहा कि केंद्रीय सरकार को प्रत्येक कार्यालय में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अपेक्षित हिंदी पदों का सृजन करना चाहिए, तभी इस क्षेत्र में हिंदी का विकास संभव है। डॉ. पाती राम ने भी अपने सम्बोधन में हिंदी-पद सृजन बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सितम्बर माह में हिन्दी सप्ताह या दिवस मनाने भर से काम नहीं चलेगा। ऐसा तो वर्षों से चल रहा है, मगर हिंदी को अभी तक सरकारी कार्यालयों में जो स्थान मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पाया। इसी दिन अगले सत्र में अन्त्याक्षरी प्रतियोगिता सम्पन्न हुई जिसमें वैज्ञानिकों, अधिकारियों व कर्मचारियों ने उत्साह से भाग लिया।

8 सितंबर को प्रश्न मंच, 9 को निबंध एवं प्रारूप-टिप्पण लेखन, 10 को तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता एवं सभी तकनीकी अधिकारियों के लिए हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य वक्ता प्रसार भारती, शिलांग केंद्र के वरिष्ठ उद्घोषक डॉ. अकेला भाई हिंदी राजभाषा का संवैधानिक महत्व बताते हुए लेखन कार्य में तकनीकी शब्दावली प्रयोग की तकनीकों की जानकारी दी। 11 सितंबर को समस्त वैज्ञानिकों के लिए हिंदी

कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस अवसर पर पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय (नेहू) के हिंदी एवं भाषा विज्ञान विभागाध्यक्ष डा. सुशील कुमार शर्मा मुख्य व्याख्याता थे । उन्होंने वैज्ञानिकों को राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति से अवगत कराते हुए वैज्ञानिक लेखन में, शब्दावली प्रयोग विषय पर सारगर्भित व्याख्यान दिया । जौनपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. पातंजलि भी कार्यशाला में उपस्थित थे । उन्होंने केंद्र सरकार की राजभाषा नीति पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भारत को स्वतंत्र हुए पूरे 62 वर्ष हो गये हैं और संविधान में किए गए इस प्रावधान का सम्यक अनुपालन नहीं हो पाया है ।

14 सितंबर को हिंदी दिवस समारोह आयोजित किया गया । इसी दिन सामूहिक गान प्रतियोगिता भी हुई तथा सप्ताह का समापन भी किया गया समारोह भी आयोजित किया गया इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉ. एस. वी. नगाचान (ङचान) ने समस्त प्रतियोगिताओं के सभी विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया और अपने सम्बोधन में कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंदी सम्पर्क भाषा के रूप में विकसित हो रही है । मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम में हिंदी समझने और बोलने में कोई कठिनाई नहीं है । खासी, गारो भाषी अन्य भाषा-भाषियों से हिंदी में ही वार्तालाप करते हैं । कार्यालयों में हिंदी कार्यान्वयन की गति बढ़नी चाहिए क्योंकि राष्ट्र के प्रति यह हमारा कर्तव्य है । अन्त में उपनिदेशक श्री एस. पी. उनियाल ने निदेशक के मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट किया तथा स्टाफ के भरपूर सहयोग के लिए सबको धन्यवाद ज्ञापित किया ।

राज्य कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, बेंगलूर-4

राज्य कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, बेंगलूर में दिनांक 14-9-2009 को हिंदी दिवस मनाया गया । समारोह की अध्यक्षता श्री एम. जगन्नाथ राव, राज्य निदेशक महोदय ने की । श्री गुरुबसप्पा, विकास अधिकारी (बायो गैस) ने उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्वागत किया । श्री विनोद कुमार भारती, हिंदी अनुवादक ने संविधान में राजभाषा हिंदी की स्थिति एवं हिंदी-दिवस मनाए जाने के महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी । साथ ही राज्य कार्यालय में राजभाषा हिंदी की प्रगति का रिपोर्ट प्रस्तुत किया और विभिन्न हिंदी प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी भी दी । इस क्रम में उन्होंने कहा कि हिंदी को राजभाषा बनाए जाने में दक्षिण भारत की अहम् भूमिका रही है । हमें देशहित में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में अपना सहर्ष सहयोग प्रदान करना चाहिए । उन्होंने स्वरचित एक हिंदी कविता भी सुनाई । इस अवसर पर अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी अपने-अपने विचार व्यक्त किए । श्री एस.के. जोरापुर, सहायक निदेशक ने सभी से हिंदी में कार्य करने के लिए कहा ताकि हमारा कार्यालय राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सके । अध्यक्ष महोदय ने कार्यालय में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वियन की दिशा में हो रहे प्रगति पर प्रसन्नता प्रकट की । उन्होंने कहा कि कार्यालय दक्षिण क्षेत्र में स्थित होने के कारण हिंदी पत्राचार के प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें पूरे मनोयोग से प्रयास करना होगा । हमें रोज अपने दैनिक कार्यालय कार्य का कुछ हिस्सा राजभाषा हिंदी में करना चाहिए, तभी हम लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं । इसका प्रारंभ उपस्थिति पंजिका में हिंदी में हस्ताक्षर कर दिया जाना चाहिए ।

कार्यालय, वित्त एवं लेखा नियंत्रक (फै.) लेखा कार्यालय, गोला बारूद फैक्टरी खड़की, पुणे-3

लेखा कार्यालय, गोला बारूद फैक्टरी, खड़की, पुणे में दिनांक 01-09-2009 से 14-09-2009 के दौरान हिंदी पखवाड़ा बड़े जोर-शोर से मनाया गया । सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने पूर्ण उत्साह से इसमें भाग लिया । राजभाषा के प्रसार के उद्देश्य से इस दौरान (i) हिन्दी निबंध प्रतियोगिता, (ii) हिंदी टिप्पण/प्रारूप लेखन तथा अनुवाद प्रतियोगिता, और (iii) हिंदी प्रश्नमंच प्रतियोगिता, इन 03 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया ।

दिनांक 14-9-2009 को हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह का आयोजन दीप प्रज्जवलित करते हुए किया गया । इस अवसर पर हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में सफल 27 कर्मचारियों को नकद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए तथा साथ ही वर्ष 2008-09 के दौरान अधिकाधिक कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने वाले 09 कर्मचारियों को गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रशंसापत्रों का वितरण श्री बनवारी स्वरूप, भा.र.ले.से., वित्त एवं लेखा नियंत्रक, केजीएफ महोदय के कर कमलों द्वारा किया गया । कार्यालय में वर्ष के दौरान

हिंदी में सबसे अधिक कार्य करने वाले निधि कक्ष अनुभाग को चल शील्ड, नियंत्रक(फै.) महोदय द्वारा प्रदान की गई। इस अवसर पर श्रीमती इंदू लिबरहान, भा.र.ले.से., सचिव (रक्षा वित्त) की अपील पढ़ने गई। नियंत्रक महोदय ने अपने भाषण में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से हिंदी में अधिकाधिक कार्य करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कार्यालय के सभी कंप्यूटरों पर द्विभाषी सुविधा उपलब्ध कराई गई है और संबंधित अनुभाग के कंप्यूटर में हिंदी में अनुदित प्रोफार्में लोड किए हैं। हिंदी पत्राचार तथा अन्य अधिकांश मदों के बारे में वार्षिक कार्यक्रम में उल्लिखित लक्ष्य प्राप्त करते हुए सराहनीय कार्य इस कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। प्रधान कार्यालय कोलकाता द्वारा भी राजभाषा से संबंधित कार्यों के लिए सराहना की जाती रही है। इसे बनाए रखें।

क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, सैक्टर-19 ए, चण्डीगढ़

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ में 1 सितम्बर से 14 सितम्बर 2009 तक राजभाषा पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में अगस्त 2009 के अंतिम सप्ताह में जारी परिपत्र में अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक श्री जी. सी. जेना ने कार्मिकों से अपील की कि वे इस दौरान अपना अधिकाधिक काम हिंदी में ही निपटायें ताकि निगम का पंजाब क्षेत्र हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से निगम के अन्य कार्यालयों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण स्थापित कर सके। पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया जिसमें बड़ी संख्या में कार्मिकों ने भाग लिया। इसी उपलक्ष्य में महानिदेशक महोदय का संदेश भी परिचालित किया गया।

14 सितंबर, 2009 को क्षेत्रीय कार्यालय के प्रांगण में हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री टीकन लाल शर्मा ने सरकार की राजभाषा नीति और भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा हमें विश्व की प्रत्येक भाषा का सम्मान करना चाहिए। परंतु हिंदी तथा अपने देश की हर दृष्टि से सम्पन्न दूसरी भारतीय भाषाओं का महत्व सर्वोपरि है। अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक श्री जी. सी. जेना ने राजभाषा पखवाड़े एवं हिंदी समारोह के संदर्भ में प्राप्त महानिदेशक महोदय की अपील पढ़कर सुनाई। उन्होंने अपनी ओर से भी यह अपील की कि हम सबको अपना अधिकाधिक काम हिंदी में ही निपटाना चाहिए। तत्पश्चात वरिष्ठ हिंदी अनुवादक श्रीमती स्वर्णजीत कौर ने कार्यालय में हिंदी के प्रयोग, प्रचार व प्रसार की विभिन्न गतिविधियों व अर्जित सफलताओं संबंधी विस्तृत रिपोर्ट पढ़ी। राजभाषा पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं को भी नकद पुरस्कार, प्रशस्ति-पत्र व स्मृति चिन्ह प्रदान किये गए।

मुख्य अतिथि पंजाब विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के रीडर श्री बैज नाथ प्रसाद ने अपने विद्वतापूर्ण संबोधन में हिंदी भाषा के महत्व, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं वैज्ञानिकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने तकनीकी शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया भी स्पष्ट की। श्री प्रसाद ने कहा कि हिंदी पर यह आरोप लगाना उचित नहीं है कि इसकी शब्दावली बहुत दुरूह तथा कठिन है। अंग्रेजी के विभिन्न तकनीकी शब्दों का उदाहरण देते हुए श्री प्रसाद ने यह स्पष्ट किया कि हिंदी ही नहीं प्रत्येक भाषा के तकनीकी शब्द आम बोलचाल के शब्दों की अपेक्षा कहीं अधिक कठिन और दुरूह होते हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सरकारी कामकाज में आम बोलचाल के सरल, सहज तथा प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

अपने अध्यक्षीय भाषण में अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक श्री जी. सी. जेना ने कहा कि निगम की अपनी लम्बी सेवा अवधि के दौरान वे अलग-अलग स्थानों पर विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं। वे उड़िया भाषी हैं तथापि विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न पदों के अनुभव के आधार पर वे यह कह सकते हैं कि मात्र हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो इस विशाल देश को एक सूत्र में पिरो सकती है। श्री जेना ने कहा कि अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी के अतिरिक्त किसी भी माध्यम से काम नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का शब्द भण्डार अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ा है। हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं का मूल स्रोत संस्कृत है और संस्कृत में 1700 से 2000 तक धातुएं हैं जिनकी सहायता से असंख्य शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राजकाज में हिंदी का प्रयोग हम सबका कानूनी व नैतिक दायित्व तो है ही पुनीत कर्त्तव्य भी है।

संगोष्ठी/सम्मेलन

मध्य एवं पश्चिम क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह

27 मार्च, 2010 को दमन में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा विवेकानंद ऑडिटोरियम में आयोजित एक दिवसीय संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं वितरण समारोह में वर्ष 2008-2009 के पुरस्कार मध्य एवं पश्चिम क्षेत्रों में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों , वित्तीय संस्थानों व नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति के लिए समारोह के मुख्य अतिथि माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय माकन ने क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कारों से सम्मानित किया।

माननीय गृह राज्य मंत्री ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि वे हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे । साथ ही अन्य कार्यालयों में हिंदी में काम करने का वातावरण बनाकर उन्हें भी हिंदी में अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि संविधान में हम सबके ऊपर राजभाषा हिंदी के विकास और प्रयोग का दायित्व सौंपा है। यह कार्य सभी के सहयोग और सद्भावना से ही संभव हैं किसी भी राष्ट्र के लिए जितना महत्व राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का होता है उतना ही महत्व राष्ट्रभाषा का भी होता है।

मुख्य अतिथि ने कहा कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का व्यापक प्रसार इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हिंदी हमारे देश की जन-भाषा और देश के अधिकांश भू-भाग में बोली और समझी जाती है। सरकार की कल्याणकारी योजनाएं तभी प्रभावी बन सकेगी जब आम जनता उनसे लाभांवित होगी। इसके लिए आवश्यक है कि सुशासन के लिए शासन का काम-काज आम जनता की भाषा में निष्पादित किया जाना चाहिए।

श्री माकन ने कहा कि हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाना जरूरी हो गया है। उपकरणों के प्रयोग में स्टाफ को हिंदी में काम करने का प्रशिक्षण देकर कार्यालय का अधिक से अधिक काम हिंदी में कराया जाए। कंप्यूटर की तकनीक में नवीनतम प्रयोग करके अपनी उपेक्षाओ के अनुरूप संशोधन करने चाहिए । उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों से अपने कार्यालयों में हिंदी कार्य के लिए यूनिकोड प्रयोग सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

समारोह की अध्यक्षता करते हुए भारत सरकार के सचिव श्री बी. एस. परशीरा जी ने ऐसे सम्मेलनों का प्रमुख लक्ष्य बताते हुए कहा कि राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने तथा उससे संबंधित आदेशों आदि के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों पर विचार करके उनका समाधान खोजना है उन्होंने कहा कि हिंदी पूरे देश में सर्वाधिक बोली व समझी जाने वाली सर्वाधिक प्रचलित भाषा है हिंदी में देश की अन्य सभी भाषाओं के साथ समन्वय स्थापित करने की क्षमता है इन्हीं गुणों व विशेषताओं के कारण हिंदी को राजभाषा बनाया गया है तथा राजभाषा नियमों ओर आदेशों के अनुसार यह अपेक्षा की जाती है कि सरकारी कार्यालयों आदि में हिंदी भाषा का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए । राजभाषा प्रबंधकों को अपने-अपने कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार राजभाषा हिंदी के प्रयोग-प्रसार को बढ़ाने के लिए प्रेरित करना होगा।

राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री डी. के. पाण्डेय ने अपने स्वागत भाषा में कहा कि राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार और राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार तथा क्षेत्रीय स्तर पर राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तकनीकी दृष्टि से हिंदी अंग्रेजी से पीछे न रहे, इसके लिए राजभाषा विभाग ओर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग प्रयत्नशील है। कंप्यूटर की सहायता से हिंदी में काम करने के लिए

विभाग ने लीला, मंत्र राजभाषा, श्रुतलेखन राजभाषा वाचांतर राजभाषा साफ्टवेयर बनवाएं हैं साथ ही ई-महा शब्दकोश भी अब उपलब्ध हैं। फलस्वरूप आज कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए अधिकांश आवश्यक साफ्टवेयर सरकार ने निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। इसका लाभ उठाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त अनेक वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। विभाग के उप निदेशक (कार्यान्वयन) डॉ. एम. एल. गुप्ता ने पश्चिम तथा मध्य क्षेत्रों में राजभाषा कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति पर समीक्षात्मक विचार प्रस्तुत किए। नराकास पुणे के सदस्य सचिव श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयां एवं सुझाव पर चर्चा की। बैंक ऑफ बड़ौदा अहमदाबाद के वरिष्ठ प्रबंधक (रा. भा.) श्री जवाहर कर्नावट ने कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने में कठिनाइयां एवं सुझाव पर प्रकाश डाला। सी-डेक पुणे ने अपने उत्पादों की जानकारी दी। विशिष्ट अतिथियों में दमण, दीव एवं नागर हवेली प्रशासन के प्रशासक श्री सत्य गोपाल, नराकास सिलवासा के अध्यक्ष श्री पी. के. गुप्ता, विकास आयुक्त तथा नराकास दमण के अध्यक्ष श्री सूर्य प्रकाश दीक्षित ने राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के संबंध में अपने-अपने विचार प्रस्तुत किए।

इस समारोह में राजभाषा विभाग द्वारा पत्र-पत्रिकाओं की प्रदर्शनी लगाई गई जिसे श्रोताओं ने काफी पसंद किया।

पूर्व तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह

शिलांग 5 फरवरी, 2010 भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा पूर्व तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए असम राइफल्स मुख्यालय सभागार में आयोजित दो दिवसीय संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में आज पुरस्कार वितरण करते हुए समारोह के मुख्य अतिथि माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय माकन ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि आज के पुरस्कार प्राप्त करने वाले कार्यालयों के कार्य से प्रेरणा पाकर आप सभी अपना ज्यादा से ज्यादा काम हिंदी में करके अपना संवैधानिक दायित्व निभाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत एक बहुभाषी देश है। बहुभाषी देश में एक ऐसी भाषा की आवश्यकता रहती है जिसमें सारा देश आपस में बात कर सके। देश में हिंदी भाषा अधिकांश प्रांतों में बोली व समझी जाती है इसलिए इसे संघ की राज-काज की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। सरकारी योजनाएं तभी उपयोगी मानी जाएंगी जब आम जनता को उनका लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर आदेश, अनुदेश जारी किए जाते हैं। हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए संसदीय राजभाषा समिति भी अपनी रिपोर्ट में सिफारिशें करती हैं। अब तक समिति की रिपोर्ट के आठ खण्डों पर आदेश जारी किए जा चुके हैं। सभी केन्द्रीय कार्यालयों का दायित्व है कि वे इन आदेशों का अनुपालन निष्ठा व कटिबद्धिता से करें।

उन्होंने आगे कहा कि आज विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी का युग है। हिंदी को विज्ञान से जुड़े नए विचारों और वैज्ञानिक शब्दों को ग्रहण करना होगा। यदि हिंदी को विश्व की एक प्रमुख भाषा बनाना है तो इसे आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का माध्यम बनाना होगा।

समारोह की अध्यक्षता करते हुए भारत सरकार के सचिव श्री बी. एस. परशीरा जी ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि भारत सरकार नीति का कार्यान्वयन प्रेरणा, प्रोत्साहन व सद्भावना से करना चाहती हैं इसीलिए मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों/वित्तीय संस्थानों आदि में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं। साथ ही राजभाषा के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। आज हम यहां पर राजभाषा हिंदी के प्रयोग व प्रचार-प्रसार में गति लाने और इसके लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी पूरे देश में सर्वाधिक बोली व समझी जाने वाली भाषा है । यह सरलता व सुगमता से बोली व समझी जा सकने वाली भाषा है । विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध पत्र भी हिंदी में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। विश्व के कई देशों में हिंदी सिखाने की व्यवस्था कर रहे हैं।

राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री बी. के. पाण्डेय ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि किसी भी राष्ट्र की

पहचान उसकी भाषा एवं संस्कृति से होती है। राजभाषा हिंदी हमारे राष्ट्र की पहचान है । यह भारत की जन-भाषा होने के कारण पूरे देश की संपर्क भाषा भी है जो समग्र राष्ट्र को एकता के सूत्र में जोड़ती है। हिंदी राष्ट्र चेतना के जागरण के लिए एक आवश्यक संबल और साधन है। हिंदी का व्यवहार और प्रयोग एक राष्ट्रीय आवश्यकता है ।

राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में संघ के राजकीय कार्यों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार और राजीव गांधी राष्ट्रीय विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि कंप्यूटर के माध्यम से हिंदी भाषा का प्रशिक्षण तथा कंप्यूटर की सहायता से हिंदी में काम करने के लिए विभाग ने लीला, मंत्र राजभाषा, श्रुतलेखन राजभाषा वाचांतर राजभाषा साफ्टवेयर बनवाए हैं साथ ही में इ-महाशब्दकोश भी अब उपलब्ध है। तकनीकी दृष्टि से हिंदी अंग्रेजी से पीछे न रहे इसके लिए राजभाषा विभाग और सूचना प्रोद्योगिकी विभाग प्रयत्नशील है।

इस सत्र में अलग-अलग विषयों पर अनेक विद्वानों द्वारा अपने विचार व्यक्त किए। डॉ. सुशील शर्मा विभागाध्यक्ष हिंदी नेहू ने पूर्वोत्तर भारत में हिंदी के विकास पर अपने विचार व्यक्त किए। इसके अतिरिक्त पूर्व तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों और बैंकों के चुनिंदा प्रतिभागियों द्वारा राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के संबंध में विचार प्रस्तुत किए।

इस समारोह में राजभाषा विभाग द्वारा पत्रिका की प्रदर्शनी लगाई गई जिसे श्रोताओं ने काफी पसंद किया।

केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नगरी, रांची-835303, झारखण्ड

तकनीकी क्षेत्र में हिंदी को सुदृढ़ करने की दशा में एक और कदम उठाते हुए केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नगरी, रांची में दिनांक 16-10-2009 को राजभाषा अभिमुखीकरण कार्यक्रम का तकनीकी संगोष्ठी के रूप में आयोजन किया गया । उद्घाटन सत्र में संस्थान के समस्त वैज्ञानिकों सहित प्रशासनिक अधिकारियों/कर्मचारियों एवं तकनीकी कर्मचारीगण उपस्थित थे जिसमें झारखण्ड सरकार के विशेष सचिव सह निदेशक, हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प श्री धीरेन्द्र कुमार ने हिंदी माध्यम से तकनीकी संगोष्ठी को सम्बोधित किया । इस उच्च स्तरीय संगोष्ठी में उन्होंने झारखण्ड राज्य में तसर रेशम संवर्धन के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों पर प्रकाश डाला । इस अवसर पर मल्टी मीडिया के माध्यम से हिंदी में तैयार 35 पावर प्वाईट स्लाइड के द्वारा तसर रेशम संवर्धन के क्षेत्र में हुई प्रगति एवं भविष्य की महत्वाकांक्षी योजनाओं को उन्होंने प्रस्तुत करते हुए वैज्ञानिकों को इस बात के लिए आह्वान किया कि वे भविष्य हेतु बनाई गई योजना पर अमल के लिए अनुकूल प्रौद्योगिकी का विकास करें । इस राज्य में तसर रेशम उद्योग की दशा एवं दिशा पर संस्थान के निदेशक एवं वैज्ञानिकों के साथ गहन विचार-विमर्श किया गया । अपने प्रेरक उद्बोधन में श्री कुमार ने बतलाया कि किस तरह विगत तीन वर्षों में झारखण्ड तसर उत्पादन के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन गया है । उन्होंने कहा कि एक मिशन के तहत इस उद्योग को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया एवं इस उद्योग से समाज के पिछड़े, दलित एवं आदिवासी समुदाय के ग्रामीणों को जोड़ा गया है । फलस्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है । आज इस उद्योग से जुड़े ग्रामीणों के जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ है । उन्होंने कहा कि अब तक लाखों लोगों को इस उद्योग से जोड़ा जा चुका है एवं भविष्य में भी एक ठोस कार्य योजना के तहत अधिक-से-अधिक किसानों को जोड़ने का हमारा संकल्प है । उन्होंने संस्थान के निदेशक से यह अनुरोध किया कि वे संस्थान के द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी एवं आधुनिक धागाकरण, बुनाई मशीनों को गामीणों को मुहैया कराने तथा उन्हें अपेक्षित प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करें ताकि झारखंड के वैसे गरीबों को रोजी-रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जा सके जो आजीविका की खोज में इस राज्य से पलायन कर रहे हैं ।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में संस्थान के निदेशक डॉ. बी.सी. प्रसाद ने वैज्ञानिकों को आह्वान किया कि संस्थान द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी कृषकों को उपलब्ध कराई जाए । इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ हमें काम करना होगा एवं वैसा अनुसंधान करना होगा जिससे कम लागत पर किसानों

को अधिक से अधिक लाभ मिल सके । उन्होंने राज्य सरकार को हर स्तर पर अनुसंधानात्मक एवं तकनीकी सहयोग देने का अपना संकल्प दोहराया । उन्होंने कृषकों को प्रक्षेत्र उपयोगी प्रशिक्षण प्रदान करने की भी पहल की ।

पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. पटना

26 फरवरी, 2010 को पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.पटना में "राजभाषा हिंदी, उपलब्धियां और सीमाए" तथा "भूमंडलीकरण और राजभाषा हिंदी का अंत:संबंध" विषयों पर एक राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया । संगोष्ठी में पटना विश्व विद्यालय के वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए । संगोष्ठी में श्री डी के पाण्डेय, संयुक्त सचिव(राजभाषा विभाग), तथा श्री राकेश कुमार, उपनिदेशक (का.), कोलकाता ने भी भाग लिया ।

रबड़ बोर्ड, सी. बी. नं. 1122, सब जेल रोड, कोट्टयम राजभाषा संगोष्ठी

तकनीकी रबड़ बोर्ड के तत्वाधान में 14 अगस्त 2009 को पूर्वाह्न भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान, कोट्टयम,केरल के स्वर्गजयंती स्मारक भवन में एक अर्ध दिवसीय राजभाषा संगोष्ठी आयोजित की । श्री विजु चाक्को, निदेशक, वित्त, रबड़ बोर्ड ने संगोष्ठी का उद्घाटन किया । डॉ जेयिम्स जेकब, निदेशक, अनुसंधान के उद्घाटन सत्र में अध्यक्षता की ।

संगोष्ठी का शुभारंभ श्री एन के जोसेफ, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, सेंट तोमस कॉलेज, पाला, केरल द्वारा-"राजभाषा कार्यान्वयन-नवीन प्रवृत्तियाँ" पर अपने मूल्यवान मुख्य अभिभाषण से किया । उन्होंने राजभाषा की नवीन प्रवृत्तियों पर व्याख्या देते हुए मलयालम भाषियों को राजभाष के प्रयोग में हो रहे तकलीफों पर भी इशारा किया ।

डॉ पी. एन. विश्वभरन, सेवानिवृत्त डीन, महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय, केरल ने "राजभाषा हिंदी समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में" विषय पर आलेख प्रस्तुत किया । उन्होंने बताया कि जब तक आम हिंदी कार्यालयीन भाषा न बने तब तक राजभाषा हिंदी आम जनता से दूर रहेंगी ।

श्री डी कृष्ण पणिक्कर, भूतपूर्व उपनिदेशक (कार्या.) ने-"राजभाषा कार्यान्वयन में अधिकारियों का दायित्व" विषय पर अपना आलेख प्रस्तुत किया । उन्होंने कार्यालय के उच्च स्तर के अधिकारियों और हिंदी अनुभाग के पदधारियों द्वारा राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक कदमों पर और उनके दायित्व पर विस्तृत रूप से बताया ।

डॉ ब्रिजिट पाल, वरिष्ठ व्याख्याता, के. ई. कॉलेज. मान्नानम, केरल ने-"राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की नई चुनौतियाँ" पर अपना आलेख प्रस्तुत किया । उन्होंने बताया कि हिंदी का थोडा रूप परिवर्तन किया जाये ताकि वह सही मायनों में जन-जन की वाणी बन सके । संभवत: ये कुछ ऐसी चुनौतियाँ हैं जिनका समाधान निकट भविष्य में ही कर लिया जाना चाहिए । हिंदी अब किसी एक प्रांत या एक खंड की निजी संपत्ति नहीं रही है । अब वह सबकी भाषा है और इसे समृद्ध और सरल बनाने वाले किसी भी प्रयास का स्वागत ही होना चाहिए । इस तरह के मामलों में कट्टरता और शुद्धतावाद भाषा के प्रचार और प्रसार को अवरूद्ध करते हैं । आज भी भारत का शासक वर्ग अर्थात् उच्चाधिकारी वर्ग अंग्रेजी को अपनी श्रेष्ठता का आधार मानते हैं । हिंदीतर भाषी क्षेत्र होने के नाते केरल में राजभाषा के कार्यान्वयन में हो रही दिक्कतों पर उन्होंने इशारा किया ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, राजभाषा एकक, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

माननीय संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिश पर महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेशों के अनुसरण में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तत्वाधान में नवोदय विद्यालय समिति तथा केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के सहयोग से दिनांक 5 नवम्बर, 2009 को पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडेचिरी के सभागार एवं सम्मेलन कक्ष में अखिल भारतीय राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया । इस संगोष्ठी के आयोजन का प्रयोजन मंत्रालय के दोनों विभागों के 'क', 'ख' तथा 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में कार्यरत राजभाषा से जुड़े अधिकारियों तथा कर्मचारियों को एकत्र करना तथा

राजभाषा अनुपालन के संबंध में उपायों तथा समस्याओं का निवारण करना था ।

सचिव महोदया ने यह कहा कि मंत्रालय के दोनों विभागों के दूर-दराज स्थित कार्यालयों के प्रतिनिधियों का इस संगोष्ठी में भाग लेना राजभाषा के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है ।

पांडिचेरी विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय ने अपने भाषण में इस संगोष्ठी को 'ग' क्षेत्र में, विशेष रूप से विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजित करने के लिए मंत्रालय की भूरि-भूरि प्रशंसा की ।

संगोष्ठी में माननीय राज्य मंत्री जी ने अपने बाल्यकाल से ही हिंदी के प्रति अपने लगाव की घटना का उल्लेख करते हुए हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने के लिए सारगर्भित व्याख्यान दिया ।

शैक्षिक सत्र में डॉ. एस.डी. आवले, निदेशक, राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुम्बई द्वारा हिंदी के प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में हासिल उपलब्धियों के लिए किए गए कार्य से सभी प्रतिभागियों को अवगत कराया गया ।

तत्पश्चात् केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक डॉ. रामबीर सिंह ने कार्यालयी प्रयोजनों एवं शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग पर व्याख्यान प्रस्तुत किया । डॉ. सिंह ने केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा दिया । उन्होंने कहा कि संस्थान भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए कार्य कर रहा है । उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वोत्तर भारत में संस्थान द्वारा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए अनेक उपाय किए गए हैं ।

भोजन सत्र के उपरांत वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष डा. के. विजयकुमार द्वारा हिंदी शब्दों के उपयोग पर अत्यंत रोचक एवं सरस व्याख्यान एवं पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी गई । उन्होंने हिंदी शब्दों का प्रयोग न किए जाने का कारण बताया उनका हमारे मन में स्थान न होना । इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि mouse चाहे किसी भी अर्थ में अथवा स्थान पर उपयोग किया जाए, उसका अर्थ चूहा ही होता है । तो हम कंप्यूटर mouse के लिए 'चूहा' शब्द का उपयोग करने में संकोच का अनुभव क्यों करते हैं ।

इसके पश्चात् श्री केवल कृष्ण, तकनीकी निदेशक, राजभाषा विभाग द्वारा कंप्यूटर में यूनिकोड enable फोन्ट प्रयोग करने पर पावर प्वाईंट प्रस्तुति देते हुए प्रतिभागियों का मार्ग-दर्शन किया गया । उन्होंने अपनी प्रस्तुति में सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व तथा कंप्यूटर पर हिंदी मे कार्य करने की सुविधाओं का विस्तृत रूप से ब्यौरा दिया । यूनिकोड फोंटस के महत्व को दर्शाते हुए उन्होंने यह स्पष्ट किया कि इन फोंटस के माध्यम से प्राप्त ई-मेल, संदेश आदि को आसानी से पढ़ा जा सकता है । इसके साथ-साथ उन्होंने अंग्रेजी पाठ को हिंदी में परिवर्तित करने, फोनेटिक माध्यम से अंग्रेजी पाठ को हिंदी पाठ में परिवर्तित करने के बारे में 'परिवर्तन' नामक सोफ्टवेयर का भी ब्यौरा दिया । सभी प्रतिभागियों ने उनकी प्रस्तुति को अत्यंत उपयोगी एवं लाभकारी बताया । श्री कृष्ण, तकनीकी निदेशक ने प्रतिभागियों से कहा कि वे इन साफ्टवेयरों के उपयोग के संबंध में किसी कठिनाई के संबंध में उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं । सभी प्रतिभागियों ने उनकी सहृदयता की प्रशंसा की ।

संगोष्ठी के अंत में खुला-मंच सत्र के लिए समय रखा गया था । प्रतिभागियों ने इस सत्र में अपने-अपने विचार व्यक्त किए । प्रतिभागियों की अनेक समस्याओं का समाधान संयुक्त सचिव महोदया द्वारा किया गया । संगोष्ठी में उपस्थित सभी प्रतिभागियों द्वारा मंत्रालय की संयुक्त सचिव महोदया के राजभाषा हिंदी के प्रति निष्ठा एवं समर्पण की भावना की भूरि-भूरि प्रशंसा की ।

अंत में मंत्रालय में सहायक निदेशक श्री के.सी. नौटियाल द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया । अपने धन्यवाद ज्ञापन में उन्होंने माननीय राज्य मंत्री जी द्वारा अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर संगोष्ठी के उद्घाटन हेतु अपनी सहमति देने के लिए माननीय राज्य मंत्री जी का आभार प्रकट किया । उन्होंने सभी प्रतिभागियों को यह बताया कि इस संगोष्ठी के आयोजन का पूर्ण श्रेय माननीय संयुक्त सचिव महोदया डॉ. अनिता भटनागर जैन जी को जाता है जिनके अथक प्रयास एवं व्यक्तिगत रूचि के कारण ही इस संगोष्ठी का आयोजन संभव हो सका जिसके फलस्वरूप आप सभी प्रतिभागी यहां एक मंच पर उपस्थित हैं । उन्होंने सभी विशेषज्ञ वक्ताओं के योगदान के प्रति आभार प्रकट किया । इस के अतिरिक्त सभी प्रतिभागियों

द्वारा संगोष्ठी में भाग लेने और सहयोग देने के प्रति आभार प्रकट किया । उन्होंने विशेष रूप से यह उल्लेख किया कि नवोदय विद्यालय समिति के संयुक्त आयुक्त श्री खन्ना जी, नवोदय विद्यालय, पुदुचेरी के प्रधानाचार्य, संगोष्ठी हेतु नामित समन्वय प्राध्यापक श्री वी. प्रसाद और श्री बाबू राम जैन, सुश्री शांति, नवोदय विद्यालय समिति के हैदराबाद संभाग के उपायुक्त श्री राव तथा उनके अधिकारियों एवं केंद्रीय हिंदी संस्थान के कुलसचिव श्री चंद्रकांत त्रिपाठी जी के योगदान एवं सहयोग के बिना इस संगोष्ठी का आयोजन करना नितांत असंभव था । उन्होंने मंत्रालय की ओर से उनके योगदान के प्रति आभार प्रकट किया । उन्होंने पांडिचेरी विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव महोदय का आभर प्रकट किया । इसके साथ-साथ संगोष्ठी के आयोजन से संबंधित सभी व्यवस्थाओं से जुड़े कर्मियों का भी आभार प्रकट किया ।

अंत में संयुक्त सचिव महोदया को धन्यवाद देने के पश्चात् संगोष्ठी का समापन सफलतापूवर्क संपन्न हुआ ।

निष्कर्ष :-

(i) सभी प्रतिभागी अपने कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले शब्दों में से प्रतिदिन कुछेक शब्द छांट कर उन शब्दों में से एक शब्द हिंदी तथा अंग्रेजी रूपांतर कार्यालय की वेबसाईट के होम पेज पर डालें ।

(ii) इन शब्दों की एक सूची दिनांक 25-11-2009 तक मंत्रालय को भिजवाएं ।

(iii) भविष्य में इस प्रकार के आयोजन किए जाते रहेंगे ।

(iv) सभी कार्यालयों द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के कार्यवृत्त मंत्रालय को प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से समय पर भेजे जाएंगे ।

(v) सभी कार्यालयों द्वारा अपने-अपने कार्यालयों में राजभाषा कक्ष गठित किए जाएंगे । साथ ही गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा न्यूनतम हिंदी पदों के सृजन हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार कार्यालय में सृजित हिंदी पदों की स्थिति अथवा सृजित किए जाने वाले पदों की अपेक्षित संख्या से मंत्रालय को अवगत करवाएं ।

राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, दोना पावला, गोवा

वैश्विक उष्णता पर राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी

दिनांक 3-8-2009 को राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान में 'वैश्विक उष्णता पर्यावरण के परिप्रेक्ष में' विषय पर हिंदी में राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया । इस संगोष्ठी की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक डॉ. सतीश आर. शेट्ये ने की । इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में पद्मभूषण से सम्मानित प्रख्यात पर्यावरणविद् प्रो. के.एस. वल्दिया उपस्थित थे । संगोष्ठी में उद्घाटन सत्र के अलावा तीन अन्य सत्र रखे गये थे, जिनकी अध्यक्षता क्रमश: डॉ. बी. के. दुबे, डॉ. के. जी. दुबे तथा डॉ. श्रीमती सुजाता कैसरी ने किया ।

संगोष्ठी में देश के विभिन्न प्रांतों से विविध संस्थानों के प्रतिभागियों ने पावरपांइट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सरल-सुबोध हिंदी में अपन पर्चे प्रस्तुत किए । इन प्रतिभागियों में केंद्रीय औद्योगिक और अनुसंधान परिषद् की विविध प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिक एवं अध्येता भी शामिल थे । संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र के दौरान प्रो. वल्दिया ने अपनी आकर्षक शैली में वैश्विक उष्णता के कारण और इसके विभिन्न आयामों पर व्याख्यान देकर उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया । संगोष्ठी के दौरान संस्थान के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डॉ. जाकिर अंसारी, डॉ. राजीव निगम, डॉ. बबन इंगोले, आदि ने प्रतिभागियों के साथ सार्थक आलोचना से वातावरण को सरस बनाए रखा । इस संगोष्ठी में हिंदीत्तरभाषी वैज्ञानिकों की उत्साहजनक प्रतिभागिता दर्शनीय थी । संगोष्ठी का संचालन संस्थान के तकनीकी अधिकारी डॉ. अनिरुद्ध गौर कर रहे थे । संस्थान के हिंदी अधिकारी राकेश शर्मा ने संगोष्ठी के अंत में धन्यवाद ज्ञापित किया । संगोष्ठी के सम्माननीय अतिथियों के लिए रा.स.वि. सं. के निदेशक महोदय की ओर से भव्य रात्रिभोज के आयोजन की भी व्यवस्था की गई थी ।

पुरस्कार/प्रतियोगिताएं

राजभाषा विभाग, राजकोट मंडल, पश्चिम रेलवे द्वारा हिंदी पुरस्कार वितरण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन

राजभाषा विभाग, राजकोट मंडल, प. रे. द्वारा श्री वेद पाल—मंडल रेल प्रबंधक जी की अध्यक्षता में दिनांक 27-10-2009 को अपराह्न 3.30 बजे जगजीवनराम रेलवे इंस्टीट्यूट, कोठी कंपाउंड, राजकोट में हिंदी पुरस्कार वितरण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कर्मचारियों, अधिकारियों, प. रे. मं. समाज सेवा समिति के सदस्यों एवं बच्चों के लिए आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं, निर्णायकों एवं संचालकों को और प्रशंसनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं गृह मंत्रालय की 20000 शब्दों की प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के विजेताओं को मंडल रेल प्रबंधक और अपर मंडल रेल प्रबंधक के कर-कमलों द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया।

केंद्रीय भण्डारण निगम, निगमित कार्यालय द्वारा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन

केंद्रीय भण्डारण निगम, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा एक सितंबर से 15 सितंबर, 2009 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को, वर्ष 2008-09 में हिंदी में अधिक से अधिक टिप्पण एवं आलेखन करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तथा डिक्टेशन देन वाले अधिकारियों को पुरस्कृत करने के साथ-साथ निगमित कार्यालय में हिंदी का उत्कृष्ट काम करने वाले तीन विभागों को राजभाषा शील्ड प्रदान की गई। इस अवसर पर सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए प्रबंध निदेशक महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने के लिए सभी को आगे बढ़कर प्रयास करना चाहिए।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा दिनांक 15-9-2009 को आयोजित समारोह में विभाग की सचिव महोदया द्वारा निगमित कार्यालय को वर्ष 2008-09 के दौरान हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रथम राजभाषा शील्ड से सम्मानित किया गया जिसे निगम के प्रबंध निदेशक महोदय ने प्राप्त किया।

एनएचपीसी लि. मुख्यालय, फरीदाबाद

राजभाषा शील्ड योजना 2009-10—रिपोर्ट

एनएचपीसी राजभाषा शील्ड योजना के तहत वर्ष 2008-09 के लिए निगम मुख्यालय में दिनांक 27-10-2009 को आयोजित को-ऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक महोदय के कर-कमलों द्वारा उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए कार्यालयों/पावर/स्टेशनों/परियोजनाओं को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी), निदेशक (परियोजनाएं), निदेशक (कार्मिक) तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं सभी कार्यपालक निदेशकगण उपस्थित थे। इस अवसर पर निगम मुख्यालय के कोर ग्रुप, सीईपी, मानव संसाधन एवं वाणिज्यिक विभागों को क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए। इसी प्रकार 'क' क्षेत्र के पावर स्टेशन/परियोजना/क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यपालक निदेशक कार्यालय क्षेत्र-II, बनीखेत, कार्यपालक निदेशक कार्यालय, उत्तराखंड, देहरादून, बैरास्यूल पावर स्टेशन एवं धौलीगंगा

पावर स्टेशन को क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सांत्वना पुरस्कार, 'ख' क्षेत्र के पावर स्टेशन/परियोजना/क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यपालक निदेशक कार्यालय, क्षेत्र-IV, चंडीगढ़ को प्रथम पुरस्कार तथा 'ग' क्षेत्र के पावर स्टेशन/परियोजना/क्षेत्रीय कार्यालय में सेवा-II परियोजना, कार्यपालक निदेशक कार्यालय क्षेत्र-I, जम्मू, दुलहस्ती पावर स्टेशन, रंगित पावर स्टेशन एवं किशनगंगा परियोजना को क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए ।

सभी पुरस्कार विजेताओं को राजभाषा शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए । इसके अतिरिक्त प्रथम पुरस्कार विजेता को पुरस्कार स्वरूप 2500 रुपए, द्वितीय पुरस्कार विजेता को 2000 रुपए तथा तृतीय पुरस्कार विजेता को 1500 रुपए तथा सांत्वना पुरस्कार विजेता को 1000 रुपए नकद प्रदान किए गए ।

राजभाषा शील्ड पुरस्कार वितरण के इस अवसर पर श्री आर. आर. शर्मा, महाप्रबंधक (मानव संसाधन व राज भाषा) ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि निगम के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लगातार प्रयासों के फलस्वरूप निगम में उल्लेखनीय प्रगति हुई है । आज निगम में काफी कार्य हिंदी में किया जा रहा है । उन्होंने सभी विभागों/कार्यालयों/पावर स्टेशनों/परियोजना प्रमुख तथा विभागाध्यक्षों से विशेष अनुरोध किया कि वे अपने विभाग और कार्यालयों में स्वयं अपने स्तर पर इन कारणों की समीक्षा करके अपने विभाग और कार्यालय में हिंदी में कार्य बढ़ाने के उचित उपाय करें ।

निगम में लागू राजभाषा प्रोत्साहन योजनाओं के संबंध में इससे पहले डॉ. राजबीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि निगम की नीति राजभाषा प्रयोग प्रेरणा और प्रोत्साहन से बढ़ाने की रही है । इसके मद्देनजर इस समय निगम में नौ राजभाषा प्रोत्साहन योजनाएं विभिन्न कार्यालयों/पावर स्टेशनों/परियोजनाओं और विभागों में राजभाषा कार्यान्वयन में प्रतिस्पर्द्धा पैदा करने के उद्देश्य से लागू की गई है । इनमें एक योजना राजभाषा शील्ड योजना है । सर्वप्रथम यह योजना वर्ष 1993 में लागू की गई थी । इसके पश्चात् इस योजना में 1999 में संशोधन किया गया तथा इसे और आकर्षक तथा तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2008 में इसमें पुनः संशोधन किया गया ।

उन्होंने इस अवसर पर यह भी कहा कि यह योजना मूलतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार लागू की गई है तथा इससे भारत सरकार द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के लिए निर्धारित मदों को मूल्यांकन आधार पर बनाया गया है । इस योजना के तहत वर्ष 2008-09 के लिए निगम मुख्यालय के 12 विभागों तथा 22 विभिन्न कार्यालयों/पावर स्टेशनों/परियोजनाओं से प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं । इसमें से उन 14 विभागों/पावर स्टेशनों/कार्यालयों/परियोजनाओं का पुरस्कार हेतु चयन किया गया था, जिन्होंने राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया था ।

भारतीय कपास निगम लिमिटेड को 17वीं बार इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड पुरस्कार

भारतीय कपास निगम लिमिटेड, नवी मुंबई को वर्ष 2007-08 के दौरान राजभाषा के कार्यान्वयन में की गयी प्रगति के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा "ख" क्षेत्र के उपक्रमों की प्रतियोगिता में इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड के प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया है । यह पुरस्कार 14 सितंबर, 2009 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपतिजी श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील द्वारा प्रदान किया गया । यह उल्लेखनीय है कि इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड का यह राष्ट्रीय पुरस्कार निगम ने लगातार 17वीं बार प्राप्त किया है ।

प्रशिक्षण

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली

विषय :–भारत सरकार के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों द्वारा हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण देने के संबंध में–पांच पूर्ण कार्य-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन वर्ष-2010 ।

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों के लिए हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि प्रशिक्षकों द्वारा अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के साथ-साथ हिंदी भाषा के माध्यम से भी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जा सके । वर्ष 2009 तक इस संस्थान द्वारा 35 (पैंतीस) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं । अभी भी ऐसे संकाय सदस्यों (Faculty Members) की संख्या काफी है, जिन्हें हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाना शेष है इसलिए इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को वर्ष 2010 में भी चलाने का निर्णय लिया गया है ।

वर्ष 1992 से 2009 तक आपके कार्यालय द्वारा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली को नामन सूची प्रेषित की जाती रही है । कृपया ऐसे संकाय सदस्यों/प्रशिक्षकों के नाम संलग्न प्रपत्र में मांगी गई अन्य सूचनाओं सहित यथाशीघ्र भिजवाने का कष्ट करें, जिन्हें हिंदी का कार्य-साधक ज्ञान तो है, लेकिन उन्हें हिंदी में प्रशिक्षण देने में कठिनाई आती है । इस प्रशिक्षण के उपरांत संकाय सदस्य/प्रशिक्षक अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुविधापूर्वक हिंदी माध्यम से चला सकेंगे, साथ ही उनकी हिंदी भाषा की अभिव्यक्ति को अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा ।

वर्ष 2010 में उक्त कार्यक्रम नई दिल्ली में दिनांक 10 मई, 2010 से 14 मई, 2010 तक आयोजित किया जाएगा ।

कार्यक्रम का समय सुबह 9.30 बजे से सांय 6.00 बजे तक निर्धारित है ।

यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता आदि जो भी देय होगा, तो वह नामित प्रतिभागी के कार्यालय/संगठन द्वारा ही वहन किया जाएगा, इस संस्थान द्वारा नहीं ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित जिस अधिकारी को प्रवेश दिया जाएगा, उसकी पुष्टि इस कार्यालय द्वारा यथासमय दी जाएगी ।

इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिए सीमित आवास की व्यवस्था उपलब्ध है, जिसका पता निम्नवत है :—

हॉस्टल का पता इस प्रकार है :—

वार्डन हॉस्टल,
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
फ्लैट नं. 2, गवर्नमेंट हॉस्टल,
तीसरा तल, देवनगर, करोल बाग के पास,
नई दिल्ली-110 005
(दूरभाष नं. 011-23793521)

बस रूट—नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 181 (खालसा कॉलेज) पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से 926 (लिबर्टी सिनेमा) हॉस्टल से 2-ए, पृथ्वीराज रोड तक 450, 181 (संघ लोक सेवा आयोग, शाहजहां रोड),

प्रशिक्षण केंद्र/पत्राचार का पता :—

उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि)
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग,
गृह मंत्रालय, 2-ए, पृथ्वीराज रोड (जे. एंड के. हाऊस के सामने), राजस्थान भवन के नजदीक,
नई दिल्ली-110 011,
फैक्स नं.-011-23018740
कार्यशाला एकक दूरभाष सं. 011-23793521

बस रूट—नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से एम-13, 56
(संघ लोक सेवा आयोग, शाहजहां रोड तक),
पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से 502 (पृथ्वीराज रोड)
अ.रा. बस अड्डे से 501, 503, 533, 621 (पृथ्वीराज रोड)

कृपया यह सुनिश्चित करने का भी कष्ट करें कि इन कार्यक्रमों में जितने अधिकारियों की, इस कार्यालय द्वारा, पुष्टि भेजी जाती है उन्हें अवश्य कार्यमुक्त किया जाए। यदि किसी कारणवश उन्हें छोड़ना संभव न हो तो उनके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी को भेजा जा सकता है।

प्रपत्र

1. प्रशिक्षक का नाम.....
2. पदनाम.....
3. मातृभाषा.....
4. वर्तमान तैनाती स्थल.....
5. शैक्षिक/तकनीकी अर्हता.....
6. हिंदी का ज्ञान.....

प्रायोजक अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम

संस्थान/कार्यालय का पूरा पता

.....

.....

.....

टेलीफोन नं.....

फैक्स नं.....

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, हिंदी शिक्षण योजना (हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण) नई दिल्ली

विषय :-हिंदी टंकण (कंप्यूटर/मैनुअल) एवं हिंदी आशुलिपि की नई कक्षाओं का गठन--फरवरी, 2010

हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अंतर्गत नई दिल्ली स्थित प्रशिक्षण केंद्रों पर हिंदी टंकण व हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण का आगामी सत्र फरवरी, 2010 से प्रारंभ होगा । प्रशिक्षार्थियों का कक्षाओं में प्रवेश दिनांक 9 फरवरी, 2010 से प्रारंभ होगा तथा नियमित कक्षाएं दिनांक 24 फरवरी, 2010 से चलेंगी ।

2. प्रशिक्षण के संबंध में संक्षिप्त जानकारी

(क) हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष है तथा कक्षा प्रत्येक कार्य दिवस पर एक घंटे की होती है । सभी आशुलिपिकों/निजी सहायकों/निजी सचिवों के लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है । स्थान उपलब्ध होने पर हिंदी टंकण में प्रशिक्षित अवर श्रेणी लिपिकों को भी, विहित शर्तें पूरी होने पर आशुलिपि प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जा सकता है । हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण वर्ष 2015 तक पूर्ण किया जाना है ।

(ख) हिंदी टंकण प्रशिक्षण की अवधि 6 माह है तथा कक्षा प्रत्येक कार्य दिवस पर एक घंटे की होती है । सभी अवर श्रेणी लिपिकों/अंग्रेजी टंककों, डाक विभाग में डाक सहायकों एवं कार्यालय सहायकों, रेल डाक सेवा में छंटाई सहायकों, कार्यालय सहायकों, दूरसंचार विभाग में दूर संचार सहायकों, आयकर तथा कस्टम एवं एक्साइज विभाग में कर सहायकों, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटरों/डाटाएंट्री ऑपरेटरों आदि के लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है । इसके अलावा इसमें ग्रुप "ग" के वे कर्मचारी भी शामिल होंगे जो इसी तरह/इसी प्रकृति का कार्य करते हैं और जिनके भिन्न पदनाम और भिन्न वेतनमान हैं। स्थान उपलब्ध होने पर प्रवर श्रेणी लिपिक (यू.डी.सी.), सहायकों तथा हिंदी अनुवादकों को भी प्रवेश दिया जाता है ।

(ग) हिंदी टंकण/आशुलिपि परीक्षा पास करने पर गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12014/2/76-रा.भा. (डी) दिनांक 2-9-1976 तथा कार्यालय ज्ञापन सं. 18/3/94-हि.शि.यो. (मुख्या.) दिनांक 14-2-1995 के अनुसार निर्धारित शर्तें पूरी करने पर क्रमशः वैयक्तिक वेतन और नकद पुरस्कार के रूप में प्रोत्साहन दिए जाते हैं जिनका भुगतान संबंधित कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है ।

(घ) प्रशिक्षण कक्षा में जाने के लिए कार्यालय ज्ञापन सं. 12/21/61-एच बी दिनांक 26 जून, 1962 के अनुसार 1.6 कि.मी. से अधिक दूरी से आने-जाने का वास्तविक मार्ग-व्यय देय है ।

(च) केंद्रीय उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के कर्मचारियों के लिए टंकण 40 रुपए तथा आशुलिपि 50 रुपए प्रति प्रशिक्षार्थी परीक्षा शुल्क देय है । परीक्षा शुल्क का भुगतान उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के नाम, नई दिल्ली में देय ड्राफ्ट द्वारा किया जाना है ।

(छ) प्रशिक्षण से संबंधित अन्य वांछित जानकारी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण स्कंध, हिंदी शिक्षण योजना, ईस्ट ब्लाक-7, लेवल-6, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-66 (दूरभाष-26176055) से भी प्राप्त की जा सकती है ।

3. राजभाषा विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं. 21034/76/2008-रा.भा. (प्रशि.) (ii) दिनांक 3-12-2008 के अनुसार केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों और केंद्र सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, स्वायत्तशासी निकायों आदि में कार्यरत सभी वर्ग के अधिकारियों, जिनके लिए हिंदी टाइपलेखन/हिंदी में शब्द संसाधन का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, किंतु उपयोगी है, को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी टाइपलेखन/हिंदी

में शब्द संसाधन की प्रशिक्षण कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और स्थान उपलब्ध होने पर उन्हें कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकता है किंतु वे अधिकारी प्रशिक्षण के उपरांत हिंदी टाइपलेखन/हिंदी शब्द संसाधन की परीक्षा पास करने पर किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के हकदार नहीं होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार आदि ।

4. हिंदी टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण के इस सत्र के लिए नामित किए जाने वाले कर्मचारियों को कक्षाओं में प्रवेश के कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) से सम्पर्क करना होगा । संबंधित प्रभारी सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि द्वारा प्रशिक्षण हेतु रिपोर्ट करने वाले कर्मचारियों को दाखिला देने की लिखित सूचना दी जाएगी जिसे संबंधित कर्मचारी अपने कार्यालय में सूचनार्थ प्रस्तुत करेंगे ताकि संबंधित कार्यालय द्वारा प्रवेश न लेने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई समय पर की जा सके । इस पत्र के अलावा प्रशिक्षण के लिए नामित कर्मचारियों को प्रवेश लेने हेतु अलग से कोई पुष्टि पत्र नहीं भेजा जाएगा । अतः इस पत्र में दिए गए विवरण एवं कार्यक्रम के अनुसार ही उन्हें प्रवेश हेतु स्वयं संबंधित केंद्र पर, निर्धारित तिथि व समय, पर संपर्क करना है ।

5. टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्रों पर केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को कंप्यूटर अथवा मैनुअल टाइपराइटर पर हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हिंदी टंकण/आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है ।

क्र. सं.	प्रशिक्षण केंद्रों का नाम व पता	सहायक निदेशक	कार्यालय/भवन जहां के कर्मचारियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी
1.	रामकृष्णपुरम ईस्ट ब्लाक-2, लेवल-1 रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066	श्री चरणजीत वर्मा फोन-26186035	रामकृष्णपुरम और आसपास स्थित सभी कार्यालय
2.	डाक भवन कमरा नं. 109-बी, प्रथम तल, डाक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली	सुश्री आशा फोन-23036516	डाक भवन, योजना भवन, पटेल भवन, निर्वाचन सदन, संचार भवन, कनाट प्लेस, रिजर्व बैंक, आकाशवाणी, संसद मार्ग तथा आसपास के सभी कार्यालय बैंक आदि ।
3.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली	सुश्री पूनम ओसवाल 24618271-75 एक्स./536	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागर विमानन मंत्रालय तथा आसपास के सभी कार्यालय
4.	संघ लोक सेवा आयोग अतिथि गृह भवन, भूतल धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069	श्री महेंद्र कुमार फोन 23098591/4711	संघ लोक सेवा आयोग, लोकनायक भवन, निर्माण भवन, मौसम भवन, भारत पर्यावास केंद्र, अकबर रोड हटमेंट्स, केंद्रीय कार्यालय परिसर तथा आसपास के सभी कार्यालय
5.	उद्योग भवन अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्र कमरा नं. 540, उद्योग भवन, नई दिल्ली	अंशकालिक अनुदेशक	उद्योग भवन, निर्माण भवन तथा आसपास के कार्यालय

प्रवेश की तिथियां

1.	केंद्रीय मंत्रालय, विभाग, अधीनस्थ कार्यालय	9 एवं 10 फरवरी, 2010
2.	उपक्रम/निकाय/निगम/बैंक के कर्मचारी	11 फरवरी, 2010

यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी को उसके कार्यालय के निकट के प्रशिक्षण केंद्र पर स्थान उपलब्ध न रहने के कारण प्रवेश नहीं मिल पाता है तो उसे सूची में दिए गए किसी भी अन्य केंद्र पर प्रवेश के लिए भेजा जा सकता है ।

प्रशिक्षण में प्रवेश पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा ।

उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले कर्मचारियों, जिनके लिए प्रशिक्षण आवश्यक है, के ब्यौरे निम्नलिखित प्रपत्र पर दिनांक 31-1-2010 तक इस कार्यालय को अवश्य भिजवा दिए जाएं । पत्र की एक प्रति संबंधित प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) को भी प्रेषित की जाए । कृपया नामांकन निर्धारित प्रपत्र पर ही किया जाए तथा नामित करने वाले अधिकारी का नाम, कार्यालय का पूरा पता एवं टेलीफोन नंबर का पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए ताकि पत्राचार में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो । प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों की संख्या भी अवश्य दर्शाई जाए ।

प्रशिक्षण हेतु नामित किए जाने के लिए प्रपत्र

31-1-2010 को हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारी		नामित कर्मचारियों का विवरण नाम, पद व हिंदी में शैक्षिक योग्यता सहित					सुविधाजनक केंद्र
		प्रशिक्षण					
टंकण	आशुलिपि	टंकण	आशुलिपि	नाम	पद	हिंदी में योग्यता	
1	2	3	4	5	6	7	8

नामित करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम----------

कार्यालय का नाम व पूरा पता, दूरभाष नं. सहित----------

सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि इस परिपत्र को अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/इकाइयों/शाखाओं में परिचालित करने का कष्ट करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए, नामित कर्मचारी कक्षाओं में निश्चित रूप से प्रवेश लें, कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें और अनिवार्य रूप से परीक्षा में भी सम्मिलित हों ताकि प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सरकारी संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग हो सके और निर्धारित समय में प्रशिक्षण लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें ।

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान (हिंदी टंकण/शब्द संसाधन/ आशुलिपि गहन प्रशिक्षण केंद्र), कमरा नं. 423, तीसरा तल, 1, कौंसिल हाऊस स्ट्रीट, कोलकाता-700 001

विषय :-संघ सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, स्वायत्तशासी/सांविधिक निकायों, निगमों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए दिनांक 07-01-2010 से 14-12-2010 तक चलाये जाने वाले हिंदी शब्द संसाधन/टंकण एवं आशुलिपि के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।

महोदय/महोदया,

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, स्वायत्तशासी/सांविधिक निकायों, उपक्रमों, निगमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ-साथ हिंदी शब्द संसाधन/टाइपलेखन और हिंदी आशुलिपि के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाता है ।

2. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, कोलकाता द्वारा चलाये जाने वाले हिंदी शब्द संसाधन/टाइपलेखन एवं हिंदी आशुलिपि के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का वर्ष 2010 (कलैण्डर वर्ष) का कार्यक्रम आपको आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है :—

क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां	प्रशिक्षण केंद्र का नाम
1.	हिंदी श. सं./टंकण (कंप्यूटर पर)	40 कार्यदिवस	07-01-2010 से 05-03-2010 तक	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान (हिंदी टंकण/आशु. गहन प्रशिक्षण केंद्र),
2.	हिंदी श. सं./टंकण (कंप्यूटर पर)	40 कार्यदिवस	08-03-2010 से 04-05-2010 तक	राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, (कमरा नं.-423, तीसरा तल,
3.	हिंदी श. सं./टंकण (कंप्यूटर पर)	40 कार्यदिवस	02-06-2010 से 27-07-2010 तक	1, कौंसिल हाऊस स्ट्रीट,
4.	हिंदी आशुलिपि (टंकण कंप्यूटर पर)	80 कार्यदिवस	20-08-2010 से 14-12-2010 तक	(डलहौसी, टेलीफोन भवन के पूरब साइड चौराहे पर) कोलकाता-700 001

3. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान और हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एक समान हैं, परंतु ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्णकालिक होने के कारण इनकी नियमित रूप से पूर्णकालिक कक्षाएं आयोजित की जाती हैं । इन गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रतिदिन प्रात: 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं । ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नि:शुल्क हैं ।

4. इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अंत में प्रशिक्षार्थियों की परीक्षा हिंदी शिक्षण योजना के परीक्षा स्कंध द्वारा ली जाती है । गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 16-08-2007 के कार्यालय ज्ञापन संख्या- 21034/34/2007-रा.भा. (प्रशि.) के अनुसार संबंधित नियमों के अधीन विहित शर्तें पूरी करने पर हिंदी टंकण में 97 प्रतिशत, 95 प्रतिशत और 90 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर तथा हिंदी आशुलिपि में 95 प्रतिशत, 92 प्रतिशत व 88 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर कर्मचारी क्रमश: रु. 1200, रु. 800, रु. 400 के प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के रूप में नकद पुरस्कार पाने के पात्र होते हैं । इस राशि का भुगतान अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंधित कार्यालयों द्वारा वहन किया जाता है ।

5. केंद्र सरकार के निगमों/निकायों/उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि को प्रति कर्मचारी 50 (पचास) रुपये की दर से परीक्षा शुल्क देना होगा । परीक्षा शुल्क बैंक ड्राफ्ट द्वारा दिया जाना है जो कि "उप निदेशक परीक्षा, हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली" (Deputy Director (Exam.), Hindi Teaching Scheme, New Delhi) को देय होना चाहिए ।

6. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, कोलकाता में प्रशिक्षार्थियों के लिए भोजन एवं आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं है ।

7. इन पाठ्यक्रमों के लिए अर्हताएं निम्न प्रकार हैं :—

(क) <u>हिंदी शब्द संसाधन/टंकण</u>

1. सभी अवर श्रेणी लिपिकों, अंग्रेजी टंककों, कंप्यूटर ऑपरेटरों, डाटा एंट्री ऑपरेटरों, कर सहायकों, डाक सहायकों, कार्यालय सहायकों तथा दूरसंचार सहायकों के लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है ।

2. प्रवर श्रेणी लिपिक (यू.डी.सी.), सहायकों एवं हिंदी अनुवादकों तथा सभी श्रेणी के अधिकारियों को भी स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है ।

3. शैक्षणिक योग्यता :—हिंदी के साथ मैट्रिक या उसके समकक्ष अन्य परीक्षा जैसे प्राज्ञ आदि उत्तीर्ण हों । दिनांक 27-10-1980 के राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं.-14016/17/88-रा.भा. (घ) के अनुसार हिंदी टंकण के प्रशिक्षण के लिए उन सभी कर्मचारियों को जिनकी शैक्षणिक योग्यता हिंदी के साथ मिडिल अथवा समकक्ष परीक्षा जैसे प्रवीण आदि उत्तीर्ण हों, को भी प्रवेश दिया जा सकेगा ।

(ख) <u>हिंदी आशुलिपि</u>

1. सभी वर्ग के आशुलिपिकों, वैयक्तिक सहायकों (पी.ए.), सीनियर पी.ए., निजी सचिवों के लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है ।

2. कक्षाओं में स्थान उपलब्ध होने पर ऐसे कर्मचारियों को भी प्रवेश दिया जा सकता है जिनके लिए हिंदी शब्द संसाधन/टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य है तथा जो हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और संबंधित कार्यालय यह प्रमाण-पत्र दे कि उनका यह प्रशिक्षण जनहित में है ।

3. शैक्षणिक योग्यता:—हिंदी के साथ मैट्रिक या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे प्राज्ञ आदि उत्तीर्ण हों ।

8. प्रशिक्षण क्षमता का पूरा लाभ उठाया जा सके इसलिए केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित किया जाये, जिन्हें निश्चित रूप से प्रशिक्षण के लिए कार्यमुक्त किया जा सके । प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों को लंबी अवधि का अवकाश स्वीकृत करना संभव नहीं होगा । सत्र के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों को ऐसा स्थानांतरण न किया जाए जिससे उसके प्रशिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े । पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद किसी भी कर्मचारी को सत्र के मध्य से वापस बुलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

9. आपसे अनुरोध है कि अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम पाठ्यक्रम आरंभ होने से कम-से-कम एक महीना पहले **केंद्र के सहायक निदेशक, श्री जीतेंद्र प्रसाद** को भिजवा दें एवं उनके प्रवेश की पुष्टि प्राप्त होने पर ही उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा जाये, पाठ्यक्रमों के लिए नामित अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण आरंभ होने के दिन प्रशिक्षण केंद्र पर प्रातः 9.30 बजे उपस्थित होने के निर्देश भी दे दें परंतु यदि किसी अवर श्रेणी लिपिक/टंकक को आशुलिपिक पाठ्यक्रम के लिए नामित किया जाना है तो उनके प्रवेश की पुष्टि प्राप्त होने पर उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा जाये ।

10. पाठ्यक्रम में **प्रवेश प्रथम आओ प्रथम पाओ** के आधार पर दिया जायेगा ।

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग हिंदी शिक्षण योजना
(हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण)

विषय :—संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/ स्वायत्तशासी निकायों/निगमों/उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के कर्मचारियों के लिए हिंदी टंकण शब्द संसाधन/हिंदी आशुलिपि का अल्पकालिक प्रशिक्षण ।

केंद्र सरकार के कार्यालय तथा केंद्र सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/निकायों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यालय हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत नियमित हिंदी टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण हेतु अपने कर्मचारियों को प्रतिदिन एक-एक घंटे की कक्षाओं में क्रमश: 6 माह और एक वर्ष की अवधि के प्रशिक्षण में भेजते रहे हैं परंतु आज की बदलती हुई परिस्थितियों में कार्मिकों की कमी तथा दूसरी ओर कार्यभार बढ़ जाने के कारण कर्मचारियों को हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण की कक्षाओं में भेजने में हो रही कठिनाई के बारे में कुछ कार्यालयों द्वारा सूचित किया गया है । उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि प्रशिक्षण केंद्रों में आने जाने में कर्मचारियों का आधे दिन का समय नष्ट हो जाता है, जिससे कार्यालय के कार्यों को निपटाने में बाधा पड़ती है । अत: उनके दवारा हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण की वर्तमान अवधि कम करने की मांग समय-समय पर की जाती रही है ।

2. विभिन्न कार्यालयों के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अंतर्गत नई दिल्ली में संचालित हिंदी शिक्षण योजना के तीन केंद्रों पर हिंदी टंकण व हिंदी आशुलिपि अल्प कालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (प्रयोग के तौर पर) आरंभ किया जा रहा है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत पृष्ठ-4 पर उल्लिखित तीन केंद्रों पर हिंदी आशुलिपि का अल्पकालिक प्रशिक्षण (5 माह का) फरवरी, 2010 से तथा हिंदी टंकण शब्द संसाधन का अल्पकालिक प्रशिक्षण (2-2 माह का) फरवरी एवं मई, 2010 से संचालित किया जाएगा ।

3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, स्वायत्तशासी/सांविधिक निकायों, उपक्रमों, निगमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि से अनुरोध है कि वे अपने कर्मचारियों को हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में पर्याप्त संख्या में नामित करें और अल्पकालिक प्रशिक्षण का पूरा लाभ उठाएं ।

4. **प्रशिक्षण के संबंध में संक्षिप्त जानकारी :**

(क) हिंदी आशुलिपि के अल्पकालिक प्रशिक्षण के अंतर्गत निर्दिष्ट केंद्रों पर 5 महीने 3-3 घंटे प्रत्येक कार्य दिवस की प्रशिक्षण कक्षाएं संचालित की जाएंगी । इस तरह हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए आने वाले प्रशिक्षार्थी प्रत्येक कार्य दिवस को पहले आधे दिन (पूर्वाह्न) हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् आधे दिन (अपराह्न) अपने-अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे । यह प्रशिक्षण फरवरी, 2010 से जून, 2010 तक संचालित किया जाएगा तथा जून के अंतिम कार्य दिवस को हिंदी शिक्षण योजना के परीक्षा कार्यालय द्वारा हिंदी आशुलिपि परीक्षा का आयोजन किया जाएगा ।

(ख) हिंदी टंकण के अल्पकालिक प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रतिदिन 3-3 घंटे 2 महीने (अपराह्न) की प्रशिक्षण कक्षाएं संचालित की जाएंगी । इन कक्षाओं में आने वाले प्रशिक्षार्थी पहले आधा दिन (पूर्वाह्न) अपने-अपने कार्यालयों में उपस्थित रहेंगे तथा आधे दिन (अपराह्न) प्रशिक्षण केंद्र पर हिंदी टंकण शब्द संसाधन का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण के दो सत्र यथा फरवरी से मार्च, 2010 तथा मई से जून, 2010 चलाए जाएंगे । प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र के अंतिम कार्य दिवस को हिंदी टंकण की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा ।

5. हिंदी टंकण/आशुलिपि परीक्षा पास करने पर गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12014/2/76-रा.भा. (डी), दिनांक 2-9-1976 तथा कार्यालय ज्ञापन सं. 18-3-94-हि.शि.यो. (मुख्या) दिनांक 14-2-1995 के अनुसार निर्धारित शर्तें पूरी करने पर क्रमश: वैयक्तिक वेतन और नकद पुरस्कार के रूप में प्रोत्साहन दिए जाते हैं जिनका भुगतान संबंधित कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है ।

6. प्रशिक्षण कक्षा में जाने के लिए कार्यालय ज्ञापन सं. 12/21/61-एच बी, दिनांक 26 जून, 1962 के अनुसार 1.6 कि.मी. से अधिक दूरी से आने-जाने का वास्तविक मार्ग-व्यय देय है ।

7. केंद्रीय उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के कर्मचारियों के लिए टंकण 40 रुपए तथा आशुलिपि 50 रुपए प्रति प्रशिक्षार्थी परीक्षा शुल्क देय है । परीक्षा शुल्क का भुगतान उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के नाम, नई दिल्ली में देय ड्राफ्ट द्वारा किया जाना है ।

8. प्रशिक्षण से संबंधित अन्य वांछित जानकारी उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि), टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण स्कंध, हिंदी शिक्षण योजना, ईस्ट ब्लाक-7, लेवल-6 रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-66 (दूरभाष-26176055) से भी प्राप्त की जा सकती है ।

9- **पाठ्यक्रम की अर्हताएं निम्न प्रकार हैं :—**

हिंदी टंकण अल्पकालिक प्रशिक्षण

(क) सभी अवर श्रेणी लिपिकों/अंग्रेजी टंककों/डाक सहायकों/कार्यालय सहायकों/छंटाई सहायकों/दूरसंचार सहायकों/कर सहायकों/कंप्यूटर ऑपरेटरों तथा डाटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है ।

(ख) उच्च श्रेणी लिपिकों, सहायकों और हिंदी अनुवादकों को भी स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है ।

(ग) केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों तथा केंद्र सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि में कार्यरत सभी वर्ग के अधिकारियों, जिनके लिए हिंदी टाइपलेखन/हिंदी में शब्द संसाधन का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है किंतु उपयोगी है, को भी इस प्रशिक्षण में स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है **किंतु ये अधिकारी प्रशिक्षण के उपरांत हिंदी टाइपलेखन/हिंदी शब्द संसाधन की परीक्षा पास करने पर किसी भी प्रकार के वित्तीय/वित्तीय प्रोत्साहन के हकदार नहीं होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नगद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार आदि ।**

शैक्षिक योग्यता : ऐसे कर्मचारी जो हिंदी के साथ मिडिल अथवा उसके समकक्ष परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण आदि उत्तीर्ण हों, इस प्रशिक्षण के लिए पात्र हैं ।

हिंदी आशुलिपि अल्पकालिक प्रशिक्षण

(क) सभी वर्ग के आशुलिपिकों, वैयक्तिक सहायकों, निजी सचिवों आदि के लिए आशुलिपि प्रशिक्षण अनिवार्य है ।

(ख) कक्षाओं में स्थान उपलब्ध होने पर ऐसे अवर श्रेणी लिपिकों/टंककों, जिन्होंने हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, संबंधित कार्यालय द्वारा यह प्रमाण-पत्र देने पर कि उनका यह प्रशिक्षण जनहित में है, को भी प्रवेश दिया जा सकता है ।

शैक्षिक योग्यता : हिंदी के साथ मैट्रिक या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ आदि उत्तीर्ण हो ।

10. अनुरोध है कि इस प्रशिक्षण के लिए अपने कार्यालय के कर्मचारियों/अधिकारियों के नाम निम्नांकित प्रपत्र में आवश्यक रूप से दिनांक 31-12-2009 तक इस कार्यालय को भिजवा दें और पत्र की एक प्रति संबंधित केंद्र के प्रभारी सहायक निदेशक को भी भेजने का कष्ट करें । केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को कंप्यूटर पर हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हिंदी टंकण/आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है । हिंदी टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण के इस सत्र के लिए नामित किए जाने वाले कर्मचारियों को प्रवेश की पुष्टि किए जाने पर कक्षाओं में प्रवेश के लिए पृष्ठ 4 पर दिए गए कार्यक्रमों के अनुसार प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) से संपर्क करना होगा । संबंधित प्रभारी सहायक निदेशक (टंकण-आशुलिपि) द्वारा प्रशिक्षण हेतु रिपोर्ट करने वाले कर्मचारियों को दाखिला देने की लिखित सूचना दी जाएगी जिसे संबंधित कर्मचारी अपने कार्यालय में सूचनार्थ प्रस्तुत करेंगे ताकि संबंधित कार्यालय द्वारा प्रवेश न लेने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई समय पर की जा सके ।

अल्पकालिक प्रशिक्षण हेतु नामित किए जाने के लिए प्रपत्र

क्र. सं.	नामित कर्मचारियों का विवरण नाम, पद व हिंदी में शैक्षिक योग्यता सहित			प्रशिक्षण			सुविधाजनक केंद्र
	नाम	पद	हिंदी में शैक्षिक योग्यता	टंकण	आशुलिपि	सत्रावधि	
1	2	3	4	5	6	7	8

नामित करने वाले अधिकारी का नाम पदनाम----------

कार्यालय का नाम व पूरा पता, दूरभाष नं. सहित----------

समय-सारणी (अल्पकालिक प्रशिक्षण)

पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	प्रशिक्षण केंद्रों का नाम व पता	सहायक निदेशक
हिंदी आशुलिपि अल्पकालिक प्रशिक्षण	01-02-2010 से 30-06-2010 (पूर्वाह्न 10 बजे से 1 बजे तक) 3 घंटे प्रतिदिन (5 माह)	**मानक भवन** भारतीय मानक ब्यूरो, कमरा नं. 250, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।	श्रीमती वीना कश्यप फोन 23230131/4438
	01-02-2010 से 30-06-2010 (पूर्वाह्न10 बजे से 1 बजे तक) 3 घंटे प्रतिदिन (5 माह)	**रेल भवन** कमरा नं. 564-जे रेल भवन, नई दिल्ली	श्रीमती उषा शर्मा फोन 23303209
	01-02-2010 से 30-06-2010 (पूर्वाह्न 10 बजे से 1 बजे तक) 3 घंटे प्रतिदिन (5 माह)	**बी-ब्लाक** कमरा नं. 107, बी-ब्लाक हटमेंट्स (साउथ ब्लाक के पीछे) नई दिल्ली-110011	श्री जयवीर
	01-02-2010 से 03-06-2010 (पूर्वाह्न 10 बजे से 1 बजे तक) 3 घंटे प्रतिदिन (5 माह)	**रामकृष्णपुरम** ईस्ट ब्लाक-7, लेवल-6 नई दिल्ली-110066	श्री सुरेश चन्द शर्मा फोन 26176055
हिंदी टाइपलेखन अल्पकालिक प्रशिक्षण	प्रथम सत्र : 01-02-2010 से 31-03-2010 दूसरा सत्र : 03-05-2010 से 30-06-2010 (अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक) 3 घंटे प्रति दिन (2 माह)	**मानक भवन** भारतीय मानक ब्यूरो, कमरा नं. 250, मानक भवन, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002	श्रीमती वीना कश्यप फोन 23230131/4438
	प्रथम सत्र : 01-02-2010 से 31-03-2010 दूसरा सत्र : 03-05-2010 से 30-06-2010 (अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक) 3 घंटे प्रति दिन (2 माह)	**रेल भवन** कमरा नं. 564-जे रेल भवन, नई दिल्ली	श्रीमती उषा शर्मा फोन 23303209
	प्रथम सत्र : 01-02-2010 से 31-03-2010 दूसरा सत्र : 03-05-2010 से 30-06-2010 (अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक) 3 घंटे प्रति दिन (2 माह)	**बी-ब्लाक** कमरा नं. 107, बी-ब्लाक हटमेंट्स (साउथ ब्लाक के पीछे) नई दिल्ली-110011	श्री जयवीर
	प्रथम सत्र : 01-02-2010 से 31-03-2010 दूसरा सत्र : 03-05-2010 से 30-06-2010 (अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक) 3 घंटे प्रति दिन (2 माह)	**रामकृष्णपुरम** ईस्ट ब्लाक-7, लेवल-6 नई दिल्ली-110066	श्री सुरेश चन्द शर्मा फोन 26176055

सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र को अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/इकाइयों/शाखाओं में परिचालित करने का कष्ट करें। यह भी सुनिश्चित करें कि जिन कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रवेश हेतु पुष्टि पत्र भेजे जाएं उन्हें निश्चित रूप से प्रशिक्षण कक्षाओं में भेजें और नियमित रूप से उपस्थित रहने और अनिवार्य रूप से परीक्षा में भी सम्मिलित होने के निदेश दिए जाएं ताकि प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सरकारी संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग हो सके और निर्धारित समय में प्रशिक्षण लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।

पाठकों के पत्र

दिन व दिन पत्रिका का कलेवर अच्छा निकल रहा है। राष्ट्रभाषा हिंदी के कार्यक्रम को भी व्यवस्थित रूप में पढ़ने को मिलता है। 'राजभाषा भारती' अंक 123 में श्री पी. आर. वासुदेवन का लेख 'राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में व्यवहारिक कठिनाइयां' बहुत विचार पूर्ण है। पठनीय भी है। हिंदी के कार्य का विवरण पूरे भारत को पढ़ने को मिलता है। काफी परिश्रम से पत्रिका निकल रही होगी।

संपादक मंडल बधाई के पात्र हैं।

–सुश्री बी. एस. शांताबाई, प्रधान सचिव
कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति, चामराजपेट, बेंगलूर-18

विभाग की त्रैमासिकी पत्रिका 'राजभाषा भारतीय' अंक : 123 वर्ष : 31 अक्तूबर-दिसम्बर, 2008 की एक प्रति प्राप्त हुई।

राजभाषा भारती निःसंदेह अपने पाठकों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत में हिंदी के विद्वानों, क्रियाकलापों, आयोजनों और सरकारी कार्यालयों में राजभाषा में काम करते समय आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों और उनके समाधानों से नित रू-ब-रू करवाती रहती है।

–श्री सी. डी. सिंह, उप-प्रबंधक, राजभाषा
रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972), भायखला आईरन वर्क्स, पो. बॉ. 4503, सर जे. जे. रोड भायखला, मुंबई-400008

'राजभाषा भारती' पत्रिका के 123वें अंक में सभी लेख अपने आप में ज्ञानवर्धक, रोचक प्रेरणाप्रद और राजभाषा हिंदी को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने हेतु सराहनीय प्रयास हैं। विशेषकर 'विश्व हिंदी दर्शन' स्तम्भ में श्री राकेश कुमार का 'नई विश्व भाषा-ग्लोविश' लेख न केवल एक वैश्विक भाषा की आवश्यकता की ओर संकेत करता है बल्कि गैर अंग्रेजी भाषी लोगों के लिए विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचार विनिमय हेतु नितांत आवश्यक एकल भाषा की समस्या समाधान हेतु महती पहल का दिग्दर्शन भी कराता है।

'पत्रकारिता' स्तंभ में श्री अरविंद कुमार सिंह का 'सांप्रदायिक सौहार्द और मीडिया' लेख पत्रकारिता के अतीत और वर्तमान के अच्छे-बुरे पहलुओं को प्रस्तुत करने के साथ-साथ समाज निर्माण में समाचार पत्रों की कहती भूमिका और उससे जुड़े लोगों की सोच, संवेदनशीलता, सकारात्मकता और सौहार्द पूर्ण मानसिकता आदि विभिन्न पहलुओं पर स्पष्ट और बेबाक चिंतन को प्रस्तुत करता है।

इसके साथ 'प्रेरणा पुंज' स्तंभ में श्री बी. एस. गिल, उप-महानिरीक्षक के.रि.पु.ब. ग्रुप सेंटर जालंधर से श्री स्याल जी की भेंटवार्ता रोचक एवं प्रेरणाप्रद लगी। क्रमिक रूप से प्रकाशित आदेश-अनुदेशों से भी परिचित होने का अवसर मिला।

पत्रिका के सुंदर अंक प्रकाशन हेतु संपादक मंडल को मेरी हार्दिक बधाई।

–श्री संभल सिंह सोलंकी, हिंदी प्राध्यापक,
हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, डाक सेवाएं मिजोरम का कार्यालय, आइजोल-796001 (मिजोरम)

वास्तव में 'राजभाषा भारती' हिंदी के प्रचार एवं प्रसार का उत्कृष्ट प्रतिबिम्ब है। अंक जनवरी-मार्च, 2009 पढ़कर अत्यंत प्रसन्नता हुई। पत्रिका के चिंतन, साहित्यिकी, पुरानी यादें–नए परिप्रेक्ष्य, विश्व हिंदी दर्शन, पत्रकारिता एवं विविध स्तंभ अत्यंत सराहनीय है।

प्राचार्य,
केंद्रीय विद्यालय, उत्तरी महाराष्ट्र, विश्वविद्यालय, उमावि नगर, पी. बी. नं. 80, जलगांव-425001

'राजभाषा भारती' का अक्तूबर-दिसंबर अंक के आलेख हमारे मानस-वातायन को खोलने में समर्थ है। चिंतन स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित आलेख हिंदी के विविध पक्षों को उद्घाटित करते हैं। पर्यावरण स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित आलेख जल-संस्कृति के बहाने नदियों-महासागरों की पर्यावरण स्थिति की पड़ताल करता है। 'राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में व्यवहारिक कठिनाइयां' शीर्षक आलेख में श्री आर. पी. वासुदेवन ने हिंदी प्रयोग व कार्यान्वयन के मार्ग में अवरोधक तत्वों को संकेतित किया है।

–श्री वीरेन्द्र परमार,
1091/टाइप-5, एन. एच. 4, फरीदाबाद-121001

राजभाषा भारती पत्रिका के 124वें अंक (जनवरी-मार्च, 2009) के माध्यम से राजभाषा संबंधी विभिन्न गतिविधियों जैसे देश के विभिन्न नगरों/शहरों में आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों, हिंदी कार्याशालाओं, हिंदी दिवस, हिंदी सम्मेलनों/संगोष्ठियों, हिंदी प्रतियोगिताओं आदि के साथ-साथ राजभाषा विभाग द्वारा चलाए जाने वाले हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी मिली ।

यद्यपि पत्रिका में प्रकाशित सभी लेख पठनीय हैं, किंतु 'सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग में मूलभूत कठिनाइयां और उनका निदान' नामक लेख बहुत उच्छा लगा। इस लेख में हिंदी कार्यान्वयन में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों पर प्रकाश डाला गया है । पत्रिका के सफल संपादन और उत्कृष्ट प्रकाशन के लिए संपादक-मंडल को हार्दिक शुभकामनाएं ।

-सुश्री कमल भोजवानी,
सहायक महाप्रबंधक, राजभाषा ओल्ड एअरपोर्ट, कालिना, सांताकुज (पूर्व), मुंबई-400029

'राजभाषा भारती' अंक 124 में प्रकाशित रचनाएं उच्च स्तरीय ज्ञानवर्धक समसामयिक और रोचक होने के कारण संग्रहणीय हैं । भारत वर्ष में फैले केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में हो रही राजभाषा की प्रगति का आंकलन 'राजभाषा संबंधी गतिविधियों' तथा 'चित्र समाचार' में प्रकाशित साहित्य से होता है । इसके प्रकाशन से संबंधित कार्यालयों को प्रोत्साहन मिलता है तथा अन्य कार्यालयों को प्रेरणा मिलती है । पत्रिका राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में सहायक सिद्ध हुई है । संपादक मंडल, प्रकाशन से जुड़े सभी व्यक्ति तथा रचनाकार बधाई के पात्र हैं । पत्रिका के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ ।

-श्री बापूसाहेब शिपाप्पा कोरे, हिंदी अधिकारी कार्यालय,
वित्त एवं लेखा नियंत्रक (फै.) लेखा कार्यालय, गोला बारूद फैक्ट्री, खड़की, पुणे-411003

"राजभाषा भारती" त्रैमासिकी के नवीनतम अंक '(अप्रैल-जून, 2009) में समाहित सभी रचनाएं ज्ञानवर्द्धक एवं पठनीय हैं। विभिन्न कार्यालयों तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी देने से दूसरों के लिए भी प्रेरणा और प्रोत्साहन प्राप्त होता है। सभी रचनाकार तथा संपादक मंडल को हार्दिक बधाईयाँ । पत्रिका के उत्तरोत्तर विकास एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएँ ।

-सुश्री महेश्वरी अम्मा. आर, हिंदी अधिकारी
अन्तरिक्ष विभाग, तृतीय मंजिल, लोकनायक भवन, नई दिल्ली

भारतवासियों ने विश्व के अन्य देशों में जाकर अपनी धर्म-कर्म, भाषा आदि को जीवंत रखा । उस देश के विकास एवं हिंदी भाषा के प्रचार एवं प्रसार में बहुमुल्य योगदान दिया। राजभाषा भारती अंक 124 का लेख "फीजी में भारतीय जड़ें" बहुत ही सूचनाप्रद एवं उपयोगी है। मारीशस, सूरीनाम, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका, ट्रिनीडाड, जैमेका, आदि देशों में हुई हिंदी की प्रगति एवं भारतवासियों से संबंधित सामग्री विश्व हिंदी दर्शन स्तंभ के माध्यम से देकर पाठकों को अवगत कराते रहें । यह एक सराहनीय कदम होगा।

-विजय कुमार तनेजा, केन्द्रीय श्रम सेवा (सेवा निवृत),
27-बी, पूसा रोड, नई दिल्ली-110005

"राजभाषा भारती" अंक जुलाई-सितंबर, 2009 राष्ट्र-भावना की अभिव्यक्ति-स्वरूप पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर भारत का मानचित्र और उसमें समाहित सांस्कृतिक विशिष्ठताओं का प्रकटीकरण अत्यंत सुंदर बन पड़ा है । पत्रिका में प्रकाशित सभी लेख ज्ञानवर्धक हैं और सूचनात्मक जानकारी से युक्त हैं।

"विदेशी माटी में पल्लवित और पुष्पित हिंदी" लेख इस आशय का संकेतक है कि आज भारत में ही नहीं अपितु विश्व के कई अन्य देशों में हिंदी का प्रचार-प्रसार, अनुप्रयोग और शिक्षण हो रहा है । राष्ट्रकवि मैथिलीशरण से संबंधित लेख और उसमें समाहित तथ्य आज भी प्रासंगिक है। अमरीश सिन्हा के लेख में आज सरल एवं सहज कार्यालयी हिंदी पर बल दिया गया है ।

संपूर्ण पत्रिका की सामग्री सामयिक है और सारगर्भित भी । पत्रिका में सामग्री संकलन और संपादन का कार्य बड़े मनोयोग से संपन्न किया गया है । मैं "राजभाषा भारती" के उतरोत्तर विकास की कामना करते हुए आगामी अंकों के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

-सी. एस. टण्डन, उप-महाप्रबन्धक
दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय-1, जीवन भारती बिल्डिंग,
9वाँ तल, टॉवर-1, 124, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001

MGIPRRND—1545 HA/2010—5,000

पश्चिम और मध्य क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह दमण में शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथिगण ।

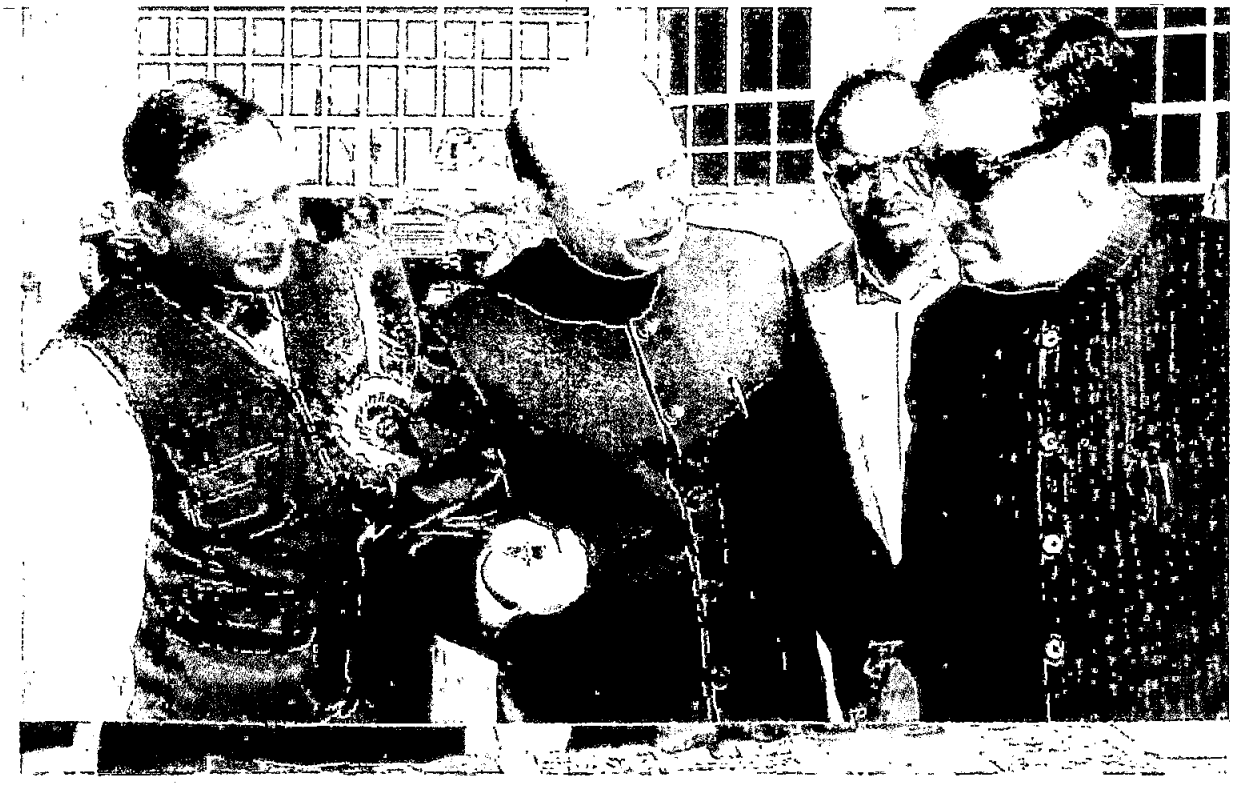

पूर्व तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार समारोह शिलांग में राजभाषा विभाग द्वारा प्रदर्शित पत्र-पत्रिका प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय माकन जी, राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री डी. के. पांडेय जी तथा राजभाषा भारती के सहायक संपादक श्री शान्ति कुमार स्याल ।

पं.सं. 3246/77

आई एस एम एन 0970-9398

वार्षिक कार्यक्रम

राजभाषा संकल्प, 1968 के अनुपालन में राजभाषा हिंदी के प्रसार और विकास की गति बढ़ाने के लिए तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों में इसके प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग प्रतिवर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है । वर्ष 2010-11 का वार्षिक कार्यक्रम इसी क्रम में जारी किया गया ।

सरकारी काम काज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के क्षेत्र में प्रगति हुई है, किंतु अब भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके हैं । सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ा है किंतु अभी भी बहुत सा काम अंग्रेजी में हो रहा है । लक्ष्य यह है कि सरकारी कामकाज में मूल टिप्पण और प्रारूपण के लिए हिंदी का ही प्रयोग हो । यही संविधान की मूल भावना के अनुरूप होगा । कहने की आवश्यकता नहीं कि जनता की भाषा में सरकारी कामकाज करने से विकास की गति तेज होगी और प्रशासन में पारदर्शिता आएगी ।

वार्षिक कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित बिंदु विशेष रूप से विचारणीय हैं :–

- यह जरूरी है कि संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट के आठ खंडों पर जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेशों का मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा अनुपालन किया जाए ।
- कंप्यूटर, ई-मेल, वेबसाइट सहित उपलब्ध सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग करते हुए हिंदी में काम को बढ़ाया जाए ।
- संबंधित विभाग वैज्ञानिक व तकनीकी साहित्य हिंदी में छपवाकर उसे जनसाधारण के उपयोग हेतु उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक उपाय करें ।
- हिंदी, हिंदी टंकण/आशुलिपि संबंधी प्रशिक्षण कार्य में तीव्रता लाएं ताकि तत्संबंधी लक्ष्यों को निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त किया जा सके ।
- राजभाषा कार्य से संबंधित अधिकारियों को विभाग के समस्त कार्यकलापों से परिचित कराया जाना आवश्यक है, जिससे कि वे अपने दायित्व अधिक अच्छी तरह निभा पाएं ।
- मंत्रालय/विभाग अपने विषयों से संबंधित संगोष्ठियां हिंदी माध्यम में आयोजित करें ।
- संघ की राजभाषा नीति का आधार प्रेरणा और प्रोत्साहन है, किंतु राजभाषा संबंधी अनुदेशों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाना चाहिए ।

सचिव, भारत सरकार,
राजभाषा विभाग,
गृह मंत्रालय

मार्च, 2010

भारत सरकार, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय), लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003 के लिए शान्ति कुमार स्याल, सहायक संपादक द्वारा प्रकाशित तथा प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, मायापुरी, नई दिल्ली-110064 द्वारा मुद्रित ।